अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल-2

(अप्रैल, 2024 से 15 मई, 2024)

PT 365

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

www.visionias.in 8468022022, 9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias.upsc /vision _ias VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

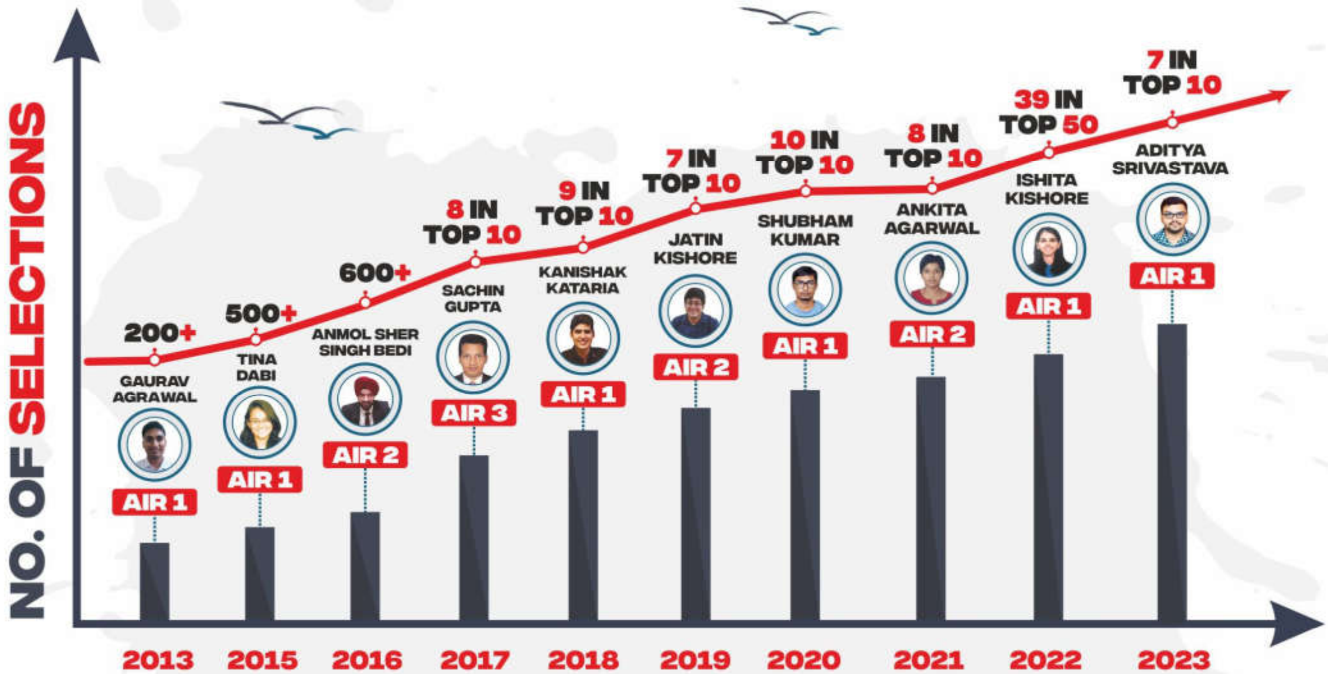

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 4 JUNE, 9 AM | 20 JUNE, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 21 MAY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 20 JUNE | BENGALURU: 18 JUNE | BHOPAL: 21 MAY | CHANDIGARH: 20 JUNE

HYDERABAD: 5 JUNE | JAIPUR: 30 MAY | JODHPUR: 30 MAY | LUCKNOW: 17 MAY | PUNE: 5 MAY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 11 जून, 9 AM | 14 मई, 9 AM | BHOPAL: 23 जुलाई | LUCKNOW: 18 जुलाई | JAIPUR: 30 मई | JODHPUR: 20 मई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

PT 365: अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल-2

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) 6
1.1. राजकोषीय संघवाद 6
1.2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल 7
1.3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 8
1.4. भ्रामक विज्ञापन 9
1.5. चुनाव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां 10
1.5.1. चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना 10
1.5.2. होम वोटिंग 11
1.5.3. पुनर्मतदान 11
1.5.4. चुनाव लड़ने का अधिकार और कैदियों का मतदान का अधिकार 11
1.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां 11
1.6.1. क्यूरेटिव पिटीशन/ उपचारात्मक याचिका 11
1.6.2. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत 12
2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 13
2.1. बहुपक्षीय संगठन 13
2.1.1. ऑकस 13
2.2. सुर्ख़ियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण संगठन 14
2.2.1. संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रक्रिया 14
2.2.2. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) को 'संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास' के रूप में नया नाम दिया गया 14
2.2.3. यूरेशियाई आर्थिक संघ 15
2.2.4. संयुक्त राष्ट्र शांति-रक्षक सेना के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए पहलें 15
2.2.5. इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड 15
2.3. सुर्ख़ियों में रहे स्थल 16
2.4. द्विपक्षीय संबंध 23
2.4.1. भारत-इंडोनेशिया संबंध 23
2.5. सुर्ख़ियों में रहे अन्य द्विपक्षीय संबंध 24
2.5.1. यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की 24
2.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां 24
2.6.1. आपदा राहत कूटनीति 24
2.6.2. चाबहार बंदरगाह 25
2.6.3. अन्य हालिया विकासक्रम 26
2.6.3.1. शेंगेन क्षेत्र 26
2.6.3.2. हवाना सिंड्रोम 26
2.6.3.3. दारफुर संकट 26
2.6.3.4. इरेज क्रॉसिंग 27
2.7. सुरक्षा से संबंधित मुद्दे 27
2.7.1. भारत का रक्षा निर्यात 27
2.7.2. विविध 28
2.7.2.1. अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण 28
2.7.2.2. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 29
2.7.3. अन्य महत्वपूर्ण विकासक्रम 30
2.7.3.1. कंबाइंड मरीन फोर्सेज 30
2.7.3.2. ऑपरेशन मेघदूत और सियाचिन ग्लेशियर 30
2.7.3.3. यूनाइटेड किंगडम की संसद ने शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने के लिए प्रावधान करने वाला एक विधेयक पारित किया 31
2.7.3.4. विस्फोटक विधेयक (2024)' का मसौदा 31
2.7.4. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास 31
2.7.4.1. टाइगर ट्रायम्फ-24 31
2.7.4.2. 'गगन शक्ति' अभ्यास 32
2.7.4.3. अभ्यास पूर्वी लहर 32
3. अर्थव्यवस्था (Economy) 33
3.1. सकल स्थायी पूंजी निर्माण 33
3.2. भारत में शहरी निर्धनता 34
3.2.1. धन के पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर 35
3.2.2. जीवन-निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी 36
3.3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण 36
3.4. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां 37
3.5. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते 39
3.6. क्राउडफंडिंग 41
3.7. बैंकिंग और वित्त क्षेत्रक में प्रमुख विकासक्रम 42
3.8. उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण 43
3.9. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण 44

© Vision IAS

3.10. बेसल III एंडगेम ____ 46
3.11. सतत विकास के लिए वित्त-पोषण रिपोर्ट 2024 ____ 49
3.12. IMF ऋण ____ 50
3.13. मिलेट्स ____ 51
3.14. भारत का इस्पात क्षेत्रक ____ 53
3.15. भारत में कोयला क्षेत्रक ____ 55
3.16. बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीतिगत प्रबंधन (IPRPM) फ्रेमवर्क ____ 56
3.17. अन्य महत्वपूर्ण विकासक्रम ____ 57
4. पर्यावरण (Environment) ____ 59
4.1. जलवायु परिवर्तन ____ 59
4.1.1. ग्रीन क्रेडिट रूल ____ 59
4.1.2. डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज ____ 59
4.1.3. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां ____ 60
4.1.3.1. जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क ____ 60
4.1.3.2. न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस ____ 60
4.1.3.3. क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव ____ 61
4.1.3.4. 1MYAC (वन मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज) ____ 61
4.1.3.5. क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम ____ 61
4.1.3.6. कार्बन फार्मिंग ____ 62
4.1.4. रिपोर्ट्स और सूचकांक ____ 62
4.2. प्रदूषण ____ 63
4.2.1. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024 ____ 63
4.2.2. स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में पारा आधारित मापन यंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना ____ 64
4.2.3. दक्षिणी महासागर क्षेत्र में सबसे स्वच्छ वायु ____ 64
4.2.4. सुर्ख़ियों में रही रिपोर्ट्स और सूचकांक ____ 65
4.3. जैव विविधता ____ 66
4.3.1. सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कांफ्रेंस ____ 66
4.3.2. सुर्ख़ियों में रहे संरक्षित क्षेत्र ____ 67
4.3.3. सुर्ख़ियों में रही प्रजातियां ____ 69
4.3.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां ____ 71
4.3.4.1. ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ____ 71
4.3.4.2. प्लैंकटन क्रैश ____ 71
4.3.4.3. गैप लिमिटेशन ____ 71
4.3.4.4. केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ____ 72
4.3.4.5. चौथी वैश्विक व्यापक कोरल ब्लीचिंग (प्रवाल विरंजन) परिघटना ____ 72
4.4. संधारणीय विकास ____ 73
4.4.1. भारत में पर्यावरणीय आंदोलन ____ 73
4.4.2. पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण ____ 74
4.4.3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ____ 75
4.4.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां ____ 77
4.4.4.1. पैरा फसल पद्धति/ कृषि विधि ____ 77
4.4.4.2. वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ____ 77
4.4.4.3. विश्व का पहला 'परमाणु ऊर्जा सम्मेलन' ____ 77
4.4.4.4. अंटार्कटिक संधि ____ 77
4.4.4.5. सौर फोटोवोल्टिक क्षमता ____ 78
4.4.5. रिपोर्ट्स और सूचकांक ____ 79
4.5. आपदा प्रबंधन ____ 79
4.5.1. टॉरनेडो ____ 79
4.5.2. अर्ली वॉर्निंग फॉर ऑल ____ 80
4.6. भूगोल ____ 80
4.6.1. बेसफ्लो ____ 80
4.6.2. समय मापने का हमारा तरीका ____ 81
4.6.3. जियोपार्क्स ____ 82
4.6.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां ____ 83
4.6.4.1. रॉग वेव्स ____ 83
4.6.4.2. स्वेल वेव्स ____ 83
4.6.4.3. वॉल्कैनिक वॉरटेक्स रिंग्स ____ 83
4.6.4.4. रिंगवूडाइट ____ 83
4.6.4.5. जीरो शैडो डे ____ 83
4.6.4.6. पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र ____ 84
4.6.5. सुर्ख़ियों में रहे स्थल ____ 84
4.6.5.1. सुर्ख़ियों में रही नदियां (भारत) ____ 84
4.6.5.2. सुर्ख़ियों में रहे स्थल: अंतर्राष्ट्रीय ____ 85
4.7. शुद्धिपत्र ____ 85
5. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) ____ 87
5.1. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ____ 87
5.1.1. नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टीमुलेशन ____ 88
5.2. बाल देखभाल अवकाश ____ 89
5.3. खेलों में डोपिंग ____ 89
5.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां ____ 91
5.4.1. खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024 ____ 91

© Vision IAS

5.4.2. द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फ़ूड क्राइसिस ____ 91

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology) ____ 93

6.1. जैव-प्रौद्योगिकी ____ 93

6.1.1. टिश्यू कल्चर ____ 93

6.2. IT, कंप्यूटर और साइबर सुरक्षा ____ 94

6.2.1. साइबर खतरे मैक्रो-फाइनेंशियल स्थिरता के लिए गंभीर चिंता ____ 94

6.2.2. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) स्पूफिंग ____ 94

6.2.3. डॉक्सिंग ____ 94

6.2.4. मर्सनरी स्पाइवेयर ____ 95

6.2.5. शैलोफेक ____ 95

6.2.6. साइबर-स्लेवरी ____ 95

6.2.7. व्हाइट रैबिट (WR) टेक्नोलॉजी ____ 95

6.3. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ____ 95

6.3.1. अंतरिक्ष-मौसम ____ 95

6.3.2. उपग्रह आधारित संचार प्रौद्योगिकी ____ 96

6.3.3. सेमी-क्रायोजेनिक इंजन (SCE)-200 ____ 97

6.3.4. सुर्ख़ियों में रहे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन ____ 98

6.3.4.1. आर्यभट्ट ____ 98

6.3.4.2. जूनो मिशन ____ 98

6.3.4.3. ड्रैगनफ्लाई मिशन ____ 98

6.3.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां ____ 98

6.3.5.1. आइस क्यूब वेधशाला ____ 98

6.3.5.2. कोडाइकनाल सौर वेधशाला ____ 99

6.3.5.3. कलाम-250 ____ 99

6.3.5.4. चांग'ई-6 ____ 99

6.3.5.5. वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल्स ____ 100

6.3.5.6. क्वार्क ____ 100

6.4. स्वास्थ्य ____ 100

6.4.1. एथिलीन (C_2H_4) ____ 100

6.4.2. ग्लाइसेमिक इंडेक्स ____ 102

6.4.3. बर्ड फ्लू ____ 102

6.4.4. मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग (MRI) प्रौद्योगिकी ____ 103

6.4.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां ____ 104

6.4.5.1. मेनिनजाइटिस ____ 104

6.4.5.2. थ्रोम्बोसायटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) के साथ थ्रोम्बोसिस ____ 104

6.4.5.3. S.A.R.A.H. ____ 104

6.4.5.4. WHO सोडियम बेंचमार्क्स ____ 104

6.4.5.5. कोरोनावायरस नेटवर्क ____ 105

6.4.5.6. वजन घटाने वाली दवाएं ____ 105

6.4.5.7. रेट्रोट्रांसपोजोन ____ 105

6.4.5.8. माइक्रोबायोम ____ 105

6.5. रक्षा ____ 106

6.5.1. सैन्य जासूस (टोही) उपग्रह ____ 106

6.5.2. स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधारित क्रूज़ मिसाइल ____ 106

6.5.3. अग्नि प्राइम ____ 107

6.5.4. सुपरसोनिक मिसाइल-असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो (SMART) प्रणाली ____ 107

6.5.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां ____ 108

6.5.5.1. एक्सो-एटमॉस्फेरिक मिसाइल (EMs) ____ 108

6.5.5.2. ऑपरेशन आयरन शील्ड ____ 108

6.5.5.3. C-डोम रक्षा प्रणाली ____ 108

6.5.5.4. रैम्पेज मिसाइल ____ 108

6.5.5.5. कामिकेज ड्रोन ____ 109

6.6. विविध ____ 109

6.6.1. नेटवर्क-एज-ए-सर्विस ____ 109

6.6.2. कोरिया सुपरकंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च ____ 109

6.6.3. इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग ____ 109

6.6.4. पीजोइलेक्ट्रिसिटी ____ 110

6.6.5. अघुलनशील सल्फर/ पोलिमेरिक सल्फर ____ 110

6.6.6. बिस्फेनॉल ए ____ 110

6.6.7. गोल्डेनी ____ 110

6.6.8. ऑक्सीटोसिन ____ 111

6.6.9. क्लोरोपिक्रिन ____ 111

6.6.10. नाइट्रोप्लास्ट ____ 111

6.7. सरकारी योजनाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ____ 111

7. संस्कृति (Culture) ____ 115

7.1. मूर्तिकला, मंदिर और अन्य स्थापत्य कला ____ 115

7.1.1. स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाना ____ 115

7.1.2. श्री माधव पेरुमल मंदिर ____ 116

7.2. चित्रकला और कला के अन्य स्वरूप ____ 116

7.2.1. मोहिनीअट्टम ____ 116

7.2.2. तोलू बोम्मालट्टा ____ 117

7.3 सुर्ख़ियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल ____ 117

7.3.1. पड़ता बेट ____ 117

© Vision IAS

7.3.2. तेलंगाना में नए पुरातत्व स्थल ______ 117
7.4. सुर्ख़ियों में रही जनजातियां ______ 118
7.4.1. सोलिगा जनजाति ______ 118
7.4.2. शोम्पेन जनजाति ______ 118
7.4.3. कोंडा रेड्डी जनजाति ______ 118
7.5. विविध ______ 119
7.5.1. वायकोम सत्याग्रह ______ 119
7.5.2. वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ______ 121
8. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) ______ 122
8.1. राष्ट्रीय आयुष मिशन ______ 122
8.2. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना ______ 123
8.3. शुद्धिपत्र ______ 125
9. परिशिष्ट (Appendix) ______ 126
9.1. भारत का शास्त्रीय संगीत ______ 126
9.2. भारत के शास्त्रीय नृत्य ______ 127

नोट

प्रिय अभ्यर्थी,

PT 365 (हिंदी) डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है, ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

संक्षेप में मानचित्र: सुर्ख़ियों में रहे स्थलों से संबंधित भौगोलिक एवं प्रासंगिक जानकारी के लिए इन्हें शामिल किया गया है, जैसे-

- सुर्ख़ियों में रहे प्रत्येक देश या स्थान के लिए अलग-अलग मानचित्र
- त्वरित संदर्भ के लिए महाद्वीप के अनुरूप व्यापक मानचित्र
- बहुपक्षीय समूहों को दर्शाने वाले मानचित्र
- द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों को दर्शाने वाले मानचित्र

संक्षेप में इन्फोग्राफिक्स: इन्फोग्राफिक्स को सारांश के रूप में प्रस्तुत कर उन्हें इंटरैक्टिव इन्फोग्राफिक्स के रूप में शामिल किया गया है, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो, सीखने का सहज अनुभव मिल सके और कंटेंट को बेहतर तरीके से याद रखना सुनिश्चित किया जा सके।

सुर्ख़ियों में रहे संस्थान/ संगठन: बार-बार सुर्ख़ियों में रहने वाले प्रमुख संस्थानों और संगठनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है।

क्विज़: अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, PT 365 अपडेटेड पार्ट 2 डॉक्यूमेंट में **"सुर्ख़ियों में रही योजनाएं"** नाम से एक अलग खंड जोड़ा गया है। यह **सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं** डॉक्यूमेंट के लिए एक अपडेटेड भाग है।

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 15,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के संबंध में विवाद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

राजकोषीय संघवाद के बारे में

- भारतीय परिप्रेक्ष्य में **संघीय प्रणाली के भीतर निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों** द्वारा साझाकरण ही **राजकोषीय संघवाद** है।

भारत में "राजकोषीय संघवाद" व्यवस्था को परिभाषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

- **सातवीं अनुसूची:** संविधान के तहत **संघ** और **राज्यों** के बीच कर आधारों का उल्लेख कर उन्हें क्रमशः **संघ सूची** और **राज्य सूची** में सूचीबद्ध किया गया है। संविधान का **अनुच्छेद 246** संघ व राज्यों द्वारा संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की उनकी शक्ति को वर्णित करता है।
- **राजस्व का वितरण:** भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत यह वर्गीकरण किया गया है-
    - **अनुच्छेद 269:** संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, लेकिन **पूरी तरह से राज्यों को सौंपे जाने वाले कर।**
    - **अनुच्छेद-269A:** अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान **वस्तु और सेवा कर** भारत सरकार द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाएगा। हालांकि, इसे **वस्तु और सेवा कर परिषद**[1] की सिफारिशों के आधार पर **केंद्र एवं राज्यों के बीच वितरित** किया जाएगा।
    - **अनुच्छेद 270:** संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, लेकिन **जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता तब तक राष्ट्रपति के आदेश पर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर।**

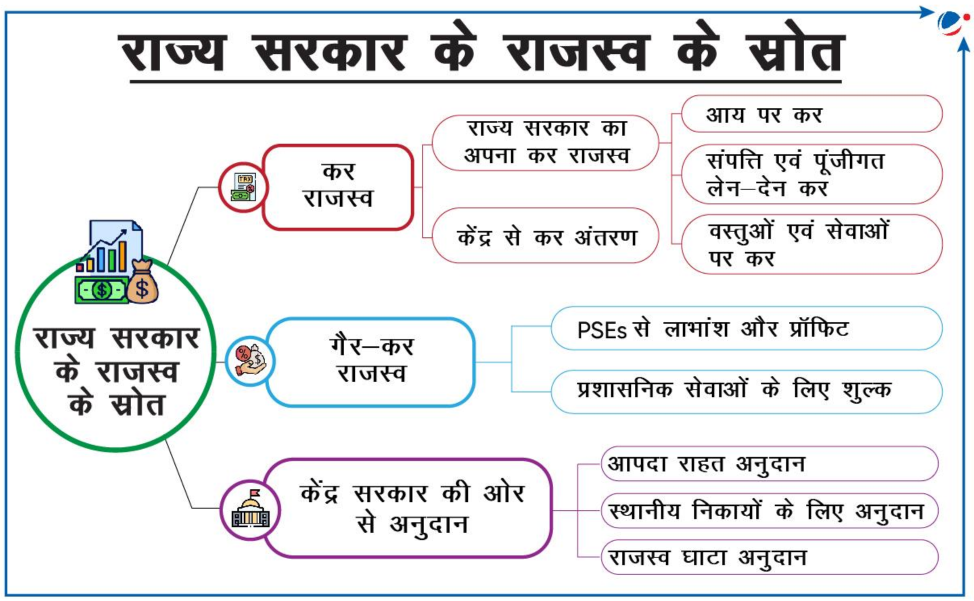

- **सहायता अनुदान (Grants-in-Aid):**
    - केंद्र **अनुच्छेद 275** के तहत राज्यों को **सहायता अनुदान** प्रदान करता है। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराएं।
        - भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की जा सकती है।
    - **विवेकाधीन अनुदान (अनुच्छेद 282):** संघ या राज्य किसी जरूरी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई अनुदान दे सकते हैं, भले ही वह उनकी विधायी क्षमता से परे हो।

---

[1] Goods and Services Tax council

- **ऋण: अनुच्छेद 292** के अनुसार, केंद्र सरकार के पास देश के अंदर (घरेलू स्रोतों से) या बाहर से धन उधार लेने की शक्ति है। हालांकि, **अनुच्छेद 293** के तहत राज्य सरकारें केवल घरेलू स्रोतों से (विदेश से नहीं) ही ऋण ले सकती हैं।
    - साथ ही, यदि किसी राज्य पर **केंद्र का ऋण बकाया है,** तो वह केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई अन्य ऋण नहीं ले सकता है।
- **वित्त आयोग (Finance Commission): अनुच्छेद 280** में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी उद्देश्य से **राष्ट्रपति द्वारा हर पांच साल बाद वित्त आयोग का गठन** किया जाता है।

1.2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (EVM-VVPAT)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य वाद (2024)** में सुप्रीम कोर्ट ने EVM में डाले गए वोट के साथ VVPAT पर्ची के 100% क्रॉस-सत्यापन कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

EVM-VVPAT के बारे में

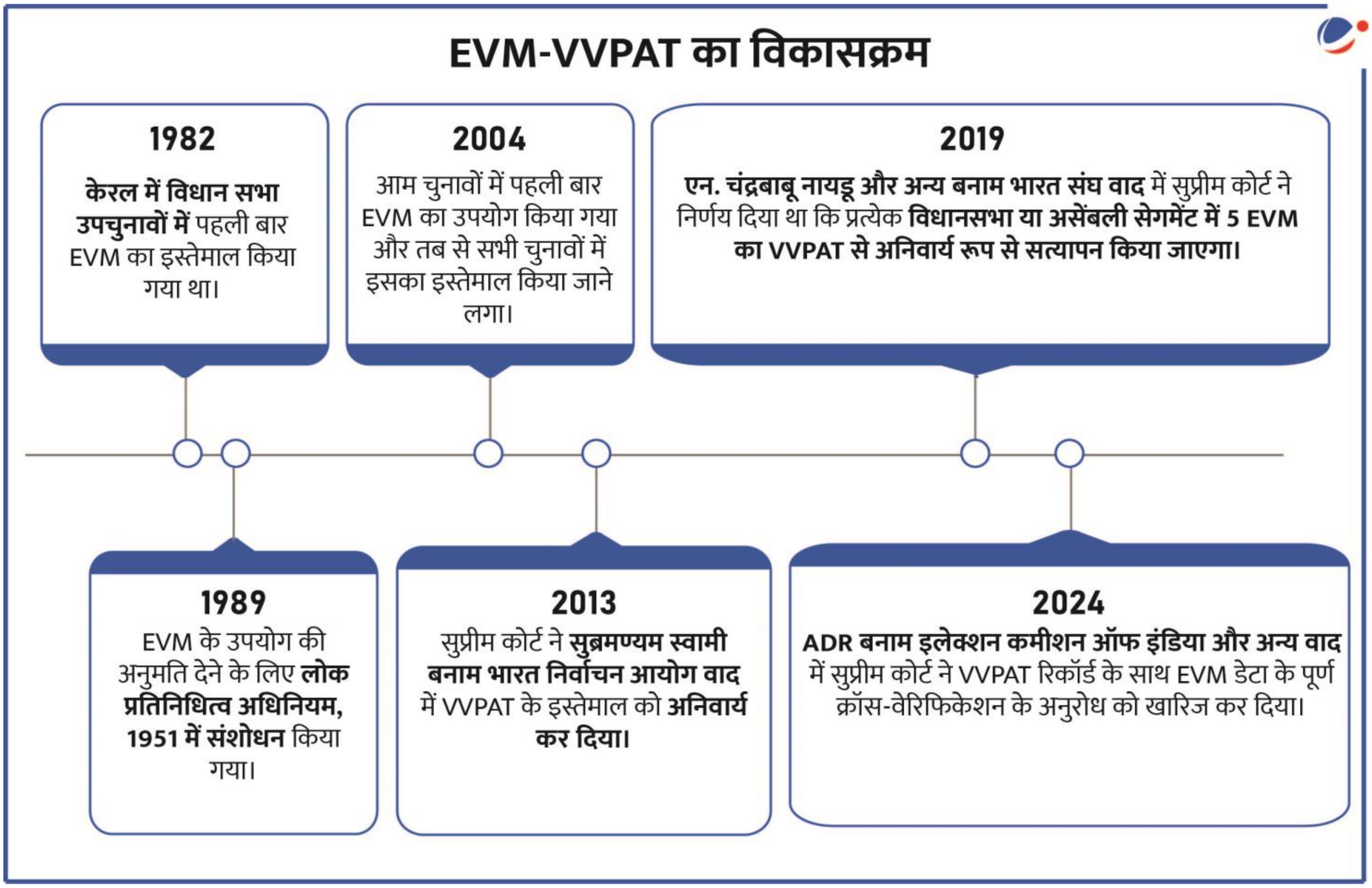

- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) एक पोर्टेबल माइक्रोकंट्रोलर-आधारित उपकरण** है। इसे चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसे भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने **इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** के साथ मिलकर विकसित किया है।
    - **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड:** यह **रक्षा मंत्रालय** के तहत कार्य करती है।
    - **इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:** यह **परमाणु ऊर्जा विभाग** के तहत कार्य करती है।
- EVM में तीन यूनिट शामिल होती हैं: **कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट और VVPAT**
    - **बैलेटिंग यूनिट:** इसका उपयोग **वोट डालने** के लिए किया जाता है। यह **16 बटन** वाले कीबोर्ड की तरह कार्य करती है।

 © Vision IAS

- ○ **कंट्रोल यूनिट:** इसे **मास्टर यूनिट** भी कहा जाता है, यह **मतदान/ पीठासीन अधिकारी** के पास रहती है।
- ○ **वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT):** यह मशीन सत्यापित करती है कि मतदाता का वोट उसी उम्मीदवार को गया है, जिसे उसने वोट दिया है।
  - यह मतदाताओं को **7 सेकंड के लिए एक प्रिंटेड पर्ची भी दिखाता है।** इस पर्ची में वोट डालने के लिए **चुने गए उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह प्रिंटेड** होता है।
  - यह पर्ची एक पारदर्शी विंडो में दिखाई देती है और 7 सेकंड पूरे होने के बाद ऑटोमेटिक रूप से कट कर एक सीलबंद बॉक्स में गिर जाती है।
  - इसे **मतदान प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने** और EVMs का उपयोग करके मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करके मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए लाया गया था।
- **नोट:** 2017 में गोवा विधान सभा चुनाव के दौरान **पहली बार सभी EVMs के साथ VVPATs का उपयोग** किया गया था।
  - ○ **2019** के लोक सभा चुनावों में **VVPATs को पहली बार पूरी तरह से उपयोग में लाया** गया था।

EVM-VVPAT के लाभ

- यह बैटरी से चलती है। इसे चलाने के लिए **बाहर से बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं** होती है।
- यह **अवैध कागजी मतपत्रों की तरह ही अवैध वोटों पर रोक लगाती है।**
- EVM में **एक मिनट में अधिकतम केवल 4 वोट ही डाल** सकते हैं। इससे **बूथ कैप्चरिंग की घटना पर रोक** लगती है।
- कंट्रोल यूनिट पर "क्लोज/ Close" बटन दबाने के बाद इसमें **मतदान करने की संभावना खत्म** हो जाती है।
- किसी भी समय कंट्रोल यूनिट पर "टोटल/ Total" बटन दबाने पर, बटन दबाने के समय तक डाले गए **वोटों की कुल संख्या प्रदर्शित होती है, लेकिन किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, यह प्रदर्शित नहीं** होता है।
- प्री-प्रोग्रामिंग के जरिए **EVM में हेरफेर करना संभव नहीं है।**

1.3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission: NHRC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र (UN) से संबद्ध **ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI)** ने लगातार दूसरे वर्ष भी भारत के **"राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)" को मान्यता (प्रत्यायन) प्राप्त मानवाधिकार निकाय का दर्जा स्थगित** कर दिया।

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में

- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **उत्पत्ति:** यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक **सांविधिक** निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में **2006 और 2019 में संशोधन** किया गया था।
  - ○ यह अधिनियम मानवाधिकारों को **व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों** के रूप में परिभाषित करता है। इन **अधिकारों की गारंटी संविधान** द्वारा दी गई है या इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रंसविदाओं में शामिल किया गया है। साथ ही, भारत में **न्यायालयों द्वारा इन्हें लागू** किया जा सकता है।

भारत के "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)" की संरचना

अध्यक्ष	5 पूर्णकालिक सदस्य	7 डीम्ड सदस्य
▸ भारत का एक **सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश**	▸ **सुप्रीम कोर्ट** का एक सेवानिवृत्त या सेवारत **न्यायाधीश** ▸ किसी **हाई कोर्ट** का एक सेवानिवृत्त या सेवारत **मुख्य न्यायाधीश** ▸ **3 अन्य सदस्यों** (जिन्हें मानवाधिकारों के मामलों में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो) में से **एक महिला सदस्य** होगी।	▸ **निम्नलिखित के अध्यक्ष:** ▸ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ▸ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ▸ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ▸ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ▸ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ▸ राष्ट्रीय महिला आयोग ▸ मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

- **नियुक्ति:** आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के **राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों** पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं:
  - लोक सभा अध्यक्ष;
  - गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री;
  - लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेता; तथा
  - राज्य सभा का उपसभापति।
- **कार्यकाल:** NHRC के अध्यक्ष और सदस्य **3 साल या 70 वर्ष की आयु तक,** जो भी पहले हो, **पद पर बने रहेंगे।**
  - अध्यक्ष और सदस्य दोनों **पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र** हैं।
- **पद से हटाना:** अध्यक्ष और सदस्यों दोनों को **सुप्रीम कोर्ट से परामर्श के बाद सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश** से पद से हटाया जा सकता है।
- **NHRC की शक्तियां:** इसके पास **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के तहत और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक **सिविल न्यायालय** की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात्:
  - **गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना** तथा शपथ पर उनकी जांच करना;
  - किसी भी दस्तावेज की **खोज और प्रस्तुति;**
  - हलफनामों पर **साक्ष्य प्राप्त करना;**
  - किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी **सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतिलिपि की मांग करना;**
  - गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए **कमीशन नियुक्त** करना।
- **NHRC की सीमाएं:**
  - NHRC मानवाधिकार उल्लंघन की उन **शिकायतों पर विचार नहीं कर सकता, जिनके घटित होने के एक साल बाद उनकी शिकायत दर्ज** कराई गई हो।
  - सशस्त्र बलों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में, NHRC केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकती है और फिर अपनी सिफारिशें कर सकती है।
    - सशस्त्र बलों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में, राज्य मानवाधिकार आयोग तो केंद्र सरकार से रिपोर्ट भी नहीं मांग सकती है।

NHRC के कार्य

- स्वतः संज्ञान लेकर या किसी पीड़ित की याचिका पर **मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना।**
- न्यायालय की अनुमति से किसी **न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करना।**
- कैदियों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए **राज्य सरकार के तहत आने वाली किसी संस्था या जेल का दौरा करना।**
- मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए **कानून और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना।**
- मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी गतिविधियों (आतंकवाद सहित) के **कारणों की समीक्षा करना।**

1.4. भ्रामक विज्ञापन (Misleading Advertisements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को **भ्रामक विज्ञापन देने वाली FMCG (फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स) कंपनियों पर कार्रवाई** का आदेश दिया।

भ्रामक विज्ञापन क्या है?

- भ्रामक विज्ञापन ऐसा कोई भी प्रकाशित या प्रसारित दावा है, जो उपभोक्ताओं को किसी **उत्पाद या सेवा के संबंध में गलत सूचना** प्रदान करता है।

- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के तहत ऐसा कोई भी विज्ञापन भ्रामक माना जाता है, **यदि वह-**
  - किसी उत्पाद या सेवा के बारे में गलत जानकारी देता है,
  - किसी उत्पाद या सेवा की प्रकृति, मात्रा या गुणवत्ता की झूठी गारंटी देता है,
  - अनुचित व्यापार व्यवहार का समर्थन करता है, या
  - उसमें जानबूझकर उत्पाद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई है।

भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए की गई पहलें

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने **'भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, 2022'** जारी किए हैं।
- **औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954:** यह चमत्कारी गुणों वाले कथित उपचारों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** इसके तहत भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए CCPA की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- **खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006:** यह खाद्य पदार्थों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है।

औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम (Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act), 1954

- भ्रामक दावे करना **औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954** के तहत प्रतिबंधित है।
  - इस **अधिनियम की धारा 4** उन विज्ञापनों पर रोक लगाती है, जो किसी **दवा के वास्तविक प्रभावों के बारे में गलत जानकारी** प्रसारित करते हैं।
  - **धारा 5** किसी बीमारी के इलाज के लिए **चमत्कारिक उपचारों के विज्ञापन पर रोक** लगाती है।
    - इसके अंतर्गत, **"चमत्कारिक उपचार"** में एक **ताबीज, मंत्र, कवच और अन्य जादू-टोना** शामिल है। इसमें **उपचार करने या शारीरिक कार्यों को प्रभावित करने के लिए चमत्कारी शक्तियां** होने का दावा किया जाता है।

1.5. चुनाव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News Related to Elections)

1.5.1. चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना (Disclosure of Assets by Election Candidates)

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका से संबंधित एक अपील पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।
  - निर्णय के अनुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उन मामलों में **"निजता का अधिकार"** है, जिनका **मतदाताओं से कोई सीधा सरोकार** नहीं है या जिन मामलों का **उम्मीदवारों के सार्वजनिक जीवन की भूमिका से कोई लेना-देना नहीं** है।
  - यह आवश्यक नहीं है कि उम्मीदवार अपनी या अपने आश्रित परिवार के सदस्यों की प्रत्येक चल सम्पत्ति (Movable property) की घोषणा करें, जैसे- कपड़े, जूते, क्रॉकरी, स्टेशनरी और फर्नीचर आदि।
- **चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा ब्यौरा देने हेतु कानूनी प्रावधान:**
  - **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 33:** इसमें नामांकन पत्रों की प्रस्तुति और वैध जानकारी देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
  - **RPA, 1951 की धारा 36:** इसमें नामांकन की जांच का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण में **"पर्याप्त खामी"** के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी को उस उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने का अधिकार दिया गया है।

1.5.2. होम वोटिंग (Home Voting)

- भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के आम चुनावों में पहली बार 'होम वोटिंग' की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की
- **होम वोटिंग सुविधा के बारे में:**
    - इस सुविधा के अंतर्गत, **मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदाता के घर से मतदान कराया** जाएगा। इस दौरान **मतदान की गोपनीयता** का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
    - **लाभार्थी:**
        - **40% बेंचमार्क (संदर्भित) दिव्यांगता के तहत आने वाले दिव्यांग व्यक्ति (PwD); तथा**
        - **85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।**

1.5.3. पुनर्मतदान (Re-polling)

- भारत के निर्वाचन आयोग ने **मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश** के अलग-अलग मतदान केंद्रों पर संचालित लोक सभा आम चुनावों के लिए पुनर्मतदान कराया है।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 के तहत पुनर्मतदान से संबंधित प्रावधान**
    - **वे परिस्थितियां, जिनमें पुनर्मतदान की आवश्यकता पड़ती है-**
        - **धारा 57:** प्राकृतिक आपदा, हिंसा आदि के कारण।
        - **धारा 58(2):** वोटिंग मशीनों को नुकसान पहुंचाने या उनके नष्ट होने के कारण।
        - **धारा 58A:** बूथ कैप्चरिंग के कारण चुनाव का रद्द होना।
        - **धारा 52:** मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (राष्ट्रीय दल/ राज्य-स्तरीय दल) के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण।

1.5.4. चुनाव लड़ने का अधिकार और कैदियों का मतदान का अधिकार (Right to Contest Election and Right to Vote of Prisoners)

- **चुनाव लड़ने का अधिकार (Right to Contest Election):** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की **धारा 8(3)** के अनुसार एक **दोषी व्यक्ति, जिसे दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है, वह चुनाव नहीं लड़** सकता है।
    - ऐसा व्यक्ति अपनी रिहाई के बाद से **अगले छह वर्षों तक** अयोग्य बना रहेगा।
    - भले ही ऐसा दोषी व्यक्ति जमानत पर रिहा हुआ हो, वह चुनाव नहीं लड़ सकता।
- **मतदान:** RPA, 1951 की **धारा 62(5)** के अनुसार **जेल में बंद व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है।**
    - यह प्रावधान **जेल की सजा पाए या निर्वासन की सजा पाए या पुलिस की कानूनी हिरासत वाले व्यक्तियों** पर लागू होता है।
    - **प्रिवेंटिव डिटेंशन** में रखा गया व्यक्ति RPA, 1951 की **धारा 62(5)** और चुनाव संचालन नियम, 1961 के **नियम 18** के तहत **चुनाव में मतदान करने का हकदार** है।

1.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

1.6.1. क्यूरेटिव पिटीशन/ उपचारात्मक याचिका (Curative Petition)

- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के खिलाफ पारित आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया।
- **क्यूरेटिव पिटीशन:** यह याचिका उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध **अंतिम संवैधानिक उपाय है, जिसकी पुनर्विचार याचिका** को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
    - **'पुनर्विचार याचिका'** का उल्लेख संविधान के **अनुच्छेद 137** के तहत किया गया है।
- यह अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने **'रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य'** वाद में प्रतिपादित की थी।
    - क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की शक्ति संविधान के **अनुच्छेद 129 (अभिलेख न्यायालय)** और **अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय करने की शक्ति)** पर आधारित है।

 © Vision IAS

- **क्यूरेटिव पिटीशन** की अनुमति तब दी जाती है, जब याचिकाकर्ता यह स्थापित करता है कि-
  - निर्णय में **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन** हुआ है;
  - मामले की सुनवाई करने वाला **न्यायाधीश उस मामले में अपने हितों का खुलासा करने में विफल** रहा है,
  - न्याय-निर्णय में पक्षपात होने की आशंका है और **निर्णय से याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ सकता है।

1.6.2. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत (Doctrine of Harmonious Construction)

- एक मामले में अपील दाखिल करने में "विलम्ब के लिए क्षमा" (Condone the delay) के आग्रह से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 और 5 के तहत **हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का उपयोग** करने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए।
  - **विलम्ब के लिए क्षमा** की धारणा के तहत किसी मामले में अपील/ याचिका दाखिल करने के लिए **तय समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति देने की अदालत की विवेकाधीन शक्ति** शामिल है।
- **हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सिद्धांत के बारे में**
  - इसका अर्थ है कि दो कानूनों के बीच विवाद की स्थिति में उनकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए, जिससे दोनों कानूनों के उद्देश्य और सार को बनाए रखा जा सके। ऐसा कानूनों या प्रावधानों में 'सामंजस्य' बनाकर किया जाता है।
  - इस सिद्धांत की उत्पत्ति **प्रथम संविधान संशोधन और उस पर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद में दिए गए निर्णय** से मानी जाती है।

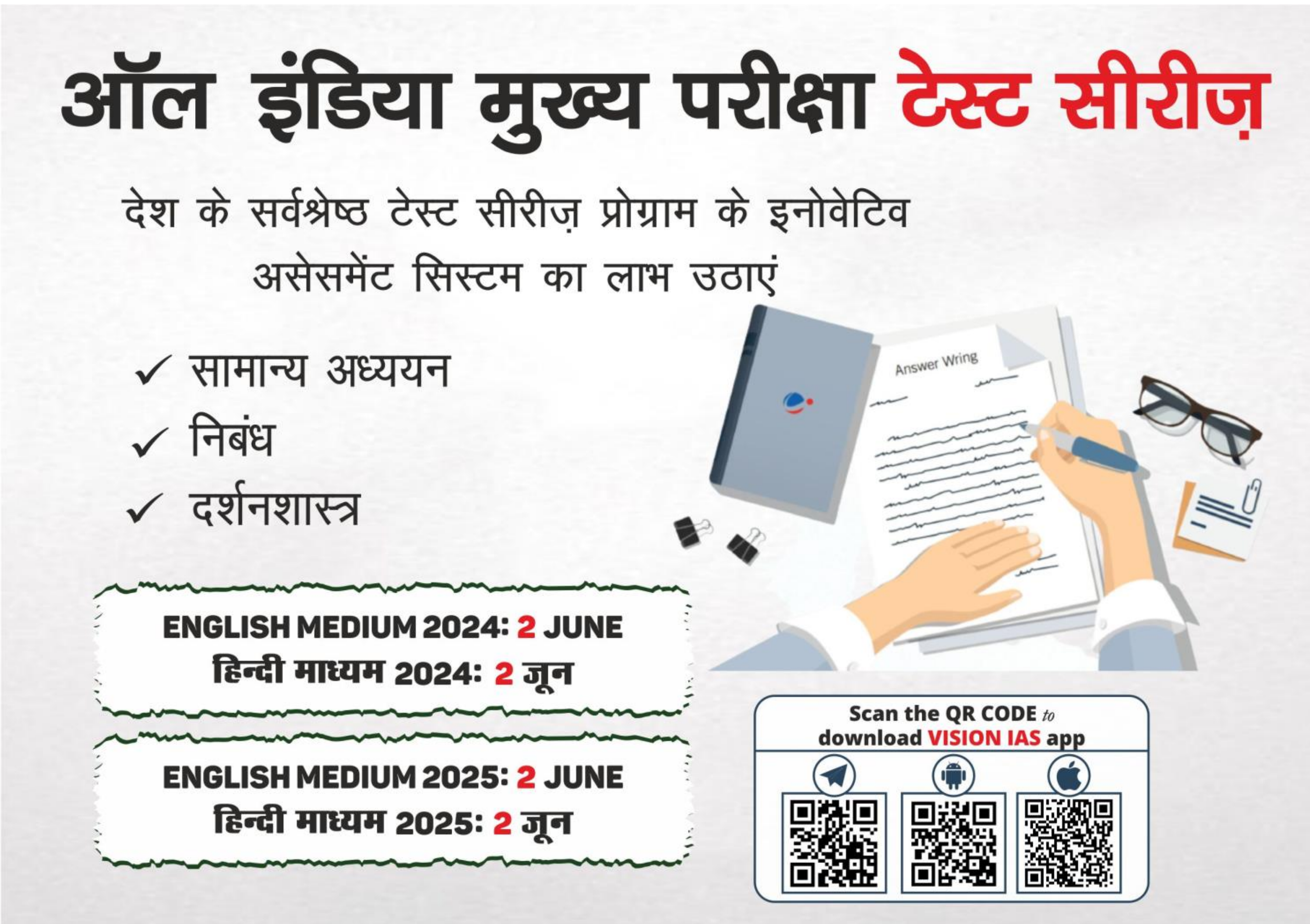

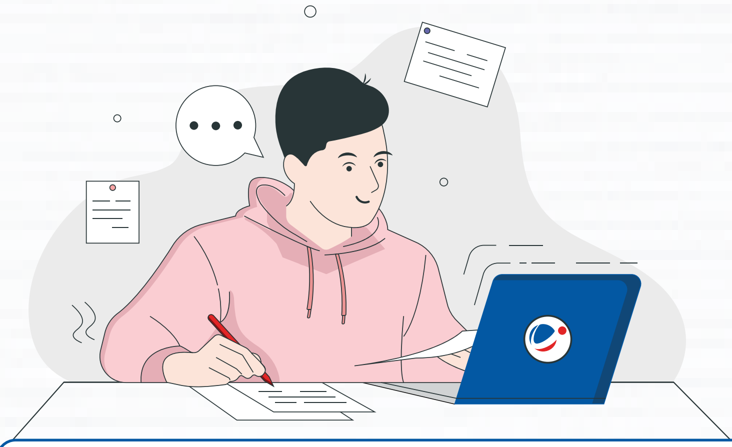

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ-साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न-पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर-की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. बहुपक्षीय संगठन (Multilateral Organisations)

2.1.1. ऑकस (AUKUS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

AUKUS सदस्य (ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) **उन्नत क्षमताओं वाली परियोजनाओं**[2] को लेकर **जापान के साथ सहयोग** पर विचार कर रहे हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- AUKUS के सदस्य देश **"पिलर-II" पर जापान के साथ सहयोग** पर विचार कर रहे हैं। AUKUS गठबंधन के पिलर-II में जापान का संभावित प्रवेश इस गठबंधन साझेदारी, क्षमता एकीकरण और मानकीकरण को मजबूत कर सकता है। यह कदम संभावित रूप से इस गठबंधन के **सदस्य देशों एवं जापान के बीच निर्यात नियंत्रण और सूचना सुरक्षा विनियमों को सुव्यवस्थित** कर सकता है।
    - उल्लेखनीय है कि जापान की पहले से ही **ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका** के साथ घनिष्ठ द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी है।

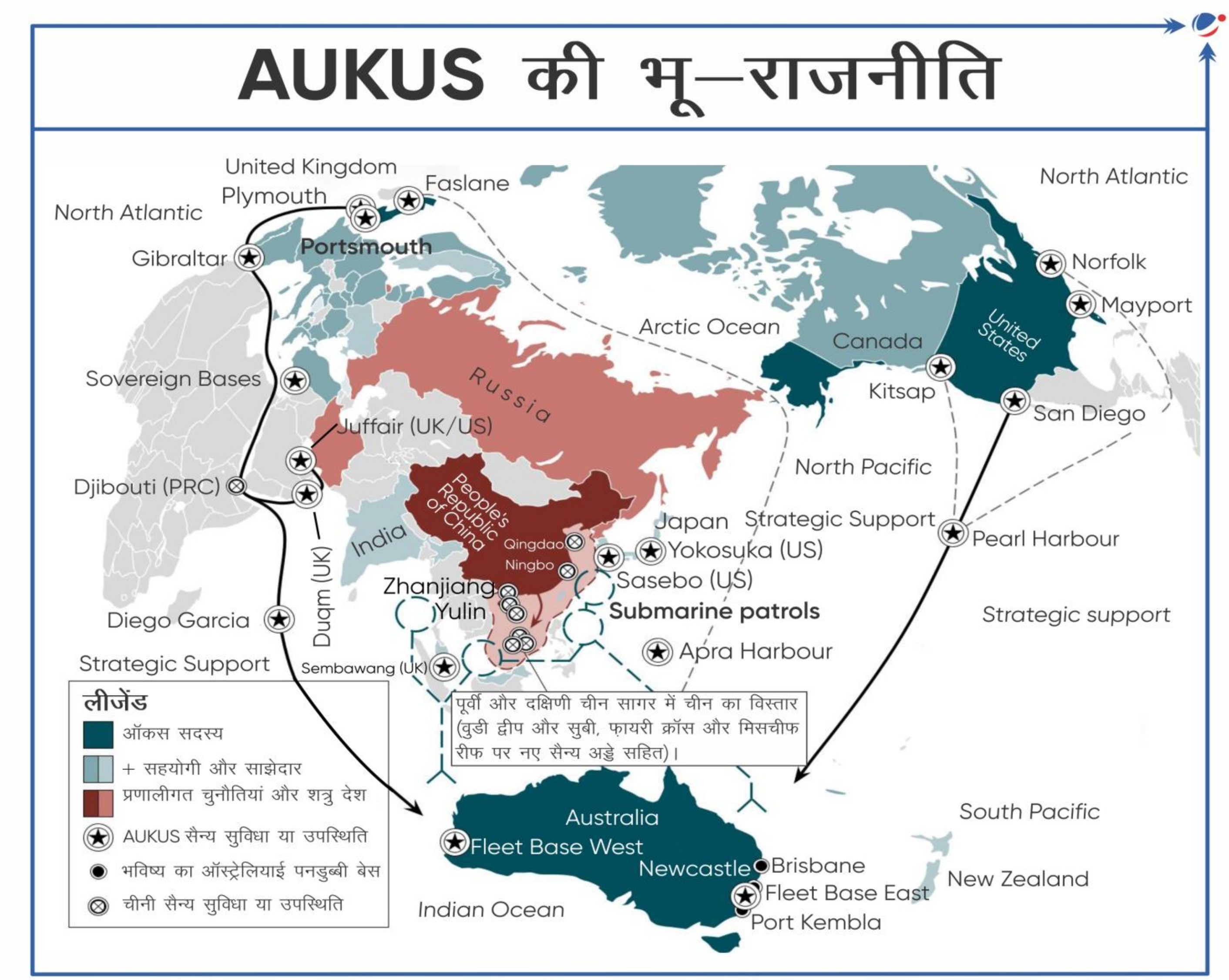

[2] Advanced Capabilities Projects

© Vision IAS

AUKUS के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे **2021 में गठित** किया गया था।
- **प्रकृति:** AUKUS **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया** के बीच एक **त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी** है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य सदस्य देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, तकनीकी एकीकरण में तेजी लाना और औद्योगिक क्षमता का विस्तार करना है।
- **AUKUS साझेदारी के दो प्राथमिक क्षेत्र या पिलर्स हैं:**
  - **पिलर-I:** इसमें **पारंपरिक हथियारों से युक्त और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों** का विकास शामिल है। इसके तहत, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की परमाणु-संचालित पनडुब्बियां बनाने में मदद कर रहे हैं।
  - **पिलर-II:** इसमें **उन्नत क्षमता विकास** शामिल है। इसके तहत सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
    - इनमें साइबर क्षमता तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी और समुद्र की गहराई में अन्वेषण से जुड़ी अतिरिक्त क्षमताओं का विकास शामिल है।
- AUKUS आपात स्थित में सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध गठबंधन होने की बजाय मुख्य रूप से रक्षा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साझा करने की सुविधा के लिए, 2021 में एक **कानूनी रूप से बाध्यकारी त्रिपक्षीय समझौते** पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे **एक्सचेंज ऑफ नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (ENNPIA)** के रूप में जाना जाता है।
- **AUKUS क्वॉड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (Quad/ क्वाड) से अलग है:** AUKUS क्वाड के विपरीत **रक्षा साझेदारी को प्राथमिकता** देता है। वहीं क्वाड का व्यापक ध्यान **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग** पर केंद्रित है।
  - क्वाड **संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का एक समूह** है। यह एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्ध है, जो समृद्ध और लचीला हो।

2.2. सुर्ख़ियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण संगठन (Other Important Organisations in News)

2.2.1. संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रक्रिया (UN Membership Procedure)

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए **फिलिस्तीन के आवेदन** को एक समिति को सौंप दिया है।
- **संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रक्रिया के बारे में**
  - सदस्य बनने के इच्छुक देश **UN महासचिव** को एक आवेदन प्रस्तुत करके **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता** व्यक्त करते हैं।
  - आवेदन पर **UNSC के 15 में से 9 सदस्यों के सकारात्मक मत** की आवश्यकता होती है। साथ ही, इसके **5 स्थायी सदस्यों** में से किसी के भी द्वारा **आवेदन को वीटो नहीं** किया जाना चाहिए।
  - UNSC से मंजूरी मिलने के बाद सदस्यता आवेदन संकल्प को **संयुक्त राष्ट्र महासभा** में पेश किया जाता है। वहां इसे पारित होने के लिए **दो-तिहाई बहुमत** की आवश्यकता होती है।
  - महासभा द्वारा संकल्प अपनाने के साथ ही **संबंधित देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य** बन जाता है।

2.2.2. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) को 'संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास' के रूप में नया नाम दिया गया {United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Rebranded as UN Trade and Development}

- अंकटाड (UNCTAD) की **60वीं वर्षगांठ** के अवसर पर इसे नया नाम दिया गया है।
  - यह रणनीतिक कदम **विकासशील देशों की व्यापार और विकास में वैश्विक भूमिका बढ़ाने की संगठन की प्रतिबद्धता** को रेखांकित करता है।
- **अंकटाड की मुख्य उपलब्धियां:**
  - यह संगठन **चार** अन्य प्रमुख संस्थागत हितधारकों के साथ **'विकास के लिए वित्त-पोषण'** का कार्यान्वयन कर रहा है। 'विकास के लिए वित्त-पोषण' को **अदीस अबाबा एजेंडा (2015)** में वैश्विक समुदाय ने प्रस्तुत किया था।

- चार अन्य प्रमुख संस्थागत हितधारक हैं- **विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व व्यापार संगठन (WTO) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)।**
- **ऋण प्रबंधन और वित्तीय विश्लेषण प्रणाली (Debt Management and Financial Analysis System: DMFAS) कार्यक्रम** के तहत देशों को सहायता प्रदान की गई है।

2.2.3. यूरेशियाई आर्थिक संघ (Eurasian Economic Union: EEU)

- **भारत और EEU समूह** के अधिकारियों ने **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** के लिए औपचारिक रूप से वार्ता आरंभ करने हेतु बैठक की।
- **EEU के बारे में:**
  - यह **पूर्व-सोवियत क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण की एक महत्वाकांक्षी परियोजना** है।
  - **उद्देश्य:** यूरोपीय संघ (EU) की तरह **एकल साझा बाजार** का निर्माण करना।
  - इसकी स्थापना **"यूरेशियाई आर्थिक संघ पर संधि"** के तहत हुई है। इस संधि पर **2014 में अस्ताना (अब नूर-सुल्तान)** में हस्ताक्षर किए गए थे।
  - **सदस्य देश (5):** आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस।
  - EEU के सदस्यों देशों में **रूस, भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार** है।
    - वित्त वर्ष 2023 में **भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार** 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

2.2.4. संयुक्त राष्ट्र शांति-रक्षक सेना के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए पहलें (Initiatives for Prevention of Crimes against Peacekeepers)

- भारत के नेतृत्व वाले **ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स (GOF) ने एक नया डेटाबेस** लॉन्च किया है।
- इस डेटाबेस को शांति-सैनिकों (Peacekeepers) के खिलाफ होने वाले अपराधों को दर्ज करने और **अपराधियों को सजा दिलवाने** में हुई प्रगति की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - भारत ने **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** की अपनी अध्यक्षता के दौरान **'ब्लू हेलमेट'** के खिलाफ अपराधों के लिए दोषियों की जवाबदेही तय करने हेतु 2022 में **ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स** की शुरुआत की थी।
- संयुक्त राष्ट्र शांति-सेना को **सशस्त्र संघर्ष वाले क्षेत्र में शांति बनाए रखने या पुनः शांति स्थापित करने** के लिए तैनात किया जाता है। हालांकि, कभी-कभी उन्हें **तैनाती वाले क्षेत्रों में हिंसा का सामना** भी करना पड़ता है।
  - इन शांति-रक्षक बलों को **ब्लू हेलमेट** भी कहा जाता है, क्योंकि ये **नीले रंग के हेलमेट** पहनते हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र शांति-रक्षक सेना को **1988 का नोबेल शांति पुरस्कार** दिया गया था।

2.2.5. इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (International Narcotics Control Board: INCB)

- भारत के **जगजीत पवाडिया** को INCB के लिए **फिर से निर्वाचित** किया गया है।
- **INCB के बारे में:**
  - यह एक **स्वतंत्र और अर्ध-न्यायिक** निगरानी निकाय है। इसका कार्य **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण अभिसमय** को लागू करना है।
  - इसकी स्थापना **नारकोटिक ड्रग्स पर सिंगल कन्वेंशन, 1961** के अनुसार **1968** में की गई थी।
  - **सदस्य:** इसके **13 सदस्य** हैं। सदस्यों का चुनाव **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद** द्वारा पांच वर्ष के लिए किया जाता है।
  - **इसके कार्य के निम्नलिखित स्रोत हैं:**
    - नारकोटिक ड्रग्स पर सिंगल कन्वेंशन, 1961;
    - साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971; तथा
    - नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1988.

© Vision IAS

2.3. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

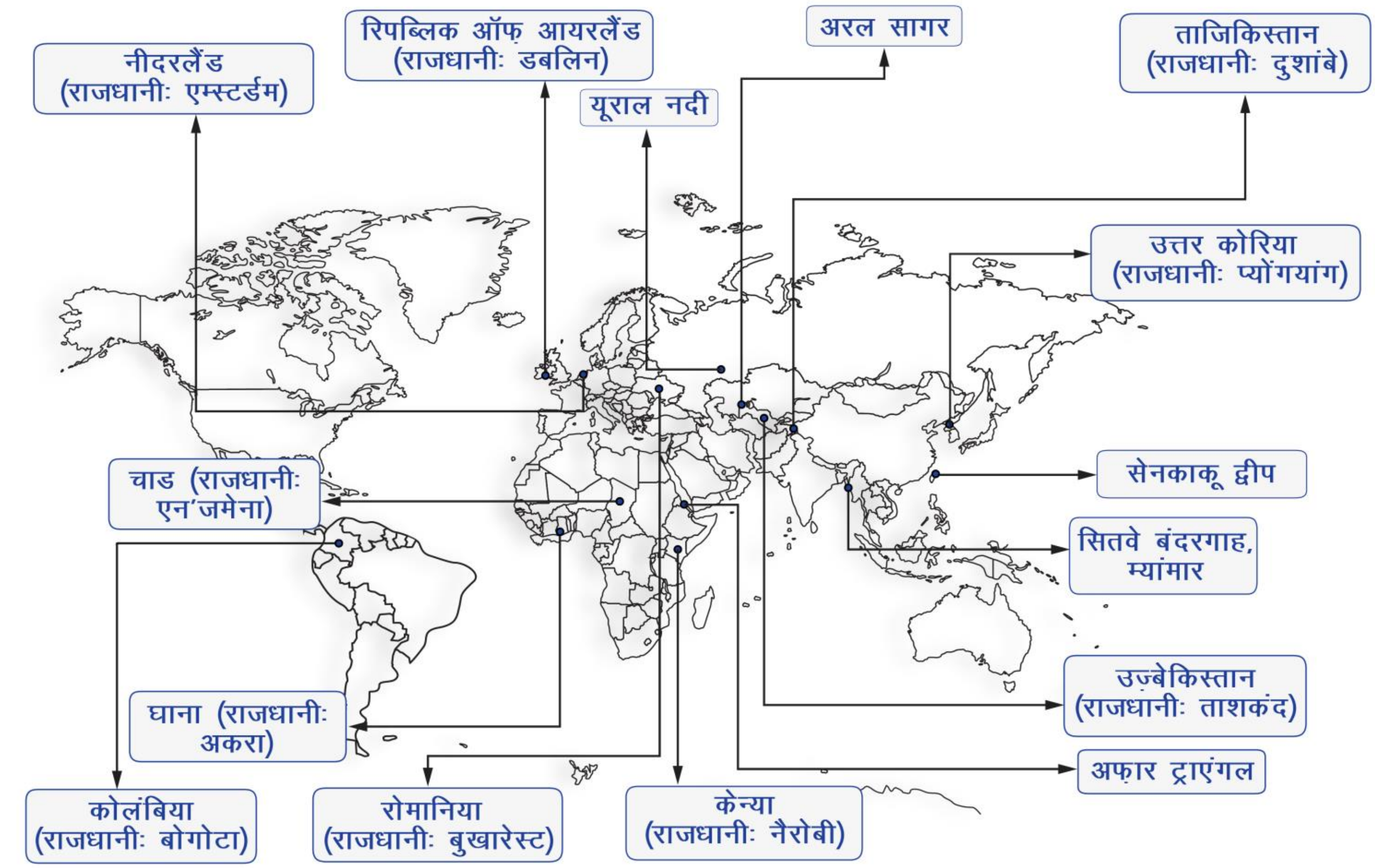

एशिया		
उज्बेकिस्तान (राजधानी: ताशकंद)	• भारतीय चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक उच्च तकनीक आई.टी. प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। • **राजनीतिक विशेषताएं:** ○ यह मध्य एशिया का एक **'डबल लैंडलॉक्ड'** देश है। इसका अर्थ है कि इसके पड़ोसी देश भी लैंडलॉक्ड यानी भू-आबद्ध हैं। ○ **सीमावर्ती देश:** इसके उत्तर में **कजाकिस्तान;** पूर्व में **किर्गिस्तान;** दक्षिण-पूर्व में **ताजिकिस्तान;** दक्षिण में **अफगानिस्तान** तथा दक्षिण-पश्चिम में **तुर्कमेनिस्तान** स्थित है। • **भौगोलिक विशेषताएं:** ○ **मरुस्थल:** क्यज़िल कुम ○ **उच्चतम बिंदु:** खज़्रेत सुल्तान ○ **प्रमुख नदियां:** सीर दरिया, अमु दरिया आदि ○ **अरल सागर**, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में स्थित है।	

सेनकाकू द्वीप	• हाल ही में, **जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका** ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें **चीन द्वारा सेनकाकू द्वीप समूह की यथास्थिति में एकतरफा बदलाव के किसी भी प्रयास का विरोध** किया गया है। ○ सेनकाकू द्वीप पर अधिकार को लेकर **जापान और चीन के बीच** लंबे समय से विवाद चल रहा है। • **सेनकाकू द्वीप के बारे में:** ○ **चीनी भाषा** में इसे **दियाओयू द्वीप समूह** कहा जाता है। ○ सेनकाकू द्वीप **पूर्वी चीन सागर में ओकिनावा द्वीप से लगभग 410 किमी पश्चिम** में स्थित है। ○ **सबसे बड़ा द्वीप:** उओत्सुरी द्वीप	
सितवे बंदरगाह (म्यांमार)	• विदेश मंत्रालय (MEA) की मंजूरी के बाद भारत ने **सितवे बंदरगाह (म्यांमार) को संचालित करने का अधिकार** सुरक्षित कर लिया है। • **सितवे बंदरगाह के बारे में:** ○ यह **गहरे जल वाला बंदरगाह** है। यह म्यांमार के **रखाइन प्रांत में कलादान नदी** के मुहाने पर स्थित है। ○ इसका विकास **"कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP)"** के तहत किया गया है। इसे भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता के तहत वित्त-पोषित किया गया है। ○ **महत्त्व:** भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए **व्यापार और पारगमन के नए अवसर** के द्वार खोलेगा; भारत एवं म्यांमार के बीच **व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा** देगा आदि।	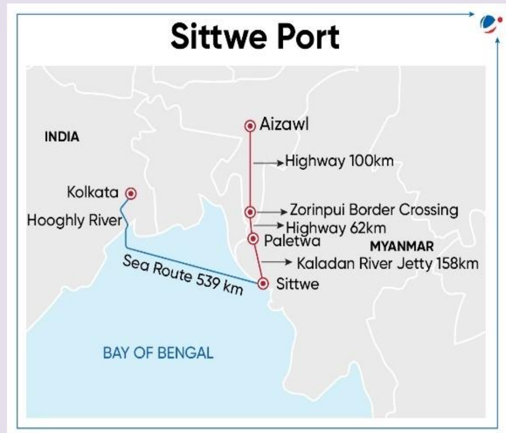
ताजिकिस्तान (राजधानी: दुशांबे)	• ताजिकिस्तान की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले के मामले में 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। • **राजनीतिक विशेषताएं:** ○ यह मध्य एशिया का एक **भूआबद्ध** (Landlocked) देश है। ○ इसकी सीमाएं उत्तर में **किर्गिस्तान**; पूर्व में **चीन**; दक्षिण में **अफगानिस्तान**; तथा पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में **उज्बेकिस्तान** से लगती हैं। • **भौगोलिक विशेषताएं:** ○ **सबसे ऊंची चोटी:** इस्मेनी इस्माइल समानी या इस्मोइल सोमोनी ○ **प्रमुख नदियां:** अमु दरिया, वख़्श नदी	

 © Vision IAS

अरल सागर	• एक हालिया अध्ययन के अनुसार अरल सागर के सूखने से बने रेगिस्तान ने **मध्य एशिया** को अधिक धूल भरी जगह बना दिया है। • **अरल सागर के बारे में:** ○ कभी यह **मध्य एशिया** की खारे पानी की बड़ी झील थी। ○ इस सागर के **उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान** स्थित हैं। • **अन्य महत्वपूर्ण झीलें, जिनमें पिछले कुछ दशकों में पानी काफी कम हो गया है:** ○ **उर्मिया झील:** यह **उत्तर-पश्चिमी ईरान** में इसके **अजरबैजान** नामक क्षेत्र के विशाल मध्य निम्न भूमि क्षेत्र के नीचे स्थित है। ○ **हामौन झील:** यह **ईरान-अफगानिस्तान सीमा पर ईरान के क्षेत्र** में स्थित ताजे जल की झील है।	
उत्तर कोरिया (राजधानी: प्योंगयांग)	• रूस ने संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ पैनल के खिलाफ वीटो का प्रयोग करके उसके **कार्यकाल के विस्तार पर रोक** लगा दी है। दरअसल यह पैनल उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों की निगरानी कर रहा था। • **राजनीतिक विशेषताएं:** ○ यह एक **पूर्वी एशियाई देश** है, जो कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित है। इसे **डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया** के नाम से भी जाना जाता है। ○ इसकी सीमाएं **उत्तर में चीन और रूस से तथा दक्षिण में रिपब्लिक ऑफ कोरिया (दक्षिण कोरिया)** से लगती है। ○ **सीमावर्ती जल निकाय:** पूर्वी सागर (जापान सागर) और पश्चिम में येलो सी • **भौगोलिक विशेषताएं:** ○ **सबसे ऊंची चोटी:** माउंट पेक्टू ○ **प्रमुख नदियां:** युलु (यलु), टूमेन, टाएडांग और इम्जिन	
	यूरोप	
यूराल नदी	• बर्फ पिघलने के कारण **यूराल नदी का जलस्तर बढ़ने से** पूरे रूस में 10,000 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। • **यूराल नदी के बारे में:** ○ यूराल 2,428 कि.मी. लंबी नदी है। यह **यूरोप और एशिया के बीच महाद्वीपीय सीमा** बनाती है। यह **रूस और कजाकिस्तान** से होकर बहती है। ○ यह नदी **यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर** में जाकर गिरती है। ○ **वोल्गा और डेन्यूब नदियों** के बाद यह **यूरोप की तीसरी सबसे लंबी नदी** है। ○ नदी के जल स्रोत का लगभग **60 से 70% हिस्सा पिघलती हुई बर्फ** है।	

आयरलैंड गणराज्य (राजधानी: डबलिन)	• **साइमन हैरिस** आयरलैंड गणराज्य के नए प्रधान मंत्री बने। • **राजनीतिक विशेषताएं:** ○ यह **ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित एक द्वीप के बहुत बड़े भाग को सम्मिलित** करता है। इस द्वीप का दूसरा भाग **उत्तरी आयरलैंड** है। ○ **सीमावर्ती देश:** उत्तर दिशा में **उत्तरी आयरलैंड** (यूनाइटेड किंगडम)। ○ **सीमावर्ती जल निकाय:** पश्चिम में **अटलांटिक महासागर,** दक्षिण में **सेल्टिक सागर** तथा पूर्व में **आयरिश सागर।** ○ आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन से **नॉर्थ चैनल, आयरिश सागर और सेंट जॉर्ज चैनल** द्वारा अलग होता है। • **भौगोलिक विशेषताएं:** ○ **उच्चतम शिखर:** कैरेंटुओहिल ○ **सबसे लंबी नदी:** शेन्नॉन नदी ○ **सबसे बड़ी झील:** लाफ नीघ	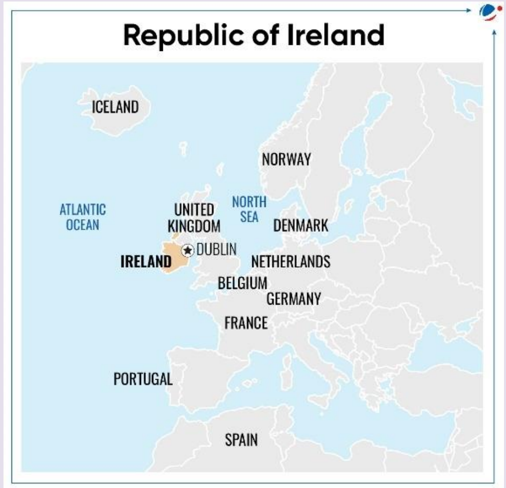
रोमानिया (राजधानी: बुखारेस्ट)	• रोमानिया के एक अनुसंधान केंद्र ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस लेजर की मदद से स्वास्थ्य, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रकों में व्यापक प्रगति की जा सकती है। • **राजनीतिक विशेषताएं:** ○ यह **दक्षिण-पूर्वी यूरोप में अवस्थित** है। ○ इसकी सीमा उत्तर में **यूक्रेन;** उत्तर-पूर्व में **मोल्डोवा;** दक्षिण में **बुल्गारिया;** दक्षिण-पश्चिम में **सर्बिया;** और पश्चिम में **हंगरी** से लगती है। ○ इसके **दक्षिण-पूर्व में काला सागर** स्थित है। ○ रोमानिया **2004 में नाटो और 2007 में यूरोपीय संघ** में सम्मिलित हुआ था। • **भौगोलिक विशेषताएं:** ○ यहां **समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु** पाई जाती है। यहां वर्ष भर में **चार अलग-अलग ऋतुएं** होती हैं। ○ **कार्पेथियन पर्वत** यहां का मुख्य पर्वत है। ○ **प्रमुख नदियां:** डेन्यूब, टिस्ज़ा, प्रुत आदि। ○ **सबसे ऊंची चोटी:** माउंट मोल्डोवेनु।	

नीदरलैंड (राजधानी: एम्स्टर्डम)	• 12वां **"भारत-नीदरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श"** हेग (नीदरलैंड) में आयोजित किया गया। • **राजनीतिक विशेषताएं:** ○ यह देश उत्तर-पश्चिमी यूरोप में अवस्थित है। इस देश को **हॉलैंड** के नाम से भी जाना जाता है। ○ **भू-सीमा:** इसकी सीमाएं दक्षिण में **बेल्जियम** और पूर्व में **जर्मनी** से लगती है। ○ **जल निकाय:** इसके उत्तर और पश्चिम में **उत्तरी सागर** स्थित है। • **भौगोलिक विशेषताएं** ○ **प्रमुख नदियां:** राइन, म्यूज आदि ○ **उच्चतम बिंदु:** वाल्सरबर्ग	

अफ्रीका

केन्या (राजधानी: नैरोबी)

- राजधानी नैरोबी भारी वर्षा के कारण विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रही है।
- **राजनीतिक विशेषताएं:**
  - यह अफ्रीका के **पूर्वी तट** पर अवस्थित है। इसकी **सीमा हिंद महासागर** से लगती है।
  - इसके पूर्व में **सोमालिया;** उत्तर में **इथियोपिया व दक्षिण सूडान;** पश्चिम में **युगांडा;** तथा दक्षिण में **तंजानिया** अवस्थित है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं:** माउंट केन्या, एबरडेयर रेंज, मऊ एस्केरपमेंट आदि।
    - **माउंट केन्या अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी** है।
  - **प्रमुख नदियां:** अथी, टाना आदि
  - **झीलें:** इसकी पश्चिमी सीमा पर **विक्टोरिया झील** स्थित है।
  - **भूमध्य रेखा** इसके मध्य भाग से गुजरती है।
  - **ग्रेट रिफ्ट वैली** इससे होकर गुजरती है।

अफ़ार ट्रायंगल

- भूवैज्ञानिकों ने **हॉर्न ऑफ अफ्रीका** में स्थित अफ़ार ट्रायंगल पर एक **नए महासागर के उभरने** की संभावना व्यक्त की है। अफ़ार ट्रायंगल को **अफ़ार डिप्रेशन** भी कहा जाता है।
- **अफ़ार ट्रायंगल के बारे में**
  - **ग्रेट रिफ्ट वैली** का सबसे **उत्तरी भाग** अफ़ार ट्रायंगल कहलाता है।
  - यह पृथ्वी पर सबसे अधिक भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। यहां **न्युबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट्स** आपस में अभिसरण (Converge) करती हैं।
  - जब नया महासागर बेसिन बन जाएगा तो अफ़ार ट्रायंगल **लाल सागर और अदन की खाड़ी** में जलमग्न हो जाएगा। इससे **पूर्वी अफ्रीका में एक अलग महाद्वीप** की उत्पत्ति हो सकती है।
  - इसमें **इरिट्रिया, जिबूती और इथियोपिया** के हिस्से शामिल हैं।
- **अवाश नदी** अफ़ार ट्रायंगल से होकर बहने वाली मुख्य नदी है।

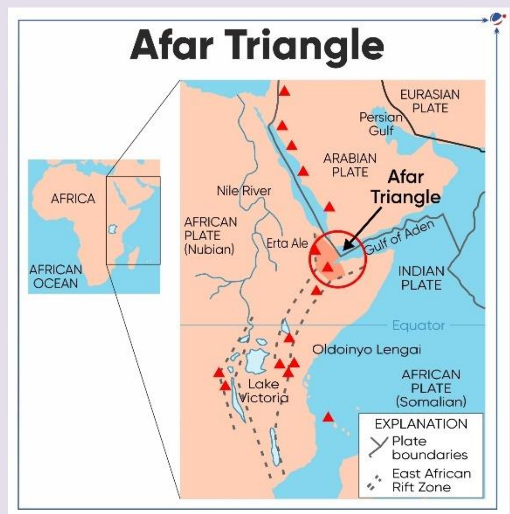

चाड (राजधानी: एन'जमेना)

- चाड में सैन्य शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं।
- **राजनीतिक विशेषताएं:**
  - यह उत्तर-मध्य अफ्रीका में एक **स्थल रुद्ध देश** है।
  - यह उत्तर में **लीबिया** से, पूर्व में **सूडान** से, दक्षिण में **मध्य अफ्रीकी गणराज्य** से तथा पश्चिम में **कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर** से घिरा हुआ है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - यह एक **अर्द्ध-मरुस्थलीय** देश है, जो **सोने और यूरेनियम** से समृद्ध है।
  - **सबसे बड़ी झील:** चाड झील
  - **प्रमुख नदियां:** चारी और लोगोन
  - **उच्चतम बिंदु:** माउंट कौसी

घाना (राजधानी: अकरा)	• भारत और घाना **अकरा में आयोजित चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक** में व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए। • **राजनीतिक विशेषताएं:** ○ यह **गिनी की खाड़ी** पर स्थित एक **पश्चिम अफ्रीकी** देश है। ○ **भूमि सीमा:** इसके उत्तर में **बुर्किना फासो,** पूर्व में **टोगो** और पश्चिम में **कोटे डी आइवर** स्थित है। ○ **समुद्री सीमा:** इसकी समुद्री सीमा दक्षिण में **अटलांटिक महासागर** से लगती है। • **भौगोलिक विशेषताएं:** ○ **प्रमुख नदियां:** वोल्टा, तानो, प्रा आदि ○ **सबसे ऊँची चोटी:** माउंट अफादजातो ○ **ग्रीनविच मेरिडियन** घाना से होकर गुजरती है।	
अमेरिका		
कोलंबिया (राजधानी: बोगोटा)	• बोगोटा ने अपने जलाशयों में गिरते जलस्तर के चलते **वाटर राशनिंग** शुरू कर दिया है। • **भौगोलिक राजनीतिक सीमाएं:** ○ यह **दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप** के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है। ○ यह उत्तर में **कैरेबियन सागर** और पश्चिम में **प्रशांत महासागर** के साथ सीमा साझा करता है। ○ **पड़ोसी देश:** पश्चिम में **पनामा**, पूर्व में **वेनेजुएला** और ब्राजील, दक्षिण में **पेरू** व **इक्वाडोर।** • **भौगोलिक विशेषताएं:** ○ इसके पश्चिमी तट पर **एंडीज पर्वत** और दक्षिण-पूर्व में अमेज़ॅन वन फैले हुए हैं। ○ **महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां:** पिको क्रिस्टोबल कोलोन और साइमन बोलिवर ○ **नदियां:** अमेज़ॅन, मैग्डेलेना, ओरिनोको	

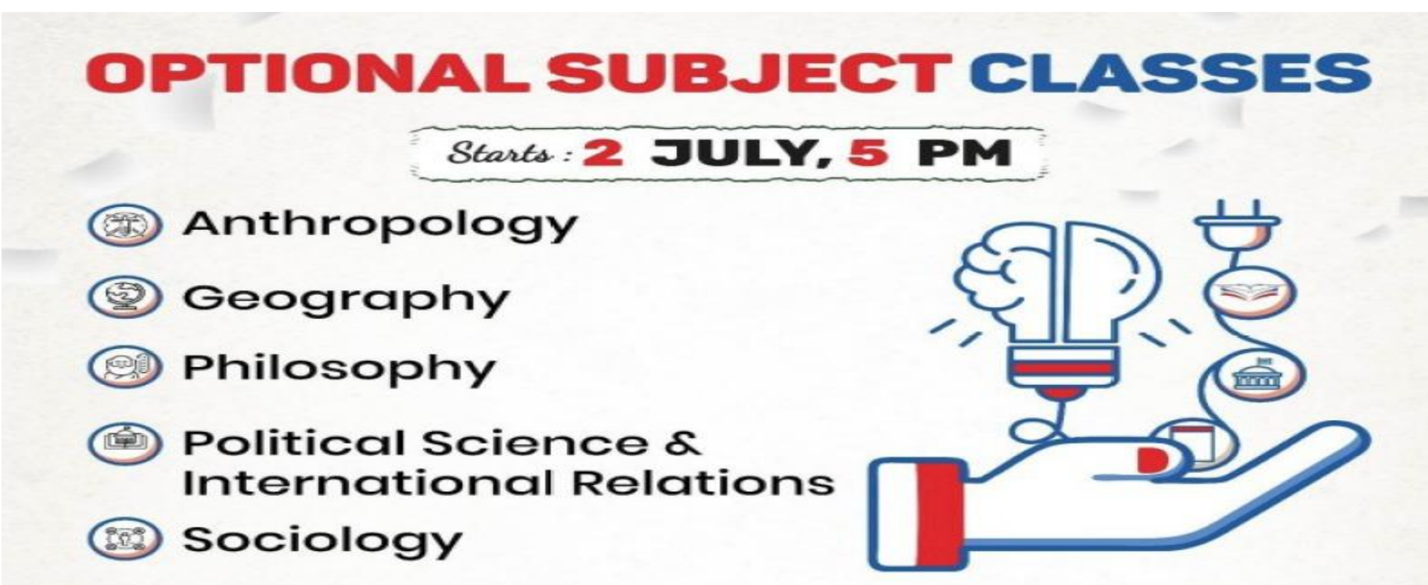

2.4. द्विपक्षीय संबंध (Bilateral Relations)

2.4.1. भारत-इंडोनेशिया संबंध (India-Indonesia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और इंडोनेशिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं।

भारत-इंडोनेशिया संबंध के बारे में

- भारत और इंडोनेशिया के बीच राजनयिक संबंधों की नींव **1950 में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा और मैत्री संधि (1951)** पर हस्ताक्षर के साथ रखी गई थी।

द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलू:

- **राजनीतिक पहलू:**
  - दोनों देशों ने **2005 में "रणनीतिक साझेदारी"** की स्थापना की थी। इस साझेदारी को बाद में आगे बढ़ाते हुए **"व्यापक रणनीतिक साझेदारी"** में बदल दिया गया था।
  - दोनों देश **बांडुंग सम्मेलन 1955** का हिस्सा थे। इसी सम्मेलन से **गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM (1961)** का जन्म हुआ था।
  - दोनों देश **G20, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र** जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सदस्य हैं।
  - इंडोनेशिया, भारत की **एक्ट ईस्ट पॉलिसी (2014)** का हिस्सा है।
- **व्यापार संबंधी पहलू**
  - इंडोनेशिया **आसियान गुट में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार** देश बन गया है।
  - भारत, **इंडोनेशिया के कच्चे पाम आयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार** देश है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग**
  - इंडोनेशिया की **हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच सामरिक** अवस्थिति है।
  - भारत अपनी **"क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR)"** पहल के तहत, इंडोनेशिया में बंदरगाह अवसंरचना (जैसे-**सबांग बंदरगाह**) के विकास में मदद कर रहा है।
- **रक्षा: संयुक्त सैन्य अभ्यास;**
  - समुद्र शक्ति अभ्यास;
  - भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती (IND-INDO CORPAT) अभ्यास आदि का आयोजन किया जाता है।
- **सांस्कृतिक पहलू**
  - इंडोनेशिया की संस्कृति पर सॉफ्ट पावर के रूप में **हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण प्रभाव** है।

देश के बारे में

इंडोनेशिया (राजधानी जकार्ता)

राजनीतिक विशेषताएं:

- **स्थलीय सीमाएं:** इसकी सीमाएं **मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर** से लगती हैं।
- इंडोनेशिया के लगभग **तीन-चौथाई** क्षेत्र में **सुमात्रा, कालीमंतन** और **पश्चिमी न्यू गिनी** शामिल हैं।
  - इसका बचा हुआ अधिकांश भू-भाग सेलेब्स, जावा और मालुकू द्वीपों के अंतर्गत आता है।
- **समुद्री पड़ोसी देश:** सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पलाउ, वियतनाम, थाईलैंड और भारत।
  - **ग्रेट निकोबार** का दक्षिण-पूर्वी हिस्सा **इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तर-पश्चिमी** भाग के निकट अवस्थित है।

भौगोलिक विशेषताएं:

- यह **विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह (Archipelagic) देश** है।
- यह **विषुवत रेखा के निकट** स्थित है।
- यह **पैसिफिक रिंग ऑफ फायर** में स्थित है।
- **सबसे लम्बी नदी:** कापुआस (Kapuas) नदी
- **उच्चतम बिंदु:** पूंजक जया
- इंडोनेशिया के अन्य ज्वालामुखी हैं: **क्राकाटाओ, मेरापी और सेमेरू**
- **प्रमुख जलसंधियां:** मलक्का, लोम्बोक और सुंडा जलसंधि

 © Vision IAS

2.5. सुर्ख़ियों में रहे अन्य द्विपक्षीय संबंध (Other Bilateral Relations in News)

2.5.1. यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की (Ukraine's Foreign Minister Paid Official Visit to India)

- यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब दो साल से अधिक समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के **शांतिपूर्ण समाधान** के प्रयास किए जा रहे हैं।
- यूक्रेन ने आशा प्रकट की है, कि भारत, **स्विट्जरलैंड** द्वारा आयोजित किए जाने वाले **शांति शिखर सम्मेलन** में भाग लेगा। यह सम्मेलन यूक्रेनी राष्ट्रपति के **10 सूत्री शांति फॉर्मूले** के आधार पर आयोजित किया जा रहा है।
    - इस 10 सूत्री शांति फॉर्मूले का उद्देश्य **यूक्रेन में स्थायी शांति स्थापित करना और युद्ध समाप्त** करना है।
- भारत-यूक्रेन **अंतर-सरकारी आयोग (Inter-governmental Commission: IGC)** की एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। इसका उद्देश्य रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले वाला द्विपक्षीय सहयोग फिर से बहाल करना है।

भारत-यूक्रेन संबंधों के बारे में

- **राजनीतिक:** यूक्रेन को मान्यता देने वाले आरंभिक देशों में भारत भी शामिल था।
- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** 2020 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत, यूक्रेन का प्रमुख निर्यात गंतव्य देश था।

2.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

2.6.1. आपदा राहत कूटनीति (Disaster Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में **आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICDRI)**[3] **का छठा संस्करण** आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में वैश्विक संकट के समय दी जाने वाली प्रतिक्रिया या सहायता में भारत के बढ़ते योगदान पर जोर दिया गया।

आपदा राहत कूटनीति के बारे में

- **आपदा राहत कूटनीति** से तात्पर्य **'प्राकृतिक/ मानव जनित आपदाओं या संघर्षों से प्रभावित अन्य देशों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए एक देश के प्रयासों'** से है।
    - इस तरह की कूटनीति में एक देश द्वारा जरूरतमंद देशों को सहायता प्रदान करने के लिए **कार्मिक, संसाधन व सुविधाएं** उपलब्ध कराई जाती हैं।

CDRI

आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure : CDRI)

HQ नई दिल्ली

- **उत्पत्ति:** यह **संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (न्यूयॉर्क)** में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा **2019 में शुरू की गई** एक वैश्विक साझेदारी है।
- **उद्देश्य:** जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति अवसंरचना प्रणालियों के अनुकूलन को बढ़ावा देना, ताकि संधारणीय विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- **सदस्य:** 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी क्षेत्रक के 2 संगठन इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।
    - क्या भारत इसका सदस्य है? ✔
- **अन्य प्रमुख तथ्य:** यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए **सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते** के साथ मिलकर काम करता है।
- **रिपोर्ट:** यह वैश्विक बुनियादी ढांचे पर **"ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंसः कैप्चरिंग द रेजिलिएंस डिविडेंड"** नाम से हर दो साल में रिपोर्ट जारी करता है।

[3] International Conference on Disaster Resilient Infrastructure

© Vision IAS

- **आपदा राहत में विदेशी सैन्य और असैन्य सुरक्षा परिसंपत्तियों का उपयोग - "ओस्लो दिशा-निर्देश"** संयुक्त राष्ट्र की मानवतावादी एजेंसियों के लिए किसी देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करते हैं। ओस्लो दिशा-निर्देशों को **1994** में अपनाया गया था तथा **2006** में अपडेट किया गया था।

आपदा राहत के प्रति भारत का दृष्टिकोण

दृष्टिकोण	भारत की पहलें
प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले सहायता व समर्थन प्रदान करना	• **तुर्किये में आए विनाशकारी भूकंप** के बाद **'ऑपरेशन दोस्त'** शुरू किया गया था। यह आपदा प्रबंधन के प्रति भारत के सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। • **चक्रवात प्रभावित म्यांमार** की सहायता के लिए भारत ने **'ऑपरेशन करुणा'** शुरू किया था।
क्षमता निर्माण	• भारत पांच देशों- **नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरीशस** की आरंभिक चेतावनी प्रणालियां (EWSs)[4] विकसित करने में मदद कर रहा है। EWSs की सहायता से ये देश **चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने वाले जान-माल के नुकसान को कम** कर सकते हैं। ○ भारत का यह प्रयास **2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अर्ली वॉर्निंग फॉर ऑल (EW4All)' पहल** का हिस्सा है।
संघर्षरत/ आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की सहायता करना	• मिशन सागर (SAGAR) के एक भाग के रूप में, भारत की मानवीय सहायता में **मॉरीशस और कोमोरोस में आवश्यक खाद्य पदार्थों, दवाओं व आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति तथा चिकित्सा सहायता दलों** को भेजना शामिल है। ○ **मिशन सागर (SAGAR):** क्षेत्र में सभी के लिए विकास और सुरक्षा।
संघर्ष/ आपदा-उपरांत राहत एवं पुनर्वास	• **नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान** में वर्षों से जारी हिंसक संघर्ष के बाद **राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण** पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में भाग लेना	• भारत ने विश्व के अलग-अलग हिस्सों में **शांति स्थापित करने और पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों** को सुविधाजनक बनाने वाले संयुक्त राष्ट्र के विविध शांति स्थापना मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
स्वास्थ्य संबंधी आपदाओं का प्रबंधन	• कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने **कोविड-19 वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम** शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत **100 से अधिक देशों को चिकित्सा सहायता** प्रदान की गई थी।

2.6.2. चाबहार बंदरगाह (Chabahar Port)

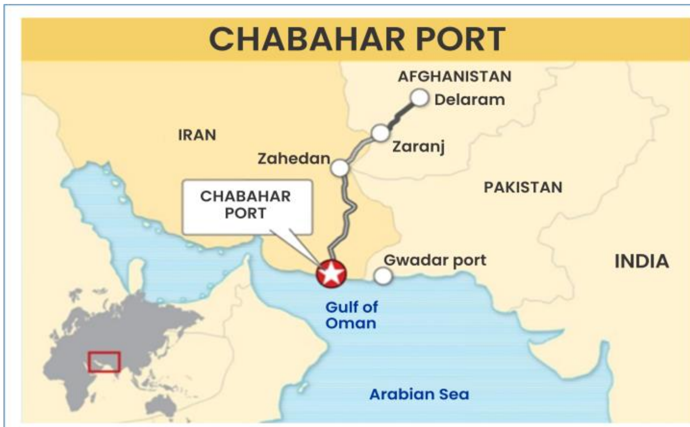

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **चाबहार बंदरगाह** पर **शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल** के विकास के लिए **ईरान के साथ 10 वर्षीय समझौते** पर हस्ताक्षर किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अनुबंध पर **इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL)** और ईरान के **पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (PMO)** ने हस्ताक्षर किए हैं।
  - IPGL एक ऐसी कंपनी है, जिसका 100% स्वामित्व **सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड** के पास है। सागरमाला **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** के **प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाली एक कंपनी** है।

[4] Early Warning Systems

© Vision IAS

- 2016 में **भारत, ईरान और अफगानिस्तान** ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक **त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर** किए थे।
- यह बंदरगाह **पाकिस्तान को बाइपास करते हुए भारत के पश्चिमी तट से भू-आबद्ध अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोपीय देशों के बीच की दूरी को कम करेगा।**

2.6.3. अन्य हालिया विकासक्रम (Other Recent Developments)

2.6.3.1. शेंगेन क्षेत्र (Schengen area)

- यूरोपीय संघ (EU) ने **भारतीय यात्रियों के लिए नए वीज़ा नियम** अपनाए हैं। इन नियमों के तहत भारतीय यात्रियों को **लंबी वैधता के साथ मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीज़ा देने का प्रावधान** किया गया है।
- **शेंगेन क्षेत्र के बारे में**
    - यह दुनिया का **सबसे बड़ा फ्री ट्रैवल एरिया** है। इसमें **27 देश** शामिल हैं।
    - इन 27 देशों में **यूरोपीय संघ के 23 सदस्य देश और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के 4 सदस्य देश** सम्मिलित हैं।
    - **EFTA के ये 4 देश हैं:** आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड।
        - **शेंगेन एग्रीमेंट 1985 में एक अंतर-सरकारी परियोजना** के रूप में संपन्न हुआ था। आरंभ में इसमें यूरोपीय संघ के **पांच देश** (फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग) शामिल थे।

2.6.3.2. हवाना सिंड्रोम (Havana Syndrome)

- संयुक्त मीडिया जांच में, हाल के वर्षों में अमेरिकी राजनयिकों द्वारा अनुभव किए गए रहस्यमयी **हवाना सिंड्रोम** के लिए रूसी खुफिया यूनिट को जिम्मेदार ठहराया गया है।
- **हवाना सिंड्रोम क्या है?**
    - यह सिंड्रोम **मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े लक्षणों** के समूह को कहा जाता है। इन लक्षणों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे अलग-अलग देशों में नियुक्त **अमेरिकी खुफिया अधिकारियों और राजनयिकों** द्वारा अनुभव किए गए हैं।
    - हवाना सिंड्रोम से पीड़ित ज्यादातर लोगों ने तेज आवाज सुनी। साथ ही, उनके कान या सिर में दर्द हुआ। इसके अलावा याददाश्त कमजोर होना, चक्कर आना, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, जी मिचलाना, कानों में घंटी बजना (टिनिटस) जैसे लक्षण भी महसूस किए गए।
    - पहली बार इसका पता **2016 में हवाना (क्यूबा)** में लगा था।

2.6.3.3. दारफुर संकट (Darfur Crisis)

- संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि **सूडान के दारफुर** में भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। इस कारण से दारफुर में लोग अपनी भूख मिटाने के लिए 'घास और मूंगफली के छिलके' खा रहे हैं।
- अप्रैल 2023 से, सूडान में **सूडानी सेना एवं रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF)** के बीच शुरू हुई झड़पों के साथ वहां गृह युद्ध शुरू हो गया है।

दारफुर के बारे में

- दारफुर **पश्चिमी सूडान** में स्थित एक क्षेत्र है, जो **लीबिया, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य** की सीमा से लगा हुआ है।
- हालिया हिंसा में वृद्धि तब हुई, जब RSF ने **उत्तरी दारफुर की राजधानी एल फशर** को चारों ओर से घेर लिया।
- RSF ने **चाड के टाइन बॉर्डर क्रॉसिंग** से आने वाले सहायता काफिले को रोक दिया है। टाइन बॉर्डर क्रॉसिंग एक मानवीय गलियारा है, जो **एल फशर से होकर गुजरता** है।

2.6.3.4. इरेज क्रॉसिंग (EREZ Crossing)

- इजरायल ने गाजा में दूसरे देशों द्वारा अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए **इरेज क्रॉसिंग** को फिर से खोलने की अनुमति दी है।
    - साथ ही, सहायता पहुंचाने के लिए **अशदोद बंदरगाह** का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी है।
- **इरेज क्रॉसिंग के बारे में:**
    - इसे **बीट हनौन** के नाम से भी जाना जाता है।
    - यह **इजरायल और उत्तरी गाजा पट्टी** के बीच एक बॉर्डर क्रॉसिंग है।
    - यह एकमात्र बॉर्डर क्रॉसिंग है, जिसके जरिए **गाजा के लोग मिस्र या जॉर्डन से गुजरे बिना अधिकृत (Occupied) वेस्ट बैंक** जा सकते हैं।
- **अन्य प्रमुख क्रॉसिंग:**
    - राफा क्रॉसिंग (मिस्र और गाजा के बीच),
    - करेम अबू सलेम (केरेम शालोम) क्रॉसिंग आदि।

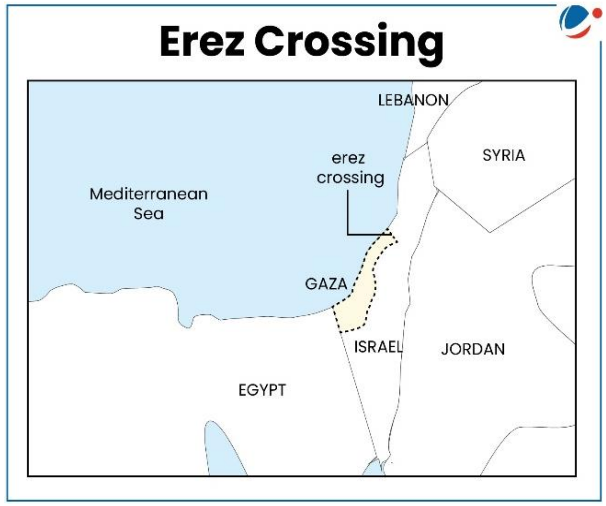

2.7. सुरक्षा से संबंधित मुद्दे (Issues Related to Security)

2.7.1. भारत का रक्षा निर्यात (India's Defence Exports)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में **पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात 31 गुना** बढ़ गया है। वित्त वर्ष **2022-23 की तुलना में रक्षा निर्यात में 32.5% की वृद्धि** दर्ज की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यातकों को जारी **निर्यात मंजूरियों** (Export authorisations) **की संख्या बढ़कर 1,507** हो गई है।
- निजी क्षेत्र ने **रक्षा निर्यात में लगभग 60% का योगदान** दिया है।
- **रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें**
    - स्वचालित मार्ग के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में **74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** की अनुमति दी गई है।
    - **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता** हासिल करने तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने हेतु **"रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX)[5]" पहल** शुरू की गई है।
    - **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020)** ने रक्षा खरीद की अलग-अलग श्रेणियों में **स्वदेशी सामग्री के उपयोग की मात्रा को बढ़ा** दिया है (बॉक्स देखें)।
    - **उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों** की स्थापना की जा रही हैं।

श्रेणी	**स्वदेशी सामग्री**
खरीद (भारतीय--स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित: IDDM) यानी खरीद (भारतीय- IDDM)	स्वदेशी डिजाइन ≥ 50%
खरीद (भारतीय)	स्वदेशी डिजाइन के मामले में ≥ 50%, अन्यथा ≥ 60%
खरीद और विनिर्मित (भारतीय)	'विनिर्माण"' खंड का ≥ 50%
खरीद (वैश्विक - भारत में विनिर्मित)	≥ 50%
खरीद (वैश्विक)	विदेशी विक्रेता-शून्य भारतीय विक्रेता ≥ 30%

[5] Innovation for Defence Excellence

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल

2.7.2. विविध (Miscellaneous)

2.7.2.1. अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण (Weaponisation of Space)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रूस ने **बाह्य अंतरिक्ष को हथियार मुक्त रखने** संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)[6] में पेश किए गए **ड्राफ्ट रेजोल्यूशन (यानी मसौदा संकल्प) के खिलाफ वीटो** का इस्तेमाल किया। यह रेजोल्यूशन/ संकल्प **संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान** ने संयुक्त रूप से प्रस्तावित किया था।

UNSC के इस हालिया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन (संकल्प) के बारे में

- वीटो किए गए संकल्प में यह पुष्टि की गई है कि **1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि का अनुमोदन करने वाले देशों** को निम्नलिखित का पालन करना होगा:
  - इन देशों को अपने इस दायित्व का अनुपालन करना होगा कि वे **"व्यापक विनाश के हथियारों से युक्त किसी भी ऑब्जेक्ट" को पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित नहीं करेंगे,** अथवा;
  - ऐसे हथियारों वाले ऑब्जेक्ट को **किसी भी खगोलीय पिंड पर तैनात नहीं** करेंगे, अथवा;
  - ऐसे हथियारों वाले ऑब्जेक्ट को **बाह्य अंतरिक्ष में तैनात नहीं** करेंगे।
- **रूस का तर्क:** रूस के अनुसार उसने इस संकल्प को इसलिए वीटो किया है, क्योंकि यह **केवल व्यापक विनाश के हथियारों (विशेषकर परमाणु हथियारों)** पर केंद्रित है। इसमें **अन्य हथियारों को अंतरिक्ष में तैनात नहीं** करने संबंधी प्रावधान नहीं किया गया है।

भारत द्वारा अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- **रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (Defence Space Agency: DSA):** यह एजेंसी सैन्य अंतरिक्ष गतिविधियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए 2018 में स्थापित की गई थी।
- **मिशन शक्ति:** 2019 में भारत ने पहली एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस परीक्षण का उद्देश्य बाह्य अंतरिक्ष में अपनी परिसंपत्तियों की रक्षा करना था।
- **इंडस्पेसएक्स (IndSpaceEx):** 2019 में पहले सिमुलेटेड अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाना और एक संयुक्त अंतरिक्ष युद्ध नीति तैयार करना था।

अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण के बारे में

- अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जिसके जरिए **अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती** की जाती है। इससे अंतरिक्ष संघर्ष का एक क्षेत्र बन सकता है। इन हथियारों का उपयोग **पृथ्वी की कक्षा में या पृथ्वी की सतह पर लक्ष्यों को नष्ट** करने के लिए किया जा सकता है।
  - दूसरी ओर, **बाह्य अंतरिक्ष के सैन्यीकरण (Militarisation)** का अर्थ है- स्थल, समुद्र और वायु आधारित सैन्य अभियानों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना।

अंतरिक्ष में शांति के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक पहलें

- **बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space: COPUOS, 1959):** यह समिति सम्पूर्ण मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग को नियंत्रित करने हेतु गठित की गई है।
- **बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) (1967):** यह संधि बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों या व्यापक विनाश के किसी अन्य हथियार को तैनात करने पर रोक लगाती है।
- **बचाव समझौता (Rescue Agreement) (1968):** यह अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी और बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित ऑब्जेक्ट्स की सुरक्षित वापसी पर समझौता है।
- **अंतरिक्ष दायित्व अभिसमय (Space Liability Convention) (1972):** इस अभिसमय के तहत स्पेस ऑब्जेक्ट का प्रक्षेपण करने वाला देश अपने स्पेस ऑब्जेक्ट से होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।
- **प्रक्षेपण पंजीकरण अभिसमय (Launch Registration Convention) (1975):** प्रक्षेपण करने वाला देश अपने स्पेस ऑब्जेक्ट को एक उपयुक्त रजिस्ट्री में पंजीकृत करेगा और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इसकी सूचना देगा।
- **मून एग्रीमेंट (1979):** यह समझौता चंद्रमा पर सैन्य अड्डों, प्रतिष्ठानों की स्थापना और किलेबंदी तथा चंद्रमा पर किसी भी प्रकार के हथियार के परीक्षण पर रोक लगाता है।

---

6 United Nations Security Council

नोट - भारत **बाह्य अंतरिक्ष संधि, बचाव समझौते, दायित्व अभिसमय** और **पंजीकरण अभिसमय** का सदस्य है।

भारत ने **मून एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसकी अभिपुष्टि (Ratification) नहीं** की है।

भारत **COPUOS में सक्रिय रूप से भाग** लेता है।

2.7.2.2. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम {Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **नागालैंड के आठ जिलों और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में "सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958** का विस्तार किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान में **नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश** के कुछ हिस्सों में AFSPA लागू है।
- **जम्मू और कश्मीर में AFSPA** "सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990" के माध्यम से **लागू** रहता है।
- हालांकि, **त्रिपुरा (2015), मेघालय (2018) और मिज़ोरम (1980 का दशक) से AFSPA को हटा** दिया गया है।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के बारे में

- यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे **पूर्वोत्तर राज्यों के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ विशेष शक्तियां** प्रदान करता है।
- **अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति:** किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। यह अधिसूचना **उस राज्य के राज्यपाल या उस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार** (जैसा भी मामला हो) द्वारा घोषित किया जाता है।
  - **अशांत क्षेत्र** से तात्पर्य किसी क्षेत्र में स्थिति के अत्यधिक अशांत या खतरनाक होने से है, जिसमें सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाता है।

AFSPA से संबंधित विभिन्न समितियां

- **न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी समिति (2004):** गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में AFSPA को शामिल करने की सिफारिश की गई।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की 5वीं रिपोर्ट (2007):** इसमें AFSPA को हटाने की सिफारिश की गई, क्योंकि इसके हटाए जाने से लोगों में भेदभाव और अलगाव की भावना दूर होने की संभावना थी।
- **संतोष हेगड़े समिति (2013):** AFSPA अधिनियम की हर छह महीने में उचित तरीके से समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि इसका कार्यान्वयन आवश्यक है या नहीं।
- **न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013):** इसमें सिफारिश की गई कि सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा महिलाओं के खिलाफ किसी भी यौन हिंसा को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।

- **अधिनियम की धारा 4 के तहत सशस्त्र बलों को प्रदान की गई विशेष शक्तियां:** सशस्त्र बलों में किसी भी **कमीशन अधिकारी, वारंट अधिकारी, गैर-कमीशन अधिकारी या उनके समकक्ष रैंक के किसी अन्य अधिकारी** को AFSPA के तहत "विशेष शक्तियां" प्रदान की जाती हैं। हालांकि, इन शक्तियों का उपयोग अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। **यह अधिनियम सशस्त्र बलों को कुछ विशेष अधिकार देता है, जैसे-**
  - यदि सशस्त्र बल को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति **कानून का उल्लंघन** कर रहा है, तो उसे उचित चेतावनी देने के बाद उसके खिलाफ **बल का उपयोग कर सकते हैं या गोली भी मार सकते हैं।**
    - किसी क्षेत्र में **पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक** लगा सकते हैं।

- वे किसी व्यक्ति को **बिना वारंट के गिरफ्तार** कर सकते हैं।
- साथ ही, वे किसी भी **परिसर में प्रवेश** कर सकते हैं या **तलाशी** ले सकते हैं। वे किसी को **फायर-आर्म्स/ हथियार/ गोला-बारूद/ विस्फोटक रखने से भी मना** कर सकते हैं।
- अधिनियम द्वारा प्रदत्त **शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के खिलाफ (केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना) सशस्त्र बल के किसी भी सैनिक/ अधिकारी पर कोई अभियोजन, मुकदमा या अन्य कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं** की जा सकती है।

2.7.3. अन्य महत्वपूर्ण विकासक्रम (Other Important Developments)

2.7.3.1. कंबाइंड मरीन फोर्सेज (Combined Maritime Forces: CMF)

- भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ड्रग्स जब्त किए हैं। ये ड्रग्स **CMF के तहत बहु-राष्ट्रीय संयुक्त टास्क-फोर्स-150** के भाग के रूप में जब्त किए गए हैं।
- ये ड्रग्स **'ऑपरेशन क्रिमसन बाराकुडा'** के तहत जब्त किए गए हैं। यह 2022 में भारत के CMF में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना द्वारा संचालित अपनी तरह का **पहला ऑपरेशन** है।
- **CMF के बारे में:**
    - यह एक **बहुराष्ट्रीय सामुद्रिक साझेदारी** है। इसका उद्देश्य **खुले समुद्र में नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए** रखना है। ऐसा अवैध **गैर-राज्य अभिकर्ताओं** से निपट कर और अंतर्राष्ट्रीय जल में सुरक्षा, स्थिरता एवं समृद्धि को बढ़ावा देकर किया जाएगा।
    - **मुख्य फोकस क्षेत्र:** आतंकी गतिविधियों और समुद्री डकैती को रोकना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सुरक्षित समुद्री वातावरण सुनिश्चित करना।
    - **सदस्य:** 42 देश।
    - इसमें **पांच संयुक्त टास्क-फोर्स** शामिल हैं।
    - इसमें भागीदारी पूर्णतः **स्वैच्छिक** है।
    - इसकी कमान **संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के वॉइस एडमिरल** के पास है।

2.7.3.2. ऑपरेशन मेघदूत और सियाचिन ग्लेशियर (Operation Meghdoot and Siachen Glacier)

- **ऑपरेशन मेघदूत** के तहत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण **सियाचिन ग्लेशियर** को भारतीय नियंत्रण में लेने के **40 वर्ष** पूरे हुए। इस अवसर पर भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना ने समारोह आयोजित किए।
    - **ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल, 1984** को शुरू किया गया था। इसके तहत थल सेना और वायु सेना ने 20,000 फीट की ऊंचाई वाले **सियाचिन ग्लेशियर** पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इतनी ऊंचाई से उत्तरी लद्दाख पर निगरानी रखना आसान हो गया।
- **सियाचिन ग्लेशियर के बारे में:**
    - यह हिमालय की **पूर्वी काराकोरम रेंज** में 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
    - पृथ्वी की दो ध्रुवों को छोड़ दें तो यह **दुनिया का दूसरा सबसे लंबा (75 किलोमीटर) ग्लेशियर** है। ऐसा सबसे लंबा ग्लेशियर ताजिकिस्तान में **फेडचेंको ग्लेशियर** है।
    - **नुब्रा नदी** सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है।
    - इसे **विश्व का सबसे ऊंचा सैन्यीकृत क्षेत्र** माना जाता है।

2.7.3.3. यूनाइटेड किंगडम की संसद ने शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने के लिए प्रावधान करने वाला एक विधेयक पारित किया (UK Parliament Passed Bill to Send Asylum Seekers to Rwanda)

- हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम की संसद ने **"रवांडा सुरक्षा (शरण और आव्रजन) विधेयक"** पारित किया है। यह विधेयक यूनाइटेड किंगडम के आव्रजन अधिकारियों को जनवरी, 2022 के बाद **"गैर-कानूनी रूप से"** यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने वाले **शरणार्थियों को रवांडा निर्वासित** करने की शक्ति देता है।
  - इसके प्रावधान **उन सभी शरणार्थियों पर लागू** होंगे जो बिना अनुमति के यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करते हैं। इनमें **वैध आधार पर शरण मांगने वाला व्यक्ति भी** शामिल है।
- **शरणार्थी कन्वेंशन, 1951 के बारे में**
  - यह कन्वेंशन तथा इसका 1967 का प्रोटोकॉल, **शरणार्थियों के संरक्षण को प्रशासित करने वाला एक प्रमुख कानूनी साधन** है। इनके मूल में **नॉन-रिफाउलमेंट सिद्धांत** निहित है।
  - विश्व के **149 देश इस कन्वेंशन या इसके प्रोटोकॉल या दोनों के पक्षकार** हैं। कन्वेंशन और इसके प्रोटोकॉल में शरणार्थियों के अधिकारों तथा उनकी रक्षा हेतु देशों के कानूनी दायित्वों का उल्लेख है।

शरणार्थी कन्वेंशन (Refugee Convention) पर भारत का रुख

- भारत न तो **1951 के शरणार्थी कन्वेंशन का तथा न ही इसके 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार** है। भारत ने **राष्ट्रीय शरणार्थी सुरक्षा फ्रेमवर्क** भी तैयार नहीं किया है।
- हालांकि, भारत अपने **पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में आए शरणार्थियों को शरण देना जारी** रखे हुए है। साथ ही, वह मुख्य रूप से **अफगानिस्तान और म्यांमार** से आए नागरिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के मैंडेट का सम्मान भी करता है।
- यह शरण देने से पहले पड़ोसी देशों के अलावा अन्य देशों के शरणार्थियों के लिए भी **"शरणार्थी स्थिति निर्धारण" (RSD)**[7] आयोजन आयोजित करता है।

2.7.3.4. विस्फोटक विधेयक (2024)' का मसौदा {Draft Explosives Bill (2024)}

- यह विधेयक कानून बनने के बाद **आजादी से पहले के 'विस्फोटक अधिनियम, 1884'** की जगह लेगा। **1884 के अधिनियम** को ब्रिटिश काल में विस्फोटक पदार्थों के निर्माण, अपने पास रखने, उपयोग, बिक्री, परिवहन, आयात और निर्यात को विनियमित करने हेतु लाया गया था।
  - **गदर पार्टी** के प्रमुख सदस्य **रासबिहारी बोस पर इसी अधिनियम के तहत अभियोजन चलाया** गया था।
- **मसौदा विस्फोटक विधेयक के मुख्य उपबंधों पर एक नजर:**
  - **विस्फोटक की परिभाषा:** विस्फोटक का अर्थ है **बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लाइकोल, गनकॉटन** या कोई अन्य पदार्थ (ठोस/तरल/ गैसीय) जिसका उपयोग या विनिर्माण **विस्फोट या आतिशबाजी प्रभाव द्वारा वास्तविक प्रभाव (प्रैक्टिकल इफेक्ट) पैदा** करने के लिए किया जाता है।
  - **लाइसेंसिंग प्राधिकारी (अथॉरिटी): मुख्य विस्फोटक नियंत्रक** या इस उद्देश्य से नामित कोई अन्य प्राधिकारी।
    - **केंद्र सरकार** लाइसेंस देने या निलंबित करने या रद्द करने के लिए **सक्षम प्राधिकार** को नामित करेगी।
    - वर्तमान में यह जिम्मेदारी **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO)** को दी गई है (बॉक्स देखें)।
  - **नियमों का उल्लंघन करने पर दंड: नए कानून (लागू होने पर) का उल्लंघन करते हुए** विस्फोटक पदार्थों के विनिर्माण, आयात व निर्यात में शामिल व्यक्ति को **तीन साल की कैद या एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों सजा** दी जा सकती है।
  - **केंद्र सरकार की शक्ति:** केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए **नियम** बना सकती है।

2.7.4. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास (Military Exercises in News)

2.7.4.1. टाइगर ट्रायम्फ-24 (Tiger TRIUMPH 2024)

- टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का हार्बर फेज **विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)** में आयोजित हुआ।
- टाइगर ट्रायम्फ **भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच आयोजित किया जाता है। यह **द्विपक्षीय त्रि-सेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) समुद्री व स्थल चरण** वाला अभ्यास है।

[7] Refugee status determination

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल

2.7.4.2. 'गगन शक्ति' अभ्यास (Exercise 'Gagan Shakti')

- **भारतीय वायु सेना** के सबसे बड़े अभ्यास **'गगन शक्ति'** का आयोजन **जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज** में किया जा रहा है।
- इस अभ्यास में **वायुसेना के सभी प्रमुख लड़ाकू विमानों और आधुनिक हेलीकॉप्टर्स द्वारा अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन** किया जा रहा है।

2.7.4.3. अभ्यास पूर्वी लहर (Exercise Poorvi Lehar)

- पूर्वी नौसेना कमान के ऑपरेशनल कंट्रोल के तहत **भारतीय नौसेना** ने पूर्वी तट पर अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया।

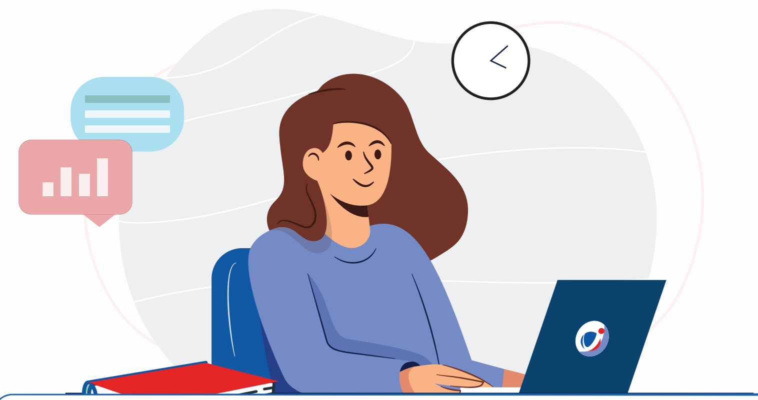

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए
एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए
QR कोड को स्कैन करें

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व-मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड-रिलेशन, कोडिंग-डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं- ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन-टू-वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन करें

हमारे ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन-टू-वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बेंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation: GFCF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में **निजी सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) की धीमी संवृद्धि** भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती रही है।

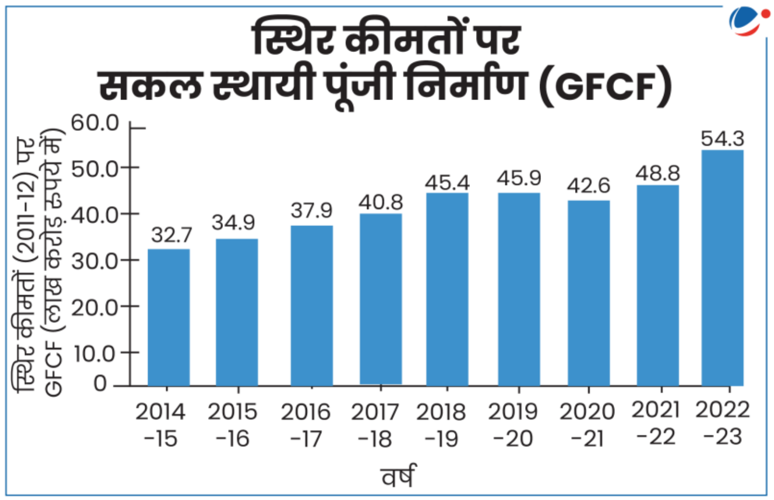

GFCF (यानी निवेश) का विकास:

* **भारत की स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक उदारीकरण तक,** देश में निवेश GDP के **10% के आसपास** रहा है।
* यह निवेश 1980 के दशक के GDP के **लगभग 10% से बढ़कर 2007-08 में लगभग 27%** हो गया।
* हालांकि, **2011-12 के बाद से, निजी निवेश में गिरावट शुरू हो गई** और यह **2020-21** में GDP के **19.6% के निचले स्तर पर पहुंच गया।**
* हालांकि, **कुल निवेश मात्रा के मामले में,** भारतीय अर्थव्यवस्था में **GFCF** 2014-15 के 32.78 लाख करोड़ रुपए (2011-12 की स्थिर कीमतों पर) से बढ़कर **2022-23 में 54.35 लाख करोड़ रुपए (अनंतिम अनुमान)** हो गया।
* **निजी GFCF में गिरावट के कारण:**
  * ऐतिहासिक रूप से, भारत में, **अधिक उपभोग व्यय के कारण निजी निवेश कम** रहा है।
  * **सरकारी नीति निवेश अनुकूल नहीं होने** और **नीति निर्माण के स्तर पर अनिश्चितता के कारण भी** निजी निवेश कम रहा है। इसका एक उदाहरण है: समय-समय पर कर कानूनों से जुड़े विवादों का उत्पन्न होना।
    * पिछले **दो दशकों में सुधारों की गति** के मंद रहने के कारण भी **निजी निवेश** में गिरावट दर्ज की गई है।

पूंजी निर्माण और सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) क्या है?

* **पूंजी निर्माण (Capital Formation: CF):** संयंत्रों, उपकरण, मशीनरी जैसी परिसंपत्तियों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश की प्रक्रिया को **पूंजी निर्माण** कहा जाता है।
* **सकल पूंजी निर्माण (GCF)[8]:** यह किसी अर्थव्यवस्था में स्थायी परिसंपत्तियों में सकल जोड़ या वृद्धि को कहा जाता है। इसमें शामिल हैं-
  * **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF):** भूमि के मूल्य या उपयोग में वृद्धि; संयंत्र, मशीनरी और उपकरण खरीद; सड़कों का निर्माण; आदि।
  * **कच्चे माल, अर्द्ध-तैयार और तैयार उत्पाद के स्टॉक (CIS) में परिवर्तन:** उत्पादन या बिक्री में अस्थायी उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए कंपनियों द्वारा रखे गए उत्पाद के स्टॉक।
  * **कीमती वस्तुओं की निवल खरीदारी:** जैसे- सोना, रत्न, आभूषण और कीमती पत्थर आदि।
  * **विशुद्ध पूंजी निर्माण (NCF)[9]**, GCF से इस मायने में अलग है कि NCF का मापन करते समय **मूल्यह्रास, अनुपयोगी परिसंपत्ति** और **स्थायी पूंजी की आकस्मिक क्षति को समायोजित किया जाता** है।

GFCF में शामिल हैं	GFCF में शामिल नहीं हैं
• **अवसंरचना,** जैसे- हवाई अड्डे, सड़क आदि। • **बार-बार उपयोग किए जाने वाले पशुधन में वृद्धि,** जैसे- डेयरी मवेशी, भेड़ आदि।	• **मध्यवर्ती उपभोग** के लिए निर्धारित लेन-देन। ○ उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा इनपुट के रूप में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को **मध्यवर्ती उपभोग** कहा जाता है। • **घरेलू अंतिम उपभोग व्यय** के लिए **मशीनरी और उपकरण।**

[8] Gross Capital Formation

[9] Net Capital Formation

© Vision IAS

• **बार-बार काटी जाने वाली कृषि फसलों में वृद्धि।** • **बड़े पैमाने पर मरम्मत और रखरखाव के कार्य** जो परिसंपत्तियों के अधिक समय के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी बनाते हैं। • **अमूर्त परिसंपत्तियां,** जैसे- सॉफ़्टवेयर या मूल कलात्मक कार्य।	• **प्राकृतिक आपदाओं** (जैसे- बाढ़, जंगल की आग, आदि) के **कारण होने वाले नुकसान।**

GFCF एक महत्वपूर्ण आर्थिक चर (वेरिएबल) क्यों है?

- **संवृद्धि का गुणक (Growth Multiplier): GFCF और GDP धनात्मक रूप से एक-दूसरे से संबंधित** हैं। GFCF में वृद्धि से GDP में भी वृद्धि होती है।
- **उत्पादकता और जीवन स्तर को बढ़ावा देता है:** GFCF श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में मदद करता है, उत्पादन को बढ़ावा देता है और जीवन स्तर में सुधार करता है।
- **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है:** GFCF में संवृद्धि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देती है। इससे लंबी अवधि में उत्पादन के साथ-साथ अनुसंधान में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- **बाजार के विश्वास का संकेतक:** GFCF को भविष्य की **व्यावसायिक गतिविधि, व्यावसायिक विश्वास** और **भविष्य के आर्थिक संवृद्धि पैटर्न** का एक सार्थक संकेतक माना जाता है।
- **समग्र उत्पादन को दर्शाता है: GFCF समग्र आर्थिक उत्पादन** का अनुमान लगाने के लिए **एक संकेतक** के रूप में कार्य करता है। यह दर्शाता है कि उपभोक्ता वास्तव में बाजार में क्या खरीद सकते हैं।

3.2. भारत में शहरी निर्धनता (Urban Poverty in India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारत रोजगार रिपोर्ट (IER)[10], 2024 जारी की गई, जिसमें **शहरी क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी और उच्च मजदूरी के सह-अस्तित्व पर प्रकाश डाला** गया है। साथ ही, इस रिपोर्ट में शहरी गरीबों के लिए इसके निहितार्थ को समझने के लिए आगे की जांच का आह्वान किया गया है।

International Labour Organization

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labor Organization: ILO)

HQ जिनेवा

उत्पत्ति: 1919 में **वर्साय की संधि** के तहत इसे गठित किया गया था। ILO को इस विश्वास को प्रतिबिंबित करने के लिए गठित किया गया था कि सार्वभौमिक और स्थायी शांति केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो।

संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध: ILO, **1946 में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन** गई।

त्रिपक्षीय संरचना: यह **सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक मंच पर लाता** है, ताकि श्रम मानकों को निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

सदस्य देश: 187

क्या भारत इसका सदस्य है? ✔

रणनीतिक उद्देश्य:

- कार्यस्थल पर मानकों, मौलिक सिद्धांतों और **अधिकारों को निर्धारित करना** और उन्हें बढ़ावा देना।
- महिलाओं एवं पुरुषों के लिए **अच्छे रोजगार और आय के अधिक–से–अधिक अवसर** पैदा करना।
- सभी के लिए **सामाजिक सुरक्षा की कवरेज** और प्रभावशीलता को बढ़ाना।
- **त्रिपक्षीयता और सामाजिक संवाद** को मजबूत करना।

महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स

- ग्लोबल वेज रिपोर्ट,
- वर्ल्ड एंप्लॉयमेंट फॉर सोशल आउटलुक,
- वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, आदि।

---

[10] India Employment Report

अन्य संबंधित तथ्य

- IER, 2024 को **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)**[11] और **मानव विकास संस्थान (IHD)**[12] द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है।
- 2015-16 से 2022-23 के दौरान वास्तविक आर्थिक संवृद्धि 5.4% के औसत से हुई। रिपोर्ट में इस तथ्य के मद्देनज़र **श्रमिक वर्ग पर लाभ के ट्रिकल-डाउन प्रभाव के संबंध में सवाल उठाए गए** हैं।
  - ट्रिकल-डाउन इफ़ेक्ट के तहत यह माना जाता है कि अमीरों और कॉर्पोरेट्स का धन और उनसे प्राप्त कर की राशि **अंततः श्रमिक वर्ग तथा हाशिए पर स्थित वर्ग तक पहुंचेगी,** जिससे उनकी **आर्थिक स्थिति में सुधार** होगा।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र

- **शहरी क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी:** ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं में बेरोजगारी दर अधिक है। साथ ही, यदि युवा आबादी की बात करें तो 20-29 आयु वर्ग के युवाओं की तुलना में 15-19 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर अधिक है।
- **लैंगिक अंतराल का जारी रहना:** वर्ष 2022 में ग्रामीण और शहरी दोनों, क्षेत्रों में युवकों की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) (61.2%) युवतियों (21.7%) की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक थी।
- **शहरी गरीबी में कमी:** शहरी क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों का अनुपात अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2012 के 13.7% से घटकर वर्ष 2022 में 12.55% हो गया।

3.2.1. धन के पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर (Inheritance Tax as A Tool of Wealth Redistribution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक असमानता को कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ प्रांतों में लगाए गए **विरासत कर** की तरह भारत में भी विरासत कर प्रणाली लागू करने पर चर्चा हो रही है।

विरासत कर (Inheritance Tax) क्या है?

- **किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर** उसके उत्तराधिकारियों को **विरासत में मिली जायदाद/ संपत्ति** पर **विरासत कर** लगाया जाता है। यह **एस्टेट टैक्स** से अलग है। **एस्टेट टैक्स मृत व्यक्ति की संपत्ति या एस्टेट के कुल मूल्य पर** लगाया जाता है।
- इसे कई देशों में अपनाया गया है, जैसे- जापान में विरासत कर की दर 55% तथा दक्षिण कोरिया में 50% है।

भारत में विरासत कर का इतिहास

- वर्तमान में **भारत में कोई विरासत कर लागू नहीं** है।
- 1953 में **एस्टेट ड्यूटी** लगाई गई थी। इस कर की दर 85% तक पहुंच गई थी, जिसके कारण यह कर अत्यधिक अलोकप्रिय हो गया। वर्ष 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया।
- **एस्टेट ड्यूटी** के समान भारत में **उपहार कर (Gift tax)** और **संपत्ति कर (Wealth tax)** भी लगाए गए थे।
  - उपहार कर को 1998 में और संपत्ति कर को 2015 में समाप्त कर दिया गया। हालांकि, **उपहार कर** को 2004 में फिर से लगाया गया था।
    - उपहार कर के तहत, यदि कोई व्यक्ति **एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का कोई उपहार प्राप्त करता है,** तो इसे **"अन्य स्रोतों से प्राप्त आय"** के रूप में समझा जाता है। इस पर **आयकर स्लैब के अनुसार कर** लगाया जाता है।
    - हालांकि, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे- दान, विरासत में मिले उपहार और करीबी रिश्तेदार से प्राप्त उपहार, शादी के उपलक्ष्य में प्राप्त उपहार आदि।

[11] International Labour Organization

[12] Institute for Human Development

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल

3.2.2. जीवन-निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी (Living Wage and Minimum Wage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने जीवन-निर्वाह मजदूरी (Living Wage) हेतु फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) से तकनीकी सहायता मांगी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान में, भारत में **"न्यूनतम मजदूरी" सिद्धांत** का अनुपालन किया जाता है। यह मजदूरी 2017 से स्थिर बनी हुई है।
- संसद द्वारा पारित **"वेतन संहिता (2019)"** में एक "सार्वभौमिक वेतन स्तर" (Universal wage floor) का प्रावधान किया गया है। इस संहिता के कार्यान्वयन के बाद यह वेतन स्तर सभी राज्यों पर लागू होगा।
- **न्यूनतम मजदूरी की मौजूदा वर्तमान व्यवस्था की समस्याएं**
    - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए केवल दिशा-निर्देशों का उपबंध किया गया है। यह कानून यह नहीं बताता है कि **न्यूनतम मजदूरी कितनी** होनी चाहिए।
    - कुछ प्रकार के रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने संबंधी प्रावधान **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970** दोनों में दिए गए हैं। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
    - सभी राज्यों में **राष्ट्रीय आधार मजदूरी (Wage floor)** लागू नहीं होने की वजह से राज्यों के बीच मजदूरी में असमानताएं देखी जाती हैं।
    - मजदूरी में **लैंगिक स्तर पर भी असमानता** देखी जाती है। इसकी वजह है अधिक पुरुष श्रमिकों वाले अनुसूचित रोजगारों की तुलना में **अधिक महिला श्रमिकों वाले अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी कम होना।**

जीवन–निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी के बीच अंतर

अंतर करने वाले पहलू	जीवन–निर्वाह मजदूरी (Living Wage)	न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage)
परिभाषा	श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने हेतु आवश्यक मजदूरी स्तर	यह प्रति घंटे कार्य के बदले निर्धारित वह वैधानिक न्यूनतम मजदूरी है, जिसका भुगतान करना नियोक्ता की बाध्यता है
उद्देश्य	श्रमिकों के जीवन की **गुणवत्ता में सुधार** करना	श्रमिकों को नियोक्ताओं के **शोषण** से बचाना

3.3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के जरिए 15,624.9 करोड़ रुपये प्राप्त किया है। यह NHAI द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण (AM) के बारे में

- **उत्पत्ति:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण का सुझाव पहली बार 2012 में अर्थशास्त्री **विजय केलकर** की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने दिया था।
    - परिसंपत्ति मुद्रीकरण की घोषणा **केंद्रीय बजट 2021-22** में **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन** के जरिए की गई थी।
- **परिभाषा:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य का आकलन करके सरकार और उसकी संस्थाओं के लिए राजस्व के नए स्रोत प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है।
    - किसी सार्वजनिक निकाय के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति को **सार्वजनिक परिसंपत्ति** कहा जाता है, जैसे- सड़क, हवाई अड्डे, पाइपलाइन आदि।
- **प्राधिकरण:** इस परियोजना को लागू करने और उसकी निगरानी करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में **परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सचिवों का कोर समूह** (CGAM)[13] गठित किया गया है।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण (AM) की प्रक्रिया:**
    - **परिसंपत्ति मुद्रीकरण** में निर्धारित अवधि के लिए निजी क्षेत्रक की इकाई को प्रदान की गई **सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्ति का लाइसेंस/पट्टा** शामिल होता है।

[13] Core Group of Secretaries on Asset Monetisation

- ○ भुगतान के बदले परिसंपत्ति उपयोग के अधिकारों का हस्तांतरण एक रियायती समझौते द्वारा शासित होता है। इसमें **जोखिम को** संतुलित आधार पर **सार्वजनिक प्राधिकरण** और **निजी पक्षकारों के बीच** साझा किया जाता है।

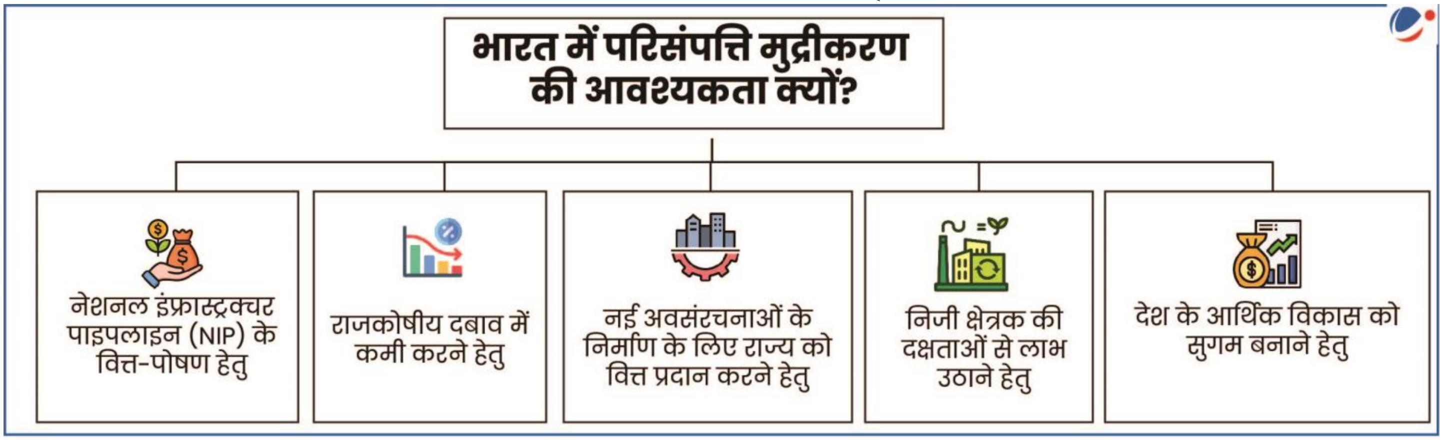

परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए की गई पहलें

- **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP):**
  - ○ **क्षेत्रक:** सरकार ने अपनी **ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 13 क्षेत्रकों की पहचान** की है।
    - ▪ **ये शीर्ष 5 क्षेत्रक कुल मुद्रीकरण पाइपलाइन के लगभग 83% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्षेत्रक हैं;** सड़कें (27%), रेलवे (25%), विद्युत (15%), तेल और गैस पाइपलाइन (8%) तथा दूरसंचार (6%)।
  - ○ **क्षमता:** वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक के चार वर्षों में केंद्र सरकार की **कोर परिसंपत्तियों में 6 लाख करोड़ रुपये की मुद्रीकरण की क्षमता** है।
- **मुद्रीकरण के लिए लक्षित अलग-अलग परिसंपत्तियां/ परिसंपत्ति वर्ग:**
  - ○ भारतीय रेलवे, **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर** संपत्तियों के चालू होने के बाद उनके संचालन और रखरखाव के लिए परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा।
  - ○ हवाई अड्डों का मुद्रीकरण **संचालन और प्रबंधन** रियायत (संबंधित जगह) के लिए किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC)[14]:** यह एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड:** इसकी शुरुआत मुद्रीकरण की प्रगति की निगरानी करने और निवेशकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

3.4. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (Asset Reconstruction Companies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **मास्टर डायरेक्शन - भारतीय रिजर्व बैंक (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) दिशा-निर्देश, 2024** जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **किसके तहत जारी:** ये दिशा-निर्देश **"सरफेसी यानी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI)[15] अधिनियम, 2002** द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं।
  - ○ यह **सरफेसी अधिनियम, 2002** की धारा 3 के तहत RBI के पास पंजीकृत प्रत्येक **परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों** पर लागू है।
- **उद्देश्य:** ये दिशानिर्देश भारत में ARCs के काम-काज को सुव्यवस्थित और विनियमित करेगा तथा उनकी वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थायित्व सुनिश्चित करेंगे।

---

[14] National Land Monetization Corporation

[15] Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के बारे में

- **परिभाषा:** ARC ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) या दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को खरीद लेती हैं**, ताकि उनकी बैलेंस शीट को साफ-सुथरा रखा जा सके।
    - ARCs को दबावग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की **खरीद के अधिकतम 8 वर्षों के भीतर वसूली करना आवश्यक है** और इन परिसंपत्तियों के बदले जारी सिक्योरिटी रिसीट्स (SRs) को भुनाना आवश्यक होता है।

- **उत्पत्ति: सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार** ARCs को RBI द्वारा पंजीकृत और विनियमित किया जाएगा। भारत में 2022 तक 29 ARCs कार्य कर रही थीं।
    - **नरसिम्हम समिति-II (1998)** ने विश्व के अन्य देशों में संचालित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों की तर्ज पर परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों के गठन का सुझाव दिया था।
- **ARCs के प्रकार:** स्वामित्व के आधार पर, ARCs तीन प्रकार की हो सकती हैं; **सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी** वाली ARCs
- **ARCs के उदाहरण हैं-** नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL), इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) आदि।

ARCs कैसे काम करती हैं?

- **परिसंपत्ति अधिग्रहण:** ARCs बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीद करके उन्हें या तो अपने खातों में दर्ज करती हैं या प्रतिभूतिकरण और/ या पुनर्गठन के उद्देश्य से स्थापित ट्रस्ट के खातों में दर्ज करती हैं।
- **सिक्युरिटीज रिसीट्स (SRs):** बैंक या वित्तीय संस्थान दबावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) ऋणों को डिस्काउंट पर ARCs को बेच देते हैं। यदि बैंकों को इसके लिए पूरी तरह से नकद में भुगतान नहीं किया गया है, तो फिर उसके बदले में ARC द्वारा सिक्युरिटी रिसीट्स जारी किए जाते हैं। इन्हें एक निश्चित सीमा तक ऋण की वसूली हो जाने पर भुनाया जा सकता है।
- **प्रबंधन शुल्क:** ARCs दबावग्रस्त ऋण बेचने वाली संस्थाओं से **हर साल परिसंपत्ति के मूल्य का 1.5% से 2% तक प्रबंधन शुल्क** भी वसूलती हैं।

ARC पर RBI के मास्टर डायरेक्शन 2024 के प्रमुख प्रावधान

- **नेट ओन फंड (NOF):** प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्गठन का व्यवसाय शुरू करने के लिए, किसी ARC के पास निरंतर आधार पर **न्यूनतम 300 करोड़ रुपये** का NOF होना आवश्यक है।
- **पंजीकरण:** प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्गठन का व्यवसाय शुरू करने से पहले, ARC को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और RBI से पंजीकरण प्रमाण-पत्र (CoR) प्राप्त करना होगा।
- **नेतृत्व अर्हता:** ARC के MD/ CEO या पूर्णकालिक निदेशक के लिए 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। इन्हें एक बार में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। एक व्यक्ति लगातार अधिकतम 15 वर्ष तक ही इन पदों को धारण कर सकता है।
- **ARCs को इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) को रिपोर्ट करना होता है:** ARCs द्वारा पेशेवर सेवाओं में गंभीर अनियमितता वाले CAs, अधिवक्ताओं और मूल्यांकनकर्ताओं का विवरण **भारतीय बैंक संघ (IBA)** के डेटाबेस में शामिल करने के लिए सूची सौंपी जाती है।
- **आंतरिक ऑडिट:** ARCs एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करेंगी, जो परिसंपत्ति अधिग्रहण प्रक्रियाओं और परिसंपत्ति पुनर्गठन उपायों की समय-समय पर **जांच और समीक्षा** करेंगी।

3.5. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (Advance Pricing Agreements: APAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भारतीय करदाताओं के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 125 **अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते** पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें एकतरफा और द्विपक्षीय APAs, दोनों शामिल हैं।

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA) के बारे में

- यह **करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौता** है।
- APA मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्धारित करके **ट्रांसफर प्राइसिंग** निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करता है।
  - APA अधिकतम पांच आगामी वर्षों के लिए **अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन आर्म्स लेंथ प्राइसिंग (ALP)** निर्धारित करने में मदद करता है।
  - इसके अलावा, **करदाता के पास पिछले चार वर्षों के लिए भी APA लागू करने का विकल्प** होता है। इस प्रकार यह, नौ वर्षों के लिए कर निश्चितता प्रदान करता है।

शब्दावली को जानें

- **ट्रांसफर प्राइसिंग:** यह **साझा स्वामित्व या नियंत्रण** वाली कंपनियों के बीच आदान-प्रदान की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत है। इसके तहत वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान-प्रदान एक ही कंपनी के अलग-अलग डिवीज़न या सहायक कंपनियों के बीच होता है।
- **मूल्य निर्धारण का आर्म्स-लेंथ प्रिंसिपल:** इस सिद्धांत के अनुसार, दो संबंधित पक्षकारों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए निर्धारित कीमत, दो अलग-अलग पक्षकारों के बीच उसी चीज के लिए तय कीमत के समान होनी चाहिए।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes: CBDT)

HQ नई दिल्ली

- **उत्पत्ति:** यह **केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963** के तहत गठित एक **वैधानिक निकाय** है।
- **मंत्रालय:** यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के **राजस्व विभाग** के तहत कार्य करता है।
- **कार्य:** CBDT भारत में **प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना** बनाने के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है।
  - यह **आयकर विभाग के जरिए प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार** है।
- **संरचना:** CBDT में एक **अध्यक्ष** और **छह सदस्य** होते हैं।

APA के प्रकार

प्रकार	विशेषता
एकपक्षीय APA	इसमें **केवल करदाता और उस देश का कर प्राधिकरण** शामिल होता है, जहां करदाता निवास करता है।
द्विपक्षीय APA	इसमें करदाताओं, **मेजबान देश के कर प्रशासन और एक विदेशी कर प्रशासन** को शामिल किया जाता है।
बहुपक्षीय APA	इसमें **करदाता, मेजबान देश के कर प्रशासन और एक से अधिक विदेशी कर प्रशासन** शामिल होते हैं।

पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया (Mutual Agreement Procedure: MAP)

- MAP **दोहरे कराधान विवादों के समाधान हेतु करदाताओं के लिए उपलब्ध एक अन्य विकल्प** है। यह न्यायिक या आर्थिक, दोनों तरीके से विवादों के समाधान का विकल्प प्रदान करता है।
- **MAP कर-संधियों (उदाहरण के लिए- DTAA) में निर्धारित एक तंत्र** है जो यह सुनिश्चित करता है कि कराधान कर संधि के अनुसार है।
  - कर संधि एक **द्विपक्षीय समझौता** है। यह संधि दो देशों द्वारा अपने **प्रत्येक नागरिक की निष्क्रिय और सक्रिय आय पर दोहरे कराधान से जुड़ी समस्याओं का हल** करने के लिए की जाती है।
- **MAP और APA के बीच अंतर:**
  - MAP ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों का समाधान करता है जबकि APAs ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों को उत्पन्न होने से रोकता है।

© Vision IAS

- करदाता **लंबित विवादों** के लिए MAP दाखिल करते हैं, जबकि करदाता भविष्य के वर्षों के समान लेन-देन के मामले में प्रभावी विवाद समाधान/ परिहार रणनीति के रूप में APA का विकल्प चुनते हैं।

भारत में APA योजना:

- **केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 92CC और 92CD** को शामिल करके 2012 में **APA योजना** अधिसूचित की थी।
    - इसके बाद **CBDT ने इस योजना को लागू करने के लिए APA नियमों को अधिसूचित** किया था।
- इसके तहत, CBDT और किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- **योजना की प्रकृति: APA** प्रक्रिया स्वैच्छिक है और ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद को हल करने के लिए अपील और अन्य दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) तंत्र की पूरक हैं।
- **APA की अवधि:** अधिकतम पांच वर्ष।
- **रोलबैक प्रोविजन:** APA व्यवस्था में सहमति के अनुसार आर्म्स लेंथ प्राइस को APA के शुरू होने से पहले की अवधि में लागू करने की अनुमति है।

अन्य संबंधित तथ्य:

दोहरा कराधान बचाव समझौता (Double Taxation Avoidance Agreement: DTAA)

- भारत और मॉरीशस ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं (अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है)। इसके तहत दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) में संशोधन किया जाएगा।
- संशोधन में DTAA के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए **प्रिंसिपल पर्पज टेस्ट (PPT)** का प्रावधान किया गया है। इससे कर चोरी और कर बचाव के लिए संधि के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।
    - PPT यह प्रावधान करता है कि **संधि के तहत लागू कर लाभ नहीं मिलेंगे यदि यह साबित होता है कि किसी लेन-देन या समझौते का मुख्य उद्देश्य केवल कर लाभ प्राप्त करना** था।
    - **DTAA** में संशोधन के प्रोटोकॉल का उद्देश्य इसे **बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) मिनिमम स्टैंडर्ड्स** के अनुरूप बनाना है।
- DTAA दो देशों/ न्यायिक क्षेत्रों के बीच एक समझौता है। यह दो अलग-अलग देशों/ न्यायिक क्षेत्रों में एक ही घोषित परिसंपत्ति पर दोहरे कराधान से बचाता है।
    - भारत और मॉरीशस के बीच DTAA पर पहली बार 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसे 2016 में संशोधित किया गया था।

बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)

- यह कर चुकाने से बचने की रणनीतियों के लिए इस्तेमाल होने वाली टर्म है। इन रणनीतियों के अंतर्गत कर देने से बचने के लिए **नियमों में कमी या असंगतता का फायदा** उठाकर **मुनाफे को उच्च कर दर वाले देशों से कम कर दर वाले देशों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।**
- **"BEPS को रोकने के लिए कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने हेतु बहुपक्षीय कन्वेंशन"** का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों को अपडेट करना और बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा कर से बचने के अवसरों को कम करना है।
    - भारत ने इस **अभिसमय पर 2017 में हस्ताक्षर** किए थे।

© Vision IAS

3.6. क्राउडफंडिंग (Crowdfunding)

सुर्खियों में क्यों?

गुजरात हाई कोर्ट ने क्राउडफंडिंग से संबंधित विनियमों पर विवरण मांगा है।

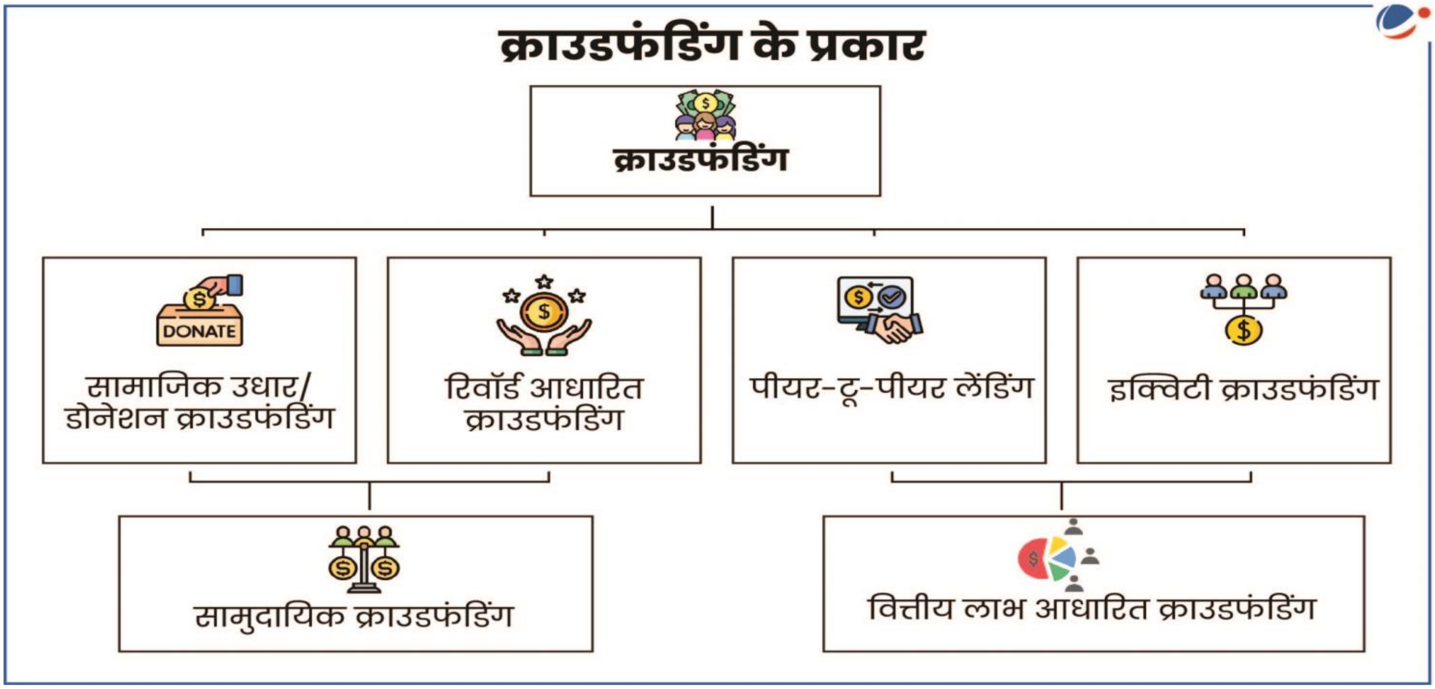

क्राउडफंडिंग के बारे में

- क्राउडफंडिंग **वेब-आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए कई निवेशकों से लघु धनराशि** जुटाने की एक पद्धति है। यह धनराशि **विशेष परियोजना, व्यावसायिक उद्यम या सामाजिक उद्देश्य** के लिए जुटाई जाती है।
  - धन जुटाने की पारंपरिक पद्धति के अंतर्गत धनराशि केवल सीमित स्रोतों से ही जुटाई जाती है।
  - **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI/ सेबी)** भारत में क्राउडफंडिंग को विनियमित करता है।
- **क्राउडफंडिंग पर सेबी के दिशा-निर्देश**
  - केवल **"मान्यता प्राप्त निवेशक"** ही निवेश कर सकते हैं। **इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित **कंपनियां, जिनकी न्यूनतम नेट वर्थ 20 करोड़** रुपये है।
    - उच्च नेट वर्थ वाला व्यक्ति, जिसकी **न्यूनतम नेट वर्थ 2 करोड़ रुपये** है।
    - **पात्र खुदरा निवेशक,** जिनकी न्यूनतम वार्षिक सकल आय **10 लाख रुपये** है।

क्राउडफंडिंग के लाभ	क्राउडफंडिंग का जोखिम
• इसके जरिए **नवीन विचारों को वित्त-पोषण और स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन** मिलता है। • **लघु व मध्यम उद्यमों के लिए ऋण जुटाना आसान** हो जाता है। • यह **प्राकृतिक आपदाओं के दौरान धन जुटाने का बेहतर** साधन है। • इसके जरिए उन गरीब लोगों के लिए धन जुटाया जा सकता है, जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं।	• खुदरा निवेशक **स्टार्ट-अप्स में निवेश से जुड़े जोखिम की प्रकृति** नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा, नुकसान हो गया तो उसे सहन भी नहीं कर पाएंगे। • फ्रॉड करने वालों द्वारा **वास्तविक वेबसाइट्स का दुरुपयोग** किया जा सकता है। • वेब आधारित प्लेटफॉर्म्स की निगरानी नहीं होने से **आतंकवाद के वित्त-पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग** जैसे जोखिम पैदा होते हैं।

© Vision IAS

3.7. बैंकिंग और वित्त क्षेत्रक में प्रमुख विकासक्रम (Key Developments in Banking and Finance)

ऋण-जमा अनुपात (Credit Deposit Ratio: CDR)	• भारत के बैंक पिछले **20 वर्षों के सबसे खराब डिपॉजिट संकट से जूझ** रहे हैं। वर्तमान में बैंकों का **ऋण-जमा अनुपात 80%** है, जो 2005 के बाद के सर्वोच्च स्तर पर है। 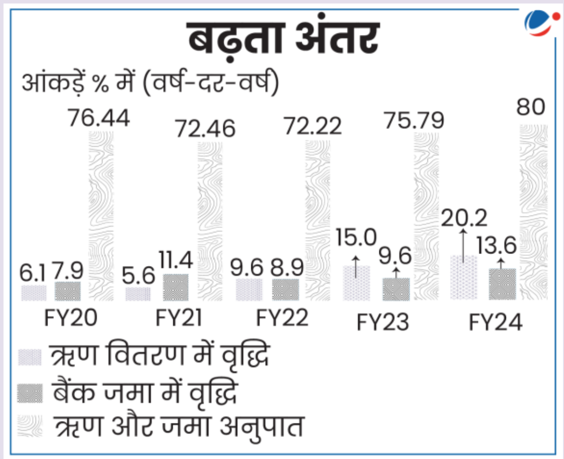 • **ऋण-जमा अनुपात के बारे में:** ○ यह अनुपात इस बात का संकेत है कि **किसी बैंक ने अपने द्वारा जुटाई गई जमा राशि में से कितना ऋण** वितरित किया है। ○ **उच्च ऋण-जमा अनुपात** इस बात का संकेत है कि **बैंक के संसाधनों का बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में वितरित** किया गया है। ▪ इससे **आर्थिक संवृद्धि** को बढ़ावा मिल सकता है, हालांकि, यह **उच्च जोखिम** का भी संकेत है। • विनियामक संस्थाएं अक्सर बैंकों के **ऋण-जमा अनुपात** पर नजर रखती हैं। ○ वे ऐसा इसलिए करती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **बैंक ऋण वितरण और जोखिम प्रबंधन के बीच विवेकपूर्ण संतुलन बनाकर रखें।**
पेमेंट एग्रीगेटर	• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **PayU को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी** प्रदान कर दी है। • **पेमेंट एग्रीगेटर (PA) के बारे में** ○ यह एक **वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी** है। यह **व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान स्वीकार करने की प्रक्रिया को आसान** बनाती है। ○ यह कंपनी **व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों के बीच एक मध्यवर्ती** के रूप में कार्य करती है। ○ इसे **कंपनी अधिनियम, 1956 तथा कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत एक कंपनी के रूप में निगमित किया जाता है। ○ गैर-बैंकिंग PAs को **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत RBI से प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स/ SCORES 2.0)	• **स्कोर्स/ SCORES** से तात्पर्य सेबी शिकायत निवारण प्रणाली[16] से है। • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी/ SEBI) ने **SCORES 2.0 वर्जन** लॉन्च किया है। यह प्रणाली **प्रतिभूति बाजार में निवेशक शिकायत निवारण प्रक्रिया** को दक्ष बनाकर इस तंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगी। • **SCORES 2.0 की मुख्य विशेषताएं:** ○ प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए **समय-सीमा कम** कर दी गई है। अब शिकायत प्राप्त होने की तारीख से **21 कैलेंडर दिनों के भीतर इसका समाधान** करना होगा। ○ शिकायत निवारण में देरी की संभावना को खत्म करने के लिए **संबंधित विनियमित संस्था को शिकायतों की ऑटो-रूटिंग** की शुरुआत की गई है।

[16] SEBI Complaint Redress System

	○ शिकायतें आसानी से दर्ज हो जाएं इसके लिए इसे **KYC पंजीकरण एजेंसी डेटाबेस** के साथ एकीकृत किया गया है।
अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स (Compulsory Convertible Debentures: CCD)	• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने **अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) द्वारा नापिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की CCD के सब्सक्रिप्शन** को मंजूरी दी है। • **CCD के बारे में:** ○ **CCD** ऋण प्राप्ति के साधन (डेब्ट इंस्ट्रूमेंट) हैं। इन डिबेंचर्स को तय समय पर या किसी निर्धारित अवसर पर **इक्विटी में परिवर्तित** किया जा सकता है। ○ ये **हाइब्रिड प्रतिभूतियां** हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि ये शुरू में **डेब्ट इंस्ट्रूमेंट** जैसी होती हैं, लेकिन अंततः ये **इक्विटी शेयरों** में परिवर्तित हो जाती हैं। ○ इसका उपयोग अक्सर कंपनियों द्वारा **मौजूदा निवेशकों की इक्विटी शेयरधारिता को तुरंत कम किए बिना लंबे समय के लिए धन जुटाने** हेतु किया जाता है।
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता (Domestic Systemically Important Insurers: D-SIIs)	• भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने **2023-24 के लिए D-SIIs की सूची** जारी की है। ○ **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC-Re) और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी** को फिर से D-SIIs के रूप में नामित किया गया है। • **D-SIIs** बड़े आकार वाली, बीमा बाजार में अधिक महत्त्व वाली तथा घरेलू और वैश्विक रूप से बीमा व्यवसाय से अधिक जुड़ी बीमा कंपनियां होती हैं। इनका **संकट में आना या विफल होना, देश की वित्तीय प्रणाली में गंभीर अव्यवस्था** ला सकता है। ○ D-SIIs के बारे में कहा जाता है कि ये **"इतने बड़े या महत्वपूर्ण होते हैं कि इन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता है (Too big or too important to fail)"।** ○ D-SIIs को **अतिरिक्त विनियामक नियमों का पालन** करना होता है।

3.8. उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (Consumer Confidence Survey)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जनवरी 2023 के **द्वि-मासिक उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण** (CCS)[17] के परिणाम जारी किए।

उपभोक्ता विश्वास और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (CCS) के बारे में

- यह एक आर्थिक संकेतक है जो **अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति और व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के बारे में** उपभोक्ताओं द्वारा महसूस किए जाने वाले **आशावाद या निराशावाद के स्तर को मापता** है।
  - यह **अर्थव्यवस्था की सेहत के संकेतक** (उपभोक्ताओं के नजरिए से) के रूप में कार्य करता है।
  - अर्थव्यवस्था में **उपभोक्ताओं का उच्च विश्वास** आम तौर पर **उपभोक्ताओं द्वारा अधिक खर्च** से संबंधित होता है।
- इसे **RBI द्वारा आयोजित द्वि-मासिक उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (CCS)** के जरिए मापा जाता है।
- इस सर्वेक्षण के तहत **19 प्रमुख शहरों** में सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार के परिदृश्य, समग्र मूल्य स्थिति तथा स्वयं की आय एवं व्यय पर **वर्तमान धारणाएं** (एक वर्ष पहले की तुलना में) और **एक वर्ष आगे की अपेक्षाएं** प्राप्त की जाती हैं।
  - इस सर्वेक्षण में **शहरी उपभोक्ताओं की भावनाओं के बारे में जानकारी** प्राप्त की जाती है। साथ ही, इसमें सामान्य आर्थिक स्थितियों से संबंधित प्रश्नों पर **गुणात्मक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त** की जाती हैं।
- CCS प्रतिक्रियाओं को **दो सूचकांकों** के जरिए मापा जाता है:
  - **वर्तमान स्थिति सूचकांक (CSI)[18]:** इसमें एक साल पहले की तुलना में वर्तमान आर्थिक, रोजगार और मूल्य स्थितियों के बारे में उपभोक्ता भावनाओं को मापा जाता है।

---

17 Consumer Confidence Survey

© Vision IAS

- **भविष्य की अपेक्षाओं का सूचकांक (FEI)[19]:** एक वर्ष आगे की आर्थिक, रोजगार और मूल्य की स्थिति के बारे में अपेक्षाओं को मापा जाता है।
    - **उद्योग** सामान्यतः इन सूचकांकों का उपयोग **तथ्यों के आधार पर बेहतर निर्णय लेने** या अपनी **रणनीतियों में बदलाव** करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए- **नई परियोजनाओं में निवेश करना** या **नए उत्पादों को लॉन्च करने लिए** उद्योग इन सूचकांकों का उपयोग करते हैं।

नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों पर एक नज़र

- वर्तमान अवधि के साथ-साथ आने वाले वर्ष के लिए भी **उपभोक्ता विश्वास में सुधार** हुआ है।
- **वर्तमान स्थिति सूचकांक (CSI)[20]:** यह 2021 के मध्य में दर्ज किए गए ऐतिहासिक निम्नतम स्तर से **सुधार की राह** पर आगे बढ़ रहा है।
    - इसमें सामान्य आर्थिक स्थिति और घरेलू आय के संबंध में बेहतर धारणा के कारण वृद्धि हुई है।
- **भविष्य की अपेक्षाओं का सूचकांक (FEI)[21]:** यह सूचकांक अगले एक साल में सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार और आय के संबंध में बेहतर आशावाद के कारण अपने दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

3.9. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Rupee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने RBI[22] से भारतीय रुपये को विश्व स्तर पर सुलभ और स्वीकार्य मुद्रा बनाने हेतु **10 साल की रणनीति** तैयार करने के लिए कहा ताकि **भारतीय मुद्रा यानी रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण** किया जा सके।

क्या आप जानते हैं?

> 1970 के दशक की शुरुआत तक **कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात** जैसे कुछ **खाड़ी देशों** में **भारतीय रुपया लीगल टेंडर (यानी वैध मुद्रा) के रूप में चलन में थी।**

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में

- **परिभाषा:** यदि किसी देश की मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित **तीन बुनियादी कार्यों को संपन्न** करती है तो उसे मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण माना जाता है:
    - **विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना,**
    - **यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में कार्य करना** अर्थात् वस्तुओं को मुद्रा के मूल्य में व्यक्त करना (कॉफी प्रति डॉलर), और
    - **स्टोर ऑफ वैल्यू** (मूल्य संचय) के रूप में कार्य करना।
        - मुद्रा को स्टोर ऑफ वैल्यू तब माना जाता है, जब बिना मूल्य गंवाए इसका उपयोग बचत और पूंजी आवंटित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है।
- वर्तमान में आरक्षित मुद्रा के रूप में रखी जाने वाली मुख्य विदेशी मुद्राएं हैं- **अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन** और **पाउंड स्टर्लिंग।**
- **किस आधार पर किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है:**
    - मजबूत आर्थिक बुनियाद, जैसे- अर्थव्यवस्था का आकार और ट्रेड नेटवर्क
    - मजबूत पूंजी बाजार और तरलता की स्थिति.
    - मुद्रा की स्थिरता और मुद्रा की परिवर्तनीयता

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- **विनिमय दर से जुड़े जोखिम को कम करता है:** घरेलू कंपनियां निर्यात या आयात के लिए देश की मुद्रा में लेन-देन एवं भुगतान कर सकती हैं। इससे विनिमय दर में किसी उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिम से बचने में मदद मिलती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त होती है:** यह **भारतीय कंपनियों और वित्तीय संस्थानों** को विनिमय दर का जोखिम उठाए बिना **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच को सुगम** बनाता है।

---

[18] Current Situation Index

[19] Future Expectation Index

[20] Current situation index

[21] Future expectations index

[22] Reserve Bank of India/ भारतीय रिजर्व बैंक

 © Vision IAS

- **अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है:** एक बड़े और अधिक दक्ष वित्तीय क्षेत्रक का विकास पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है। इससे भागीदारों के लिए पूंजी की लागत कम हो जाती है।
- **बजट घाटे के कुछ हिस्से को वित्त-पोषित करना: किसी देश की सरकार** को विदेशी मुद्रा में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में घरेलू मुद्रा में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जारी करके **अपने बजट घाटे के एक हिस्से को वित्त-पोषित करने** में मदद करता है।
- **पूंजी की आवाजाही को विनियमित करना:** यह देश में **पूंजी आने में अचानक रुकावट को और पूंजी के बाहर जाने के प्रभाव को कम** करता है। साथ ही, इससे विदेशी संप्रभु ऋण को चुकाने की क्षमता बढ़ जाती है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने की आवश्यकता को कम करना:** यह बाहरी खतरों से निपटने में विनिमय योग्य मुद्राओं में विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने और उस पर निर्भरता को कम करता है।

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से जुड़ी चुनौतियां

विनिमय दर में उतार-चढ़ाव
➡मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से शुरुआती चरण में विनिमय दर में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव की संभावना बनी रहती है।

मौद्रिक नीति की दुविधा या ट्रिफिन डाइलेमा
➡जब कोई देश अपनी **घरेलू मौद्रिक नीतियों** को संतुलित रखते हुए **विश्व में अपनी मुद्रा की मांग को पूरा करने के लिए** इसकी **पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता** है तो उस स्थिति को ट्रिफिन डाइलेमा कहा जाता है।

बाह्य जोखिमों से प्रभावित होने की आशंका
➡देश के भीतर और बाहर तथा एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मुक्त रूप से परिवर्तनीयता एवं धन के प्रवाह की वजह से **स्थानीय मुद्रा बाह्य घटनाओं के प्रभाव में आ सकती है।**

मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता
➡विश्व के वित्तीय बाजारों के साथ एकीकरण **लंबी अवधि में आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।**

भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के तरीके

- **पूंजी खाता परिवर्तनीयता[23]:** भारतीय रुपया **चालू खाते** में पूरी तरह से परिवर्तनीय है लेकिन **पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय** है।
  - **फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)[24]** के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करने और भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान हेतु प्रोत्साहन बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देना:** भारतीय रुपये (INR) में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक **दक्ष निपटान तंत्र, तरलता (मुद्रा) की उपलब्धता** और **मजबूत सीमा-पार भुगतान प्रणाली** के विकास की आवश्यकता होगी।
  - **मुद्रा स्वैप और स्थानीय मुद्रा में निपटान (LCS)[25]:** इससे मुद्रा विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है। यह स्थानीय मुद्रा को स्थिरता प्रदान करता है और व्यापारिक समुदाय को मुद्रा जोखिम से बचाने के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। साथ ही, यह लेन-देन की लागत को कम करने में मदद करता है।
  - **भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** भारत की अत्याधुनिक भुगतान प्रणालियों, जैसे- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की वैश्विक पहुंच को और अधिक बढ़ाने की जरुरत है।
  - **कंटीन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट (CLS) का हिस्सा बनना:** CLS विदेशी मुद्रा लेन-देन के निपटान के लिए एक वैश्विक प्रणाली है। यह **पेमेंट वर्सेस पेमेंट (PvP)** के आधार पर कार्य करती है।

[23] Capital Account Convertibility

[24] Foreign Exchange Management Act

[25] Local Currency Settlement

- वर्तमान में CLS प्रणाली में 18 मुद्राओं में लेन-देन का निपटान किया जाता है। हालांकि, **INR उन मुद्राओं में शामिल नहीं** है।

  - **एक "भारतीय समाशोधन प्रणाली" (क्लीयरिंग सिस्टम) का निर्माण करना:** समाशोधन प्रणाली अपने सदस्य देशों के बैंकों को उनकी घरेलू मुद्रा के बदले अन्य मुद्राएं खरीदने के लिए बाज़ार प्रदान करेगी।।

भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु शुरू की गई पहलें

- **भारतीय भुगतान अवसंरचना का उपयोग:** भारत ने सिंगापुर के PayNow के साथ UPI के इंटरलिंकेज की शुरुआत की है। **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** अब कई अन्य देशों में भी अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रयास कर रहा है।
- **विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (SVRAs)[26]:** RBI ने 22 देशों के बैंकों को पेमेंट सेटलमेंट के लिए भारतीय बैंकों में SVRAs खोलने की अनुमति देकर इन देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए तंत्र स्थापित किया है।
  - रुपया वोस्ट्रो खाता वस्तुतः भारतीय रुपया में खोला गया एक खाता है जो एक घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए रखता है।
- **श्रीलंका में भारतीय रुपया एक नामित विदेशी मुद्रा[27] बन गया है।** अब श्रीलंका में भारतीय रुपया का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमा-पार बैंकिंग लेन-देन में किया जा सकता है।
- **द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था (BSA)[28]:** भारत ने जापान के साथ BSA समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भुगतान संतुलन से जुड़ी किसी समस्या से निपटने के लिए बैकस्टॉप लाइन के रूप में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक स्थानीय मुद्रा करेंसी स्वैप की व्यवस्था की गई है।
  - इसके अलावा, भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 35 अरब रुपये के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।

3.10. बेसल III एंडगेम (Basel III Endgame)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कंज्यूमर बैंकर्स एसोसिएशन (CBA) ने "अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के मार्जिन पर उपभोक्ताओं पर **बेसल III एंडगेम** प्रस्ताव का प्रभाव[29]" शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया।

बेसल III एंडगेम के बारे में

- **बेसल III मानदंडों** के नियमों के अंतिम सेट को **"बेसल III एंडगेम"** नाम दिया गया है।
  - बेसल III बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति** द्वारा तैयार उपायों का एक सेट है।
  - एंडगेम का एक संभावित प्रभाव यह भी है कि **"ग्लोबली सिस्टेमिकली इंपोर्टेंट बैंक (G-SIBs)[30]"** द्वारा अपनी पूंजी आवश्यकताओं में 21% की वृद्धि की जाएगी।
  - प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य **बैंकिंग प्रणाली की "मजबूती और संकट से निपटने की क्षमता"** में सुधार करना और बैंकों के पूंजीगत फ्रेमवर्क में पारदर्शिता लाना एवं स्थिरता बनाए रखना है।

[26] Special Vostro Rupee Accounts

[27] Designated Foreign Currency

[28] Bilateral Swap Arrangements

[29] The Impact of the Basel III Endgame Proposal on Consumers on the Margins of the U.S. Financial System

[30] Globally Systemically Important Banks

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति
(Basel Committee on Banking Supervision)

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS

बेसल (स्विट्जरलैंड)

उत्पत्तिः इसकी स्थापना 1974 में **G10 देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों** द्वारा की गई थी।

सदस्यः इसके 45 सदस्य हैं। देशों के केंद्रीय बैंक और बैंक पर्यवेक्षक इसके सदस्यों में शामिल हैं। **RBI** भी इसका एक सदस्य है।

कार्यः

- इसकी स्थापना विश्व भर में बैंकिंग सिस्टम के पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करके **वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने** के लिए की गई थी।
- यह बैंकिंग सिस्टम के पर्यवेक्षण से जुड़े हुए मामलों पर अपने सदस्य देशों के बीच **नियमित सहयोग के लिए एक मंच के रूप में** भी कार्य करती है।

प्रशासनः यह अपनी निगरानी संस्था **"केंद्रीय बैंक और गवर्नर तथा पर्यवेक्षण प्रमुखों के समूह (Group of Central Bank and Governors and Heads of Supervision: GHOS)"** को रिपोर्ट करती है।

निर्णयों का कार्यान्वयनः इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं।

बेसल मानदंड के बारे में

(बेसल मानदंड से जुड़ी प्रमुख शब्दावलियों के लिए इस आर्टिकल के अंत में बॉक्स देखिए):

- **विवरण:** बेसल मानदंड **पूंजी की वह मात्रा निर्धारित करते** हैं जो बैंकों को अपने व्यवसाय से जुड़े ऋण जोखिम, परिचालन जोखिम और बाजार जोखिम से निपटने के लिए अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए।
    - बैंकिंग क्षेत्रक को **अधिक जोखिम** का सामना करना पड़ता है क्योंकि उधारी पर सर्वाधिक निर्भर भी यही क्षेत्रक है। ये ग्राहकों की जमा राशि को ही उधार देते हैं। ग्राहकों की जमा राशि भी बैंकों पर उधार ही होती है।
    - अत्यधिक उधारी पर निर्भर क्षेत्रक अपने परिचालन और निवेश के **वित्त-पोषण के लिए बड़े पैमाने पर ऋण पर निर्भर** होते हैं।
- **बेसल I मानदंड (1987):**
    - 1987 में, बेसल समिति ने पूंजी माप प्रणाली की शुरुआत की जो **ऋण जोखिम और परिसंपत्तियों के जोखिम-भार पर केंद्रित** थी।
- **बेसल II मानदंड (2004):**
    - इन अपडेट किए गए मानदंडों में तीन महत्वपूर्ण पिलर्स- **न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता (Minimum capital requirements,), पर्यवेक्षी समीक्षा (Supervisory Review)** और **बाजार अनुशासन (Market Discipline)** को पेश किया गया था।
- **बेसल III मानदंड (2010):**
    - इसका उद्देश्य बैंकों के लिए मजबूत पूंजी आधार बनाना और ठोस तरलता एवं **लिवरेज अनुपात** (Leverage Ratio) सुनिश्चित करना है।

बेसल I, II और III की मुख्य विशेषताओं की तुलना				
पिलर्स	**पिलर्स के मुख्य घटक**	**बेसल I**	**बेसल II**	**बेसल III**
पिलर 1 (पूंजी आवश्यकताएं)	जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWAs) की तुलना में पूंजी का न्यूनतम अनुपात	कम-से-कम 8% (CAR)	**8%**	**8% + 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर्स**
	RWAs की तुलना में टियर 1 पूंजी	कम-से-कम 4%	**4%**	**6%**

© Vision IAS

पिलर II (पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया)	पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं	जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की शुरुआत की गई	अधिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया
पिलर III (डिस्क्लोजर और बाजार अनुशासन)	बाजार अनुशासन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं	त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक अंतराल पर निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक डिस्क्लोजर	अधिक डिस्क्लोजर मानदंड

- **बेसल III के तहत पेश किए गए नए बैंकिंग पूंजी आवश्यकता मानदंड**
  - **RWAs की तुलना में पूंजी संरक्षण बफर:** बैंकों के लिए 2.5% पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना अनिवार्य है।
  - **लिवरेज अनुपात:** बैंकों के लिए 3% का **लिवरेज अनुपात** बनाए रखना अनिवार्य है।
    - बेसल समिति ने लीवरेज अनुपात को "पूंजी माप" (टियर 1 पूंजी) को "एक्सपोज़र माप" से विभाजित करने के अनुपात के रूप में परिभाषित किया है।
  - **काउंटर साइक्लिकल बफर:** 0% से 2.5% तक का बफर होना चाहिए।
  - **न्यूनतम तरलता कवरेज अनुपात (Minimum Liquidity Coverage Ratio):** यह ≥100% होना चाहिए।
  - **न्यूनतम नेट स्थिर फंडिंग अनुपात (Minimum Net Stable Funding Ratio):** यह ≥100% होना चाहिए।

भारत में बेसल मानदंड का लागू होना

- RBI ने **1998-99** की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में घोषणा के द्वारा भारत में **बेसल 1 मानदंडों** को अपनाया था। इनके जरिए **पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR)**[31] को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया।
  - **2007 में, RBI ने बेसल II को लागू करने** के लिए अंतिम दिशा-निर्देशों की घोषणा की।
- बेसल III पूंजी मानदंडों को लागू करने के लिए **दिशा-निर्देशों** का **मसौदा** दिसंबर, 2011 में जारी किया गया था।
  - **बेसल III पूंजी नियम (बेसल III मानदंडों का पिलर I) भारत में अप्रैल, 2013 से** आंशिक रूप से और अक्टूबर, 2021 तक पूरी तरह से लागू कर दिए गए।
  - बेसल मानदंडों की तुलना में, **RBI के निर्धारित मानदंड अधिक कठोर और विवेकपूर्ण हैं।**

बेसल मानदंडों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां

- **टियर I पूंजी (कोर पूंजी):** इसमें **पेड अप शेयर कैपिटल** (शेयर बेचने से कम्पनी को प्राप्त प्रत्यक्ष पूंजी), **स्टॉक और डिस्क्लोज्ड रिजर्व** शामिल हैं।
  - यह **पूंजी अधिक स्थायी** होती है। यही कारण है कि इसमें **नुकसान झेलने की क्षमता अधिक** होती है।
- **टियर II पूंजी (पूरक पूंजी):** इसमें अन्य सभी तरह की पूंजी शामिल हैं। उदाहरण के लिए- **अघोषित आरक्षित निधि, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, सामान्य प्रावधान (जनरल प्रोविजन) और लॉस रिजर्व।**
  - इसे **टियर 1 पूंजी की तुलना में कम विश्वसनीय** माना जाता है क्योंकि इसकी सटीक गणना और निपटान करना अधिक कठिन है।
- **जोखिम भारित परिसंपत्तियां (RWAs):** RWA वह न्यूनतम पूंजी है जो बैंकों के पास उनकी उधार देने की क्षमता से जुड़े जोखिम से निपटने में काम आती है। इसका जोखिम के अनुरूप होना जरूरी है। जोखिम जितना अधिक होगा, बैंकों में जमा-राशियों की सुरक्षा के लिए उतनी ही अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी।
- **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR)**[32] **या पूंजी-जोखिम (भारित) परिसंपत्ति अनुपात:** CAR इस बात की माप है कि किसी बैंक के पास कितनी पूंजी उपलब्ध है, जिसे बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट यानी ऋण एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के समक्ष दिवालिया की स्थिति नहीं आए। इसलिए बैंकों के पास घाटे से निपटने के लिए एक निश्चित मात्रा में पर्याप्त पूंजी सुरक्षित रखी

[31] Capital to Risk Weighted Assets Ratio

[32] Capital Adequacy Ratio

जाती है।

- **तरलता कवरेज अनुपात (LCR)**[33]**:** LCR वास्तव में बैंकों को 30 दिनों की अवधि में संभावित नकदी निकासी से निपटने के लिए न्यूनतम मात्रा में तरल परिसंपत्ति बनाए रखने की आवश्यकता है।
- **लीवरेज अनुपात:** लीवरेज अनुपात एक वित्तीय मानक है। यह किसी बैंक की **"टियर I पूंजी"** और "**औसत कुल समेकित परिसंपत्तियों**[34]**"** (सभी परिसंपत्तियों का एक्सपोजर और नॉन-बैलेंस शीट मदों का योग) **का अनुपात** है।
  - लीवरेज अनुपात बताता है कि **किसी कंपनी द्वारा कितनी पूंजी ऋण के माध्यम से जुटाई गई है** तथा कंपनी अपनी वित्तीय देयताओं को कितनी अच्छी तरह से निभा रही है।
- **पूंजी संरक्षण बफर**[35]**:** बैंकों को अपनी पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **पूंजी संरक्षण बफर** रखने की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग **वित्तीय संकट के दौरान घाटे की समस्या से निपटने** के लिए किया जाता है।
- **काउंटरसाइक्लिकल बफर (Countercyclical Buffer):** यह एक ऐसा तंत्र है जो **बैंकों को अत्यधिक ऋण वृद्धि की अवधि के दौरान पूंजी निर्माण बढ़ाने की सुविधा** प्रदान करता है ताकि बैंकिंग प्रणाली को मंदी के दौरान घाटे से निपटने में मदद मिल सके।

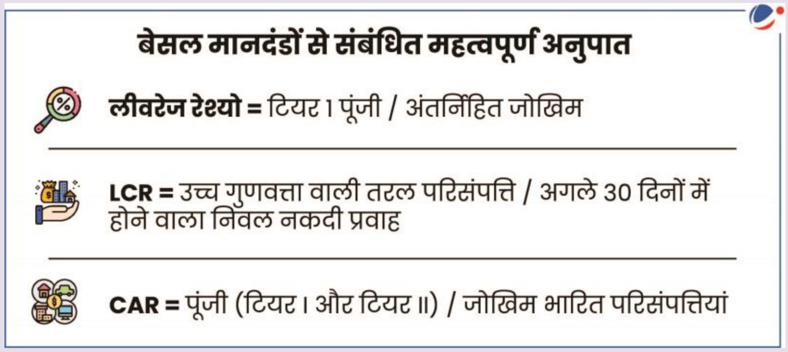

3.11. सतत विकास के लिए वित्त-पोषण रिपोर्ट 2024 (Financing For Sustainable Development Report 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विकास के लिए वित्त-पोषण पर अंतर-एजेंसी टास्क फोर्स**[36] द्वारा सतत विकास के लिए वित्त-पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की गई।

विकास के लिए वित्त-पोषण पर गठित अंतर-एजेंसी टास्क फोर्स के बारे में

- **इसमें 60 से अधिक संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, यू.एन. प्रोग्राम और कार्यालय, क्षेत्रीय आर्थिक आयोग** और अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान शामिल हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग (UNDESA)**[37] इस पहल के समन्वयक के रूप में कार्य करता है।
- **इस टास्क फोर्स का संचालन संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव** द्वारा अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा के सात कार्य क्षेत्रों पर फॉलो अप कार्रवाई हेतु किया गया था।

सतत विकास के वित्त-पोषण के बारे में

- यह सतत विकास के लिए **वित्त-पोषण** पर समझौतों और **प्रतिबद्धताओं के पालन का समर्थन करने पर केंद्रित** है:
  - 2002 में मॉन्टेरी, मेक्सिको में;
  - 2008 में दोहा और कतर में; तथा
  - 2015 में अदीस अबाबा और इथियोपिया में।
- **अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा** सतत विकास के वित्त-पोषण के लिए एक नया **वैश्विक फ्रेमवर्क** प्रदान करता है।

---

[33] Liquidity Coverage Ratio

[34] Average total consolidated assets

[35] Capital Conservation Buffer

[36] Inter-agency Task Force on Financing for Development

[37] UN Department of Economic and Social Affairs

© Vision IAS

- o 2015 में इथियोपिया के अदीस अबाबा में आयोजित विकास के लिए वित्त-पोषण पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में **अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा** को अपनाया गया था।
- o यह **सभी वित्त-पोषण प्रवाहों और नीतियों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के अनुरूप** बनाता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि वित्त-पोषण की प्रकृति स्थिर और संधारणीय हो।
- o इसने सतत विकास के वित्त-पोषण के लिए **सात कार्य क्षेत्रों** की पहचान की है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- o इस **टास्क फोर्स को सौंपे गए कार्य हैं-**
  - अदीस एजेंडा की प्रगति तथा विकास संबंधी अन्य वित्त-पोषण के परिणामों और **2030 के सतत विकास एजेंडा** के कार्यान्वयन के साधनों पर सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
  - **प्रगति, कार्यान्वयन अंतराल और सुधारात्मक कार्रवाई हेतु सिफारिशों पर अंतर-सरकारी फॉलो-अप प्रक्रिया के लिए** सलाह देना।

3.12. IMF ऋण (IMF Lending)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) बोर्ड ने **मिस्र** के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) की समीक्षा पूरी कर ली है।

अन्य संबंधित तथ्य

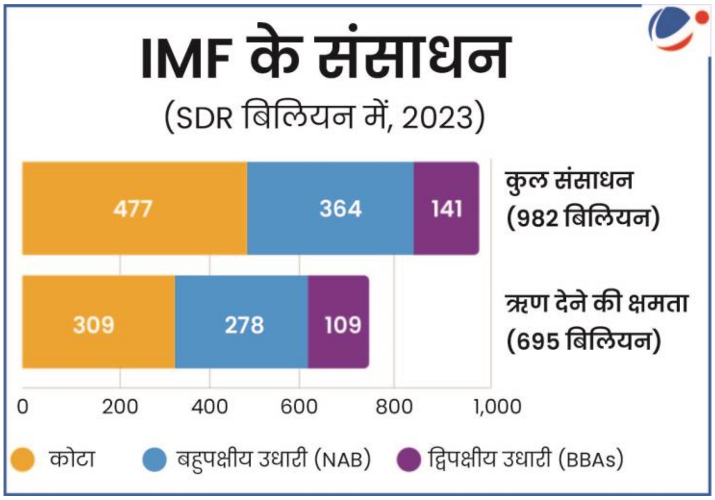

- कार्यकारी बोर्ड की स्वीकृति से **EFF व्यवस्था** को दिसंबर, 2022 में मूल रूप से स्वीकृत 3 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 8 बिलियन डॉलर कर दिया गया है।
  - o यह सहायता तब दी जाती है, जब कोई देश **अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों के कारण मध्यम-अवधि में भुगतान संतुलन (BoP) की गंभीर समस्याओं का सामना** कर रहा होता है, जिनके समाधान में कुछ समय लग सकता है।
  - o EFF विस्तारित अवधि में देश की **संरचनात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए आवश्यक नीतियों पर ध्यान देने वाले व्यापक कार्यक्रमों का समर्थन** करता है।
  - o **बाहरी वित्त-पोषण की** वास्तविक या संभावित **आवश्यकताओं का सामना करने वाले सभी सदस्य देश इसके तहत सहायता पाने के लिए पात्र** हैं।
- IMF की ओर मिस्र के लिए एक व्यापक नीतिगत पैकेज पेश किए गया है ताकि वहां **समष्टि आर्थिक स्थिरता**[38] को बनाए रखने, बफर्स को बहाल करने तथा **समावेशी और निजी क्षेत्रक के नेतृत्व में संवृद्धि** का मार्ग प्रशस्त हो।
  - o मिस्र गंभीर समष्टि आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाल के गाजा-इजराइल संघर्ष के कारण इसका प्रबंधन करना और अधिक जटिल हो गया है।

IMF ऋण के बारे में

- IMF आर्थिक संकट का सामना करने वाले देशों को **वित्तीय सहायता** प्रदान करता है, ताकि वे **आर्थिक स्थिरता** और **संवृद्धि** को बहाल करने वाली नीतियों को लागू कर सकें।
  - o विकास बैंकों के विपरीत, IMF **विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण नहीं देता** है।

[38] Comprehensive Policy Package

वित्तीय साधनों के तीन प्रकार	
जनरल रिसोर्स एकाउंट (General Resources Account: GRA)	• इसके जरिए कार्यक्रम की कार्यान्वयन अवधि (यानी IMF की ओर से मिले ऋण की अवधि) के दौरान देश के **भुगतान संतुलन** से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए सदस्य देशों को **गैर-रियायती शर्तों (बाजार आधारित ब्याज दर पर)** ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। • IMF अपने सदस्य देशों को सामान्य - या गैर-रियायती - शर्तों पर जो ऋण प्रदान करता है, उसके लिए धन मुख्य रूप से सदस्य देशों से ही आता है। यह मुख्य रूप से **IMF के पास फंड्स के रूप में रखे गए सदस्य देशों के कोटे** का हिस्सा होता है। ○ **बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अरेंजमेंट्स** वस्तुतः IMF के सदस्य देशों के कोटा के पूरक के रूप में फंड्स होती हैं। ये संकट के समय सदस्य देशों को IMF से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। • GRA द्वारा दिए जाने वाले ऋण के विभिन्न प्रकार हैं- **स्टैंड-बाय अरेंजमेंट्स (SBA), एक्सटेंडेड फंड फैसेलिटी (EFF), फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन (FCL), प्रिकॉश्नरी एंड लिक्विडिटी लाइन (PLL), शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी लाइन (SLL),** और **रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (RFI)।**
पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट (Poverty Reduction and Growth Trust: PRGT)	• इसके तहत **रियायती वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है (वर्तमान में **शून्य ब्याज दरों** पर)। यह निम्न आय वाले देशों (LICs) की विविधता और जरूरतों के अनुरूप होती है। ○ विभिन्न प्रकार के PRGT ऋण हैं- **एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी (ECF), स्टैंडबाय क्रेडिट फैसिलिटी (SCF), रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी (RCF)।**
रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट (Resilience and Sustainability Trust: RST)	• इसके तहत जलवायु परिवर्तन और महामारी का सामना करने के लिए की जाने वाली तैयारियों सहित दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए दीर्घकालिक वित्त-पोषण प्रदान किया जाता है। ○ **रेजिलियंस एंड स्टेबिलिटी फैसिलिटी,** RST फंड का ही एक प्रकार है।

3.13. मिलेट्स (Millets)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023** का समापन समारोह इटली की राजधानी रोम में स्थित FAO के मुख्यालय में संपन्न हुआ।

अन्य संबंधित तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में यू.एन. के 75वें सत्र के दौरान 2023 को **अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष (IYM 2023)** घोषित किया था।
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह निर्णय **भारत के प्रस्ताव पर** लिया गया था। **संयुक्त राष्ट्र के 70 से अधिक देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।**
- IYM 2023 का उद्देश्य **घरेलू और वैश्विक स्तर पर मिलेट्स की मांग में वृद्धि करना** तथा **मिलेट्स के अनेक लाभों,** जैसे- पोषण, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय संधारणीयता, आर्थिक विकास इत्यादि के बारे में **जागरूकता बढ़ाना** है।

मिलेट्स या श्री अन्न या मोटे अनाज के बारे में

- मिलेट्स **छोटे दाने वाले, वार्षिक रूप से गर्म मौसम में उगाए जाने वाले** अनाज हैं।
- ये **अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र** में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। साथ ही, ये **मानव द्वारा उगाई जाने वाली सबसे पुरानी खाद्य फसलों में से भी एक** हैं।
- आकार के आधार पर, **इन्हें सामान्य रूप से निम्नलिखित में विभाजित किया गया है:**
  - **बड़े मिलेट्स (Major millets):** जैसे- ज्वार, बाजरा और रागी
  - **छोटे मिलेट्स (Minor millets):** जैसे- कुटकी, कंगनी, चीना, सावां और कोदो

भारत में मिलेट्स

- **भारत दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र (लगभग 41%)** है। भारत के बाद **नाइजर (लगभग 12%)** और **चीन (लगभग 8%)** का स्थान आता है।
- भारत दुनिया में मिलेट्स का **5वां सबसे बड़ा निर्यातक** भी है (2020)।
- भारत में मिलेट्स का **कुल उत्पादन** लगभग **16 मिलियन टन** प्रतिवर्ष है।
  - भारत में **कुल मिलेट्स उत्पादन का 83%** से अधिक हिस्सा छह राज्यों यथा **राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र** और **गुजरात** में उत्पादित होता है।

भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मिलेट्स या श्री अन्न

मिलेट	विशेषताएं
मिलेट	· इसे **'किंग ऑफ मिलेट्स'** कहा जाता है। · **वर्षा:** 250-300 मि.मी. · **मृदा:** चिकनी गहरी रेगुर और जलोढ़ मृदा · यह उत्तरी राज्यों में उगाई जाने वाली खरीफ मौसम की फसल है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चारे की फसल के रूप में किया जाता है।
बाजरा (पर्ल मिलेट)	· यह कम अवधि में तैयार होने वाली फसल है। इसे वर्षा आधारित और सिंचित, दोनों क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। · **वर्षा:** 400-500 मि.मी. · **मृदा:** उचित जल निकासी वाली दोमट मृदा
रागी (फिंगर मिलेट)	· इसे अधिकतर दक्षिण भारत में उगाया जाता है। **कर्नाटक** इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। · **वर्षा:** 600-750 मि.मी. · **मृदा:** उचित जल निकासी वाली दोमट मृदा

- **मिलेट्स का महत्त्व**
  - **किसानों के लिए:** चावल और गेहूं जैसी मुख्य फसलों की तुलना में इनकी खेती में **कम इनपुट लागत आती है** और **पानी की भी कम खपत** होती है।
  - **स्वास्थ्य के लिए:** ये **ग्लूटेन मुक्त** होते हैं और उनका **ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है**। इसमें **चावल और गेहूं की तुलना में बेहतर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं।**
  - **पर्यावरण के लिए:** ये **C4 श्रेणी की फसलें** हैं (इन्फोग्राफिक देखें)। इसलिए इनमें कार्बन-डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और उपयोग करने की उच्च क्षमता होती है। इनमें **जलवायु परिवर्तन,** सूखे, बाढ़ और हीट वेव सहित **चरम मौसमी घटनाओं को सहने की बेहतर क्षमता होती है। ये मृदा स्वास्थ्य में सुधार करके संधारणीय कृषि को बढ़ावा देते हैं।**

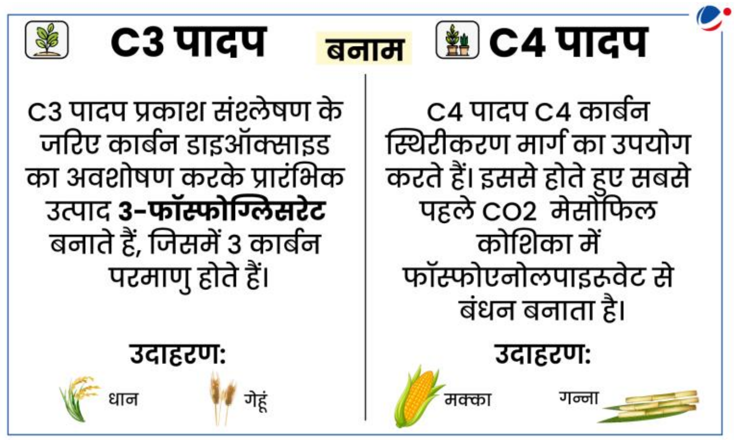

- **मिलेट्स के उपभोग को मुख्यधारा में शामिल करने के समक्ष मौजूद चुनौतियां:** एकाधिक प्रसंस्करण आवश्यकताएं; खराब शेल्फ लाइफ; आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दे और अधिक उपज देने वाले किस्म (HYV) के बीजों की अनुपलब्धता।

भारत में मिलेट्स के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें

- **श्री अन्न योजना:** यह योजना वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य मिलेट्स को लोकप्रिय बनाना और देश में इसकी खपत को बढ़ाना है।
  - इस योजना के तहत, **भारतीय श्री अन्न अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद** को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने **2022-23 से 2026-27 के लिए "मिलेट्स-आधारित उत्पादों हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLISMBP)"** लागू की है।
- 2018 को **"राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष"** घोषित किया गया और मिलेट्स की ब्रांडिंग "पोषक अनाज (Nutri-Cereals)" के रूप में की गयी।

- **अन्य प्रयास:**
  - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **पोषण मिशन अभियान में मिलेट्स को शामिल किया** है।
  - वर्ष 2018 में **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** के तहत **मिलेट्स पर एक उप-मिशन** शुरू किया गया है।

3.14. भारत का इस्पात क्षेत्रक (Steel Sector of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस्पात मंत्रालय ने "इस्पात क्षेत्रक में संधारणीयता कायम करना[39]" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

इस्पात या स्टील के प्रकार

- **स्पेशलिटी स्टील:** यह स्टील का डाउनस्ट्रीम व मूल्यवर्धित उत्पाद है। इसमें कोटेड/ प्लेटेड स्टील, हाई स्ट्रैंथ/ वियर-रेसिस्टेंट स्टील, स्पेशलिटी रेल, मिश्र धातु स्टील आदि जैसी श्रेणियां शामिल हैं।
- **ग्रीन स्टील:** यह सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट वाला स्टील है। ग्रीन स्टील के उत्पादन में ईंधन के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। इसके लिए जीवाश्म ईंधन की जगह अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल से ग्रीन हाइड्रोजन निर्मित की जाती है। इसी हाइड्रोजन का इस्तेमाल लौह अयस्क से ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है।
- **स्टेनलेस स्टील:** यह मुख्य रूप से क्रोमियम के मिश्रण के चलते अत्यधिक जंग प्रतिरोधी स्टील होता है।
- **मिश्र धातु स्टील (Alloy Steel):** इसमें कठोरता, जंग-प्रतिरोध, विभिन्न आकार देने आदि के लिए अलग-अलग अनुपात में मिश्र धातु तत्व (जैसे- मैंगनीज, निकल, तांबा, सिलिकॉन आदि) होते हैं।
- **टूल स्टील:** स्लाइसिंग और वेल्डिंग मशीनरी के लिए उपयोगी बनाने के लिए इसमें विभिन्न मात्रा में टंगस्टन, मोलिब्डेनम, वैनेडियम शामिल होते हैं।

[39] Forging Sustainability in the Steel Sector

किए गए उपाय

- **राष्ट्रीय इस्पात नीति (2017)** में 2030-31 तक कच्चे इस्पात की क्षमता 300 मीट्रिक टन, उत्पादन 255 मीट्रिक टन तथा प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की खपत 158 किलोग्राम करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति (2019) देश में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।**
- भारत में स्पेशलिटी स्टील के लिए **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना।**
- **इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश** घरेलू और आयातित, दोनों तरह के घटिया/ दोषपूर्ण उत्पादों पर प्रतिबंध लगाता है।
- ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, प्रौद्योगिकी को अपनाने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा **संधारणीयता के मुद्दों से निपटने के लिए 14 टास्क फोर्स का गठन किया गया है।**
- इस्पात क्षेत्रक हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए **राष्ट्रीय हरित मिशन** में भी एक हितधारक है।

आगे की राह

इस्पात क्षेत्रक कंस्ट्रक्शन, अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए संधारणीय पद्धतियों को अपनाने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग आवश्यक है।

संबंधित शब्दावलियां

- **स्टील स्क्रैप:** यह डिस्कार्डेड स्टील होता है, जिसका उपयोग स्टील विनिर्माण के लिए द्वितीयक कच्चे माल के रूप में किया जाता है।
  - इसके स्रोतों में अपशिष्ट, जीवन की समाप्ति पर पहुंच चुके वाहन, इमारतों में बचा हुआ इस्पात, अवसंरचना, उपकरण आदि शामिल हैं।
- **स्टील स्लैग:** यह स्टील बनाने वाली भट्टियों में पिघले हुए स्टील को अशुद्धियों से अलग करने के दौरान उत्पन्न होने वाला एक उप-उत्पाद है। यह पिघले हुए तरल के रूप में होता है। इसमें सिलिकेट एवं ऑक्साइड का घोल ठंडा होने पर ठोस हो जाता है।
  - उपयोग: मृदा की अम्लता में सुधार करने, परिवहन, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट उत्पादन आदि।
- **पिग आयरन (कच्चा लोहा):** यह लौह अयस्क या इल्मेनाइट को गलाने से बनता है।
  - स्मेल्टिंग या प्रगलन धातुओं के निष्कर्षण का एक रूप है जिसका उपयोग अयस्क से धातु बनाने के लिए किया जाता है।
  - **पिग आयरन में** सिलिका, मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस, टाइटेनियम और अन्य ट्रेस तत्वों के साथ-साथ **कार्बन की मात्रा बहुत अधिक (3.5-4.5%) होती है।**
  - **उच्च कार्बन मात्रा इसे भंगुर बनाती है और इसके चलते इसका उपयोग भी सीमित हो जाता है।**

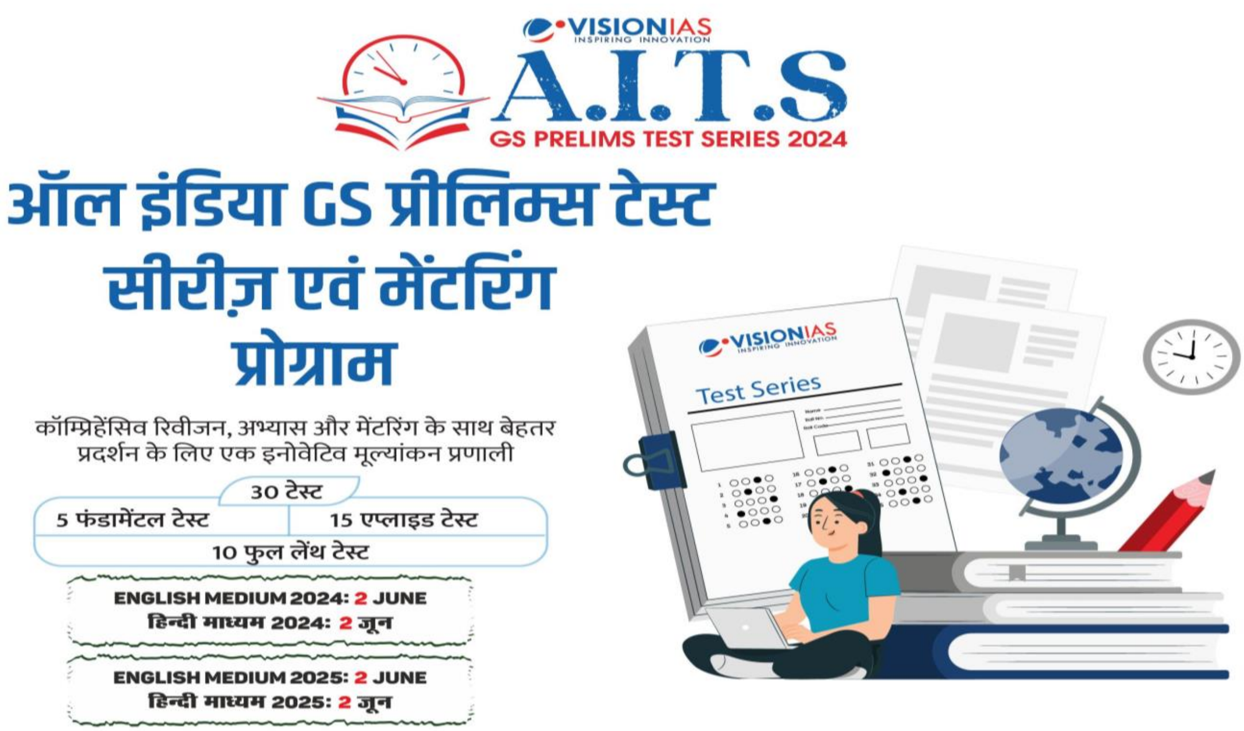

3.15. भारत में कोयला क्षेत्रक (Coal Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में पहली बार भारत का कोयला और लिग्नाइट उत्पादन 1 बिलियन टन को पार कर गया है।

डेटा बैंक

- विश्व में कोयले का **5वां सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक भंडार** भारत में है।
- भारत कोयले का **दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश** है।
- भारत कोयले का **दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश** है।
- भारत में विद्युत उत्पादन में **कोयले और लिग्नाइट की हिस्सेदारी** 50.7% है (2023)।

कोयला क्षेत्रक में हुए प्रमुख सुधार/ पहल जिनसे उत्पादन बढ़ा

- **कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015:** इस अधिनियम ने निजी संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी की अनुमति दी।
    - 2020 में पहली वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी शुरू की गई।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021:** इसके तहत खनन लाइसेंस आवंटन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कोयले के लिए विशेष रूप से संयुक्त पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे (PL-cum-ML)[40] को भी अनुमति दी गई है ।
    - संयुक्त **PL-cum-ML** दो-चरण पर दी जाने वाली एक रियायत है, जो एकल लाइसेंस पर खनन कार्यों के साथ-साथ पूर्वेक्षण कार्यों को करने के उद्देश्य से दी जाती है।
    - इसके अलावा, कैप्टिव खदानों (स्व-उपयोग के लिए आवंटित खदानें) द्वारा कोयले के अंतिम रूप से उपयोग करने पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी गई है।

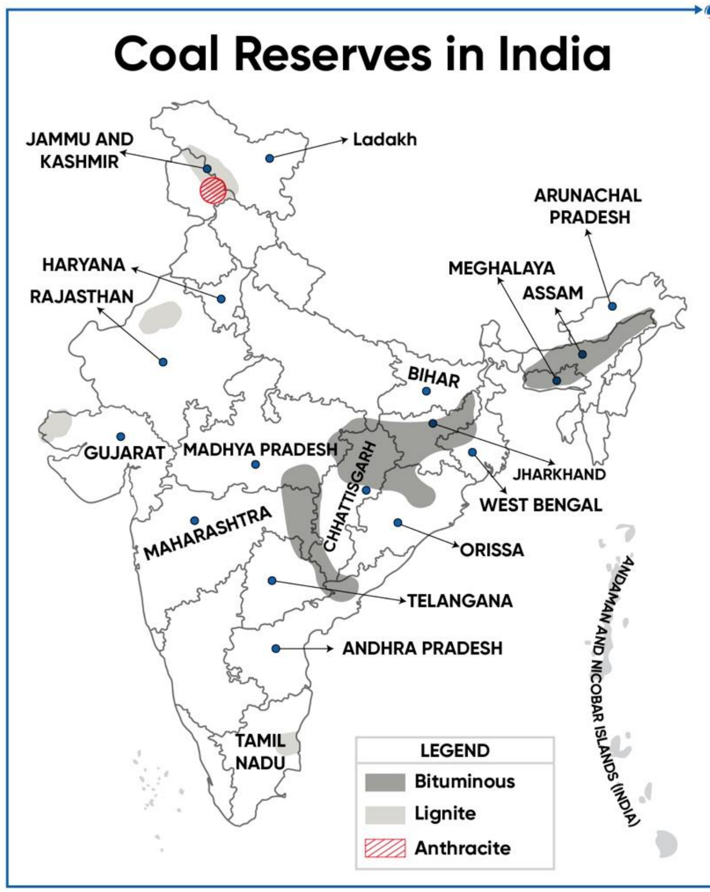

- **राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (NCI)[41]: NCI सभी बिक्री माध्यमों, जैसे- अधिसूचित मूल्य, नीलामी मूल्य और आयात मूल्य से कोयले की कीमतों को दर्शाने वाला मूल्य सूचकांक है।**
    - यह बाजार की गतिशीलता के एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में कार्य करता है तथा कोयले के मूल्य में उतार-चढ़ाव के बारे में मूल्यवान जानकारी भी प्रदान करता है।
- **FDI और तकनीकी उन्नति:** स्वचालित मार्ग के तहत कोयला खनन में 100% FDI की अनुमति ने भारत में वैश्विक विशेषज्ञता और उन्नत प्रौद्योगिकियों को आकर्षित किया है।
- **NCDP में संशोधन:** बंद/ परित्यक्त/ डिस्कंटीन्यूड खदानों से कोयले की पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से बिक्री की अनुमति देने के लिए नई कोयला वितरण नीति (NCDP)[42], 2007 में संशोधन किया गया है।

कोयला क्षेत्रक से जुड़े प्रमुख मुद्दे/ चुनौतियाँ

- **आयात पर उच्च निर्भरता:** इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में उच्च ग्रॉस कैलोरी वैल्यू (GCV) वाले कोयले की उपलब्धता कम है। इस प्रकार के कोयले में राख और सल्फर की मात्रा कम होती है।
    - लोहा और इस्पात जैसे क्षेत्रक कोर्किंग कोल के प्रमुख आयातक हैं।

---

[40] Prospecting licence-cum-mining

[41] National Coal Index

[42] New Coal Distribution Policy

- देश में उत्पादित कोकिंग कोल में राख की मात्रा 28 से 42% के बीच होती है। दूसरी ओर, आयातित कोकिंग कोल में राख की मात्रा 10% से भी कम होती है।

- **कोल इंडिया लिमिटेड का प्रभुत्व:** कोल इंडिया लिमिटेड देश के स्वदेशी कोयला उत्पादन और आपूर्ति में 80% से अधिक का योगदान देता है।
  - **अन्य:** इसमें अपडेशन का अभाव, कोयला लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, विद्युत क्षेत्रक के उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करना आदि शामिल है।

संबंधित तथ्य

आठ कोर उद्योगों का सूचकांक (ICI)

- संयुक्त ICI में फरवरी 2023 के सूचकांक की तुलना में **फरवरी 2024 में 6.7% की वृद्धि (अनंतिम)** दर्ज की गई है।
- **आठ कोर उद्योगों का सूचकांक** इन उद्योगों के संयुक्त उत्पादन और इनमें से प्रत्येक के प्रदर्शन को मापता है।
  - **ये आठ कोर उद्योग हैं:** उर्वरक, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, कोयला, बिजली, इस्पात और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद।
    - **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)** में शामिल मदों के भारांश में इन आठ कोर उद्योगों का हिस्सा **40.27%** है।
  - **कोर उद्योगों का सूचकांक** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के **आर्थिक सलाहकार कार्यालय** द्वारा जारी किया जाता है।

3.16. बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीतिगत प्रबंधन (IPRPM) फ्रेमवर्क (IPRPM Framework)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'हल्दीराम' को सुविख्यात (Well-Known) ट्रेडमार्क (व्यापार चिन्ह) घोषित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाई कोर्ट ने **ट्रेड मार्क्स अधिनियम (TMA), 1999** के तहत खाद्य पदार्थ, रेस्तरां और भोजनालय श्रेणी में **'हल्दीराम'** के साथ-साथ इसके **लाल अंडाकार चिह्न वाले ब्रांड को 'सुविख्यात चिन्ह'** घोषित किया।
- एक **सुविख्यात ट्रेडमार्क** किसी उत्पाद या सेवा के लिए एक ऐसा प्रतीक होता है, जिसे उस उत्पाद को खरीदने वाले या उस सेवा का उपयोग करने वाले अधिकांश लोग पहचानते हैं। यह इतना प्रसिद्ध होता है कि यदि इस ट्रेडमार्क का उपयोग किसी अन्य उत्पाद या सेवा के लिए किया जाता है, तो लोग सोचेंगे कि दोनों ही उत्पाद या सेवाएं एक ही कंपनी से संबंधित हैं।
- भारत के **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीतिगत प्रबंधन (IPRPM)[43] फ्रेमवर्क** में निम्नलिखित प्रकार के IPR शामिल हैं:

IPRs	कानूनी प्रावधान	शामिल विषय क्षेत्र	संरक्षण की अवधि
पेटेंट	पेटेंट अधिनियम, 1970	नवोन्मेषी, आविष्कारक प्रकृति और औद्योगिक उपयोग वाला	20 वर्ष
ट्रेडमार्क	ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999	किसी व्यवसाय या व्यावसायिक उद्यम के लिए ब्रांड नेम, लोगो व डिजाइन को सुरक्षा प्रदान करता है	10 वर्ष- इससे आगे और 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है।
डिजाइन	डिजाइन अधिनियम, 2000	नए या मूल डिज़ाइन	10 + 5 वर्ष
कॉपीराइट	कॉपीराइट अधिनियम, 1957	रचनात्मक, कलात्मक, साहित्यिक आदि।	लेखक - आजीवन + 60 वर्ष; निर्माता - 60 वर्ष, कलाकार - 50 वर्ष।

[43] India's Intellectual Property Rights (IPRs) Policy Management

© Vision IAS

भौगोलिक संकेतक (GI)	GI अधिनियम, 1999	भौगोलिक क्षेत्र विशेष से जुड़े होने के कारण अनूठी विशेषताएं	10 वर्ष; आगे और 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है।
ट्रेड सीक्रेट्स	सामान्य कानून के तहत संरक्षित	व्यावसायिक महत्त्व की गोपनीय जानकारी	जब तक गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक हो।

3.17. अन्य महत्वपूर्ण विकासक्रम (Other Important Developments)

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास' (UN Trade and Development)	• व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) को **'संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास' (UN Trade and Development) के रूप में नया नाम** दिया गया।
क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP)-सुरक्षा/ SURAKSHA	• कई राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) के तहत **बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए "सुरक्षा" प्लेटफॉर्म** का इस्तेमाल कर रहे हैं। ○ CDP **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की केंद्रीय क्षेत्रक योजना** का एक घटक है। • **CDP-सुरक्षा/ SURAKSHA के बारे में** ○ सुरक्षा/ SURAKSHA **से आशय है 'एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली (System for Unified Resource Allocation, Knowledge, and Secure Horticulture Assistance')'** ○ यह प्लेटफॉर्म किसानों को उनके बैंक खातों में तुरंत **सब्सिडी प्राप्त करने की सुविधा** प्रदान करता है। इस कार्य के लिए प्लेटफॉर्म **NPCI के ई-रूपी (e-RUP) वाउचर का उपयोग** करता है। ○ **इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:** ▪ पीएम-किसान के साथ डेटाबेस एकीकरण, ▪ UIDAI सत्यापन, ▪ जियोटैगिंग, ▪ जियो-फेंसिंग आदि। ○ CDP-सुरक्षा/ SURAKSHA किसानों, वेंडर्स, कार्यान्वयन एजेंसियों, क्लस्टर विकास एजेंसियों आदि तक पहुंच की अनुमति देता है।
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund: NIIF)	• NIIF ने iBUS नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। • **NIIF के बारे में:** ○ केंद्र सरकार ने इसे **2015 में स्थापित** किया था। ○ इसे एक **सॉवरेन-लिंक्ड वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक** के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की **49%** हिस्सेदारी है। ○ यह **अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेश मंच** के रूप में काम करता है। ▪ इसका संचालन दो अलग और आकर्षक परिसंपत्ति श्रेणियों के रूप में किया जाता है। ये श्रेणियां हैं: **इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ इक्विटी।** ○ इसे एक **वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के रूप में स्थापित** किया गया है। यह **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)** में पंजीकृत है। ○ इसकी **गवर्निंग काउंसिल** की अध्यक्षता केंद्रीय **वित्त मंत्री** करता है। ○ **NIIF के तहत प्रमुख फंड्स:** मास्टर फंड, स्ट्रेटेजिक अपॉर्च्युनिटीज फंड (SOF) आदि।

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की/FICCI)	• फिक्की ने अपना **97वां स्थापना दिवस** मनाया। • **फिक्की के बारे में** ○ **उत्पत्ति:** यह एक **गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी संगठन** है। इसकी **स्थापना 1927** में की गई थी। ○ **फिक्की के बारे में:** फिक्की **भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यावसायिक संगठन** है। ▪ यह भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कॉर्पोरेट्स तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करता है। ○ **मुख्यालय:** नई दिल्ली। ○ **भूमिका:** यह उद्योग जगत के विचारों और चिंताओं को प्रस्तुत करता है, नीतियों को प्रभावित करता है और उन पर परिचर्चा को बढ़ावा देता है तथा नीति निर्माताओं व नागरिक समाज के साथ विमर्श करता है। ▪ 2011 में फिक्की ने **"अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ समिति (CASCADE)" फोरम** की स्थापना की थी।

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

- किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए
- न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है
- टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- **स्रोत:** इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- **भाग:** इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- **प्रमुख सुर्ख़ियां:** इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- **अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व:** इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- **प्रमुख सुर्ख़ियां:** इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- **सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व:** इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- **स्मरणीय तथ्य:** इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- **प्रश्नोत्तरी:** प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- **रिसोर्सेज:** वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

4. पर्यावरण (Environment)

4.1. जलवायु परिवर्तन (Climate Change)

4.1.1. ग्रीन क्रेडिट रूल (Green Credit Rule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)** पर **अतिरिक्त दिशा-निर्देश** जारी किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- फरवरी 2024 में, मंत्रालय ने वृक्षारोपण गतिविधि के लिए ग्रीन क्रेडिट की गणना हेतु नियम जारी किए थे।
- निम्नीकृत वनों की **पर्यावरण अनुकूल पुनर्बहाली के लिए लागत संबंधी अनुमान तैयार करने के लिए नए दिशा-निर्देश** जारी किए गए हैं।
- **नए दिशा-निर्देशों के प्रमुख प्रावधान:**
  - **GCP के अंतर्गत निम्नीकृत वन क्षेत्रों पर वृक्षारोपण** के कार्य **पर्यावरण अनुकूल पुनर्बहाली पर केंद्रित** होगा।
  - निम्नीकृत वन क्षेत्रों में रोपित किए जाने वाले वृक्षों की संख्या उस क्षेत्र की विशेषताओं पर निर्भर करेगी। क्षेत्र की स्थितियों के अनुसार यह संख्या अलग-अलग हो सकती है।
  - **पर्यावरण अनुकूल पुनर्बहाली गतिविधियों में वृक्षारोपण के अलावा** अन्य गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
    - बाड़ (Fencing) का इस्तेमाल मानवजनित कारकों से संरक्षण के लिए जा सकता है।
  - **देशी प्रजातियों को प्राथमिकता** देनी होगी।
  - **उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का रोपण** किया जाएगा ताकि में पौधे की स्वस्थ वृद्धि होती रहे।
  - प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों का संरक्षण किया जाएगा।
  - लागत अनुमानों का शीर्षक **"पहचाने गए निम्नीकृत वनों की पर्यावरण के अनुकूल पुनर्बहाली"** रखा जा सकता है।

नोट: *ग्रीन क्रेडिट नियमों और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए PT 365 अपडेटेड पार्ट 1 (जनवरी-मार्च) में अनुच्छेद 4.1.1. देखें।*

4.1.2. डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज (Direct Air Capture and Storage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आइसलैंड में **विश्व के सबसे बड़े** डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज (DAC+S) प्लांट **'मैमथ'** का परिचालन शुरू हुआ है।

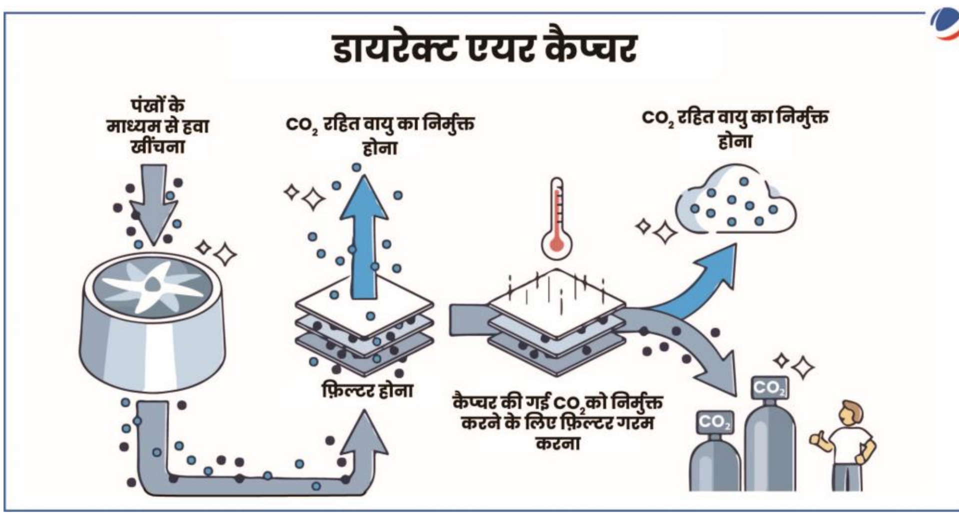

डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज (DAC+S) प्रौद्योगिकी के बारे में

- यह एक **कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल (CDR)** तकनीक है। यह किसी भी स्थान पर **वायुमंडल से सीधे CO_2 कैप्चर** करती है।

 © Vision IAS

- यह **कार्बन कैप्चर से अलग** है, जहां आम तौर पर **उत्सर्जन के बिंदु या स्रोत पर CO_2 कैप्चर** किया जाता है।
- CO_2 को **गहरी भूवैज्ञानिक संरचनाओं (जैसे DAC+S) में स्थायी रूप से संग्रहीत** किया जा सकता है। साथ ही, **विविध अनुप्रयोगों के लिए इसका उपयोग** भी किया जा सकता है।

कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल (CDR) के बारे में:

- CDR उन **मानवजनित गतिविधियों को व्यक्त** करता है, जो वायुमंडल से CO_2 को हटाती हैं। साथ ही, इसे **भूगर्भीय, स्थलीय या समुद्री निकायों में स्थायी रूप से संग्रहीत** करती हैं।
- **अन्य CDR तकनीकें:**
  - **वनारोपण/ पुनर्वनीकरण और मृदा कार्बन पृथक्करण:** इन तकनीकों में बायोमास और मिट्टी में वायुमंडलीय कार्बन को स्थिर (Fixing) कर दिया जाता है।
  - **अपक्षय में वृद्धि:** प्राकृतिक रूप से CO_2 को अवशोषित करने वाले खनिजों से युक्त चट्टानों का खनन किया जाता है।
  - **महासागर-आधारित CDR:** इसमें ओशन फर्टिलाइज़ेशन; महासागर क्षारीयता में वृद्धि; तटीय ब्लू कार्बन प्रबंधन आदि शामिल हैं।
  - **ओशन फर्टिलाइज़ेशन:** महासागर की ऊपरी परतों में पोषक तत्व मिलाना।
  - **महासागर क्षारीयता में वृद्धि:** CO_2 का बायो-कार्बोनेट/ कार्बोनेट के रूप में रूपांतरण।
  - **ब्लू कार्बन:** वह कार्बन जिसे वायुमंडल से अवशोषित कर महासागरों में संचित किया गया है।
  - **कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ जैव-ऊर्जा (BECCS):** इसमें CDR के लिए ऊर्जा के रूप में बायोमास का उपयोग करना और भूवैज्ञानिक रूप से जैवोत्पादित (Biogenic) कार्बन का भंडारण करना शामिल है।

4.1.3. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

4.1.3.1. जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क (Climate Technology Centre and Network: CTCN)

- जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क (CTCN) ने अपनी **स्थापना के 10 वर्ष** पूरे किए।
- **CTCN के बारे में:** इसकी स्थापना **2014** में की गई थी। यह **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के प्रौद्योगिकी तंत्र** की कार्यान्वयन शाखा है।
  - **प्रौद्योगिकी तंत्र** (Technology Mechanism) को **2010 में स्थापित** किया गया था। इसका उद्देश्य **जलवायु से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास और हस्तांतरण में तेजी लाना एवं प्रसार** करना है।
  - CTCN, **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** के तहत कार्य करता है।
  - यह विकासशील देशों के अनुरोध पर **कम कार्बन उत्सर्जन वाली पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के शीघ्र हस्तांतरण और जलवायु अनुकूल विकास** को बढ़ावा देता है।
  - **मुख्यालय:** कोपेनहेगन (डेनमार्क)।

4.1.3.2. न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस (New Collective Quantified Goal on Climate Finance: NCQG)

- UNFCCC के पक्षकारों ने पेरिस समझौते के तहत "न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस (NCQG)" पर नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।
- गौरतलब है कि 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP21) में NCQG का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। NCQG का उद्देश्य **2025 के बाद के लिए जलवायु वित्त-पोषण का नया लक्ष्य** निर्धारित करना है।
  - 2009 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पक्षकारों ने **2020 तक प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर जुटाने का निर्णय** लिया था। बाद में इस अवधि को **2025** तक बढ़ा दिया गया था।

- पेरिस समझौते के **अनुच्छेद 9** के अनुसार समझौते के **पक्षकार विकसित देश** शमन और अनुकूलन दोनों के लिए **पक्षकार विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन** उपलब्ध कराएंगे।
- हालांकि, यह **लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं** किया जा सका है। यह जलवायु वित्त-पोषण तंत्र में कमी को दर्शाता है।
- NCQG में जलवायु वित्त-पोषण के तहत **प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर जुटाने के मौजूदा लक्ष्य को बढ़ाने का प्रस्ताव** किया गया है।

4.1.3.3. क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव (Climate Promise Initiative)

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने **"क्लाइमेट प्रॉमिस 2025"** का अनावरण किया। यह पहल इसकी "क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव" का अगला चरण है।
- **'क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव' के बारे में:** यह **विकासशील देशों को उनके जलवायु कार्रवाई संबंधी उपायों में समर्थन** देने की एक पहल है।
- यह **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs)**[44] के विस्तार और कार्यान्वयन पर विकासशील देशों को समर्थन देने की **दुनिया की सबसे बड़ी पहल** है।
- **क्लाइमेट प्रॉमिस 2025** का लक्ष्य विकासशील देशों के **NDCs** के अगले चरण को **पेरिस जलवायु समझौते (2015) के लक्ष्यों के अनुरूप रखने में मदद** करना है।

नोट: राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के बारे में और अधिक जानकारी के लिए "PT 365: पर्यावरण (अप्रैल-दिसंबर)" डॉक्यूमेंट में आर्टिकल 1.2.3. देखें।

4.1.3.4. 1MYAC (वन मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज) {1MYAC (One Million Youth Actions Challenge)}

- **द वन यू.एन. क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप (UN CC:Learn) द्वारा 1MYAC को बढ़ावा** दिया जा रहा है।
  - **UN CC:Learn के बारे में:**
    - यह **36 बहुपक्षीय संगठनों** की एक सहयोगी पहल है।
    - इसके तहत उपर्युक्त संगठन देशों की जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाइयों में आवश्यक ज्ञान और कौशल सृजित करने में मदद करने हेतु मिलकर काम कर रहे हैं।
- **1MYAC के बारे में:**
  - इसका उद्देश्य **10 से 30 वर्ष** के युवाओं को अधिक संधारणीय भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करना है।
  - यह निम्नलिखित **चार सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को बढ़ावा** देने के लिए काम करता है:
    - SDG 6: **स्वच्छ जल और स्वच्छता,**
    - SDG 12: **जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग और उत्पादन,**
    - SDG 13: **जलवायु कार्रवाई,** और
    - SDG 15: **स्थल पर जीवन।**

4.1.3.5. क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम (Clean Energy Transitions Programme: CETP)

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने **"क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम (CETP) वार्षिक रिपोर्ट 2023"** जारी की है।
- **CETP के बारे में**
  - इसे **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 2017** में लॉन्च किया था।
  - यह **स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में तेजी लाकर** जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।
  - CETP के तहत IEA **तकनीकी सहायता, समझ** आदि प्रदान करता है।
  - इसके उद्देश्य, **पेरिस समझौते (2015) और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप** हैं।

[44] Nationally Determined Contributions

© Vision IAS

4.1.3.6. कार्बन फार्मिंग (Carbon Farming)

- हाल ही में, यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद पहले **"EU-स्तरीय कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क"** की स्थापना के लिए विनियमन हेतु एक **अनंतिम (provisional) समझौते** पर पहुंची हैं।
- यह सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क नवोन्मेषी **कार्बन पृथक्करण (रिमूवल) प्रौद्योगिकियों और कार्बन फार्मिंग** को बढ़ावा देगा।
- **कार्बन फार्मिंग के बारे में:**
    - इसमें **कार्बन भंडारण में वृद्धि और उत्सर्जन में कटौती करके** कृषि में सुधार करने; पारिस्थितिकी-तंत्र को बहाल करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए **पुनर्योजी विधियों (Regenerative practices) का उपयोग** किया जाता करती है।
- **कार्बन फार्मिंग की सामान्य विधियां:** इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-
    - कृषि वानिकी, कंजर्वेशन फार्मिंग (मृदा की ऊपरी परत के साथ अधिक छेड़छाड़ नहीं करना), एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, घास के मैदानों का संरक्षण आदि।

4.1.4. रिपोर्ट्स और सूचकांक (Reports and Indices)

रिपोर्ट	रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं पर एक नजर

स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023	• यह रिपोर्ट **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)** ने जारी की है।
	• **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**
	  ○ रिपोर्ट के अनुसार, **2023 अब तक का सबसे गर्म साल** था। 2023 में सतह के नजदीक का वैश्विक औसत तापमान **औद्योगिक क्रांति के पहले की बेसलाइन से 1.45 डिग्री सेल्सियस अधिक** था।
	  ○ **ग्रीनहाउस गैस का स्तर, सतह का तापमान, महासागरों की उष्णता और अम्लीकरण** आदि अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गए हैं।

'रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लैनेट: अचीविंग नेट जीरो एमिशन्स इन द एग्रीफूड सिस्टम' रिपोर्ट	• **जारीकर्ता:** विश्व बैंक
	• इस रिपोर्ट में **जलवायु परिवर्तन में कृषि-खाद्य प्रणाली के योगदान** को कम करने के लिए **पहला व्यापक वैश्विक रोडमैप** प्रदान किया गया है।
	• **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
	  ○ **उत्सर्जन:** कृषि-खाद्य क्षेत्रक **एक-तिहाई वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन** के लिए जिम्मेदार है।
	  ○ **शीर्ष उत्सर्जक:** इस मामले में **चीन, ब्राजील और भारत** तीन सबसे बड़े उत्सर्जक देश हैं।
	  ○ भारत में, एग्रीफूड सिस्टम से संबंधित **60% उत्सर्जन फार्म गेट** यानी खेतों से होता है। इसमें भी जुगाली करने वाले मवेशियों के आंत्र किण्वन (Enteric Fermentation) सबसे अधिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।

'ए वर्ल्ड एनर्जी ट्रांज़िशन आउटलुक ब्रीफ: ट्रैकिंग CoP-28 आउटकम्स' रिपोर्ट	• **जारीकर्ता:** अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA)।
	  ○ यह रिपोर्ट नवंबर 2023 में आयोजित **UNFCCC के CoP-28 में व्यक्त प्रतिबद्धता की दिशा में वैश्विक प्रगति को ट्रैक** करती है। इस प्रतिबद्धता के अनुसार **2030 तक तीन गुना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से एनर्जी ट्रांज़िशन के उद्देश्य को प्राप्त** करना है।
	• **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**
	  ○ **बेंचमार्क निर्धारित होने के बावजूद प्रगति अब भी अपर्याप्त है:** 2023 में वैश्विक एनर्जी मिक्स में **473 गीगावॉट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल** किया गया था। इसमें **सौर ऊर्जा का 73% योगदान था।**
	    ▪ हालांकि, **तीन गुना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य** को पूरा करने के लिए **प्रतिवर्ष अतिरिक्त 1100 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ने** की जरूरत है।।
	  ○ **भौगोलिक तौर पर असमान वृद्धि:** 20.1% की वृद्धि के साथ **एशिया नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को अपनाने में अग्रणी** है। इस **वृद्धि में चीन का बहुत बड़ा योगदान** है।

"मेज़रिंग द एमिशन एंड एनर्जी फुटप्रिंट्स ऑफ द ICT सेक्टर:	• यह रिपोर्ट **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) और विश्व बैंक** ने संयुक्त रूप से जारी की है। ○ यह **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) क्षेत्रक की ऊर्जा एवं उत्सर्जन प्रोफ़ाइल** प्रस्तुत करती है। साथ ही, यह **दूरसंचार क्षेत्रक में 30 सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देशों का आकलन** करती है। इसमें **भारत** भी शामिल है।

रिपोर्ट	रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं पर एक नजर
इमप्लिकेशन्स फॉर क्लाइमेट एक्शन" रिपोर्ट	• **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:** ○ **ICT क्षेत्रक** वैश्विक GHG उत्सर्जन के **कम-से-कम 1.7%** के लिए उत्तरदायी है। ○ **2021 में नवीकरणीय ऊर्जा खरीद** में ICT क्षेत्रक की हिस्सेदारी **60%** रही है। यह **बढ़ते उत्सर्जन को कम करने के संभावित तरीकों** की ओर संकेत करता है।
ग्रीन एंड सोशल बॉण्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट, 2023	• **जारीकर्ता:** अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)। ○ IFC ने **2010 में ग्रीन बॉण्ड कार्यक्रम** और **2017 में सोशल बॉण्ड कार्यक्रम** आरंभ किया था। ▪ **ग्रीन बॉण्ड कार्यक्रम का उद्देश्य** निजी क्षेत्र की उन पात्र परियोजनाओं के लिए निवेश की व्यवस्था करना है जो जलवायु परिवर्तन शमन यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित हैं। • **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:** ○ **ग्रीन बॉण्ड** के माध्यम से जुटाए गए **2 बिलियन डॉलर से प्रति वर्ष 3.3 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी** आने की उम्मीद है। ○ **सोशल बॉण्ड** के माध्यम से जुटाए गए **1.2 बिलियन डॉलर से कृषि-व्यवसाय, महिलाओं का वित्तीय समावेशन, शिक्षा** जैसे क्षेत्रकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।
ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन (बिल्डिंग्स-GSR) 2024	• यह रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और ग्लोबल एलायंस फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन (GlobalABC)** ने **संयुक्त रूप** से जारी की है। ○ **GlobalABC के बारे में:** इसे **COP-21 में स्थापित** किया गया था। यह **"शून्य उत्सर्जन, दक्ष और आघात सहनीय भवन एवं निर्माण क्षेत्रक"** के साझा विज़न के प्रति प्रतिबद्ध भवन क्षेत्रक के हितधारकों का अग्रणी **वैश्विक प्लेटफॉर्म** है। • **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:** ○ भवन और निर्माण क्षेत्रक **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के लगभग 21% हिस्से** के लिए जिम्मेदार है। ○ 2022 में भवन क्षेत्रक **वैश्विक ऊर्जा मांग के 34% तथा ऊर्जा और प्रक्रिया से संबंधित 37% कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार** थे। ○ भारत में भवन क्षेत्रक **कुल CO2 उत्सर्जन के लगभग 40%** के लिए जिम्मेदार है।
मोर चिलिंग दैन एवर	• **जारीकर्ता:** पर्यावरणीय जांच एजेंसी (EIA) • इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में गैसों की अधिक मांग और उच्च मुनाफे के कारण **हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स (HFCs) का अवैध व्यापार बढ़** रहा है।

4.2. प्रदूषण (Pollution)

4.2.1. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024 {E-Waste (Management) Amendment Rules, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024** को अधिसूचित किया गया।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024: इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं-

- **रिटर्न या रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा में छूट:** इसके तहत विनिर्माता, निर्माता, नवीकरणकर्ता (Refurbisherr) या पुनर्चक्रणकर्ता (Recycler) के लिए नौ महीने की छूट प्रदान की गई।
- **केंद्र सरकार** द्वारा EPR प्रमाण-पत्रों के विनिमय या हस्तांतरण के लिए एक या अधिक प्लेटफार्म की स्थापना की जा **सकती** है।
- EPR प्रमाण-पत्र का विनिमय मूल्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा **निर्धारित उच्चतम और न्यूनतम कीमतों के बीच होना चाहिए।**
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) द्वितीय संशोधन नियम, 2023:** इसके प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं-
  - इसमें **हानिकारक पदार्थों की कमी करने से संबंधित छूट के बारे में अधिक स्पष्टता** प्रदान की गई है।
  - **इसमें EPR प्रमाण-पत्र तैयार करने वाले कन्वर्जन फैक्टर** निर्धारण किए गए हैं।
  - **निर्माताओं द्वारा प्रशीतन (Refringent)** का प्रबंधन करने का दायित्व सौंपा गया है।

ई-अपशिष्ट की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु की गई वैश्विक पहलें

- **बेसल कन्वेंशन:** यह एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य ई-अपशिष्ट सहित देशों के बीच खतरनाक अपशिष्ट के स्थानांतरण को कम करना है।
- **वैश्विक ई-अपशिष्ट सांख्यिकी साझेदारी (The Global E-waste Statistics Partnership: GESP):** यह दुनिया भर में ई-अपशिष्ट से संबंधित डेटा की निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का संयुक्त प्रयास है।
- **ई-अपशिष्ट चुनौती (E-waste Challenge):** यह विश्व आर्थिक मंच की एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को संभव बनाना है।
- **ई-अपशिष्ट गठबंधन (E-waste Coalition) 2018:** यह वैश्विक स्तर पर ई-अपशिष्ट से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सात संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित एक गैर-बाध्यकारी लेटर ऑफ़ इंटेंट है।

***नोट:** ई-अपशिष्ट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए PT 365 पर्यावरण (अप्रैल-दिसंबर) डॉक्यूमेंट में आर्टिकल 2.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां देखें।*

4.2.2. स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में पारा आधारित मापन यंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना (Phasing out Mercury Measuring Devices in Healthcare Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

UNEP ने स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में पारा आधारित मापन यंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाली पहल शुरू की है।

परियोजना के बारे में

- 134 मिलियन डॉलर की लागत वाली यह पहल **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** के नेतृत्व में शुरू की गई है।
- **उद्देश्य**
    - पारा (Mercury) आधारित **थर्मामीटर और स्फिग्मोमैनोमीटर के उपयोग को प्रतिवर्ष 20% की दर से कम करना और पारे के रिसाव को कम** करना।
    - **पारा युक्त चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन** में सुधार करना। साथ ही **सटीक, किफायती और सुरक्षित पारा-मुक्त विकल्प अपनाने** को प्रोत्साहित करना।
- **सदस्य देश:** अल्बानिया, बुर्किना फासो, **भारत,** मोंटेनेग्रो और युगांडा।
- **वित्त-पोषण:** वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्त-पोषित।
- **क्रियान्वयन:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा।
- कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने **दैनिक या साप्ताहिक मिथाइल-मरकरी या मरकरी के इनटेक के लिए सुरक्षित स्तर** स्थापित किए हैं। इन स्तरों को सुरक्षित (या स्वास्थ्य के लिए बड़े जोखिम से रहित) माना जाता है।

नोट: पारे या मरकरी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए "PT 365: पर्यावरण (अप्रैल-दिसंबर)" डॉक्यूमेंट में आर्टिकल 2.6.1. देखें।

4.2.3. दक्षिणी महासागर क्षेत्र में सबसे स्वच्छ वायु (Cleanest Air in Southern Ocean)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने दक्षिणी महासागर (Southern Ocean) क्षेत्र में सबसे स्वच्छ वायु के पीछे के **कारणों का पता लगाया है।**

- स्वच्छ वायु का अर्थ है वायुमंडल में एरोसोल का निम्न स्तर होना।

© Vision IAS

दक्षिणी महासागर क्षेत्र में वायु में एरोसोल के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी कारण:

- इस क्षेत्र में मानव गतिविधियां कम हैं। इसकी वजह से **जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम** होता है और **उत्सर्जन** भी कम होता है।
- यहां सर्दियों में **पादपप्लवक (Phytoplankton) कम** होते हैं। इसकी वजह से सर्दियों में **कम मात्रा में सल्फेट कण मौजूद** होते हैं।
    - गौरतलब है कि **पादपप्लवक वायुजनित सल्फेट कणों** का एक स्रोत है।
- **बादलों और वर्षा की भूमिका**
    - **मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना वाले बादल,** दक्षिणी महासागर क्षेत्र की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    - **खुले मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना** वाले बादल सूर्य के प्रकाश को स्वयं में से गुजरने देते हैं। ये बादल **अधिक तीव्र और छिटपुट वर्षा का कारण** बनते हैं। यह वर्षा **एरोसोल को हटा** देती है।
    - ये **बादल सर्दियों में अधिक** बनते हैं।
    - गौरतलब है कि **बंद मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना** वाले बादल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इससे **कम वर्षा** होती है और इस प्रकार ये बादल **एरोसोल को हटाने में कम प्रभावी** होते हैं।

दक्षिणी महासागर (अंटार्कटिक महासागर) के बारे में

- यह **भूगर्भिक दृष्टि से विश्व का सबसे युवा/ नया महासागर** है।
- यहां **दक्षिणावर्त** (Clockwise) प्रवाहित होने वाली **अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा** (Antarctic Circumpolar Current) अधिक हैं।
- यह क्षेत्र अपनी **तेज हवाओं, प्रबल तूफानों, नाटकीय मौसमी बदलावों और ठंडे तापमान** के लिए जाना जाता है।

4.2.4. सुर्ख़ियों में रही रिपोर्ट्स और सूचकांक (Reports and Indices in News)

रिपोर्ट/ सूचकांक	संबंधित तथ्य और निष्कर्ष
'प्लास्टिक ओवरशूट डे, 2024' रिपोर्ट	• **जारीकर्ता:** अर्थ एक्शन • 2024 में, **"ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे" 5 सितंबर** को चिह्नित होना अनुमानित है। • इस वर्ष **भारत में 23 अप्रैल को प्लास्टिक ओवरशूट डे** चिह्नित किया जाएगा। *नोट: प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए "PT 365: पर्यावरण (अप्रैल-दिसंबर)" डॉक्यूमेंट में आर्टिकल 2.3. देखें।*

आर्कटिक का प्लास्टिक संकट: पेट्रो-रसायन उद्योग से स्वास्थ्य, मानवाधिकारों और देशज भूमि को विषाक्त खतरा" रिपोर्ट
(The Arctic's Plastic Crisis: Toxic Threats to Health, Human Rights, and Indigenous Lands from the Petrochemical Industry Report)
	• यह रिपोर्ट **अलास्का कम्युनिटी एक्शन ऑन टॉक्सिक्स (ACAT) और इंटरनेशनल पॉल्यूटेंट्स एलिमिनेशन नेटवर्क (IPEN)** ने जारी की है।
	  ○ IPEN एक वैश्विक नेटवर्क है। इसका लक्ष्य **विषाक्तता मुक्त भविष्य** के लिए एक वैश्विक आंदोलन तैयार करना है।
	• **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**
	  ○ इसके अलावा, दुनिया भर से निर्मुक्त होने वाले प्लास्टिक और विषाक्त रसायन आर्कटिक में जमा हो रहे हैं। इससे आर्कटिक एक **"हेमिस्फेरिक सिंक"** बनता जा रहा है।
	    ▪ इन विषाक्त कणों को **ग्लोबल डिस्टिलेशन या "ग्रासहॉपर इफेक्ट"** नामक प्रक्रिया के माध्यम से वायु और समुद्री धाराओं द्वारा निम्न अक्षांशों से आर्कटिक क्षेत्र में ले जाया जाता है।
	    ▪ **विषाक्त रसायन आर्कटिक** के पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं। उदाहरण के लिए- **पॉलीएरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स से कैंसर व हृदय रोग तथा बिस्फेनॉल्स से मोटापा और कैंसर** होने का खतरा रहता है।

4.3. जैव विविधता (Biodiversity)

4.3.1. सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कांफ्रेंस (Sustainable Finance for Tiger Landscapes Conference: SFTLC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, SFTLC की मेजबानी **भूटान सरकार** द्वारा की गई और इसका समर्थन **टाइगर संरक्षण गठबंधन** ने किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **बाघ संरक्षण गठबंधन (Tiger Conservation Coalition) संगठनों का एक स्वतंत्र समूह है** जो बाघ संरक्षण के लिए एक साझा दृष्टिकोण के तहत व्यापक रूप से मिलकर काम करता है।
- **सदस्य संगठन:** इसके सदस्य संगठनों में प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)[45], संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), वन्यजीव संरक्षण सोसायटी[46], वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) आदि शामिल हैं।

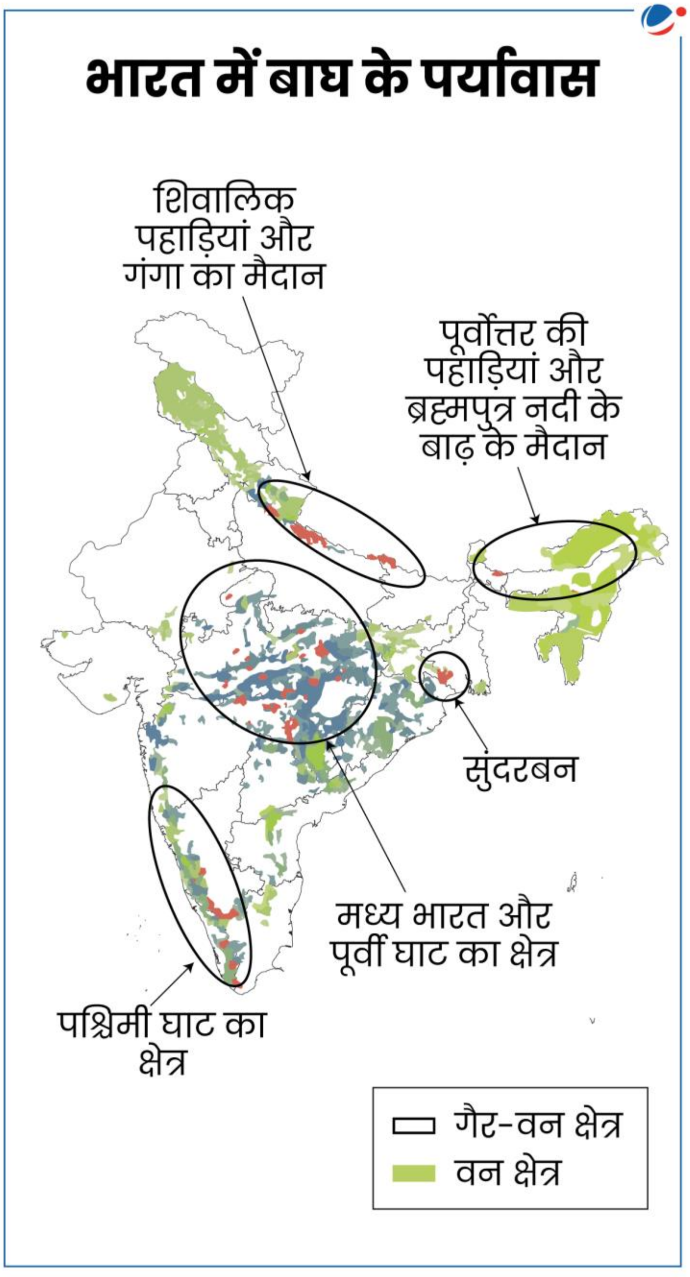

सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कांफ्रेंस (SFTLC) के बारे में

- SFTLC का उद्देश्य **नई वित्तीय रणनीतियों** का उपयोग करके और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देकर **बाघ संरक्षण और बाघ परिदृश्य** के लिए समर्थन को बढ़ावा देना है, जैसा कि **पारो स्टेटमेंट (Paro statement)** में कहा गया है।
  - बाघ पर्यावास के पारिस्थितिक रूप से आपस में जुड़े क्षेत्रों के विशाल दायरे को ही **बाघ परिदृश्य** कहते हैं।
- इसका लक्ष्य **2034** तक बाघ संरक्षण के लिए **1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की अतिरिक्त धनराशि जुटाना है।

इस सम्मेलन में सस्टेनेबल फाइनेंस हेतु की गई पहलें

- **टाइगर लैंडस्केप्स इंवेस्टमेंट फंड:** इस फंड को UNDP द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह डेवलपमेंट के लिए एक नया मिश्रित वित्तीय तंत्र है जो प्रकृति-अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इससे बाघों, जैव विविधता और लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  - प्रकृति-अनुकूल कार्यों से तात्पर्य ऐसी नवीन रणनीतियों को अपनाने से है जो न केवल पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करती है बल्कि सक्रिय रूप से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी देती है।
- **टाइगर बॉण्ड्स:** एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य निजी क्षेत्रक के निवेशकों को जोड़ने और प्रकृति आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए **टाइगर बॉण्ड्स** जैसे नवीन वित्तीय साधनों का उपयोग करना है।

नोट: बाघों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए "PT 365: पर्यावरण (अप्रैल-दिसंबर)" डॉक्यूमेंट में आर्टिकल 3.2.3. देखें।

[45] International Union for Conservation of Nature

[46] Wildlife Conservation Society

4.3.2. सुर्ख़ियों में रहे संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas in News)

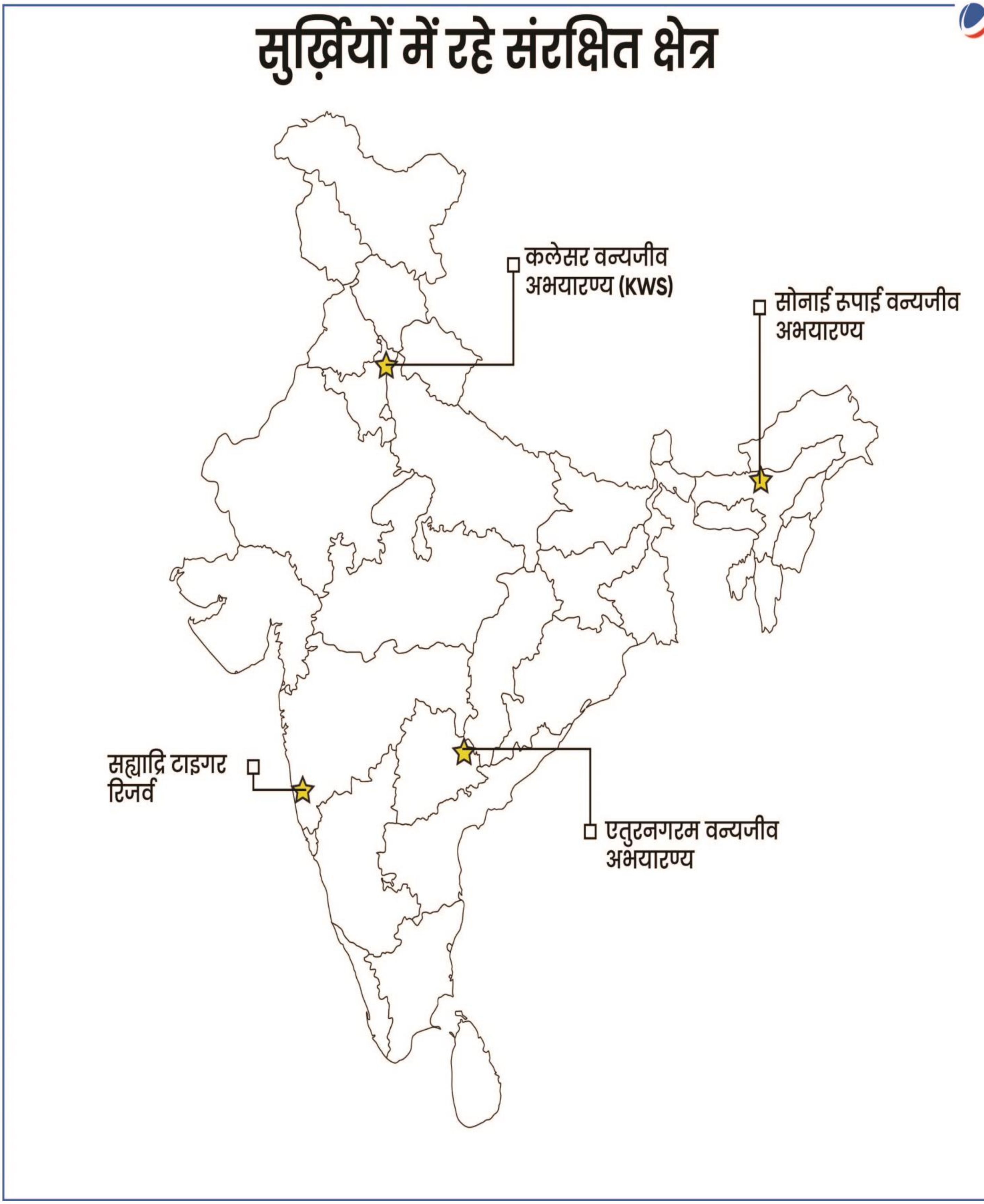

© Vision IAS

संरक्षित क्षेत्र	विवरण
	असम
सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य	• राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में मतदान केंद्रों, स्कूलों की स्थापना और अन्य विनिर्माण संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में संज्ञान लिया है। • **सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में** ○ यह **असम के सोनितपुर जिले में हिमालय की तलहटी** में अवस्थित है। ○ **नामेरी नेशनल पार्क** के साथ मिलकर, यह **सोनितपुर कामेंग हाथी रिजर्व** का हिस्सा बनता है। ○ यह बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा मान्यता प्राप्त एक **महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र** है। • **बारहमासी नदियां:** डोलसिरी, गभरू, गेलगेली, बेलसिरी, और सोनाइ रुपाई। • **वनस्पति के प्रकार:** सदाबहार, अर्द्ध-सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वन। • **जीव-जंतु:** एशियाई हाथी, भारतीय बाइसन, तेंदुआ, भारतीय गौर, सांभर, हॉग हिरण, स्लॉथ भालू आदि।
	हरियाणा
कलेसर वन्यजीव अभयारण्य (KWS)	• सुप्रीम कोर्ट ने **हरियाणा के यमुनानगर जिले** में अवस्थित कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर चार प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। • **कालेसर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में** ○ यह **हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा** पर अवस्थित है। ○ यह **हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य** है। यह हिमालय की तलहटी में **निचले शिवालिक** में स्थित है। ○ यह एक **महत्वपूर्ण पक्षी और जैव-विविधता क्षेत्र (IBAs)** है। • **नदियां**: इसके पूर्व में **यमुना नदी** बहती है। • **वन के प्रकार:** इस अभयारण्य में **चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन** पाए जाते हैं। • **जीव-जंतु:** तेंदुआ, स्लॉथ भालू (मेलर्सस उर्सिनस), लकड़बग्घा आदि।
	महाराष्ट्र
सह्याद्रि टाइगर रिजर्व (STR)	• महाराष्ट्र वन विभाग **बाघों को चंद्रपुर जिले के ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व से सह्याद्रि टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की योजना** बना रहा है। • **भौगोलिक अवस्थिति और अन्य विशेषताएं** ○ यह **महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सह्याद्रि पर्वतमाला** में अवस्थित है। ▪ यह **पश्चिमी महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सतारा, सांगली और रत्नागिरी जिलों** में फैला हुआ है। ○ **कोयना अभयारण्य और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान** को मिलाकर **2010** में सह्याद्रि टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया था। • **वनस्पति के प्रकार:** उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, अर्ध-सदाबहार वन, पर्णपाती वन आदि। • **जीव-जंतु:** बाघ, एटलस मॉथ, मून मॉथ और अन्य लुप्तप्राय तितलियाँ, नीले फिन वाली महाशीर मछली, हॉर्नबिल आदि।
	तेलंगाना
एतुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य	• एतुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य में **वनाग्नि** की घटना दर्ज की गई है। • **भौगोलिक अवस्थिति और अन्य विशेषताएं** ○ यह अभयारण्य **वारंगल (तेलंगाना)** के नजदीक स्थित है। ○ यह **मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश** की सीमा पर अवस्थित है। • **नदियां: दय्याम वागु और गोदावरी नदियां** इससे होकर बहती हैं। • **वनस्पति:** बांस, मैडी, शुष्क पर्णपाती सागौन, तिरुमन, मधुका आदि। • **जीव-जंतु:** स्लॉथ बेयर (भालू), चिंकारा, नीलगाय, ब्लैक बक आदि।

4.3.3. सुर्ख़ियों में रही प्रजातियां (Species in News)

प्रजातियां	विवरण
	स्थलीय प्रजातियां

ग्रे स्लेंडर लोरिस
 	
	• ग्रे स्लेंडर लोरिस को **उत्तरी गोवा** में बचाया गया है।
	• **संरक्षण की स्थिति**
	
	• **विशेषताएं:**
	  ○ यह एक **निशाचर प्राइमेट** है।
	  ○ यह **धीमी गति से विचरण** करते हुए भोजन की तलाश करता है। यह भोजन के लिए **बड़ी कीड़ों की कॉलोनियों के पास** रहता है।
	  ○ यह **विविपेरस (Viviparous) जीव** है, यानी यह अंडे देने की बजाय मनुष्यों की तरह बच्चों को जन्म देने वाला जीव है।
	• **पर्यावास:** उष्णकटिबंधीय वर्षावन, झाड़ीदार वन, अर्ध-सदाबहार वन, दलदली क्षेत्र आदि।
	  ○ **भौगोलिक सीमा:** यह **भारत और श्रीलंका** में पाया जाता है।
	• **खतरा:** पर्यावास का नुकसान, बिजली की तारों से करंट लगना आदि।

चीतल (चित्तीदार हिरण)
 	
	• **नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप (पूर्व में रॉस द्वीप)** चीतल हिरणों की आक्रामक रूप से बढ़ती आबादी का सामना कर रहा है।
	• **संरक्षण की स्थिति**
	
	• **विशेषताएं:**
	  ○ **गर्भाधान अवधि:** लगभग 231-235 दिन।
	  ○ **भोजन और आहार:** मुख्य रूप से घास, लेकिन कांटे, पत्तियां, फूल और फल भी खा लेते हैं।
	  ○ केवल **नर चीतल के ही सींग** होते हैं।
	• **पर्यावास:** गर्म शुष्क मौसम के दौरान नदी के नजदीक स्थित वनों में, जबकि मानसून के दौरान साल के वनों में रहते हैं।
	  ○ यह **भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक** प्रजाति है।
	• **खतरे:** अवैध शिकार; मानव अतिक्रमण और आक्रामक विदेशी पादप प्रजातियों के प्रसार के कारण पर्यावास हानि व विखंडन।

	जलीय प्रजातियां

ब्लू व्हेल
 	
	• लगभग 60 वर्षों के बाद सेशल्स के निकट समुद्री जल में ब्लू व्हेल को फिर से देखा गया है।
	• **संरक्षण की स्थिति**
	
	• **विशेषताएं**
	  ○ यह **पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे ऊँची आवाज** वाला जीव है।
	  ○ **जीवनावधि:** लगभग 80 से 90 वर्ष

© Vision IAS

	○ **सामाजिकता:** कभी-कभी **छोटे समूहों** में तैरती हुई दिखाई देती है, लेकिन आमतौर पर **अकेले या जोड़े** में पाई जाती है। ○ **आहार:** यह मुख्य रूप से **क्रिल** को अपना भोजन बनाती है। क्रिल एक **समुद्री क्रस्टेशियाई** (कड़े खोल वाला जीव) है। • **पर्यावास:** यह **आर्कटिक महासागर को छोड़कर** विश्व के सभी महासागरों में पाई जाती है। • **खतरा:** पोत से टकराना, वाणिज्यिक रूप से शिकार करना आदि।
सरीसृप, कीट, उभयचर आदि	
नेप्टिस फ़िलारा 	• हाल ही में, **दुर्लभ तितली प्रजाति नेप्टिस फ़िलारा को भारत में पहली बार खोजा** गया है। • यह तितली **टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य** में खोजी गई है। यह अभयारण्य **अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले** में स्थित है। • इसे आमतौर पर **लंबी-धारियों वाली सेलर (long-streak sailor)** के रूप में जाना जाता है • इसके **पंखों पर दांत जैसी छोटी-छोटी आकृतियां** होती हैं। ये पंख **ऊपरी तरफ गहरे भूरे-काले और नीचे की तरफ पीले-भूरे** रंग के होते हैं। • **पर्यावास:** सदाबहार वन, नदी-घाटी के नजदीक वनस्पति और चट्टान युक्त नदी धाराएं। ○ आमतौर पर, तितली की यह प्रजाति **पूर्वी एशिया** में पाई जाती है। यह **पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, जापान, मध्य और दक्षिण-पश्चिम चीन** आदि में भी पाई जाती है।
पादप प्रजातियां	
आरोग्यपचा (ट्राइकोपस ज़ेलेनिकस) {Arogyapacha (Trichopus zeylanicus)} 	• 'आरोग्यपचा' (ट्राइकोपस ज़ेलैनिकस) के पौधे केरल की अगस्त्य माला पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यहाँ की **स्थानीय जनजाति 'कानि' द्वारा इसका उपयोग शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए किया जाता** है। • **आरोग्यपचा के बारे में:** ○ आरोग्यपचा शब्द का शाब्दिक अर्थ है- **"हरित, जो शक्ति प्रदान करता है"।** ○ आरोग्यपचा एक छोटा औषधीय पौधा है जिसके **तने पतले और पत्ते मोटे** होते हैं। यह **नदियों और जल-धाराओं के किनारे छाया में उगता** है। इस पौधे के केवल फल ही खाने योग्य होते हैं। ○ **औषधीय गुण:** एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-माइक्रोबियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-ट्यूमर, एंटी-अल्सर, एंटी-हाइपरलिपिडेमिक, हेपेटोप्रोटेक्टिव और एंटी डायबिटिक आदि। ○ आरोग्यपचा, ट्राइकोपस जेलेनिकस की एक उप-प्रजाति है। ▪ भारत में पाई जाने वाली इस उप-प्रजाति को **ट्राइकोपस जेलेनिकस ट्रेवेनकोरिक्स** कहा जाता है। ▪ हालांकि मुख्य प्रजाति ट्राइकोपस जेलेनिकस, श्रीलंका और थाईलैंड में पाई जाती है, लेकिन केवल भारतीय किस्म में ही औषधीय गुण पाए जाते हैं। • केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (TBGRI) ने "आरोग्य पाचा" में तीन अन्य सामग्रियों को मिला करके **'जीवनी' नामक एक दवा** विकसित की है। ○ कानि जनजातियों को इस दवा के वाणिज्यिक बिक्री पर होने वाले लाभ का 50% हिस्सा मिलता है।
ओलियंडर फूल (नेरियम ओलियंडर/ रोज़बे) 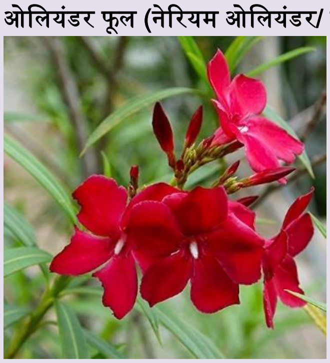	• **केरल** ने मंदिरों में देवताओं पर ओलियंडर फूल चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। **ओलियंडर** फूल के जहर से दो महिलाओं की मौत के बाद यह निर्णय लिया गया है। • यह **तेजी से बढ़ने वाली सदाबहार व गोलाकार झाड़ी** या छोटा पौधा है। यह **यूरोप और एशिया मूल** की पुष्प प्रजाति है। • इसे केरल में **अरली और कनवीरम** के नाम से भी जाना जाता है। • यह **गर्मी, सूखा, हवा, वायु प्रदूषण और लवणता सहिष्णु पादप** है। यह **अनुपजाऊ मृदा में भी पनप** सकता है। • इस **पादप के सभी भाग (तना, पत्तियां इत्यादि) अत्यधिक जहरीले** होते हैं, क्योंकि इसमें **नेरियोसाइड और ओलियंड्रोसाइड सहित कार्डियक ग्लाइकोसाइड** (एक प्रकार का रसायन) पाया जाता है।

हाल ही में खोजी गई प्रजातियां	
टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति (New tardigrade species)	• **तमिलनाडु** के दक्षिण-पूर्वी तट से **समुद्री टार्डिग्रेड** की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम **चंद्रयान-3 (चंद्र मिशन)** के नाम पर **बैटिलिप्स चंद्रायणी** रखा गया है। • **बैटिलिप्स चंद्रायणी के बारे में** ○ यह भारतीय जल क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से वर्णित **तीसरी समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति** है। ○ इसके एक **समलंब (ट्रेपेज़ॉइड) आकार का सिर और पैनी नोंक के साथ संवेदी रीढ़ से युक्त चार जोड़ी टांगें** होती हैं। • **टार्डीग्रेड के बारे में** ○ ये स्थूल, खंडों वाले शरीर और चपटे सिर वाले नियर माइक्रोस्कोपिक जलीय जीव हैं। ○ इन्हें **'जलीय भालू'** के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे कठोर जीवों में से हैं। दुसरे शब्दों में ये **चरम परिस्थितियों में भी जीवित** रह सकते हैं।

4.3.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

4.3.4.1. ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (Global Forest Watch: GFW)

- ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (GFW) की रिपॉर्ट के अनुसार भारत में सन 2000 से 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण का लोप हुआ है।
- यह लोप 2001 से 2023 के दौरान **वृक्ष आवरण (Tree cover) में 6 प्रतिशत की कमी** के बराबर है।
  - वृक्ष आवरण के तहत वह अनुमानित क्षेत्र शामिल होता है, जिसमें **1 हेक्टेयर से कम भूमि पर वृक्ष** होते हैं। साथ ही, ये वृक्ष दस्तावेजों में दर्ज वन (Recorded forest) से अलग होते हैं।
  - इसके विपरीत, वनावरण (Forest cover) के तहत वह क्षेत्र शामिल होता है, जिसका क्षेत्रफल **1 हेक्टेयर से अधिक** होता है। साथ ही, इसमें **वृक्ष वितान (Canopy) घनत्व 10 प्रतिशत या उससे अधिक** होता है।
- **वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI) ने 1997** में GFW की स्थापना की थी।
  - GFW एक **ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** है। यह वनों की निगरानी के लिए **डेटा और साधन** उपलब्ध कराता है।
  - यह दुनिया भर में अलग-अलग जगहों पर वनों में कैसे परिवर्तन हो रहा है, इस संबंध में **रियल टाइम आधार** पर जानकारी उपलब्ध कराता है।

4.3.4.2. प्लैंकटन क्रैश (Plankton Crash)

- पिछले साल **पुडुचेरी के प्रोमेनेड समुद्र तट का पानी लाल रंग** का दिखाई दिखने लगा था। अब एक विशेषज्ञ पैनल ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को कहा है कि **प्लैंकटन क्रैश यानी प्लवकों की मृत्यु** की वजह से समुद्र तट का पानी लाल दिखने लगा था।
- **नोक्टिलुका सिंटिलन्स** नामक पादप प्लवक, जब बड़ी संख्या में मृत हो जाते हैं, तब उनका **रंग लाल** हो जाता है। इस स्थिति में उनकी **कोशिकाओं से रंगीन रंजक (पिगमेंट)** बाहर निकलते हैं।
  - ये रंजक फिर **चट्टानों और समुद्री नितल से चिपक** जाते हैं। इससे इन सतहों पर **बायोफिल्म जैसी परत बन जाती है और 'रेड टाइड'** का कारण बनती है।
- **उत्पादन चक्र** के आरंभिक चरण में **पोषक तत्वों की कमी या कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की कमी** के कारण प्लवक मरने लगते हैं।
  - **जल की गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन** के कारण बाद के चरणों में भी प्लवक मर सकते हैं।

4.3.4.3. गैप लिमिटेशन (GAPE Limitation)

- गैप लिमिटेशन पारिस्थितिकी संबंधी एक अवधारणा है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि **शिकारियों (Predator)** द्वारा एक निश्चित शारीरिक आकार वाले **शिकार (Prey)** का ही शिकार किया जा सकता है। यह शिकारी के जबड़े के खुलने या पंजे की पकड़ के दायरे या **"गैप"** से तय होता है।
  - इसका मतलब है, **छोटे शिकारी केवल छोटे शिकार को खा सकते हैं, जबकि बड़े शिकारी बड़े शिकार को खा सकते** हैं।
  - उदाहरण के लिए- शेर अपने जड़बे की बड़ी पकड़ के कारण जेबरा जैसे बड़े शिकार को मार सकते हैं, जबकि बाज जैसे छोटे शिकारी कुन्तकों को ही शिकार बना सकते हैं।
- **पारिस्थितिकी में गैप लिमिटेशन का महत्त्व:**
  - खाद्य जाल को आकार देना।
  - अनुकूलन को बढ़ावा।
  - शिकारी-शिकार संतुलन को बनाए रखना।
  - पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाना।

© Vision IAS

4.3.4.4. केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (Central Marine Fisheries Research Institute: CMFRI)

- **CMFRI** ने अधिक मूल्य वाली समुद्री मछली **"गोल्डन ट्रेवैली"** की कैप्टिव ब्रीडिंग में सफलता हासिल की है।
  - यह उपलब्धि **संधारणीय सी-फ़ूड उत्पादन को बढ़ावा** देने और भारत की **समुद्री-कृषि (Mariculture) संबंधी गतिविधियों के संवर्धन** में मदद करेगी।
- CMFRI भारत के **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के समुद्री मत्स्य संसाधनों की निगरानी और आकलन** करता है।
  - यह केंद्रीय **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।
  - यह **1967 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** का हिस्सा बना था।
- **गोल्डन ट्रेवैली (या गोल्डन किंग फिश) के बारे में**
  - यह **रीफ में रहने वाली मछली प्रजाति** है। इस प्रजाति की मछलियां स्केट्स, ग्रुपर्स जैसी **बड़ी मछलियों के साथ** रहती हैं।
  - **उपयोग:** भोजन के रूप में और सजावटी उद्देश्यों के लिए।

4.3.4.5. चौथी वैश्विक व्यापक कोरल ब्लीचिंग (प्रवाल विरंजन) परिघटना (Fourth Global Mass Coral Bleaching Event)

- चौथी वैश्विक व्यापक कोरल ब्लीचिंग (प्रवाल विरंजन) परिघटना की पुष्टि की गई। इस **व्यापक** कोरल ब्लीचिंग की पुष्टि **NOAA के कोरल रीफ वॉच (CRW) और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव (ICRI)** ने की है।
- यह **पिछले 10 वर्षों में इस तरह की दूसरी परिघटना** है। इससे पहले यह परिघटना **2014 से 2017** तक जारी रही थी।
- **प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु किए गए उपाय**
  - **वैश्विक उपाय:** ICRI, ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क (GCRMN), कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव (CTI) आदि।
    - **कोरल ट्राएंगल, पश्चिमी प्रशांत महासागर** में स्थित एक समुद्री क्षेत्र है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और सोलोमन द्वीप का जल क्षेत्र शामिल है।
  - **विश्व प्रवाल संरक्षण परियोजना[47]: सार्वजनिक** और **निजी** एक्वैरियम के नेटवर्क में, जीवित कॉलोनियों के रूप में अधिकांश कोरल प्रजातियों और उनके स्ट्रेन्स (उपभेदों) की रक्षा करना।

नोट: प्रवाल विरंजन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए "PT 365 अपडेटेड पार्ट 1 (जनवरी-मार्च)" डॉक्यूमेंट में आर्टिकल 4.3.12. देखें।

[47] World Coral Conservatory Project

4.4. संधारणीय विकास (Sustainable Development)

4.4.1. भारत में पर्यावरणीय आंदोलन (Environmental Movements in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2023 में चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी।

चिपको आंदोलन के बारे में

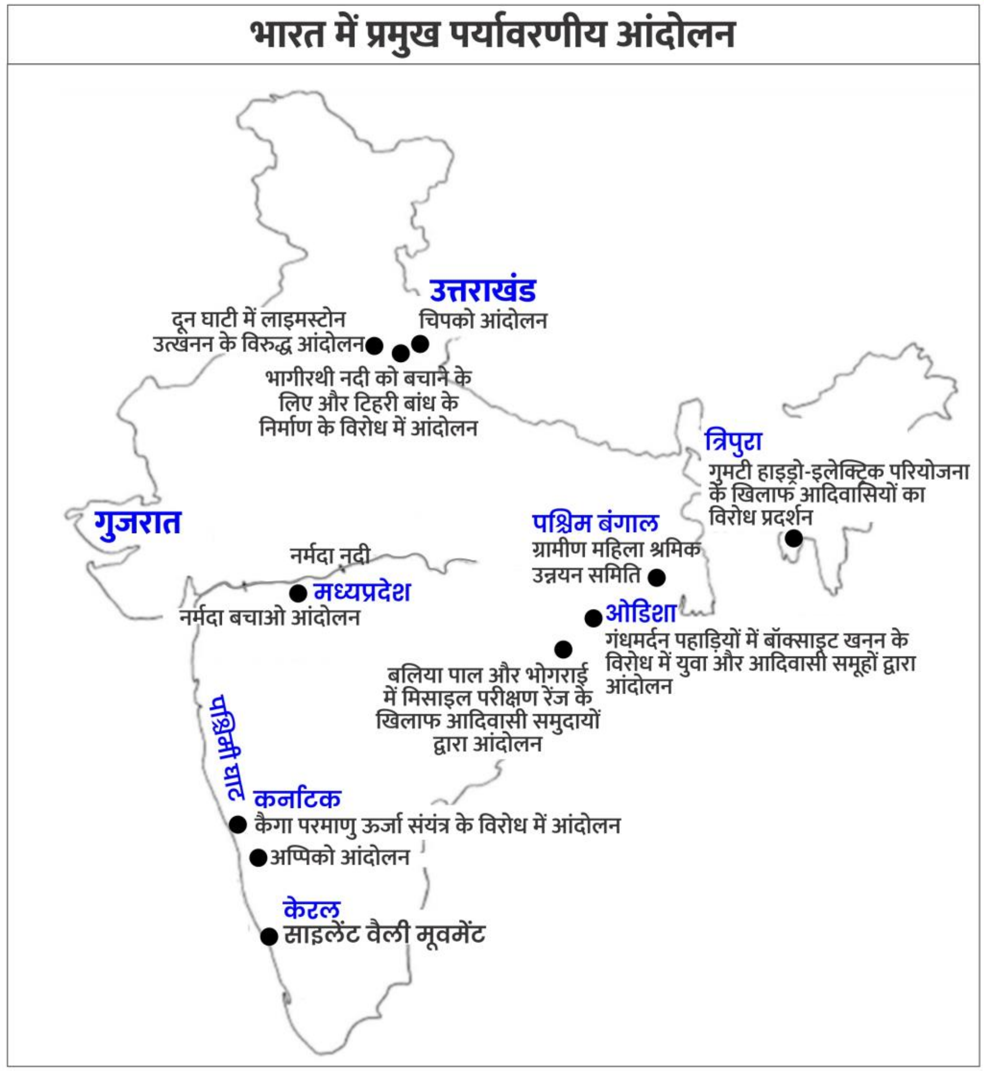

- चिपको आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध था। यह आंदोलन, **उत्तराखंड के चमोली जिले** के रेनी गांव में शुरू हुआ था।
- **'चिपको' का अर्थ:** इसका शाब्दिक अर्थ है- **'आलिंगन'/'Embrace'**। इस आंदोलन के दौरान ग्रामीण आंदोलनकारी वृक्षों को काटे जाने से रोकने के लिए चिपककर उन्हें अपने गले लगा लेते थे।
- **आंदोलन की उत्पत्ति: मूलतः 'चिपको आंदोलन' की शुरुआत 18वीं शताब्दी में राजस्थान के बिश्नोई समुदाय** ने पवित्र वृक्षों की रक्षा के लिए की थी।
    - वहां पर इस आंदोलन का नेतृत्व **अमृता देवी ने जोधपुर के तत्कालीन राजा के आदेश के विरुद्ध** किया था।
    - इस आंदोलन के परिणामस्वरूप एक शाही आदेश पारित किया गया, जिसमें **सभी बिश्नोई समुदायों के गांवों में पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध** लगा दिया गया था।
- **प्रमुख नेतृत्वकर्ता:** सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी आदि।
- चिपको आंदोलन **'इको-फेमिनिज्म'** दर्शन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह आंदोलन **वन संरक्षण के प्रयासों में महिलाओं की सामूहिक लामबंदी** के लिए प्रसिद्ध है।

अन्य प्रमुख पर्यावरण आंदोलन

- **साइलेंट वैली मूवमेंट (1973):** यह आंदोलन केरल के पलक्काड जिले में कुंथिपुझा नदी पर बनने वाली **एक जलविद्युत परियोजना के विरोध में चलाया गया** था।
- **अप्पिको आंदोलन (1983):** यह आंदोलन कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में चलाया गया था।
- **नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985):** इसका नेतृत्व पर्यावरण कार्यकर्ता **मेधा पाटकर** ने नर्मदा पर बड़े बांध बनाने के खिलाफ किया था।
- **अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आंदोलन:** चिल्का बचाओ आंदोलन, काशीपुर में बॉक्साइट खनन के खिलाफ आंदोलन, गंधमर्दन पर्यावरण संरक्षण आंदोलन आदि।

© Vision IAS

4.4.2. पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण (Constitutionalization of Environmental Issues)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह टिप्पणी की कि "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार" को संविधान के **अनुच्छेद 14 और 21** के तहत मान्यता दी जानी चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य

- फैसले में कहा गया कि वंचित समुदायों की जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन में या इसके प्रभावों से निपटने में असमर्थता अनुच्छेद 14 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
  - उदाहरण के लिए- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण के कारण भोजन एवं पानी की कमी गरीब समुदायों को अधिक प्रभावित करती है, जिससे समानता का अधिकार प्रभावित होता है।**
- **संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में क्या कहा गया है?**
  - भारत के संविधान के **अनुच्छेद 14** में सभी व्यक्तियों को **"विधि के समक्ष समता"** तथा **"विधियों के समान संरक्षण"** का मूल अधिकार दिया गया है।
  - संविधान के **अनुच्छेद 21** में **"प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता** यानी **जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण"** को मूल अधिकार घोषित किया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने **एम.के. रणजीतसिंह और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद** में अपना फैसला सुनाते हुए उपर्युक्त टिप्पणी की है। गौरतलब है कि इस वाद में **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और उसके पर्यावास के संरक्षण** के लिए एक रिट याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से संबंधित अन्य बातें

- सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास वाले इलाकों में ओवरहेड हाई-वोल्टेज और लो-वोल्टेज वाली बिजली लाइनों को जमीन के नीचे बिछाने हेतु दिए गए अपने पहले के **व्यापक दिशा-निर्देश को संशोधित** किया है।
- सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश में संशोधन के लिए MoEF&CC[48], विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक याचिका दायर की थी।
- **सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में अब क्या कहा**
  - कोर्ट ने GIB के पर्यावास वाले सभी इलाकों में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज बिजली लाइनों को भूमिगत करने के लिए दिए गए अपने पहले के **व्यापक दिशा-निर्देश** को वापस ले लिया है।
  - **अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो-**
    - GIB के लिए प्राथमिकता वाले इलाकों के रूप में पहचाने गए पर्यावास में **ओवरहेड और भूमिगत विद्युत लाइनों की संभावना/ दायरा, व्यवहार्यता और सीमा निर्धारित करेगी।**
    - मध्य-पूर्व के देशों में **होउबारा बस्टर्ड** नामक इसी तरह की एक प्रजाति के संरक्षण के लिए किए जा रहे **अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम उपायों का अध्ययन करेगी।**
    - GIB के साथ-साथ उनके पर्यावास में रहने में वाले अन्य जीवों की **सुरक्षा और संरक्षण हेतु उपाय बताएगी।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने फैसले को GIB की आबादी में कमी के लिए जिम्मेदार अन्य कई कारकों और भूमिगत केबल बिछाने से जुड़े समस्याओं के चलते पलटा है।**

नोट: *ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पहले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखें- (i) PT 365 पर्यावरण (अप्रैल-दिसंबर) डॉक्यूमेंट में आर्टिकल 3.2.13.* ***सुर्ख़ियों में रही प्रजातियां*** *और (ii) PT 365 अपडेट पार्ट 1 (जनवरी-मार्च) डॉक्यूमेंट में आर्टिकल 4.3.12.* ***अन्य संबंधित सुर्ख़ियां।***

पर्यावरणीय मुद्दों के संवैधानिकीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसले

- **रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1988):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के **अनुच्छेद 21** के हिस्से के रूप में स्वस्थ वातावरण यानी बेहतर पर्यावरण में रहने के अधिकार को मान्यता दी थी।

[48] Ministry of Environment, Forests and Climate Change/ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

- **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद (1987):** संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत **प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार** को जीवन के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना गया है।
- **वीरेंद्र गौर बनाम हरियाणा राज्य वाद (1995):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण तथा वायु एवं जल प्रदूषण से मुक्त पारिस्थितिक संतुलन को **अनुच्छेद 21 का हिस्सा** बताया था।
- **टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य वाद (1996):** इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हरे भरे क्षेत्रों की प्रकृति, वर्गीकरण या स्वामित्व की परवाह किए बिना **"वन (Forest)" के अर्थ का विस्तार** किया था। इसका उद्देश्य हरित क्षेत्रों का संरक्षण करना था।
- **वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ वाद (1996):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **"एहतियाती सिद्धांत[49]"** और **"प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत[50]"** वस्तुतः "संधारणीय विकास" की अनिवार्य विशेषताएं हैं।
  - **एहतियाती सिद्धांत (Precautionary principle):** यह सिद्धांत नीति-निर्माताओं को पर्यावरण या स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे स्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य न होने पर सावधानी बरतने को कहता है।
  - **प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत (Polluter pays principle):** यह सिद्धांत प्रदूषण उत्पन्न करने वालों द्वारा ही प्रदूषण के प्रबंधन की लागत उठाने की बात करता है।

पर्यावरण के संबंध में अन्य संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 48A:** राज्य, देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 51A(g):** प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वन, झील, नदी और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उन्हें बढ़ावा दे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे।

4.4.3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

NGT ने पंजाब सरकार को यह खुलासा करने का निर्देश दिया है कि वह पराली जलाने की घटनाओं में कमी करने के अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के बारे में

- यह एक **विशेष न्यायिक निकाय** है, जो **देश में पर्यावरणीय मामलों पर निर्णय** लेता है। इसकी सहायता के लिए पर्यावरण से संबंधित विशेषज्ञ शामिल होते हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - मामले का निपटान **आवेदन या अपील दाखिल करने के 6 माह के भीतर** किए जाने का प्रावधान किया गया है।
- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना **NGT अधिनियम, 2010** के तहत एक **वैधानिक निकाय** के रूप में की गई थी।
- **संरचना:**
  - इसका एक **अध्यक्ष** होता है।
  - **सदस्य:** इसमें **न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य** होते हैं। इसी प्रकार, **न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य** होते हैं।
- **योग्यता:**
  - कोई भी व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, जब वह **उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश** है या रहा है।
  - हालांकि, जो व्यक्ति **उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, वह न्यायिक सदस्य के रूप में ही नियुक्ति** के लिए पात्र है।

[49] Precautionary Principle

[50] Polluter Pays Principle

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल

- **मार्गदर्शक सिद्धांत:** यह निकाय **प्राकृतिक न्याय** के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। NGT **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है।
    - किसी भी आदेश/ निर्णय/ पंचाट को पारित करते समय, यह निम्नलिखित सिद्धांतों को लागू करता है-
        - **सतत विकास,**
        - **पूर्वोपाय सिद्धांत** और
        - **प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत।**
- **शक्तियां**
    - इसे **सिविल न्यायालय की शक्तियां** प्राप्त हैं;
    - यह **स्वत: संज्ञान लेते हुए मामलों की सुनवाई** कर सकता है; तथा
    - इसे प्रभावित व्यक्तियों को **मुआवजे और क्षतिपूर्ति के रूप में राहत देने** का आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है।
- **अपील**
    - इसके **आदेश बाध्यकारी** होते हैं, परन्तु इसके आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है। इसके आदेशों/ निर्णयों के खिलाफ **90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील** की जा सकती है। इसे अपने **निर्णयों की समीक्षा** करने का अधिकार भी प्राप्त है।

NGT केवल 7 कानूनों से संबंधित मामलों पर निर्णय देता है

- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- जैव विविधता अधिनियम, 2002

- **पीठें:** इसकी पीठें पांच ज़ोन्स में विभाजित की गई हैं। ये हैं- उत्तर, मध्य, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इसकी **प्रधान पीठ दिल्ली** में है। यह पीठ **उत्तरी ज़ोन** में आती है।

संबंधित तथ्य: पर्यावरण संरक्षण शुल्क (EPC) और पर्यावरण प्रतिपूर्ति के रूप में

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के अनुसार उसने पर्यावरण संबंधी निधियों में जमा 80 प्रतिशत राशि का उपयोग नहीं किया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, **पर्यावरण संरक्षण शुल्क (EPC) और पर्यावरण प्रतिपूर्ति** के माध्यम से कुल 777.69 करोड़ रुपये संग्रह किए गए थे। हालांकि, **CPCB ने इसमें से केवल 20% का ही उपयोग** किया है।
- **CPCB को दो मदों के तहत प्रतिपूर्ति मिलती है:**
    - **पर्यावरण संरक्षण शुल्क (EPC) के तहत:** वाहन डीलर/ निर्माता को कुछ प्रकार के नए डीजल वाहनों पर **एक प्रतिशत EPC का भुगतान करना आवश्यक** है। यह शुल्क **केवल दिल्ली और NCR में पंजीकृत वाहनों** पर ही लगाया गया है।
        - **सुप्रीम कोर्ट के आदेश** के तहत यह शुल्क प्राप्त होता है।
        - **पर्यावरण प्रतिपूर्ति के रूप में:** यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नीतिगत उपाय है। यह **"प्रदूषक द्वारा भुगतान" सिद्धांत (Polluter Pay Principle)** पर आधारित है।
            - यह प्रतिपूर्ति **NGT के आदेश** के तहत प्राप्त होती है।
            - इससे प्राप्त फंड का उपयोग **पर्यावरण संरक्षण से जुड़े निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है;**
            - लैब्स/ निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने में,
            - NGT के आदेशों के अनुपालन में परियोजनाओं को लागू करने में,
            - प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्षमता निर्माण में आदि।

4.4.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

4.4.4.1. पैरा फसल पद्धति/ कृषि विधि (Paira cropping system)

- हाल के वर्षों में, **ओडिशा में संरक्षण कृषि** की यह विधि अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है।
- **पैरा फसल पद्धति/ कृषि विधि के बारे में:** यह **फसल बुआई की एक रिले विधि** है। इसमें **धान** की खड़ी फसल की कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले उसी खेत में कम अवधि में तैयार होने वाली **दलहनी/ तिलहनी फसलों के बीजों का छिड़काव** किया जाता है।
- इस तरह नई फसल की बुआई से पहले **खेत की जुताई, निराई, सिंचाई और उर्वरक के उपयोग की जरूरत नहीं** पड़ती है।
- **लाभ:** भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होता है, किसानों की आय में वृद्धि होती है आदि।
- **पैरा फसल पद्धति/ कृषि विधि वाले राज्य/क्षेत्र**: बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा।

4.4.4.2. वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल (World Energy Council)

- हाल ही में, **26वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस रॉटरडैम (नीदरलैंड)** में संपन्न हुई। इसकी सह-मेजबानी **वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल (WEC)** ने की थी।
- **WEC के बारे में**
  - **स्थापना:** 1923 में स्थापित। यह **संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त वैश्विक ऊर्जा निकाय** है।
  - **मिशन:** बेहतर जीवन और स्वस्थ ग्रह के लिए स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच को सक्षम बनाना।
  - **भूमिका**: यह **प्रमुख और प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा समुदाय तथा एनर्जी ट्रांज़िशन लीडर्स का नेटवर्क** है। यह ऊर्जा क्षेत्रक से जुड़े व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है।
  - **सदस्य**: इसके अंतर्गत **3,000 से अधिक सदस्य संगठनों का नेटवर्क** है और इनकी **लगभग 90 देशों में उपस्थिति** है। ये संगठन **सार्वजनिक, निजी और अकादमिक क्षेत्रकों** से संबंधित हैं।

4.4.4.3. विश्व का पहला 'परमाणु ऊर्जा सम्मेलन' (World's first ever Nuclear Energy Summit)

- परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और बेल्जियम** ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया था।
  - इसका आयोजन **ग्लोबल स्टॉकटेक** में परमाणु ऊर्जा को शामिल किए जाने के ऐतिहासिक निर्णय के मद्देनजर किया गया था। उल्लेखनीय है कि **संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-28), 2023** में ग्लोबल स्टॉकटेक पर सहमति बनी थी।
  - ग्लोबल स्टॉकटेक में परमाणु ऊर्जा को शामिल करने का अर्थ इसके व्यावहारिक उपयोग में तेजी लाने का समर्थन करना है।
    - वर्तमान में, वैश्विक स्तर पर **निम्न कार्बन उत्सर्जन आधारित विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 25%** है।
- परमाणु ऊर्जा सम्मेलन में **भारत सहित 30 से अधिक देशों एवं यूरोपीय संघ** ने भाग लिया था।

4.4.4.4. अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty)

- भारत प्रतिष्ठित **46वीं "अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक"** (Antarctic Treaty Consultative Meeting) की मेजबानी करेगा।
  - इस बैठक का आयोजन **राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR)** करेगा। NCPOR, **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** के अंतर्गत कार्य करता है।
- **अंटार्कटिक संधि के बारे में:**
  - इस पर **1959** में हस्ताक्षर किए गए थे और यह **1961** में लागू हुई थी।
  - इस संधि के कुल **56 पक्षकार** हैं।
  - भारत ने **1983 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर** किए थे और उसी वर्ष **कंसल्टेटिव देश** का दर्जा प्राप्त किया था।
    - भारत ने अंटार्कटिक संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए **भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022** बनाया है।
  - **संधि के मुख्य प्रावधान:**
    - अंटार्कटिका का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा,

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल

- देशों को अंटार्कटिका का वैज्ञानिक अध्ययन करने की स्वतंत्रता होगी आदि।

- **मुख्य प्रोटोकॉल और कन्वेंशन:**
  - अंटार्कटिक संधि पर पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल (मैड्रिड प्रोटोकॉल), 1991;
  - अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन, 1980 आदि।

4.4.4.5. सौर फोटोवोल्टिक क्षमता (Solar photovoltaic Potential: SPV)

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, **सौर फोटोवोल्टिक (SPV) क्षमता में सामान्य गिरावट** दर्ज की गई है।
  - SPV सौर विकिरण की वह मात्रा है, जिसे व्यावहारिक रूप से **फोटोवोल्टिक पैनल्स द्वारा विद्युत में परिवर्तित** किया जा सकता है। इसे आमतौर पर **प्रति संस्थापित किलोवाट क्षमता (kWh/kWp) की तुलना में उत्पादित किलोवाट-घंटे** के रूप में मापा जाता है।
- भारत में सबसे बड़े सोलर पार्क्स **गुजरात और राजस्थान** में स्थित हैं। इन राज्यों में भी **सौर फोटोवोल्टिक क्षमता में कमी दर्ज** की जा रही है।
- **गिरावट के कारण:** कार्बन उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन दहन, महीन धूल कणों आदि के कारण वायुमंडल में **एयरोसोल की मात्रा में वृद्धि** हो रही है।
  - **एरोसोल्स सूर्य के प्रकाश को अवशोषित** करते हैं और इसका **प्रकीर्णन** कर देते हैं। ये घने बादलों के निर्माण में भी सहायक होते हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता है।
- **वैश्विक सौर विकिरण (GAR),** सौर विकिरण की वह कुल मात्रा है, जो पृथ्वी की सतह पर **प्रति इकाई क्षेत्र** में प्राप्त हो रही है।

4.4.5. रिपोर्ट्स और सूचकांक (Reports and Indices)

रिपोर्ट	विवरण
भारत का वार्षिक "भूमि उपयोग और भूमि आवरण (Land Use and Land Cover: LULC) एटलस"	• यह एटलस **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) ने जारी** किया है। इस एटलस का उद्देश्य **पर्यावरण की विकासमान कार्यप्रणाली की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए भूमि उपयोग पैटर्न का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण** करना है। • **एटलस के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर** ○ **कृषि:** पिछले 17 वर्षों में **खरीफ और रबी फसल** के उत्पादन क्षेत्र में **क्रमशः 46.06% और 35.23% की वृद्धि** दर्ज की गई है। इसके विपरीत, **परती भूमि में 45.19% की कमी** आई है। ▪ 2005 के बाद से **2016-17 तक झूम खेती में वृद्धि** हुई थी। इसके बाद इसमें गिरावट देखी गई है। ○ **जल संसाधन:** जल संसाधन से आशय है न्यूनतम जल वाला जल निकाय। एटलस से संकेत मिलता है कि 2005 के बाद से **जल संसाधनों में 146%** की वृद्धि हुई है। ○ **बिल्ट अप एरिया:** 2005 के बाद से **30.77% की समग्र वृद्धि के साथ बढ़ोतरी** दर्शाता है। ▪ **बंजरभूमि (निम्नीकृत और अनुत्पादक भूमि) ने बिल्ट अप एरिया के विस्तार में 12.3% का महत्वपूर्ण योगदान** दिया है।
खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट, 2024 {Food Waste Index (FWI) Report 2024}	• **शुरुआत:** यह रिपोर्ट **वेस्ट एंड रिसोर्सेज़ एक्शन प्रोग्राम (WRAP)** के सहयोग से तैयार की गई है। यह रिपोर्ट **अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस** के आयोजन से पहले प्रकाशित की गई है। ○ प्रतिवर्ष **30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस** आयोजित किया जाता है। • FWI **रिटेल और उपभोक्ता (घरेलू एवं खाद्य सेवा)** के यहां बर्बाद होने वाले भोजन व अनाज के अखाद्य हिस्सों की मात्रा को **वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक** करता है। • यह सतत विकास लक्ष्य **(SDG)-12.3 के दो संकेतकों के गोल्स का समर्थन** करता है, जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है। **ये दो संकेतक हैं-** ○ **SDG 12.3.1 (a): खाद्य हानि सूचकांक (Food Loss Index: FLI)** इस संकेतक का उप-संकेतक है। FLI फसल कटाई के बाद के नुकसान सहित **उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य हानि को कम** करने में मदद करता है। **खाद्य और कृषि संगठन, FLI का संरक्षक** है। ○ **SDG 12.3.1 (b): FWI** इस संकेतक का उप-संकेतक है। FWI रिटेल और उपभोक्ता स्तर पर **प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट की मात्रा को कम करके आधा** करने पर केंद्रित है। **UNEP, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) का संरक्षक** है।

4.5. आपदा प्रबंधन (Disaster Management)

4.5.1. टॉरनेडो (Tornadoes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तरी बंगाल में और अधिक टॉरनेडो आने की चेतावनी जारी की है।

टॉरनेडो के बारे में

- टॉरनेडो **तीव्र घूर्णन करने वाली वायु राशि का भूमि से जुड़ा ऊर्ध्वाधर स्तंभ** है। दरअसल, भयानक तड़ितझंझा (Thunderstorm) से कभी-कभी **वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण (नीचे आना)** करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होता है। इस परिघटना को '**टॉरनेडो**' कहते हैं।
  - इसमें **पवन की गति 105-322 कि.मी./ घंटा** तक हो सकती है।
- वे शीत वाताग्र के साथ और उनके आगे **गर्म, आर्द्र, अस्थिर वायु में तीव्र तड़ित झंझाओं (Thunderstorms) से विकसित** होते हैं।
  - तड़ित झंझा विनाशकारी स्थानीय तूफान होता है। यह **गरज, बिजली, भारी बारिश, ओलावृष्टि व तेज़ हवाएं** उत्पन्न करता है।
- टॉरनेडो **संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और बांग्लादेश** में सबसे आम परिघटनाएं हैं।
  - भारत में ये **मानसून पूर्व अवधि के दौरान पूर्वी राज्यों जैसे- पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में उत्पन्न** होते हैं।
  - भारत में ज्यादातर **उष्णकटिबंधीय चक्रवात** आते हैं।

मापदंड	उष्णकटिबंधीय चक्रवात	टॉरनेडो
आकार और पैमाना	**सैकड़ों मील** तक प्रभावी हो सकता है और विशाल क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है।	ये महज **कुछ सौ गज व्यास** तक ही सीमित होते हैं।
विंड शियर/वायु विरूपण (वायु वेग व दिशा में परिवर्तन)	बहुत कम मात्रा में क्षोभमंडलीय ऊर्ध्वाधर विरूपण (शियर) की आवश्यकता होती है।	क्षैतिज पवनों के पर्याप्त **ऊर्ध्वाधर विरूपण** की आवश्यकता है।
ताप प्रवणता	लगभग-**शून्य क्षैतिज ताप प्रवणता** वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता है।	**विशाल ताप प्रवणता** वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता है।
उत्पत्ति का क्षेत्र	यह विशुद्ध रूप से एक **समुद्री परिघटना** है।	मुख्यतः **भूमि पर उत्पन्न** होता है
घटित होने की अवधि	यह **कई दिनों तक सक्रिय** रहता है।	आमतौर पर **कुछ मिनटों के लिए सक्रिय** रहता है।
प्रभाव	भारी वर्षा, तूफान महोर्मि और **बड़े पैमाने पर तटीय बाढ़।**	**स्थानीय स्तर पर विनाश** का कारण बनता है।

4.5.2. अर्ली वॉर्निंग फॉर ऑल (Early Warnings for All: EW4All)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत पांच देशों- **नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरीशस** की आरंभिक चेतावनी प्रणालियां (EWSs)[51] विकसित करने में मदद कर रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत का यह प्रयास **2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अर्ली वॉर्निंग फॉर ऑल (EW4All)' पहल** का हिस्सा है।
  - **आरंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS):** यह दरअसल **संकट की निगरानी, पूर्वानुमान और प्रक्रियाओं की एक एकीकृत प्रणाली** है। यह व्यक्तियों व सरकारों को आपदा के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है।
- **EW4All के बारे में:**
  - इसका लक्ष्य **2027 के अंत** तक EWS की मदद से सभी देशों की **खतरनाक मौसमी घटनाओं, जलीय विपदाओं अथवा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं से रक्षा** करना है।
  - इसका नेतृत्व **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय** (UNDRR) द्वारा किया जा रहा है।

4.6. भूगोल (Geography)

4.6.1. बेसफ्लो (Baseflow)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक हालिया अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में नदी जनित बाढ़ के लिए वर्षा और मिट्टी की नमी की तुलना में बेसफ्लो अधिक जिम्मेदार रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके तहत प्रायद्वीपीय भारत की छह प्रमुख नदी घाटियों यथा- **नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी** का अध्ययन किया गया।

[51] Early Warning Systems

- इस अध्ययन से पता चला है कि उच्च बेसफ्लो वाले जलग्रहण क्षेत्रों में जल्दी-जल्दी और कम समय अंतराल पर वर्षा के चलते तीव्र सतही जल प्रवाह की संभावना बढ़ जाती है।

बेसफ्लो क्या होता है?

- दीर्घावधि के दौरान नदी में **भूजल के माध्यम से पहुंचने वाली जलधारा** को **बेसफ्लो** कहते हैं।
- भूजल का जल जब ऊपर बढ़ता हुआ नदियों के तल तक पहुँच जाता है तो भूजल नदियों के जल में जा मिलता है। इससे नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। सरल शब्दों में कहें तो नदी में भूजल के प्रवाह को ही आम तौर पर बेसफ्लो कहा जाता है।
- **बेसफ्लो को प्रभावित करने वाले कारक:** भूमि की स्थलाकृति, मिट्टी की प्रकृति, भूमि उपयोग पैटर्न, जलवायु परिवर्तन।
- **बेसफ्लो का पर्यावरणीय महत्त्व**
  - नदी के प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में,
  - गाद संचय में कमी और
  - पानी की गुणवत्ता बनाए रखने में।
- **बेसफ्लो में परिवर्तन के संभावित प्रभाव**
- **बाढ़ के खतरे में वृद्धि।**
- **नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव।**
- **जल के तापमान पर प्रभाव।**

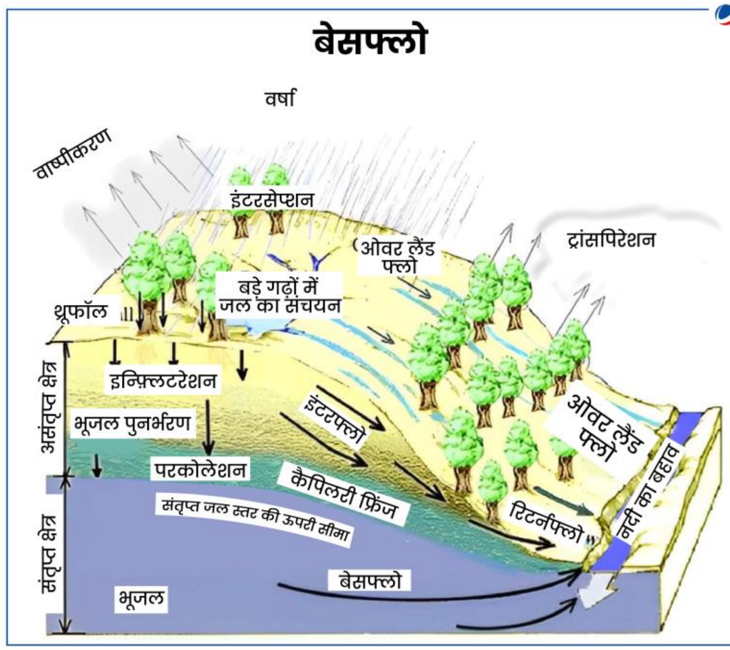

4.6.2. समय मापने का हमारा तरीका (Timekeeping)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हो रही है, जिससे समय मापने का हमारा तरीका भी प्रभावित हो सकता है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- हालिया वर्षों में पृथ्वी के कोर की संरचना में बदलाव के कारण इसकी **घूर्णन गति तेज** हो गई है। यद्यपि, जलवायु परिवर्तन के चलते ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से इस बढ़ती गति में कमी आई है।
- यदि पृथ्वी के घूर्णन में तेजी आती तो घड़ियों को सही रखने के लिए, **दो साल के समय अंतराल में एक नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ना जरूरी** हो जाता।
- हालांकि, जलवायु परिवर्तन की वजह से **यह प्रक्रिया तीन साल और टल गई** है तथा अब यह 2029 में होगी।

लीप सेकेंड के बारे में

- ऐतिहासिक रूप से, **यूनिवर्सल टाइम कोआर्डिनेटेड (UTC)** को समय के मानक के रूप में अपनाया गया है। इसके अनुसार एक दिन **86,400 सेकंड (24 घंटे * 60 मिनट * 60 सेकंड)** का होता है।
- हालांकि, **एक दिन की औसत अवधि पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्भर** करती है।
- **पृथ्वी की घूर्णन गति में उतार-चढ़ाव की स्थिति में UTC में लीप सेकंड जोड़** दिए जाते हैं।
- **पृथ्वी के घूर्णन की गति धीमी** होने की स्थिति में **एक नकारात्मक लीप सेकंड घटाया** जाता है। इसके विपरीत, **पृथ्वी के घूर्णन की गति तेज होने पर एक सकारात्मक लीप सेकंड जोड़ा** जाता है।
- अब तक 27 **पॉजिटिव लीप सेकंड** रहे हैं, लेकिन कोई निगेटिव लीप सेकंड नहीं रहा है।

© Vision IAS

पृथ्वी के घूर्णन के बारे में

- **पृथ्वी प्रत्येक 24 घंटे के औसत सौर समय** में सूर्य के सापेक्ष **अपनी धुरी पर घूर्णन** करती है। पृथ्वी की घूर्णन धुरी सूर्य के चारों ओर अपनी **कक्षा के तल के सापेक्ष लगभग 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी** हुई है।
- **पृथ्वी का घूर्णन तीन प्रमुख भूभौतिकीय प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है-**
  - **ज्वारीय क्षय (Tidal dissipation):** उथले और गहरे दोनों सागरों के समुद्री जल और समुद्री नितल के बीच निरंतर घर्षण होता रहता है। इसने पृथ्वी की घूर्णन गति को लगातार धीमा किया है।
  - **पृथ्वी का कोर:** पृथ्वी का **आउटर कोर तरल अवस्था** में है। इसके अंदर धाराओं के प्रवाह में बदलाव होता रहता है, जिसके चलते पृथ्वी का घूर्णन प्रभावित होता है।
  - **हिमनदों का पिघलना:** ध्रुव पर हिमनदों के पिघलने से निकलने वाला **जल वैसे तो सभी महासागरों** में जाता है, परन्तु यह सबसे ज्यादा **भूमध्य रेखा के आस-पास जाकर एकत्रित** होता है।
    - इसके चलते **पृथ्वी के आकार में बदलाव** आता है। यह **पृथ्वी को चपटा** बनाता है, जिससे पृथ्वी की **घूर्णन गति धीमी** हो जाती है।

4.6.3. जियोपार्क्स (Geoparks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनेस्को (UNESCO) ने 18 नए जियोपार्क्स को **"ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क (GGN)"** में शामिल करने को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन 18 नए जियोपार्क्स के शामिल होने के साथ ही अब **जियोपार्क्स की कुल संख्या 213** हो गई है। ये सभी जियोपार्क्स **48 देशों** में स्थित हैं।
  - गौरतलब है कि **भारत में यूनेस्को द्वारा नामित कोई जियोपार्क मौजूद नहीं** है।
- **GGN में हाल ही में शामिल किए गए कुछ प्रमुख जियोपार्क्स निम्नलिखित हैं:**
  - **लैंड ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज़ (पोलैंड):** यहां पैलियोजोइक और सेनोजोइक महाकल्प के ज्वालामुखियों के विशिष्ट अवशेष प्राप्त हुए हैं।
  - **इम्पैक्ट क्रेटर झील (फिनलैंड):** यह यूरोप की सबसे बड़ी इम्पैक्ट क्रेटर झील है। यह 78 मिलियन वर्ष पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से बनी थी।
  - **उबेराबा (ब्राज़ील):** इसे 'लैंड ऑफ जायंटस' भी कहते हैं। यह उपनाम इस पार्क की जीवाश्म विज्ञान से जुड़ी समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है।
- **यूनेस्को के ग्लोबल जियोपार्क (UGGPs) के बारे में**
  - **UGGPs के बारे में:** UGGPs ऐसे **एकल और एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र** हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के भूवैज्ञानिक परिदृश्यों को निम्नलिखित समग्र उद्देश्यों से प्रबंधित किया जाता है:
    - **संरक्षण** के उद्देश्य से,
    - **शिक्षा** के उद्देश्य से और
    - **सतत विकास** के उद्देश्य से।
  - **उत्पत्ति:** जियोपार्क की अवधारणा की उत्पत्ति 1990 के दशक के मध्य में हुई थी। हालांकि, **UGGPs की स्थापना 2015** में जाकर हुई थी।
  - **प्रबंधन:** जियोपार्क का प्रबंधन **राष्ट्रीय कानून के तहत गठित वैधानिक संस्था** द्वारा किया जाता है।
  - **जियोपार्क का दर्जा स्थायी नहीं होता:** यह दर्जा **चार साल की अवधि** के लिए दिया जाता है। इस अवधि के बाद जियोपार्क का फिर से मूल्यांकन किया जाता है।
  - **अनिवार्य नेटवर्किंग:** UGGPs के लिए "ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क (GGN)" की सदस्यता अनिवार्य है।
  - **महत्त्व:**
    - UGGPs का दर्जा **स्थानीय समुदाय के भीतर अपने क्षेत्र के बारे में गर्व की भावना पैदा** करता है। साथ ही, यह क्षेत्र के साथ उनकी पहचान को भी मजबूत करता है।
    - जियो-टूरिज्म को बढ़ावा देकर **राजस्व के नए स्रोत सृजित** होते हैं।

ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क (GGN) के बारे में

- यह एक **गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ** है। आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना **2014** में की गई थी।
  - GGN की स्थापना **यूनेस्को के तत्वाधान में विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी** के रूप में की गई है।
- **ग्लोबल जियोपार्क्स के बीच नेटवर्किंग और सहयोग** GGN का एक महत्वपूर्ण घटक है।

4.6.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

4.6.4.1. रॉग वेव्स (Rogue Waves)

- **अंटार्कटिका** में मेलबर्न विश्वविद्यालय के एक अभियान में पता चला है कि **पवनें प्रबल व अति विशाल रॉग वेव्स के निर्माण** को प्रेरित करती हैं।
- **रॉग वेव्स:** इन वेव्स को **'प्रबल तूफानी लहरें'** भी कहा जाता है। इन लहरों की ऊंचाई **आसपास की लहरों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक** होतीता है।
- रॉग वेव्स का निर्माण **ताजे जल के बड़े निकायों सहित समुद्र** में भी हो सकता है। ये अक्सर **असामान्य रूप से गहरे गर्तों के साथ खड़ी ढलान** वाली होती हैं।
- रॉग वेव्स **असामान्य रूप से विशाल, अप्रत्याशित और खतरनाक प्रकृति** की होती हैं। ये **जहाजों या तटीय अवसंरचना को नुकसान पहुंचा** सकती हैं।

4.6.4.2. स्वेल वेव्स (Swell Waves)

- विशाल लहरों या स्वेल वेव्स से **केरल के तटीय क्षेत्र जलप्लावित** हो गए थे।
- **स्वेल वेव्स के बारे में:** ये सुदूर मौसम प्रणालियों द्वारा उत्पन्न **यांत्रिक या सतही गुरुत्व लहरों की एक श्रृंखला है, जो महासागरों और समुद्रों में हजारों मील तक** पहुंचती है।
- ये लहरें वायु के प्रवाह की दिशा से भिन्न दिशाओं में आगे बढ़ सकती हैं।
- ऐसी लहरें स्थानीय पवनों या तटीय वातावरण में किसी भी विशेष अग्रिम परिवर्तन के बिना आ सकती हैं।
- केरल में इन लहरों को **कल्लाकदल** के नाम से जाना जाता है।

4.6.4.3. वॉल्कैनिक वॉरटेक्स रिंग्स (Volcanic Vortex Rings: VVR)

- माउंट एटना ज्वालामुखी में दुर्लभ "वॉल्कैनिक वॉरटेक्स रिंग्स (VVR)" दर्ज किए गए हैं।
- गौरतलब है कि वॉल्कैनिक वॉरटेक्स रिंग्स (VVR) को **ज्वालामुखीय धुएं के छल्ले (Smoke rings)** भी कहा जाता है। ये छल्ले ज्वालामुखी में बने **क्रेटर में सर्कुलर वेंट (छिद्र) के जरिए जलवाष्प जैसी गैसों के बाहर निकलने** के दौरान बनते हैं।

4.6.4.4. रिंगवूडाइट (Ringwoodite)

- शोधकर्ताओं की एक टीम ने जल के एक विशाल भंडार **'रिंगवूडाइट महासागर'** की खोज की है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 700 कि.मी. नीचे **मैंटल** में स्थित है।
  - **रिंगवूडाइट महासागर** पृथ्वी के मैंटल में रिंगवुडाइट नामक खनिजों में मौजूद जल का एक विशाल भंडार है।
- **रिंगवूडाइट के बारे में:** यह **नीले रंग का एक चमकीला** खनिज है। इसका निर्माण पृथ्वी के मैंटल में उच्च तापमान और उच्च-दाब के कारण होता है।
  - यह उल्कापिंडों में अत्यधिक **उच्च दबाव में बनने वाले खनिजों में से एक है।**
  - इसका नाम ऑस्ट्रेलियाई भू-वैज्ञानिक **अल्फ्रेड ई. रिंगवुड** के नाम पर रखा गया है। उन्होंने मैंटल में पाए जाने वाले आम खनिजों जैसे ओलिवाइन और पाइरोक्सिन में **पोलिमोर्फ़िक फेज ट्रांजिशन (Polymorphic phase transitions)** का अध्ययन किया था।

4.6.4.5. जीरो शैडो डे (Zero Shadow Day)

- हाल ही में, **बेंगलुरु में एक दुर्लभ खगोलीय परिघटना** दर्ज की गई। इसे **'जीरो शैडो डे'** के नाम से जाना जाता है।
- **जीरो शैडो डे के बारे में:** यह परिघटना तब घटित होती है, **जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर एक सीध में आ जाता है।** ऐसी स्थिति में लंबवत (वर्टिकल) ऑब्जेक्ट्स की कोई परछाई नजर नहीं आती है।
- यह परिघटना **वर्ष में दो बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्रों** में घटित होती है।
  - यह **एक बार ग्रीष्म अयनांत (Summer Solstice)** के दौरान और **दूसरी बार शीत अयनांत (Winter Solstice) के दौरान** घटित होती है।
- जीरो शैडो डे **अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग घटित** होता है।

© Vision IAS

4.6.4.6. पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र (Permafrost Region)

- हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र **कार्बन के नेट सिंक** से **कार्बन उत्सर्जन के स्रोत** में तब्दील हो सकते हैं।
- पर्माफ्रॉस्ट **पृथ्वी की सतह पर या उसके नीचे** स्थायी रूप से जमी हुई परत होती है। इसमें बर्फ के कारण मिट्टी, बजरी और रेत जमी हुई अवस्था में होती है।
- पर्माफ्रॉस्ट का तापमान आमतौर पर **कम-से-कम दो वर्षों** तक **0°C (32°F) पर** या **उससे नीचे** रहता है।
- जैसे-जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म होती है वैसे-वैसे पर्माफ्रॉस्ट पिघलने लगता है। इसका मतलब यह है कि पर्माफ्रॉस्ट के अंदर की बर्फ पिघल जाती है, जिसके बाद जल और मृदा बची रह जाती है।
- **पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने का प्रभाव:**
  - कार्बन का नेट सोर्स।
  - रोग का प्रकोप।
  - अवसंरचनाओं की स्थिरता।

4.6.5. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

4.6.5.1. सुर्ख़ियों में रही नदियां (भारत) {Rivers in news (India)}

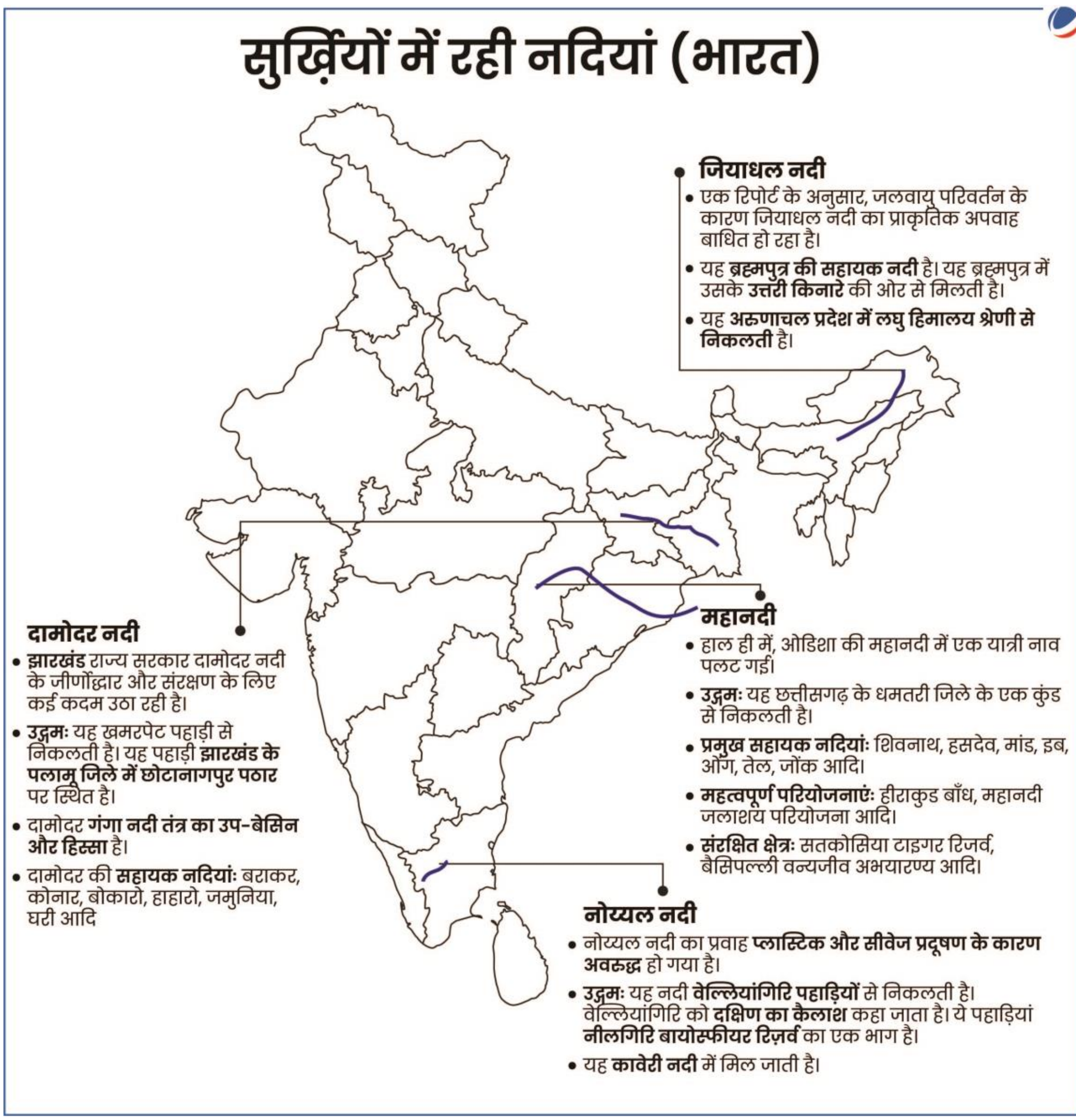

4.6.5.2. सुर्ख़ियों में रहे स्थल: अंतर्राष्ट्रीय (Places in News: International)

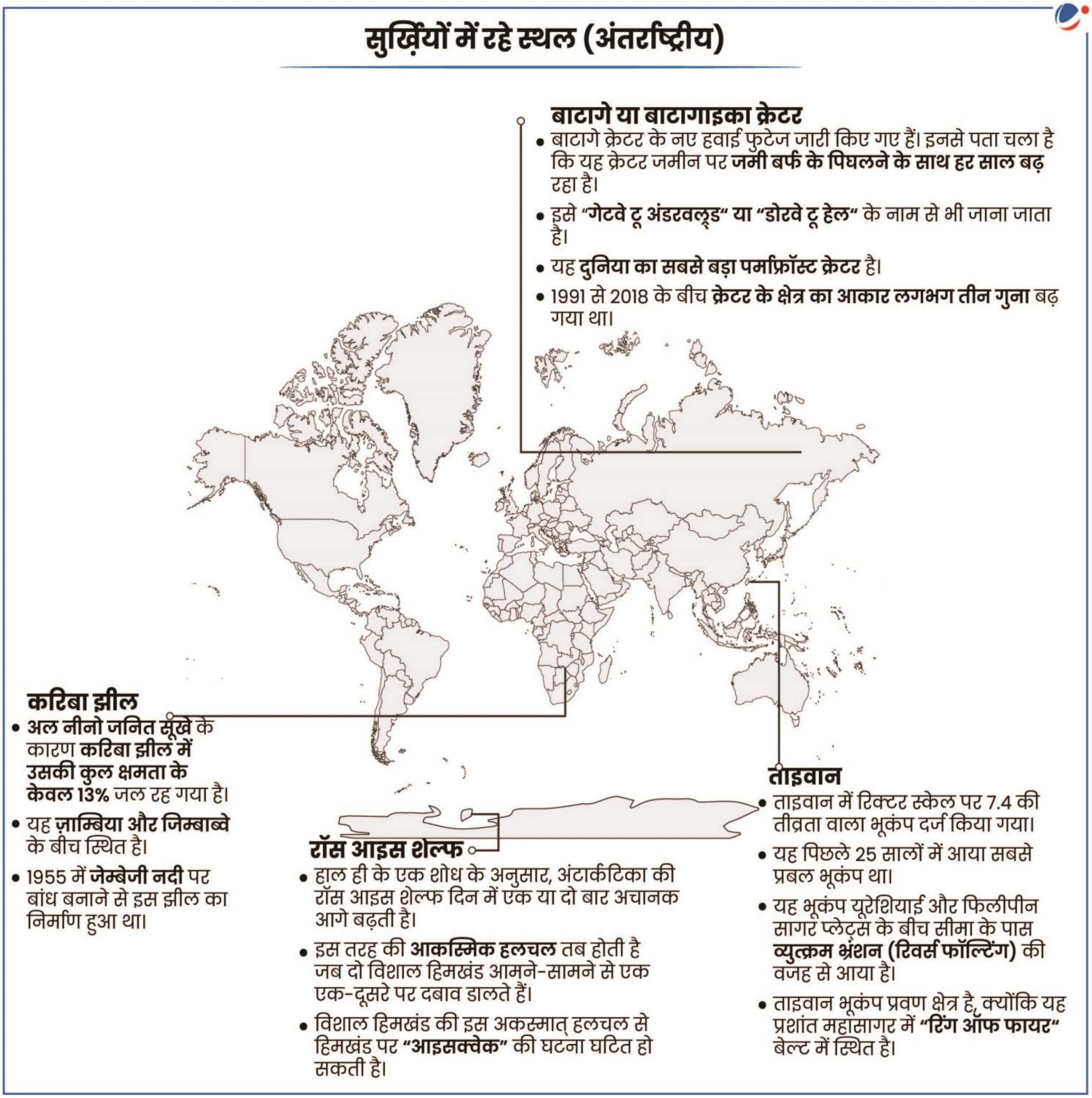

4.7. शुद्धिपत्र (Errata)

PT 365: पर्यावरण (अप्रैल-दिसंबर)

- **आर्टिकल 3.4.1. "खुले समुद्र की सुरक्षा के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि":** पृष्ठ 107 पर 'समुद्री क्षेत्र' शीर्षक वाले इन्फोग्राफिक में, प्रादेशिक समुद्र, सन्निहित क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की सीमा को डिज़ाइन त्रुटि के कारण गलत तरीके से चिन्हित किया गया है। सही इन्फोग्राफिक यह है:

UNCLOS समुद्री क्षेत्र

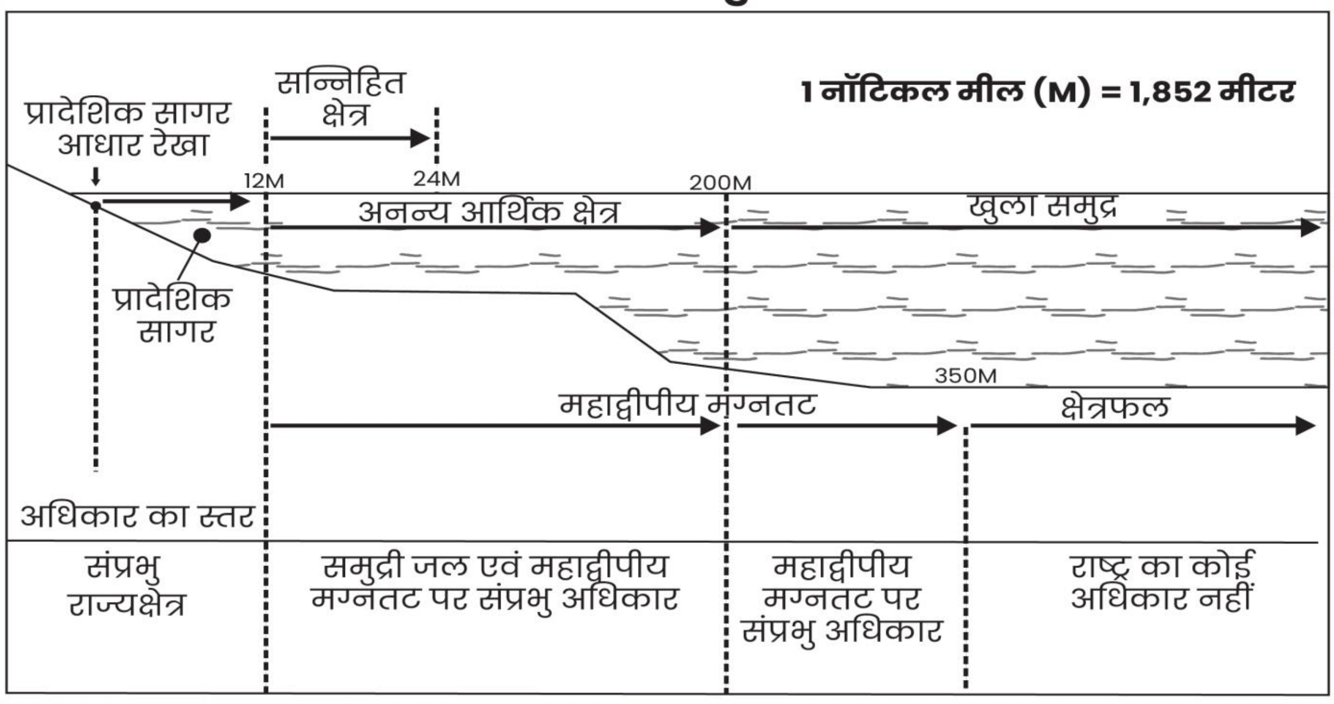

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

wwww.visionias.in
8468022022, 9019066066

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएं

व्यापक कवरेज

- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी

- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज

- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स

- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां

- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?

- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्ख़ियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

5. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

5.1. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (Early Childhood Care and Education: ECCE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने 3 से 6 साल के बच्चों के **'अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन' (ECCE) के लिए 'आधारशिला'** शीर्षक से एक **नेशनल करिकुलम (2024)** जारी किया है।

अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) के बारे में

- भारतीय संदर्भ में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) को आम तौर पर जन्म से लेकर आठ वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें शामिल है:
  - **0-3 वर्ष के बच्चों के लिए क्रेच/ होम स्टिम्युलेशन** के जरिए अर्ली स्टिम्युलेशन प्रोग्राम।
  - **3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन (ECE) कार्यक्रम** (जैसा कि आंगनबाड़ियों, बालवाड़ियों, नर्सरी, प्री-स्कूल, किंडरगार्टन, प्रारंभिक स्कूलों आदि में देखा जाता है)।
  - **6-8 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा** के भाग के रूप में प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।
- भारत सरकार ने **2013 में नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) नीति** को अपनाया था।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** और **नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज (NCF-FS) 2022** ने देश में ECCE की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी है।
  - NCF-FS के संस्थागत दिशा-निर्देश विशेष रूप से **3-6 साल और 0-3 साल के आयु समूह के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ECCE** को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं।
  - NCF-(FS) 2020 पंचकोश अवधारणा को एकीकृत करके बच्चों के विकास संबंधी बहुमुखी प्रकृति को मान्यता देता है।
- **आधारशिला ECCE, 2024** के लिए **नेशनल करिकुलम** इस आवश्यकता को पूरा करता है।
  - नेशनल ECCE करिकुलम 2024 (3-6 वर्ष) का उद्देश्य लर्निंग से जुड़े सभी डोमेन्स को कवर करते हुए क्षमता-आधारित शिक्षण और गतिविधियों को प्राथमिकता देकर आंगनवाड़ी केंद्र में प्रदान की जाने वाली प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

पंचकोश अवधारणा को एकीकृत करना और बच्चे का समग्र विकास

अन्नमय कोष	प्राणमय कोष	मनोमय कोष	विज्ञानमय कोष	आनंदमय कोष
भौतिक परत आयु के अनुरूप संतुलित शारीरिक विकास, फिटनेस, लचीलापन, स्वस्थ जीवन शैली के लिए आदतों का विकास।	**जीवन शक्ति ऊर्जा परत** संतुलन, प्रतिधारण, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना, उत्साह और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करना।	**मन की परत** सामाजिक भावनात्मक और नैतिक विकास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनाओं को संभालना, पर्यावरण के साथ संबंध।	**बौद्धिक परत** संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, विश्लेषणात्मक क्षमता, तार्किक बातें, संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देना।	**आंतरिक आत्म परत** सौंदर्य और सांस्कृतिक विकास।

 © Vision IAS

भारत में ECCE के लिए की गई पहलें

- **वर्ष 1975 में शुरू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा** का उद्देश्य छोटे बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के कुपोषण, स्वास्थ्य और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था।
- **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:** यह एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है, जो बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की समस्या का समाधान करने पर केंद्रित है।
- मिशन शक्ति के तहत **पालना (आंगनवाड़ी सह क्रेच का प्रावधान)** और **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)** शुरू की गई है।
- **वर्ष 2023 में 'पोषण भी पढ़ाई भी' पहल लॉन्च की गई।**
- **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** में प्रावधान है कि सरकार पूर्व-विद्यालय शिक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकती है।
- **अन्य नीतियां:** इसमें राष्ट्रीय बाल नीति (1974), राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (1986), बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (2005) शामिल हैं।

वैश्विक पहलें:

- यूनेस्को ने **प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए वैश्विक भागीदारी रणनीति (Global Partnership Strategy for Early Childhood) की स्थापना की है।**
  - इसका समग्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ECCE, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चे के विकास को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां प्रत्येक बच्चे के लिए पूरी तरह से समावेशी, सुलभ, किफायती, जेंडर-रेस्पोंसिव और न्यायसंगत हों।
- **बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (CRC)[52] 1989** और **सभी के लिए शिक्षा (EFA)[53] 1990,** का लक्ष्य सभी बच्चों के लिए शिक्षा को सुगम बनाना है, क्योंकि **"सीखने की शुरुआत जन्म से ही हो जाती है"।**
  - भारत इन दोनों कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है।
- **"SDG4 - शिक्षा 2030"** एजेंडा में शिक्षा समुदाय से परे ECCE के लिए पहली वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है।

5.1.1. नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टीमुलेशन {National Framework for Early Childhood Stimulation (ECS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जन्म से लेकर तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए "नवचेतना, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टीमुलेशन (ECS)"** जारी किया है।

अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन (ECS) के बारे में

- इसकी शुरुआत **माता के गर्भ में गर्भधारण के बाद** बच्चों में **जैविक और संवेदन संबंधी विकास** से ही हो जाती है।
  - स्टिमुलेशन गतिविधियों में बच्चे के प्रारंभिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले प्रयास शामिल होते हैं।
- इसका उद्देश्य जन्म से लेकर बच्चे के विकास के पहले तीन वर्षों तक देखभाल और स्टिमुलेशन को समझने एवं लागू करने में मौजूद वैचारिक तथा व्यावहारिक अंतराल को भरना है।
- यह फ्रेमवर्क घर के अंदर और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों या क्रेच में गतिविधियों का मार्गदर्शन करता है।
- इसमें **दिव्यांग बच्चों को भी शामिल करने के लिए** एक **स्क्रीनिंग टूल (आयु आधारित)** शामिल किया गया है।

52 Convention on the Rights of the Child

53 Education for All

- **प्रारंभिक बाल्यावस्था में अनुकरण की आवश्यकता क्यों है?**
  - प्रारंभिक तीन वर्षों की आयु में शिशु का मस्तिष्क एक वयस्क के मस्तिष्क की तुलना में दोगुना सक्रिय होता है। इसी उम्र में **मस्तिष्क में सोचने और प्रतिक्रिया देने के पैटर्न** बनते हैं।
  - जन्म के समय, एक औसत शिशु का मस्तिष्क **औसत वयस्क के मस्तिष्क के आकार का लगभग 25%** होता है। **शेष 75% का विकास बच्चे के जीवन के आरंभिक तीन वर्षों** में होता है।
- यह फ्रेमवर्क **पोषण देखभाल फ्रेमवर्क के पांच घटकों में से दो पर** बल देता है: **(1) उत्तरदायी देखभाल और (2) प्रारंभिक लर्निंग के लिए अवसर पैदा करना।**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **2018** में प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास के लिए **"पोषण देखभाल फ्रेमवर्क"** प्रदान किया था।
  - **अन्य तीन घटक हैं-** सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और पर्याप्त पोषण।

5.2. बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave: CCL)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार को **बाल देखभाल अवकाश (CCL) पर अपनी नीतियों की समीक्षा** करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य को **कामकाजी माताओं (विशेषकर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की माताओं) से संबंधित CCL पर उसकी नीतियों की समीक्षा** करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- कोर्ट ने कहा कि एक **कामकाजी माता का नियोक्ता** (Employer) होने के नाते राज्य सरकार सेवारत **महिला की घरेलू जिम्मेदारियों से अनभिज्ञ नहीं** रह सकती है।
- **कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा गारंटीकृत एक संवैधानिक अधिकार** है।
  - **अनुच्छेद 15** में प्रावधान किया गया है कि राज्य **केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं** करेगा।
- प्रसव दौरान दिए गए **मातृत्व हितलाभ पर्याप्त नहीं हैं** और संभवतः ये बाल देखभाल अवकाश की अवधारणा से अलग हैं।
  - **मातृत्व हितलाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017** महिला कर्मियों के लिए 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश का प्रावधान करता है।
    - इन 26 सप्ताहों में से, **अधिकतम 8 सप्ताह का अवकाश प्रसव की अपेक्षित तारीख से पहले** लिया जा सकता है।

बाल देखभाल अवकाश (CCL) के बारे में

- केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 43-C में **18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवा वर्ष में 730 दिन के CCL** का प्रावधान किया गया है।
  - इस अवकाश का उपयोग **बच्चे की किसी भी जरूरत जैसे बच्चे की परीक्षा या बच्चे की बीमारी के दौरान उसकी देखभाल** के लिए किया जा सकता है।
  - हिमाचल प्रदेश राज्य ने **CCL के इन प्रावधानों को नहीं अपनाया** है।
- **नियम 43-C** के तहत **एकल पुरुष अभिभावकों (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा)** के लिए भी **CCL** की सुविधा दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि दिव्यांग बच्चे के मामले में **कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं** की गई है।

5.3. खेलों में डोपिंग (Doping in Sports)

सुर्खियों में क्यों?

वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (WADA)[54] द्वारा जारी किए गए 2022 के टेस्टिंग आंकड़ों में भारत में **डोपिंग करने वाले खिलाड़ियों का उच्चतम प्रतिशत (3.26%)** दर्ज किया गया।

[54] World Anti-Doping Agency

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल

अन्य संबंधित तथ्य

- डोपिंग के अपराधियों के प्रतिशत के मामले में भारत के बाद **दक्षिण अफ्रीका** और **बैंकॉक** का स्थान आता है।
- 2022 में, 2021 की तुलना में लगभग सभी तरह के प्रतिबंधित ड्रग्स के उपयोग की संख्या में वृद्धि देखी गई।

वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA)

wada

HQ मॉन्ट्रियल, कनाडा

उत्पत्ति: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने स्विट्ज़रलैंड के लॉज़ेन में खेल में **डोपिंग पर प्रथम विश्व कॉन्फ्रेंस** आयोजित की थी। इसके बाद 1999 में WADA की स्थापना की गई थी।

- इसके परिणामस्वरूप खेल में डोपिंग पर **लॉज़ेन घोषणा-पत्र को अपनाया** गया। इस घोषणा-पत्र में साल 2000 में XXVII ओलंपियाड के लिए एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया।

WADA के बारे में: यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। यह ओलंपिक मूवमेंट और दुनिया की सरकारों द्वारा समान रूप से वित्त-पोषित है।

कार्य: डोपिंग मुक्त खेल के लिए एक सहयोगात्मक विश्वव्यापी मूवमेंट का नेतृत्व करना।

- WADA की **एंटी-डोपिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम (ADAMS)** डोपिंग रोधी गतिविधियों का समन्वय और सरलीकरण करती है।

डोपिंग के बारे में

- खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित, कृत्रिम और प्रायः अवैध पदार्थों का सेवन करना डोपिंग कहलाता है।
- डोपिंग में रक्त आधान (Blood Transfusions) के जरिए **रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने** जैसे अन्य तरीके भी शामिल हो सकते हैं।

एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के डोपिंग

- कठिन प्रशिक्षण और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए **एंड्रोजेनिक एजेंट (जैसे- एनाबॉलिक स्टेरॉयड)** का प्रयोग।
- सतर्कता को बढ़ाने और थकान को दूर करने के लिए एथलीटों द्वारा **उत्तेजक पदार्थ** का सेवन किया जाता है। उत्तेजक पदार्थों के सेवन से उनकी हृदय गति और रक्त का प्रवाह बढ़ जाते हैं।
- शरीर से तरल पदार्थ को निकालने के लिए **मूत्रवर्धक (Diuretic)** और डोपिंग नियंत्रण के परिणामों को गलत साबित करने के लिए **मास्किंग एजेंट** उपयोग किए जाते हैं।
- **एरिथ्रोपोइटिन जैसे पेप्टाइड हार्मोन** का उपयोग शारीरिक आकार को बढ़ाने, ताकत और लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- **ग्लुकोकौरटिकौडस** शरीर में सूजन को कम करते हैं, इसलिए एथलीट गंभीर चोट को छुपाने हेतु इसका प्रयोग करते हैं।
- हृदय गति को कम रखने और हाथों में कंपन को कम करने के लिए **बीटा ब्लॉकर्स** का प्रयोग किया जाता है।

भारत में डोपिंग के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए किए गए प्रयास

- **राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम, 2022:** इसका उद्देश्य डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना और तंत्र को मजबूत करना था।
  - इसके तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया था।
- **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA):** यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत गठित एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी संहिता, 2021 के अनुरूप भारत में डोपिंग रोधी कार्यक्रम को संचालित करना है।

- इसे 2005 में **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में गठित किया गया था।
- **NADA द्वारा की गई की प्रमुख पहलें:**
  - डोपिंग के संबंध में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार करने के लिए **खेलों में डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम (PEADS)**[55] शुरू किया गया है।
  - खेल में डोपिंग रोधी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए **दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन (SARADO)**[56] के साथ **समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर** किए गए है।
  - एथलीटों और उनके सहायक कर्मियों के लिए एंटी-डोपिंग नियमों और दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए **एंटी-डोपिंग हेल्पलाइन नंबर** जारी किया गया है।
- **नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985:** यह किसी भी व्यक्ति को किसी भी मादक पदार्थ या मन:प्रभावी पदार्थ के उत्पादन, खेती, बिक्री, खरीद, परिवहन, उपभोग जैसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकता है।
- भारत ने **डोपिंग के खिलाफ 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन'**[57] **पर हस्ताक्षर और उसकी पुष्टि** की है।

5.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

5.4.1. खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024 (Food Waste Index Report 2024)

- हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** ने 'खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट, 2024' जारी की।
- यह रिपोर्ट **वेस्ट एंड रिसोर्सेज़ एक्शन प्रोग्राम (WRAP)** के सहयोग से तैयार की गई है। यह रिपोर्ट **अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस** के आयोजन से पहले प्रकाशित की गई है।
  - प्रतिवर्ष **30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस** आयोजित किया जाता है।
- FWI **रिटेल और उपभोक्ता (घरेलू एवं खाद्य सेवा)** के यहां बर्बाद होने वाले भोजन व अनाज के अखाद्य हिस्सों की मात्रा को **वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक** करता है।
  - यह सतत विकास लक्ष्य **(SDG)-12.3 के दो संकेतकों के गोल्स का समर्थन** करता है, जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है। **ये दो संकेतक हैं-**
    - **SDG 12.3.1 (a): खाद्य हानि सूचकांक (Food Loss Index: FLI)** इस संकेतक का उप-संकेतक है। FLI फसल कटाई के बाद के नुकसान सहित **उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य हानि को कम** करने में मदद करता है। **खाद्य और कृषि संगठन, FLI का संरक्षक** है।
    - **SDG 12.3.1 (b): FWI** इस संकेतक का उप-संकेतक है। FWI रिटेल और उपभोक्ता स्तर पर **प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट की मात्रा को कम करके आधा** करने पर केंद्रित है। **UNEP, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) का संरक्षक** है।

5.4.2. द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फ़ूड क्राइसिस (Global Network Against Food Crises: GNAFC)

- GNAFC ने **'खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट' (GRFC)** जारी की है। यह रिपोर्ट हर साल **फ़ूड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (FSIN)** द्वारा तैयार की जाती है।
- **GNAFC के बारे में:**
  - इसे **2016** में लॉन्च किया गया था।
  - यह **यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)** की संयुक्त पहल है।

---

[55] Program for Education and Awareness on Anti-Doping in Sports

[56] South Asia Regional Anti-Doping Organization

[57] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization International Convention

© Vision IAS

- यह खाद्य संकट के मूलभूत कारणों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए वर्तमान में चल रही **पहलों, साझेदारियों, कार्यक्रमों और नीतिगत प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से जोड़ने, एकीकृत करने तथा मार्गदर्शन करने** का कार्य करता है।
- यह मानवीय सहायताओं को बेहतर बनाने और गंभीर खाद्य संकट का सामना करने वाले लोगों की संख्या में कमी लाने हेतु **सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को एक साथ लाता** है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय-वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब-हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट-टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

6.1. जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology)

6.1.1. टिश्यू कल्चर (Tissue Culture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली के संकटग्रस्त या दुर्लभ देशी प्रजाति के वृक्षों की सैपलिंग उत्पन्न करने के लिए टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जाएगी।

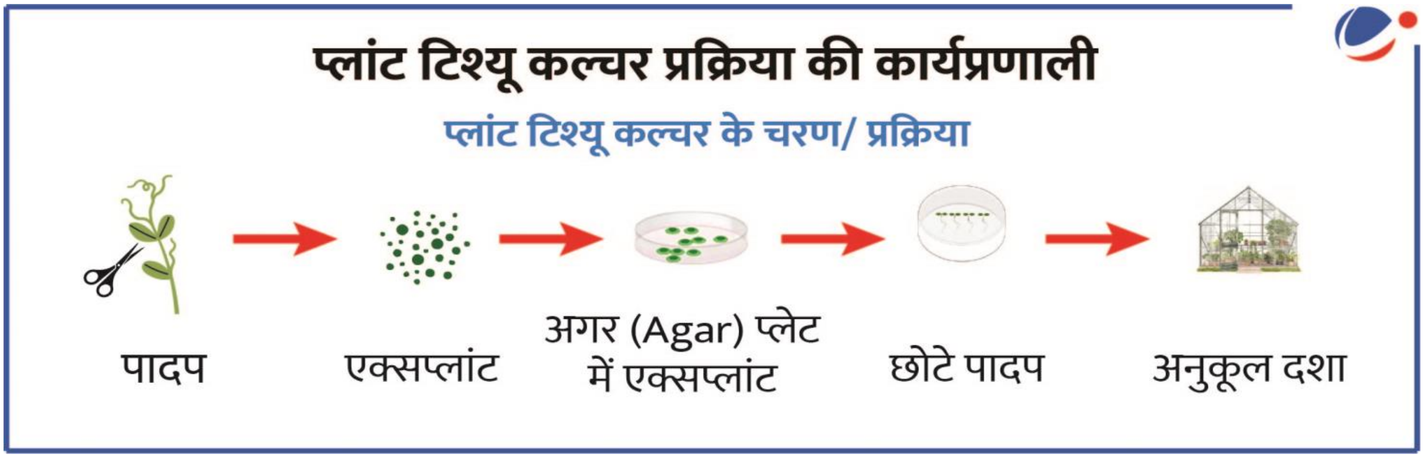

अन्य संबंधित तथ्य

- यह टिश्यू कल्चर लैब **असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य, दिल्ली** में स्थापित की जाएगी।
- इस लैब में **हिंगोट, खैर, बिस्तेन्दु, सिरी, पलाश** जैसी वृक्ष प्रजातियों की सैपलिंग तैयार की जाएगी।

प्लांट टिश्यू कल्चर (पादप ऊतक संवर्धन) के बारे में

- यह कीटाणु-रहित वातावरण और अनुकूल नियंत्रित भौतिक परिवेश में सिंथेटिक मीडिया (साधन) के उपयोग से **अविभेदित पादप कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को उपजाने की एक विधि है।**
- यह प्रक्रिया **पादप कोशिकाओं की टोटिपोटेंसी विशेषता** का उपयोग करती है।
    - टोटिपोटेंसी पादप कोशिका की **किसी भी प्रकार की विशेष कोशिका में विभाजित और विभेदित होने की क्षमता** होती है।
- **प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रकार**
    - **ऑर्गन कल्चर:** इसके लिए पादप के किसी भी भाग (जड़, तना, पत्ती और फूल) का इस्तेमाल संवर्धन उद्देश्य के लिए एक **एक्सप्लांट** (पादप से प्राप्त) के रूप में किया जाता है।
    - **सीड कल्चर:** इसके तहत एक्सप्लांट उन पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, जो पहले से ही इन विट्रो स्थितियों में संवर्धित और उगाए गए हैं।
    - **एम्ब्र्यो कल्चर:** इसके अंतर्गत भ्रूण को पृथक करके इन विट्रो स्थितियों में संवर्धित किया जाता है।
- **PTC के लाभ:**
    - व्यावसायिक रूप से मूल्यवान पादपों का अधिक मात्रा में रोपण और उनमें आनुवंशिक रूप से सुधार करना।
    - नियंत्रित दशाओं में पादपों की ग्रोथ, चयापचय, प्रजनन, शरीर क्रिया विज्ञान और पोषण संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करना।
    - बहुत कम समय में कम मात्रा में पादपों के ऊतकों को तैयार करना।
    - कृत्रिम बीजों का बड़े स्तर पर निर्माण करने में, आदि।
- **प्लांट टिश्यू कल्चर के समक्ष मुख्य चुनौतियां:**
    - इसके लिए देश में पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है,
    - इस कार्य के लिए कुशल लोगों की कमी है,
    - जैव-प्रौद्योगिकी सिद्धांतों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है आदि।

© Vision IAS

6.2. IT, कंप्यूटर और साइबर सुरक्षा (IT, Computer and Cybersecurity)

6.2.1. साइबर खतरे मैक्रो-फाइनेंशियल स्थिरता के लिए गंभीर चिंता (Cyber Risk: Concern for Macro-Financial Stability)

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने चेतावनी दी है कि बढ़ते साइबर खतरे मैक्रो-फाइनेंशियल स्थिरता के लिए गंभीर चिंता उत्पन्न कर रहे हैं
- **IMF की 'ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट' 2024 के अनुसार:**
    - साइबर अपराध की घटनाओं से होने वाला नुकसान बढ़कर **2.5 बिलियन डॉलर** हो गया है।
    - कोविड-19 महामारी के बाद से **साइबर हमलों की संख्या लगभग दोगुनी** हो गई है।
    - कुल साइबर हमलों का लगभग **20% वित्तीय कंपनियों को झेलना** पड़ता है। **बैंक** इन हमलों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।

6.2.2. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) स्पूफिंग (GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) SPOOFING)

- कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, **इजरायल ने ईरान के खिलाफ GPS स्पूफिंग का इस्तेमाल** किया।
    - **GPS** एक उपग्रह समूह है। यह प्रणाली दुनिया भर में अत्यधिक सटीक अवस्थिति, नेविगेशन और समय (PNT) का मापन करती है। इसका स्वामित्व **संयुक्त राज्य अमेरिका** के पास है।
- **GPS स्पूफिंग के बारे में:**
    - इसे **GPS सिमुलेशन** के रूप में भी जाना जाता है।
    - इसके तहत **गलत GPS सिग्नल प्रसारित करके GPS रिसीवर में हेरफेर करने या धोखा देने** का काम किया जाता है।
    - **साइबर हमले का यह रूप GPS डेटा की विश्वसनीयता** को कमजोर करता है, जो विविध कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है।
    - स्पूफिंग **GPS जैमिंग से अलग** है।
    - GPS जैमिंग में GPS सिग्नल्स को जाम या ब्लॉक कर दिया जाता है।

6.2.3. डॉक्सिंग (Doxxing)

- इंटरनेट पर **डॉक्सिंग** की घटनाएं बढ़ रही हैं।
- **डॉक्सिंग के बारे में:**
    - "डॉक्सिंग" शब्द **"ड्रॉपिंग डॉक्स (डॉक्यूमेंट्स)"** से लिया गया है।
    - यह किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा कई प्लेटफॉर्म्स (सोशल मीडिया सहित) पर **यूजर्स की निजी जानकारी के संग्रह** को व्यक्त करता है
        - इसके बाद, अनधिकृत व्यक्ति इस निजी जानकारी का उपयोग यूजर को शर्मिंदा या लज्जित करने के लिए करता है।
    - डॉक्सिंग का संचालन **पब्लिक डेटाबेस पर शोध करके, हैकिंग करके या सोशल इंजीनियरिंग** के जरिए किया जाता है।
    - **डॉक्सिंग से बचने के उपाय:**
        - अपनी सोशल मीडिया सेटिंग्स एडजस्ट करनी चाहिए;
        - मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए;
        - राष्ट्रीय साइबर क्राइम अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर घटना की रिपोर्टिंग करनी चाहिए आदि।

© Vision IAS

6.2.4. मर्सनरी स्पाइवेयर (Mercenary Spyware)

- एप्पल ने भारत और अन्य देशों में संभावित **"मर्सनरी स्पाइवेयर"** हमलों के बारे में एप्पल यूजर्स को चेतावनी जारी की है।
- **मर्सनरी स्पाइवेयर के बारे में:**
    - मर्सनरी स्पाइवेयर यूजर की जानकारी या सहमति के बिना **स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों में दूर से घुसपैठ कर सकता है और अनधिकृत रूप से डेटा तक पहुंच प्राप्त** कर लेता है।
    - मर्सनरी स्पाइवेयर **विशिष्ट व्यक्तियों** को लक्षित करता है। इसका उपयोग व्यक्तियों की **गतिविधियों व संचार की निगरानी करने और निजी डेटा चुराने** के लिए किया जा सकता है।
    - **पेगासस, फिनस्पाई, गैलीलियो** आदि मर्सनरी स्पाइवेयर के उदाहरण हैं।
- **स्पाइवेयर:** यह **दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मैलवेयर** है। इसे एंड यूजर की जानकारी के बिना कंप्यूटिंग डिवाइस पर इंस्टॉल किया जाता है। यहां यह **संवेदनशील जानकारी की निगरानी करता है या उसे चुरा** लेता है।

6.2.5. शैलोफेक (Shallowfake)

- **संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति** का एक **शैलोफेक वीडियो** वायरल हुआ है।
- शैलोफेक के तहत **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक की बजाय किसी पारंपरिक और वहनीय तकनीक से किसी व्यक्ति की तस्वीर, वीडियो एवं वॉइस क्लिप को एडिट** करके अलग रूप में दर्शाया जाता है।
    - इसके विपरीत, **डीपफेक (Deepfake) AI द्वारा बनाई गई संश्लेषित छवियां, वीडियो और अन्य मीडिया** होते हैं।
    - शैलोफेक को **चीपफेक (cheapfake)** भी कहा जाता है।

6.2.6. साइबर-स्लेवरी (Cyber Slavery)

- तीन माह की अवधि में भारतीय दूतावास ने **कंबोडिया** में साइबर स्लेवरी में फंसे **75 भारतीयों** को बचाया है।
- **साइबर-स्लेवरी के बारे में**
    - यह **मानव तस्करी का एक आधुनिक** रूप है। इसके अंतर्गत डिजिटल वर्ल्ड में लोगों का शोषण किया जाता है।
    - इसके तहत पीड़ितों को रोजगार दिलाने का लालच दिया जाता है। इसके बाद उन्हें **ऑनलाइन स्कैमर्स के रूप में काम करने के लिए मजबूर** किया जाता है।
    - यह व्यापक पैमाने पर **अत्यधिक गंभीर और संगठित अपराध के रूप में उभर** रहा है।

6.2.7. व्हाइट रैबिट (WR) टेक्नोलॉजी {White Rabbit (WR) Technology}

- CERN ने उद्योग द्वारा व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए **व्हाइट रैबिट कोलैबोरेशन (WRC)** लॉन्च किया है।
    - WRC के उद्देश्य हैं- समर्पित समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करना; प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना आदि।
- **व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी के बारे में**
    - इसे CERN में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य **लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) एक्सेलरेटर चेन के लिए सब-नैनोसेकंड सटीकता और सिंक्रनाइज़ेशन की पिकोसेकंड परिशुद्धता** प्रदान करना है।
        - LHC दुनिया का **सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर (कण त्वरक)** है।
        - इसका उपयोग **पहली बार 2012** में किया गया था। 2020 में इसे **विश्वव्यापी उद्योग मानक** में शामिल किया गया था। इस मानक को **प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल (PTP)** के रूप में जाना जाता है।

6.3. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (Space Technology)

6.3.1. अंतरिक्ष-मौसम (Space Weather)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्पेस-एक्स द्वारा फरवरी, 2022 में लॉन्च किए गए 49 स्टारलिंक उपग्रहों में से 38 जलकर नष्ट हो गए थे। हालिया अध्ययन के अनुसार, इसके लिए अंतरिक्ष के मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया है।.

© Vision IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- अब **IISER कोलकाता** के एक अध्ययन में इन उपग्रहों के नष्ट होने के लिए **निम्नलिखित कारकों को जिम्मेदार माना गया है:**
    - अंतरिक्ष में मौसम की स्थिति,
    - उच्च वायुमंडलीय घनत्व वाली **निम्न भू कक्षा में उपग्रहों की मौजूदगी,**
    - उपग्रहों के **ओरिएंटेशन या पोजीशन में बदलाव के कारण खिंचाव (Drag) में वृद्धि आदि।**

अंतरिक्ष-मौसम के बारे में

- अंतरिक्ष-मौसम (Space weather) से तात्पर्य **पृथ्वी, अन्य ग्रहों और हमारी आकाशगंगा में खगोलीय पिंडों के आसपास का वातावरण** है। यह वातावरण काफी हद तक **सूर्य की गतिविधियों द्वारा नियंत्रित** होता है।
- अंतरिक्ष-मौसम **सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन (CME) तथा सूर्य से निकलने वाले अन्य कणों और उत्सर्जन से प्रभावित** होता है।
    - **सोलर फ्लेयर्स या सौर ज्वाला** सूर्य की सतह पर **ऊर्जा का अचानक एवं तीव्र उत्सर्जन** है, जो अक्सर **सनस्पॉट्स** से संबंधित होता है।
        - ये फ्लेयर्स सूर्य के वायुमंडल में आमतौर पर **सनस्पॉट्स** के ऊपर संग्रहीत चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र से ऊर्जा उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होती हैं।
    - **कोरोनल मास इजेक्शन (CME) सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा निष्कासन** है।
- **अंतरिक्ष-मौसम का पृथ्वी पर प्रभाव:**
    - **रेडियो ब्लैकआउट स्टॉर्म:** सोलर फ्लेयर्स के साथ उत्सर्जित विद्युत-चुंबकीय ऊर्जा, पृथ्वी के **ऊपरी वायुमंडल में रेडियो सिग्नल्स को बाधित** करती है। इससे **नेविगेशन प्रणाली प्रभावित** होती है।
    - **भू-चुंबकीय तूफान (Geomagnetic storms)** विद्युत ग्रिडों, पाइपलाइनों और रेलवे के संचालन को प्रभावित करते हैं। ये **ऑरोरा यानी ध्रुवीय ज्योति** का कारण भी बनते हैं।
        - भू-चुंबकीय तूफान, **पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में व्यापक व्यवधान** हैं।
    - **सौर विकिरण तूफान (Solar radiation storm):** सूर्य से तेज गति से आने वाले आवेशित कण **मैग्नेटोस्फीयर** में प्रवेश कर सकते हैं। ये अंतरिक्ष यात्रियों तथा अंतरिक्ष यान/ उपग्रहों/ विमानों को खतरे में डाल सकते हैं।

स्टारलिंक के बारे में

- यह **निम्न-भू कक्षा (LEO) में उपग्रहों का एक समूह** है। ये उपग्रह **अमेरिकी अंतरिक्ष स्टार्ट-अप स्पेसएक्स** के हैं।
- इन उपग्रहों का उद्देश्य **विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में वैश्विक इंटरनेट कवरेज** प्रदान करना है।
- स्पेसएक्स ने लगभग **550 किलोमीटर की ऊंचाई पर 42,000 से अधिक उपग्रह** स्थापित करने की योजना बनाई है।
- ये उपग्रह **पृथ्वी से निकट होने के कारण कम लेटेन्सी और बेहतर बैंडविड्थ** प्रदान करेंगे।

6.3.2. उपग्रह आधारित संचार प्रौद्योगिकी (Satellite Communication Technology: SCT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तियानटोंग-1 स्मार्टफोन को सीधे सैटेलाइट कॉल करने की सुविधा प्रदान करेगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके लिए चीन के वैज्ञानिकों ने **सैटेलाइट सीरीज (तियांतोंग-1)** विकसित किया है। यह दुनिया की पहली ऐसी सैटेलाइट सीरीज है।
- इसकी मदद से **बेस ट्रांसीवर स्टेशन (BTS) या सेलुलर टावर्स जैसी ग्राउंड-बेस्ड अवसंरचना के बिना** स्मार्टफोन से कॉल किया जा सकता है।

चीन की उपग्रह आधारित संचार प्रौद्योगिकी (SCT) के बारे में:

- **तियांतोंग-1 श्रृंखला में तीन उपग्रह** शामिल हैं। इन उपग्रहों को पृथ्वी से लगभग 36,000 कि.मी. की ऊंचाई पर भू-तुल्यकालिक (Geosynchronous) कक्षा में स्थापित किया गया है।

- भू-तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित उपग्रह का कक्षीय झुकाव कम होता है, जिससे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है।
- पृथ्वी के ऊपर **भू-तुल्यकालिक कक्षा** में स्थापित उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।

- ये उपग्रह **मध्य पूर्व (Middle East) से लेकर प्रशांत महासागर तक संपूर्ण एशिया-प्रशांत क्षेत्र** को कवर करते हैं।
- **SCT से निम्नलिखित लाभ होंगे:**
  - **पहुंच:** इससे सुदूर, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए संचार सेवाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित होगी।
  - **आपदा के दौरान उपयोग:** यह प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों के चलते क्षतिग्रस्त स्थलीय नेटवर्क के दौरान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
  - **सैन्य और रक्षा उपयोग:** यह सुरक्षित और विश्वसनीय संचार, नेविगेशन, निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने में लाभदायक साबित हो सकता है।
- **SCT से जुड़ी कुछ चिंताओं पर एक नज़र:**
  - अंतरिक्ष मलबा और पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का जमावड़ा;
  - अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और दायित्व जैसे मुद्दों के कारण विनियामक एवं गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां;
  - जैमिंग, स्पूफिंग आदि जैसे साइबर खतरे इत्यादि।

भारत में उपग्रह आधारित संचार प्रौद्योगिकी

- **दूरसंचार अधिनियम, 2023** के अनुसार, उपग्रह आधारित संचार कंपनियां पॉइंट–टू–पॉइंट संचार हेतु **नीलामी प्रक्रिया में भाग लिए बिना** स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकती हैं।
- दूरसंचार विभाग (DoT) **सैटेलाइट टेलीफोन** के लिए **ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस** जारी करता है।
- इससे पहले भारती ग्रुप और रिलायंस ग्रुप को GMPCS **लाइसेंस** जारी किया जा चुका है।

6.3.3. सेमी-क्रायोजेनिक इंजन (SCE)-200 {Semi-cryogenic Engine (SCE)-200}

सुर्ख़ियों में क्यों?

इसरो ने सेमी-क्रायोजेनिक इंजन (SCE)-200 के लिए पहला प्री-बर्नर इग्निशन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **लिक्विड रॉकेट इंजन प्रणालियों** के विकास में **इग्निशन प्रक्रिया महत्वपूर्ण भाग** है।
  - सेमी-क्रायोजेनिक इंजन की हालिया इग्निशन प्रक्रिया **स्टार्ट फ्यूल एम्प्यूल** का उपयोग करके पूरी की गई है। स्टार्ट फ्यूल एम्प्यूल **ट्राइएथिल एल्युमनाइड और ट्राइएथिल बोरोन का उपयोग** करता है, जिनका विकास **विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC)** ने किया है।

सेमी-क्रायोजेनिक इंजन (SCE) के बारे में

- SCE में **ऑक्सिडाइजर** के रूप में **लिक्विड ऑक्सीजन (LOX)** और ईंधन के रूप में **रिफाइंड केरोसिन** का उपयोग किया जाता है।
- **इसरो एक शक्तिशाली SCE विकसित** कर रहा है। यह **2,000 किलोन्यूटन (kN) का थ्रस्ट** उत्पन्न करता है।
  - इस SCE का उद्देश्य **लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (LVM3) और भविष्य के प्रक्षेपण यानों की पेलोड क्षमता** को बढ़ाना है।
  - **बेंगलुरु स्थित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर** SCE के विकास के लिए इसरो का प्रमुख केंद्र है।
- ये इंजन **पारंपरिक क्रायोजेनिक इंजनों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान** करते हैं।
  - क्रायोजेनिक इंजन में **ऑक्सिडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग** किया जाता है। इन दोनों को **बहुत कम तापमान पर बनाए** रखने की आवश्यकता होती है। यह इंजन आमतौर पर **रॉकेट का अंतिम चरण** होता है।

SCE के लाभ

- **भंडारण और हैंडलिंग करने में आसानी:** रिफाइंड केरोसिन **हल्का** होता है। इसके लिए **कम आयतन की आवश्यकता** होती है। साथ ही, इसे **सामान्य तापमान पर भी भंडारित** किया जा सकता है।
- **अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं:** ये **भारी वजन वाले उपग्रहों को अधिक ऊंची कक्षाओं में स्थापित** कर सकते हैं।
- **अन्य लाभ:** क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में ये **अधिक पर्यावरण-अनुकूल एवं किफायती** हैं।

© Vision IAS

6.3.4. सुर्ख़ियों में रहे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन (Important Space Missions in News)

6.3.4.1. आर्यभट्ट (Aryabhata)

- इसरो ने **आर्यभट्ट उपग्रह की लॉन्चिंग की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य** में 19 अप्रैल को **उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस (STD)** मनाया।
  - गौरतलब है कि आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण 19 अप्रैल, 1975 को किया गया था।
- **आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में**
  - यह **भारत का पहला उपग्रह** था। इसका नाम 5वीं शताब्दी के महान भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था।
  - इस उपग्रह का **निर्माण इसरो** ने किया था। इसका **प्रक्षेपण सोवियत कॉसमॉस-3M रॉकेट से कपुस्तिन यार (रूस) से** किया गया था।
  - इसका उद्देश्य **एक्स-रे खगोल विज्ञान, एरोनॉमिक्स और सौर भौतिकी** क्षेत्र में प्रयोग (Experiments) करना था।

6.3.4.2. जूनो मिशन (Juno Mission)

- नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने **बृहस्पति के चंद्रमा आयो (Io)** पर ज्वालामुखियों के उद्गार की काफी नजदीक से फोटो ली है।
  - **चंद्रमा आयो** सौर मंडल में ज्वालामुखीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय पिंड है।
- **जूनो मिशन के बारे में**
  - **नासा** ने इसे **2011** में लॉन्च किया था।
  - **उद्देश्य:**
    - **बृहस्पति ग्रह** की उत्पत्ति और विकास को समझना।
    - यह बृहस्पति के संभावित **ठोस ग्रहीय कोर** की जांच करेगा। साथ ही, इस ग्रह के **तीव्र चुंबकीय क्षेत्र का मानचित्र** भी तैयार करेगा।
  - अपने विस्तारित मिशन में, यह **2025 तक या अपनी उपयोग अवधि की समाप्ति तक बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी** एकत्र करेगा।

6.3.4.3. ड्रैगनफ्लाई मिशन (Dragonfly Mission)

- नासा ने **2028 में शनि के विशाल चंद्रमा टाइटन के लिए ड्रैगनफ्लाई मिशन लॉन्च** करने की घोषणा की है।
  - यह नासा के **न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम** का चौथा मिशन है। इस प्रोग्राम के अन्य **तीन मिशन हैं:** न्यूहोराइजन्स, जूनो और ओसिरिस-रेक्स (और ओसिरिस-एपेक्स/ OSIRIS-APEX भी)।
- **ड्रैगनफ्लाई मिशन के बारे में**
  - **लक्ष्य:** यह टाइटन के बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए उसकी सतह के कई स्थलों का अध्ययन करेगा तथा उनके **रसायन विज्ञान और वास योग्य दशाओं** का पता लगाएगा।
    - इससे जानकारी प्राप्त हो सकेगी की टाइटन वास योग्य है या नहीं।
  - यह मिशन प्रक्षेपण के बाद **2034 में टाइटन** तक पहुंचेगा।
- टाइटन सौरमंडल का **एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह** है, जो **सघन वायुमंडल** से घिरा हुआ है और इसकी सतह पर **तरल रूप में समुद्र मौजूद** है।

6.3.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

6.3.5.1. आइस क्यूब वेधशाला (Ice Cube Observatory)

- **अंटार्कटिका में आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला** के वैज्ञानिकों ने सात **टाऊ (Tau) न्यूट्रिनो** को डिटेक्ट किया है, जो पृथ्वी से होकर गुजरे थे। इन्हें **घोस्ट पार्टिकल्स** कहा जाता है।
- **आइस क्यूब आब्जर्वेटरी के बारे में:**
  - यह **क्यूबिक-किलोमीटर न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर** है, जो **बर्फ की सतह के नीचे लगभग 2,500 मीटर की गहराई तक विस्तृत** है।
  - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल के साथ संपर्क में आने वाली कॉस्मिक किरणों का निरीक्षण करना और डार्क मैटर की प्रकृति एवं न्यूट्रिनो के गुणों का अध्ययन करना है।
  - **अवस्थिति:** यह अंटार्कटिका में **अमुंडसेन-स्कॉट साउथ पोल स्टेशन** के पास स्थित है।

  - ऐसी वेधशाला को कणों का अन्वेषण करने और **पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होने वाले विकिरण से बचाने** के लिए **स्वच्छ, शुद्ध और स्थिर हिमावरण** की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे दक्षिणी ध्रुव पर बनाया गया है।
- यह पहला **गीगाटन न्यूट्रिनो डिटेक्टर** है। इसे मुख्य रूप से सबसे प्रचंड खगोलीय परिघटनाओं से उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रिनो का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था।

- **अन्य न्यूट्रिनो वेधशालाएं:**
  - भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला (Indian Neutrino Observatory: INO)
  - **चीन का ट्राइडेंट (ट्रॉपिकल डीप-सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप):** यह भूमध्य रेखा के पास दक्षिण चीन सागर में बनाया जा रहा नया न्यूट्रिनो डिटेक्टर है।

6.3.5.2. कोडाइकनाल सौर वेधशाला (Kodaikanal Solar Observatory: KSO)

- **कोडाइकनाल सौर वेधशाला की स्थापना के 125 वर्ष पूरे** हुए।
- इसकी **स्थापना 1899** में की गई थी। इसमें तत्कालीन **मद्रास वेधशाला** को शामिल कर लिया गया था।
- KSO की स्थापना निम्नलिखित के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए की गई थी:
  - **सूर्य, पृथ्वी के वायुमंडल को कैसे गर्म** करता है (इसे समझने के लिए) और
  - **मानसून पैटर्न** को समझने के लिए।
- कोडाइकनाल **भूमध्य रेखा के निकट है।** साथ ही, यह जगह धूल रहित है एवं अधिक ऊंचाई पर है। इन्हीं वजहों से वेधशाला की स्थापना के लिए इस जगह को चुना गया था।
- यह **वेधशाला पालनी रेंज (तमिलनाडु) में अवस्थित** है।
- यह वेधशाला वर्तमान में **भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics)** के अंतर्गत काम करती है।
- **यहां कई अन्य टेलिस्कोप भी हैं, जैसे-**
  - H-अल्फा टेलीस्कोप,
  - ट्विन टेलीस्कोप,
  - WARM (व्हाइट लाइट एक्टिव रीजन मॉनिटर) टेलीस्कोप आदि।

6.3.5.3. कलाम-250 (KALAM-250)

- **स्काईरूट एयरोस्पेस ने विक्रम-1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के स्टेज-2 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण** किया है। इस इंजन को **कलाम-250** नाम दिया गया है।
  - स्टेज-2 इंजन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह **उपग्रहों को पृथ्वी के सघन वायुमंडल से आउटर स्पेस के डीप वैक्यूम** में भेजता है।
  - विक्रम-1 **तीन स्टेज वाला व ठोस ईंधन आधारित रॉकेट** है।
- **कलाम-250 के बारे में**
  - यह **उच्च शक्ति वाली कार्बन कंपोजिट रॉकेट मोटर** है। यह मोटर ठोस ईंधन और उच्च प्रदर्शन वाले **एथिलीन-प्रोपलीन-डायने टेरपॉलीमर्स (EPDM) थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम** का इस्तेमाल करती है।
  - कलाम-250 में **ठोस प्रणोदक को नागपुर प्रतिष्ठान में सोलर इंडस्ट्रीज** ने संसाधित किया है।
  - इससे पहले स्काईरूट ने विक्रम-1 के **तीसरे स्टेज इंजन कलाम-100 का परीक्षण** किया था। यह सफल परीक्षण 2021 में किया गया था।

6.3.5.4. चांग'ई-6 (Chang'e-6)

- हाल ही में, चीन ने **8 मीट्रिक टन से अधिक वजनी चांग'ई-6 लूनर प्रोब** को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
- **चांग'ई-6 के बारे में:**
  - इसका लक्ष्य **चंद्रमा के सुदूर हिस्से (फार साइड) से 2 किलोग्राम तक के नमूने वापस** लाना है। यदि यह उद्देश्य पूरा होता है, तो यह अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में पहला मानवीय कीर्तिमान होगा।

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल

- चीन ने **2020 में चांग'ई-5 मिशन** के माध्यम से पृथ्वी के सम्मुख वाले चंद्रमा के हिस्से (Near side of the Moon) से नमूने एकत्रित किए थे।
  - चांग'ई-6 के चंद्रमा के **दक्षिणी ध्रुव, यानी ऐटकेन बेसिन** में सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है।
  - इसमें **पाकिस्तान** द्वारा विकसित **क्यूबसैट "ICUBE-Q ऑर्बिटर"** लगा हुआ है।
    - **क्यूबसैट एक प्रकार का लघु उपग्रह होता है।** इसका आकार छोटा एवं डिजाइन को मानकों के अनुरूप रखा जाता है।

6.3.5.5. वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल्स (Weakly Interacting Massive Particles: WIMPs)

- हाल ही में, भारतीय वैज्ञानिकों ने **कोल्ड डार्क मैटर (CDM) का पता लगाने के लिए एक नया तरीका** खोजा है। CDM एक काल्पनिक डार्क मैटर है, जिससे वर्तमान ब्रह्मांड का 25% हिस्सा बना हुआ है।
  - **WIMP** को संभवतः CDM कहा जा सकता है।
  - इस तरह के कण पार्टिकल फिजिक्स के मानक मॉडल पर आधारित अन्य मॉडल में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं।
- WIMP डार्क मैटर को समझाने के लिए कणों के एक परिकल्पित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है।
  - वे न तो प्रकाश को अवशोषित करते हैं और न ही उत्सर्जित करते हैं और न ही अन्य कणों के साथ दृढ़ता से परस्पर क्रिया करते हैं।
  - लेकिन जब वे एक-दूसरे से टकराते हैं, तो वे नष्ट हो जाते हैं और गामा किरणें उत्पन्न करते हैं।
- साथ ही, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दो बिग बैंग घटित होने का विचार प्रस्तावित किया था- एक सामान्य पदार्थ के लिए और दूसरा रहस्यमय डार्क मैटर के लिए जिसे "डार्क बिग बैंग" कहा गया है।
  - ऐसा माना जाता है कि डार्क बिग बैंग, आम बिग बैंग के बाद घटित हुआ था और इसी से डार्क मैटर अस्तित्व में आया था।

6.3.5.6. क्वार्क (QUARKS)

- वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी बहुत अधिक संभावना है कि **अधिकांश विशाल न्यूट्रॉन तारों का आंतरिक भाग क्वार्क पदार्थ** से बना हो।
  - **न्यूट्रॉन तारों** का निर्माण तब होता है, जब किसी विशाल तारे का **ऊर्जा स्रोत खत्म** हो जाता है और वह **विखंडित** हो जाता है।
- **क्वार्क के बारे में:**
  - **क्वार्क मूल कण** होते हैं। **इलेक्ट्रॉन** की तरह ये भी किसी अन्य कणों से नहीं बने होते हैं। दुसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन भी मूल कण हैं।
  - ये एकल रूप से अस्तित्व में नहीं पाए जाते। ये **दो या तीन क्वार्क्स** के समूह (क्लंप्स) में होते हैं। ये सामान्यतः **दो और तीन के समूहों में संयोजित होकर हैड्रॉन** का निर्माण करते हैं, जैसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं।
    - एक क्वार्क का एंटी-क्वार्क क्लंप **मेसॉन** कहलाता है।
  - ये ब्रह्मांड में **विज़िबल मैटर के परम निर्माण खंड** हैं।
  - क्वार्क **6 प्रकार** के होते हैं: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज और चार्म।

6.4. स्वास्थ्य (Health)

6.4.1. एथिलीन (C_2H_4) {Ethylene (C_2H_4)}

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, एथिलीन से कृत्रिम रूप से पकाए गए आमों को जब्त किया गया है।

एथिलीन के बारे में

- एथिलीन एक साधारण गैसीय पादप वृद्धि नियामक (Plant Growth Regulator: PGR) है।
- **संश्लेषण:** यह जरावस्था को प्राप्त होते ऊतकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित की जाती है।
- **गुण:** यह **मीठी गंध वाली एक रंगहीन व ज्वलनशील** गैस है।

 © Vision IAS

- **इसके मुख्य कार्य:**
  - यह पौधों की अनुप्रस्थ (क्षैतिज) वृद्धि, अक्षों में फुलाव एवं द्विबीजी निवेद्धिदों में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है।
  - यह फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। फलों के पकने के दौरान यह श्वसन की गति की वृद्धि करती है। श्वसन वृद्धि में गति की इस बढ़त को क्लाईमैक्टिक श्वसन कहते हैं।
  - यह जरावस्था एवं विलगन को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है।
  - यह बीज तथा कलिका प्रसुप्ति को तोड़ती है, मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है तथा आलू के कंदों को अंकुरित करती है।
  - यह पत्तियों तथा प्ररोह के ऊपरी भाग को पानी से ऊपर रखने में मदद करती है।
  - यह **पौधों की जड़ों के विकास तथा पौधों के मूल रोम (Root hair) के निर्माण** में भी सहायक है।
  - इसका उपयोग अनानास में फूल आने और फल लगने के समय के मध्य तालमेल बनाए करने में मदद करती है।
  - यह कृषि में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला PGR है।

एथिलीन आधारित रसायनों के अन्य प्रमुख उपयोग

- **एथिलीन ऑक्साइड/ एथिलीन ग्लाइकोल:** इसका उपयोग **एंटीफ्रीज, वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक, डिटर्जेंट** और **एडहेसिव** सहित अन्य केमिकल्स के निर्माण के लिए किया जाता है।
  - इसके अलावा, कीटनाशक के रूप में तथा चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज़ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
  - हाल ही में, कई देशों ने '**एथिलीन ऑक्साइड**' की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है।
- **एथिलीन डाइक्लोराइड:** इसका PVC पाइप, साइडिंग, चिकित्सा उपकरणों और कपड़ों में उपयोग किया जाता है।

- **इथेफॉन:** एथिलीन के स्रोत के रूप में **इथेफॉन सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला कंपाउंड** है।
  - इथेफॉन **जल में घुलनशील** है। यह **आसानी से अवशोषित** हो जाता है और पादपों के अंगों को प्राप्त हो जाता है। इथेफॉन पौधों में पहुंचकर धीरे-धीरे **एथिलीन निर्मुक्त** करता है।
- **एथिलीन और इस पर आधारित उत्पादों का स्वास्थ्य पर प्रभाव:** लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से आंखों, त्वचा और श्वसन मार्ग में जलन हो सकती है और तंत्रिका तंत्र पर भी असर पड़ सकता है। एथिलीन ऑक्साइड मनुष्यों के लिए कैंसरकारी होती है।

एथिलीन के उपयोग पर FSSAI के दिशा-निर्देश

- फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में **एथिलीन के उपयोग** की अनुमति है। हालांकि, इसकी **सांद्रता 100 PPM (प्रति मिलियन भाग) से अधिक नहीं** होनी चाहिए।
- एथिलीन गैस के किसी भी स्रोत को **फलों के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं** आना चाहिए।

तरल नाइट्रोजन (Liquid Nitrogen)

- तमिलनाडु में **खाद्य संरक्षा (फूड सेफ्टी) आयुक्त** ने अधिकारियों को खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के उपयोग की निगरानी करने का निर्देश दिया है।
- **तरल नाइट्रोजन के बारे में**
  - यह एक **रंगहीन, गंधहीन, गैर-ज्वलनशील, गैर-संक्षारक (non-corrosive) और अत्यंत ठंडा** तत्व है।
  - यह **अक्रिय (Inert) क्रायोजेनिक तरल पदार्थ** है। इसका तापमान **-196 डिग्री सेल्सियस** होता है। **नाइट्रोजन गैस** को उसके वाष्पीकरण बिंदु (Evaporation point) से नीचे संपीडित और ठंडा करके **तरल नाइट्रोजन** के रूप में लाया जाता है।
  - **उपयोग:** खाद्य उत्पादों को फ्रीज करने में और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, क्रायोथेरेपी में आदि।
  - **हानिकारक प्रभाव:** यह त्वचा के ऊतकों और आंखों की नमी को तेजी से जमा सकता है। इसके परिणामस्वरूप **कोल्ड बर्न, शीतदंश (फ्रॉस्टबाइट)** आदि हो सकता है।

मेथेनॉल (Methanol)

- **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने मेथेनॉल युक्त अलग-अलग हैंड सैनिटाइजर बाजार से वापस मंगा लिए हैं।
  - फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने चेतावनी दी है कि **मेथनॉल के संपर्क में आने से मतली, कोमा, दौरा, स्थायी अंधापन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को स्थायी क्षति या मृत्यु** भी हो सकती है।
- मेथनॉल (CH3OH)
  - इसे '**वुड अल्कोहल**' भी कहा जाता है।
  - **विशेषताएं:**
    - **हल्की तीखी गंध वाला रंगहीन और अत्यधिक वाष्पशील तरल पदार्थ** है।
    - यह जल में **पूरी तरह से घुल** जाता है।
    - इसे एक **वैकल्पिक ईंधन** माना जाता है।
  - **उपयोग:** सिंथेटिक रंजक, फार्मास्यूटिकल्स, इत्र इत्यादि।
  - **मेथनॉल विषाक्तता का उपचार: इथेनॉल या फोमेपिजोल नामक एंटीडोट** का उपयोग किया जाता है।

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल

6.4.2. ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Glycemic Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन से भोजन में मौजूद ग्लाइसेमिक इंडेक्स तथा टाइप II डायबिटीज और हृदय रोगों के खतरे के बीच संबंध का पता चला है।

ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) के बारे में

- **परिभाषा:** GI इस बात का पैमाना है कि **कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करने के बाद यह कितनी जल्दी आपके रक्त में शुगर का लेवल बढ़ाता** है।
  - यह इंडेक्स शुद्ध ग्लूकोज (जिसका GI 100 है) की तुलना में कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को रक्त में शुगर बढ़ाने की उनकी क्षमता के आधार पर 0 से 100 के पैमाने पर रैंक करती है।
- **किसने प्रस्तावित किया:** इसे टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड जेनकिन्स ने 1981 में प्रस्तावित किया था।
- **GI निर्धारित करने वाले कारक:**
  - **आंतरिक कारक:** अमाइलोज, वसा, प्रोटीन, फाइटिक एसिड, फाइबर, रेसिस्टेंट स्टार्च आदि।
  - **बाह्य कारक:** पकाने के तरीके, प्रसंस्करण, रेट्रो-ग्रेडेशन, भिगोना और अंकुरण।

ग्लाइसेमिक लोड (GL) के बारे में

GI सूचकांक	उदाहरण
उच्च (>70)	गेहूं, सफेद चावल, आलू, वाइट ब्रेड आदि।
मध्यम (56-69)	संतरे का रस, शहद, और होलमील ब्रेड आदि।
कम (<55)	फल, बिना स्टार्च वाली सब्जियां (गाजर, पालक, टमाटर आदि), साबुत अनाज, फलियां आदि।

- **ग्लाइसेमिक लोड (GL)** यह मापने का एक तरीका है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ खाने के बाद आपके रक्त शर्करा (Blood Sugar) में कितनी मात्रा और कितनी तेजी से वृद्धि हो सकती है।
  - **GL की गणना:** किसी भोजन का ग्लाइसेमिक लोड ज्ञात करने के लिए, भोजन के ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) को उस भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से गुणा करना होगा।

GI और स्वास्थ्य के बीच संबंध

- **डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के लिए जटिलताएं:** उच्च GI वाले खाद्य पदार्थ रक्त में शुगर के स्तर में तेज उतार-चढ़ाव का कारण बनते हैं, जो शरीर की इंसुलिन बनाने या उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता को कमजोर कर सकता है।
- **हृदय स्वास्थ्य के लिए समस्याएं:** उच्च GI वाले आहार से वजन बढ़ता है, शरीर में ट्राइग्लिसराइड का स्तर और रक्तचाप बढ़ता है, जिससे व्यक्ति लंबे समय में हृदय संबंधी जटिलताओं का शिकार हो सकता है।

6.4.3. बर्ड फ्लू (Bird Flu)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, एवियन इन्फ्लूएंजा के कारण केरल में 65,000 से अधिक पक्षियों की मृत्यु हो गई।

एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) के बारे में

- यह **एवियन इन्फ्लूएंजा या बर्ड फ्लू टाइप A वायरस के संक्रमण** से होने वाली बीमारी है।
- इन्फ्लुएंजा A वायरस को **वायरस की सतह पर उपस्थित दो प्रोटीनों** के आधार पर सब-टाइप्स में वर्गीकृत किया जाता है। ये दो प्रोटीन हैं: **हेमाग्लगुटिनिन (H) और न्यूरोमिनिडेस (N)।**

- इन्फ्लूएंजा A वायरस के **H और N, सियालिक एसिड (SA) के साथ परस्पर क्रिया करके विरोधी गतिविधियां** करते हैं। सियालिक एसिड **वायरस के अटैचमेंट के लिए रिसेप्टर** होता है।
- हेमाग्लगुटिनिन (HA) आधारित वायरस के 18 और न्यूरोमिनिडेस (NA) के 11 अलग-अलग सब-टाइप्स हैं।

- इसके अलावा, **गंभीरता (कितना घातक) के आधार पर इसे दो प्रकारों में वर्गीकृत** किया गया है। ये प्रकार हैं- **निम्न रोगजनकता (Low Pathogenicity) और उच्च रोगजनकता (High Pathogenicity) एवियन इन्फ्लूएंजा।**
  - **LPAI वायरस से** मुर्गियों/ पोल्ट्री में होने वाले रोग के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं या हल्के रोग (Mild disease) होते हैं।
  - **HPAI वायरस से संक्रमित मुर्गियों** में गंभीर बीमारी और उच्च मृत्यु दर देखने को मिलती है।

H5N1 के प्रभाव को कम करने/रोकने के लिए उठाए गए कदम

- **वैश्विक उपाय:**
  - **विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH):** यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो **पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विविध देशों में सहयोग** करता है।
    - **सदस्य:** 183 **(भारत सहित)**
  - **ग्लोबल इन्फ्लूएंजा सर्विलांस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम (GISRS):** 1952 से विश्व स्वास्थ्य संगठन के GISRS के माध्यम से वैश्विक इन्फ्लूएंजा निगरानी की जाती रही है।
    - **राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (पुणे)** GISRS के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोगी केंद्र है।
- **भारत में उपाय**
  - **एवियन इन्फ्लूएंजा की रोकथाम, नियंत्रण और संरोधन (Containment) के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (2021 में संशोधित):** इसमें पुष्टि किए जा चुके **नोटिफाइएबल एवियन इन्फ्लूएंजा (NAI) प्रकोप के प्रबंधन** के लिए आवश्यक उपायों का सेट दिया गया है।
    - भारत में HPAI के लिए टीकाकरण की अनुमति **नहीं** है।

6.4.4. मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग (MRI) प्रौद्योगिकी (Magnetic Resonance Imaging (MRI) Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर 'इज़ोल्ट' (Iseult) ने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर ली है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 'इज़ोल्ट' स्कैनर **मानव मस्तिष्क की संरचना** के बारे में हमारी समझ को और अधिक बढ़ाने में मदद कर सकता है।
  - इस स्कैनर से **अल्जाइमर** जैसी बीमारियों या **अवसाद** अथवा **सिजोफ्रेनिया** जैसे मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में विस्तृत समझ प्राप्त हो सकेगी।

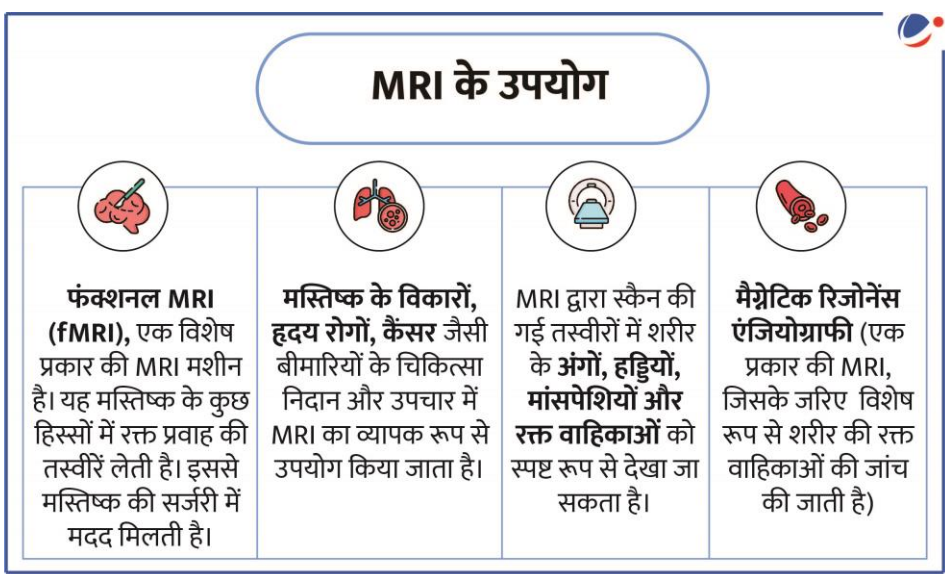

मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग (MRI) प्रौद्योगिकी के बारे में

- MRI एक **नॉन-इनवेसिव मेडिकल इमेजिंग टेस्ट** मशीन है। यह मशीन मानव शरीर के भीतर की प्रत्येक संरचना की विस्तृत तस्वीर ले सकती है।
- यह मशीन शरीर के भीतर की तस्वीर लेने के लिए **बड़ी चुंबकीय और रेडियो तरंगों** का उपयोग करती है। जहां **एक्स-रे** के दौरान **आयनीकृत रेडिएशन** उत्सर्जित होता है, वहीं, **MRI टेस्ट** के दौरान ऐसा **रेडिएशन उत्सर्जित नहीं** होता है।
- क्रॉस-सेक्शनल तस्वीरें प्राप्त करने के लिए यह **शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंगों और हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ अंतर्क्रिया** करता है।

6.4.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

6.4.5.1. मेनिनजाइटिस (Meningitis)

- **नाइजीरिया दुनिया का ऐसा पहला देश** बन गया है, जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुशंसित Men5CV वैक्सीन लगाने को मंजूरी दी है।
    - यह वैक्सीन एक ही बार में **मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया** के पांच स्ट्रेंस से सुरक्षा प्रदान करता है।
    - **मेनिंगोकोकल ACWY वैक्सीन** भारत में उपलब्ध है।
- **मेनिनजाइटिस के बारे में**
    - इस रोग में **मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के ऊतकों में सूजन** आ जाती है।
    - यह रोग **बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों** के कारण होता है।
    - इसका अधिकांश संचरण **एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति** में होता है।
    - यह **सभी उम्र के लोगों को प्रभावित** करता है। हालांकि, **छोटे बच्चों** को इसका खतरा सबसे अधिक होता है।
    - **लक्षण:** गर्दन में जकड़न, बुखार, भ्रम होना, सिरदर्द, मतली आदि।

6.4.5.2. थ्रोम्बोसायटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) के साथ थ्रोम्बोसिस {Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTS)}

- **एस्ट्राजेनेका** ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसके द्वारा विकसित **कोविड-19 वैक्सीन (कोविशील्ड)** के TTS सहित दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हैं।
- **TTS के बारे में:**
    - इसे **वैक्सीन-इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसायटोपेनिया (VITT)** भी कहा जाता है।
    - यह तब होता है जब किसी व्यक्ति में **रक्त के थक्के (थ्रोम्बोसिस)** बनने के साथ-साथ **प्लेटलेट्स की संख्या भी कम (थ्रोम्बोसाइटोपेनिया)** होने लगती है।
        - यह एक **दुर्लभ स्थिति** है। इसमें शरीर में कहीं-कहीं रक्त के थक्के बन जाते हैं।
    - यह किसी व्यक्ति के **मस्तिष्क, पेट, फेफड़े, धमनियों** आदि को प्रभावित कर सकता है।
    - **लक्षण-** सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, पेट में दर्द, पैर में सूजन आदि।

6.4.5.3. S.A.R.A.H.

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक **डिजिटल हेल्थ प्रोटोटाइप S.A.R.A.H** का अनावरण किया है।
    - इसके लिए **जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** का उपयोग किया गया है।
- **S.A.R.A.H के बारे में:**
    - यह स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक **स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट** है। यह **नए लैंग्वेज मॉडल और अत्याधुनिक तकनीक** का उपयोग करता है।
    - यह **स्वास्थ्य से जुड़े अलग-अलग विषयों पर जानकारी** प्रदान कर सकता है। इनमें स्वास्थ्य से जुड़ी आदतें, मानसिक स्वास्थ्य आदि शामिल हैं।
    - इसका उद्देश्य लोगों को **स्वास्थ्य से जुड़े अपने अधिकारों का एहसास** कराने के लिए एक अतिरिक्त टूल प्रदान करना है।
    - यह **प्रोटोटाइप** दुनिया में असामयिक मृत्यु के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख बीमारियों की वजहों की बेहतर समझ विकसित करने में लोगों की सहायता कर सकता है। इन बीमारियों में **कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और मधुमेह** शामिल हैं।

6.4.5.4. WHO सोडियम बेंचमार्क्स (WHO Sodium Benchmarks)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अलग-अलग खाद्य श्रेणियों के लिए अपने **वैश्विक सोडियम बेंचमार्क्स का दूसरा संस्करण** जारी किया है।
- **सोडियम बेंचमार्क्स के बारे में:**
    - यह WHO की व्यापक पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य **सोडियम के सेवन को कम करना तथा हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे से संबंधित क्रोनिक बीमारियों की रोकथाम** करना है।
    - इसके तहत **खाद्य पदार्थों में सोडियम का अधिकतम स्तर** तय किया गया है। इससे **सोडियम की खपत को कम करने में हुई प्रगति का आकलन** करने में मदद मिलती है।

- बेंचमार्क्स के तहत WHO ने वयस्कों के लिए **अधिकतम 2000 मिलीग्राम दैनिक सोडियम** खपत की सिफारिश की है।
  - यह **प्रतिदिन अधिकतम 5 ग्राम नमक** के सेवन के बराबर है।

6.4.5.5. कोरोनावायरस नेटवर्क {Coronavirus Network (CoViNet)}

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक नया **CoViNet** लॉन्च किया है।
- **CoViNet के बारे में:**
  - यह मानव, जंतु और पर्यावरणीय कोरोना वायरस निगरानी में विशेषज्ञता वाली **ग्लोबल लैबोरेट्रीज** का एक नेटवर्क है।
  - इसमें वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के **सभी 6 क्षेत्रों के 21 देशों की 36 लैबोरेट्रीज** शामिल हैं।
    - इनमें **भारत की तीन लैबोरेट्रीज** हैं।
  - इसका उद्देश्य **सार्स-CoV-2, मर्स-CoV और लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नोवल कोरोना वायरस का त्वरित व सटीक तरीके से पता लगाने, निगरानी करने और आकलन करने** के लिए वैश्विक विशेषज्ञता को सुविधाजनक बनाना तथा समन्वय स्थापित करना है।

6.4.5.6. वजन घटाने वाली दवाएं (Weight Loss Drugs)

- हाल ही में हुए एक शोध से पता चला है कि मोटापे से निपटने के लिए बनाई गई दवाएं कई अन्य बीमारियों के इलाज में भी फायदेमंद हो सकती हैं।
- **वजन घटाने वाली दवाइयां कैसे काम करती हैं?**
  - वजन घटाने वाली दवाएं, **ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड 1 (GLP-1)** नामक आंत्र हार्मोन (Gut hormone) के कार्यों की नकल करती हैं।
  - **ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड (GLP-1) मनुष्यों में तीन प्रमुख ऊतकों यथा आंत की एंटरोएंडोक्राइन L-कोशिकाओं, अग्न्याशय की α कोशिकाओं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से स्रावित होता है।**
    - GLP-1 इंसुलिन (हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है) के उत्पादन को बढ़ाता है और ग्लूकागन (जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है) के उत्पादन को कम करता है।
    - ये भूख की इच्छा को रोकते हैं और पाचन क्रिया को धीमा कर देते हैं। इससे लोगों को जल्दी और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे भोजन का सेवन कम हो जाता है।
    - GLP-1 शरीर में एंजाइम्स द्वारा बहुत तेजी से विखंडित हो जाता है, इसलिए यह केवल कुछ ही मिनटों तक अपने मूल रूप में रहता है।
- **वसा कम करने वाली दवाओं के अन्य लाभ:** टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रित करना, दिल के दौरे जैसी हृदय संबंधी समस्याओं को कम करना, आदि।

6.4.5.7. रेट्रोट्रांसपोजोन (Retrotransposons)

- ये आनुवंशिक तत्व विकास-क्रम के दौरान व्यापक रूप से फैल गए तथा ये RNA प्रतिलिपि के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा प्रतिकृति बनाते हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न DNA होस्ट के जीनोम में नई जगहों पर एकीकृत हो जाते हैं।
- इसमें **मेटाजोआन जीनोम के बड़े भाग शामिल** होते हैं।
- रेट्रोट्रांसपोजोन सभी यूकैरियोट्स (स्पष्ट नाभिक से युक्त कोशिकाओं वाले जीव) में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं।

6.4.5.8. माइक्रोबायोम (Microbiome)

- माइक्रोबायोम सभी सूक्ष्म जीवों, जैसे- **बैक्टीरिया, कवक, वायरस और उनके जीन का संग्रह** होता है, जो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर के ऊपर और अंदर पाए जाते हैं।
- यद्यपि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, फिर भी वे **मानव स्वास्थ्य और कल्याण में बड़े पैमाने पर योगदान** देते हैं।
- सूक्ष्मजीवों के ये **समूह गतिशील होते हैं और कई पर्यावरणीय कारकों, जैसे- व्यायाम, आहार, दवा और अन्य एक्सपोजर्स के कारण बदलते रहते हैं।**

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल

© Vision IAS

6.5. रक्षा (Defence)

6.5.1. सैन्य जासूस (टोही) उपग्रह {Spy (reconnaissance) Satellite}

सुर्ख़ियों में क्यों?

दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा सैन्य जासूस (टोही) उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह उपग्रह **स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट** से लॉन्च किया गया है।
- यह उपग्रह **सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR)** से लैस है। इस क्षमता से युक्त उपग्रह **खराब मौसम में भी तस्वीरें ले** सकता है।

जासूस या टोही उपग्रह के बारे में

- इस तरह के उपग्रह अन्य देशों की सैन्य गतिविधियों के बारे में **खुफिया जानकारी** उपलब्ध कराते हैं।
- यह या तो **संचार उपग्रह या भू-प्रेक्षण (Earth observation) उपग्रह** हो सकता है।
- ऐसा उपग्रह जब किसी देश के ऊपर से गुजरता है, तब उस समय रेडियो और रडार ट्रांसमिशन को कैच कर सकता है व रिकॉर्ड कर सकता है।
- **जासूस उपग्रह के मुख्य प्रकार:**
  - **ऑप्टिकल-इमेजिंग सैटेलाइट:** इनमें **लाइट सेंसर्स** लगे होते हैं। ये सेंसर्स जमीन पर **मिसाइल लॉन्चिंग लोकेशंस और हथियारों का पता** लगा सकते हैं।
  - **रडार-इमेजिंग सैटेलाइट:** ये उपग्रह बादल छाए रहने पर भी रडार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अंतरिक्ष से पृथ्वी का पर्यवेक्षण कर सकते हैं।
  - **सिग्नल-इंटेलिजेंस या फेरेट सैटेलाइट:** ये रेडियो और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को कैच करते हैं।
- **विश्व के कई देशों ने टोही उपग्रह लॉन्च किए हैं। इनमें शामिल हैं:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका: **कीहोल सीरीज (KH),**
  - चीन: **याओगान सीरीज,**
  - रूस: **पर्सोना सीरीज।**
  - भारत: **रडार इमेजिंग सैटेलाइट-2 (RISAT-2)** को भारत का टोही उपग्रह माना जाता है। यह SAR से लैस है।
- **टोही उपग्रहों से जुड़ी चिंताएं:**
  - ये उपग्रह **अंतरिक्ष के सैन्यीकरण को बढ़ावा** देते हैं;
  - ऐसे उपग्रह देशों के बीच **अविश्वास को बढ़ाते** हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ता अविश्वास इसका एक उदाहरण है।
  - इनका इस्तेमाल **दोहरे उपयोग (Dual used) वाली तकनीक** के रूप में किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि ये उपग्रह वाणिज्यिक के साथ-साथ सैन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं।
    - **पृथ्वी की निम्न कक्षा** में उपग्रहों को हथियारों से लैस करके इनसे पृथ्वी पर किसी लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है। इस तरह ये **"कक्षीय हथियार" (Orbital weapon)** के रूप में काम कर सकते हैं।

6.5.2. स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधारित क्रूज़ मिसाइल (Indigenous Technology Cruise Missile: ITCM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने देश के पूर्वी तट पर स्थित **एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), चांदीपुर (ओडिशा)** से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

ITCM के बारे में

- इसे **DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE) ने विकसित** किया है।
- यह एक **स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली** (Propulsion system) द्वारा संचालित **लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल** है।
  - इसकी प्रणोदन प्रणाली **गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान** ने विकसित की है।

- क्रूज मिसाइलें **मानव रहित** होती हैं। ये वायुमंडल में ही गमन करती हैं और भूमि से कुछ मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं।
- **सबसोनिक** क्रूज़ मिसाइल **ध्वनि की गति से कम गति (लगभग 0.8 मैक/ MACH) पर उड़ती** है।

भारत के पूर्वी तट से ही मिसाइल का परीक्षण एवं उपग्रह का प्रक्षेपण क्यों किया जाता है?

- प्रक्षेपित उपग्रहों को अंतरिक्ष में तीव्र गति से निकलना होता है ताकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच नहीं ले। भूमध्यरेखा की पास घूर्णन गति अधिक होता है, इसलिए इसके नजदीक से प्रक्षेपित उपग्रह अंतरिक्ष में तीव्र गति से निकलकर पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर देता है।
  - इससे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए उपयोग किए जाने वाले **रॉकेट की लागत को कम करने में मदद** मिलती है।
- उपग्रह/ मिसाइल की **विफलता के मामले में, बंगाल की खाड़ी एक सुरक्षित स्थान** प्रदान करती है। इससे **मिसाइल/ उपग्रह आंतरिक रिहायशी इलाकों** की बजाय बंगाल की खाड़ी में गिरकर नष्ट हो जाते हैं ।
- इस क्षेत्र में कोई प्रमुख **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री या एयरलाइन मार्ग नहीं है। इसलिए, किसी भी तरह से परीक्षण** किया जा सकता है।
  - टेस्टिंग लॉन्च के दौरान, **कुछ मौजूदा समुद्री या एयरलाइन मार्गों को बिना अधिक बाधा पैदा किए अस्थायी रूप से बंद** किया जा सकता है।

6.5.3. अग्नि प्राइम (Agni Prime)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल "अग्नि-प्राइम" का सफल परीक्षण किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- अग्नि-प्राइम का परीक्षण **डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप** से किया गया है। इसका परीक्षण **सामरिक बल कमान (SFC) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** ने किया है।
  - SFC पर देश के **सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियार भंडार के प्रबंधन एवं प्रशासन** की जिम्मेदारी है।

अग्नि प्राइम के बारे में

- यह **दो चरणों वाली कनस्तरीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल** है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता **1,000-2,000 कि.मी.** है।
- यह **अग्नि सीरीज की मिसाइलों का एक परमाणु-सक्षम** उन्नत संस्करण है।
- यह अग्नि सीरीज की सभी पुरानी मिसाइलों की तुलना में हल्की है। इसका निर्देशन **एडवांस्ड रिंग-लेजर जाइरोस्कोप पर आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स (INS)** द्वारा किया जाएगा।
- **इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IGMDP)** की समाप्ति के बाद यह नई पीढ़ी की पहली मिसाइल है।

महत्त्व:

- इस मिसाइल में **वारहेड पहले से लगा** होता है, इसलिए इसे काफी कम समय में दागा जा सकता है।
- इसे **कई वर्षों तक स्टोर** किया जा सकता है। समय-समय पर न्यूनतम निरीक्षण की जरुरत पड़ती है।
- यह बहुत अधिक सटीक **निशाना लगाने वाली मिसाइल** है। यह विशेषता इसे सटीक लक्ष्य निर्धारण के लिए उपयोगी बनाती है।

6.5.4. सुपरसोनिक मिसाइल-असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो (SMART) प्रणाली {Supersonic Missile-Assisted Release of Torpedo (SMART) System}

- हाल ही में, ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से **SMART प्रणाली** का सफलतापूर्वक उड़ान-परीक्षण किया गया।
- **SMART प्रणाली के बारे में:**
  - यह अगली पीढ़ी की **मिसाइल-आधारित हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली** है।
    - **टारपीडो** एक प्रकार की/ का मिसाइल या बम है। इसे जल के भीतर से दागा जाता है।
  - इसे **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)** ने विकसित किया है।
  - यह एक **कनस्तर-आधारित मिसाइल प्रणाली** है और **पैराशूट-आधारित रिलीज सिस्टम** से सुसज्जित है।

© Vision IAS

- इसमें **एडवांस्ड सब-सिस्टम** भी लगे हुए हैं। जैसे **दो चरणों वाली ठोस प्रणोदन प्रणाली, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर प्रणाली** आदि।
- यह भारतीय नौसेना की **पनडुब्बी-रोधी युद्धक क्षमता** को हल्के टारपीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ा देगी।

6.5.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

6.5.5.1. एक्सो-एटमॉस्फेरिक मिसाइल (EMs) {Exoatmospheric missiles (EMs)}

- कथित तौर पर, ईरान के हमले को रोकने के लिए इजरायल द्वारा **एक्सोएटमॉस्फेरिक मिसाइलों** का इस्तेमाल किया गया था।
- एक्सो-एटमॉस्फेरिक (EM) मिसाइल को **एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल (ABM)** के नाम से भी जाना जाता है। एक्सो-एटमॉस्फेरिक मिसाइल को हमला करने वाली **बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके प्रक्षेप पथ के मध्य-मार्ग या टर्मिनल चरण के दौरान रोकने और नष्ट करने** के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह हमला किए जाने वाले हथियारों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए इन्फ्रारेड और रडार सिस्टम जैसे एडवांस सेंसर्स का उपयोग करती है। इसके अलावा, अंतरिक्ष में उच्च गति से गमन कर रहे लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करने तथा सटीकता के साथ अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए **गाइडेंस सिस्टम** का भी उपयोग करती है।
- **एक्सो-एटमॉस्फेरिक मिसाइलों के निम्नलिखित प्रकार हैं:**
  - **काइनेटिक किल व्हीकल्स:** इसमें लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए मिसाइल का प्रयोग किया जाता है।
  - **निर्देशित ऊर्जा हथियार[58]:** ये लेजरों या अन्य ऊर्जा बीमों का उपयोग करके आने वाले खतरों को निष्क्रिय या नष्ट करते हैं।

6.5.5.2. ऑपरेशन आयरन शील्ड (Operation Iron Shield)

- **ईरान** द्वारा छोड़े गए **ड्रोन्स और मिसाइलों को इजरायल ने सफलतापूर्वक** रोक दिया है। इजरायल ने इस मिशन को आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन **"आयरन शील्ड"** नाम दिया है।
- इजरायल एक **बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली** द्वारा संरक्षित है। इसमें **एरो-2, एरो-3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम** जैसी सक्रिय रक्षा प्रणालियां सम्मिलित हैं।
  - **एरो-2 और एरो-3 मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइलों** से सुरक्षा प्रदान करती हैं। वहीं, **डेविड स्लिंग छोटी से मध्यम और मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइलों से सुरक्षा** प्रदान करती हैं।
  - **आयरन डोम** विश्व की ऐसी पहली मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे **कम दूरी के रॉकेट और UAVs के खतरे से निपटने के लिए विकसित** किया गया है।
  - यह प्रणाली एक साथ आने वाले **कई तरह के खतरों से निपटने** में सक्षम है।

6.5.5.3. C-डोम रक्षा प्रणाली (C-Dome defense system)

- **इजरायल** ने पहली बार **C-डोम रक्षा प्रणाली** तैनात की है।
- **C-डोम के बारे में**
  - यह **आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का नौसैनिक वर्जन** है। यह उन्नत बैलिस्टिक, हवाई और सतह से सतह आधारित खतरों से रक्षा करने वाली प्रणाली है।
  - यह दुश्मनों के एक साथ कई केंद्रित हमलों को नष्ट करने के लिए **कम प्रतिक्रिया समय में एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साधने की क्षमता** से युक्त है।
  - लक्षित निशानों का पता लगाने के लिए जहां आयरन डोम के पास अपना रडार है, वहीं C-डोम को इन लक्ष्यों का पता लगाने के लिए **जहाज के रडार के साथ एकीकृत** किया गया है।

6.5.5.4. रैम्पेज मिसाइल (Rampage Missiles)

- हाल ही में, रैम्पेज मिसाइलों को **भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना में शामिल** किया गया है।

[58]Directed energy weapons

- **रैम्पेज मिसाइल के बारे में:**
  - यह लंबी दूरी तक **हवा से सतह पर सटीक मार** करने वाली **सुपरसोनिक** मिसाइल है।
  - इसे **इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजराइली मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिस्टम्स** ने बनाया है।
  - **रेंज:** लगभग 250 किलोमीटर।
  - **गाइडेंस प्रणाली:** यह एंटी-जैमिंग क्षमता के साथ GPS/ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS) नेविगेशन प्रणाली से लैस है।
    - INS एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, जो किसी ऑब्जेक्ट की गति में परिवर्तन का पता लगाने और मापने में सक्षम है।
  - इन मिसाइलों **को Su-30 MKI, MiG-29 और जगुआर** लड़ाकू विमानों सहित रूसी मूल के विमान के बेड़े तथा भारतीय नौसेना के **MiG-29K** बेड़े में भी एकीकृत किया गया है।

6.5.5.5. कामिकेज ड्रोन (Kamikaze Drones)

- कैडेट डिफेंस सिस्टम्स ने **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** के सहयोग से भारत का पहला कामिकेज ड्रोन विकसित किया है।
- **कामिकेज ड्रोन के बारे में**
  - इसे **लोइटरिंग एरियल म्यूनिशंस (LAM) या आत्मघाती ड्रोन (लक्ष्य पर क्रैश) या स्विचब्लेड ड्रोन** के रूप में भी जाना जाता है।
  - **ड्रोन की विशेषताएं:**
    - यह **सटीक लक्ष्य पहचान के लिए** लंबी अवधि तक लक्ष्य क्षेत्र पर उड़ता रह सकता है।
    - **लक्ष्य के ऊपर उड़ते रहने की क्षमता:** लगभग 12 घंटे।
    - इसकी **लक्ष्य भेदन की क्षमता काफी सटीक** है। यह उड़ान के बीच में अपने लक्ष्य बदल सकता है या मिशन को रद्द भी कर सकता है।
    - रेगिस्तान, मैदानी इलाकों और अधिक ऊंचाई वाले वातावरण सहित **विविध इलाकों** में उड़ान भरने में सक्षम है।
    - **उड़ान की सीमा:** 150 किमी से 300 किमी।

6.6. विविध (Miscellaneous)

6.6.1. नेटवर्क-एज-ए-सर्विस (Network-as-a-Service: NaaS)

- **भारत में NaaS का बाजार** 2024 के 1.18 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2029 तक 7.32 बिलियन डॉलर हो जाने का अनुमान है।
- **NaasS के बारे में:**
  - यह एक **क्लाउड सर्विस मॉडल** है। इसके तहत ग्राहक **क्लाउड प्रदाताओं से नेटवर्किंग सेवाएं किराए** पर लेते हैं।
    - व्यवसाय की जरूरतों में बदलाव के अनुसार जितनी सेवा का उपयोग किया जाता है, यह उतने का ही **भुगतान करने का विकल्प** प्रदान करता है।
  - यह ग्राहकों को अपने **स्वयं के नेटवर्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता के बिना** नेटवर्क्स संचालित करने की सुविधा देता है।
    - गौरतलब है कि पारंपरिक नेटवर्क मॉडल में **स्विच, राउटर और लाइसेंसिंग के साथ भौतिक नेटवर्क के लिए पूंजीगत व्यय (CapEx)** की आवश्यकता होती है।

6.6.2. कोरिया सुपरकंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research: KSTAR)

- परमाणु संलयन में **कोरिया सुपरकंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च (KSTAR) फ्यूजन रिएक्टर** ने नया रिकॉर्ड बनाया है।
- इस रिएक्टर ने सूर्य के कोर की तुलना में **सात गुना अधिक तापमान 48 सेकंड तक बनाए रखने में सफलता** प्राप्त की है।
- KSTAR ने **100 सेकंड से अधिक समय तक हाई कांफिनेमेंट मोड (H-मोड)** भी बनाए रखा था।
  - H-मोड एक **स्थिर प्लाज्मा अवस्था** है।
  - प्लाज्मा एक गर्म और आवेशित गैस है। यह **धनात्मक आयनों और मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉन्स** से बनी होती है। इसमें **ठोस, द्रव या गैस से अलग विशिष्ट गुण** होते हैं।

6.6.3. इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (Electric Vertical Take-off and Landing: e-VTOL)

- हाल ही में, e-VTOL का उपयोग करके गुरुग्राम से दिल्ली तक एयर टैक्सी सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है।
- e-VTOL **स्वच्छ, शोर रहित व सस्ते वायु यातायात उपायों** का एक नया वर्ग है। यह **शहरी यातायात में मौलिक बदलाव** की क्षमता रखता है।

© Vision IAS

- eVTOL विमान, मंडराने **(Hover), टेक ऑफ करने और लंबवत रूप से लैंड करने के लिए** विद्युत शक्ति का उपयोग करता है।
    - अधिकांश eVTOLs **वितरित विद्युत प्रणोदन प्रौद्योगिकी** का उपयोग करते हैं। इसका तात्पर्य है कि इसमें एयरफ्रेम के साथ जटिल प्रणोदन प्रणाली को समेकित किया जाता है।
    - यह तकनीक **मोटर, बैटरी, ईंधन सेल और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक प्रौद्योगिकियों में विकास** के आधार पर विद्युत प्रणोदन के परिणामस्वरूप विकसित हुई है। यह शहरी हवाई यातायात सुनिश्चित करने वाली नई वाहन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता से प्रेरित है।
- **eVTOL विमान के उपयोग:** अग्निशमन, लोक सुरक्षा, खोज और बचाव, आपदा राहत तथा कानून का प्रवर्तन।

6.6.4. पीजोइलेक्ट्रिसिटी (Piezoelectricity)

- पुणे के कमांड हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक **पीजोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स (BCI)** किया गया है। ऐसा करने वाला यह भारत का **पहला सरकारी अस्पताल** बन गया है।
- पीजोइलेक्ट्रिक BCI प्रणाली के तहत सुनने की दुर्बल या कमजोर क्षमता वाले रोगियों में चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को प्रत्यारोपित किया जाता है।
- **पीजोइलेक्ट्रिसिटी के बारे में**
    - इसमें पीजोइलेक्ट्रिक गुण प्रदर्शित करने वाले **नॉनकंडक्टिंग क्रिस्टल्स** पर यांत्रिक दबाव देने पर **उसके एक तरफ धनात्मक विद्युत आवेश और विपरीत दिशा में ऋणात्मक विद्युत आवेश** हो जाता है।
    - इसका उपयोग **माइक्रोफोन, सेंसर्स, पीजोइलेक्ट्रिक मोटर्स** आदि में किया जाता है।

6.6.5. अघुलनशील सल्फर/ पोलिमेरिक सल्फर (Insoluble Sulphur/Polymeric Sulphur)

- **चीन और जापान** से भारत में आयातित 'अघुलनशील सल्फर' पर एंटी-डंपिंग जांच शुरू की गई है।
- **अघुलनशील सल्फर,** सल्फर का अक्रिस्टलीकृत (बिना आकार वाला) रूप है। यह **कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलता** है।
- **उपयोग**
    - यह **रबड़ में मिलाए जाने वाला महत्वपूर्ण योज्य (एडिटिव)** अभिकारक है। इसका उपयोग **ऑटोमोबाइल उद्योग में रबड़ वाले उपकरणों में तथा टायर, जूते जैसे अन्य रबड़ उत्पादों** में किया जाता है।
    - इसका उपयोग रबड़ उद्योग में **वल्कनीकरण त्वरक** के रूप में भी किया जाता है।
        - **वल्कनीकरण** एक रासायनिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया रबड़ के अणुओं को अन्य पदार्थों के साथ क्रॉस-लिंक करके **रबड़ को कठोर** बनाती है।
    - यह **उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार** करती है; उन्हें **उपयोग करने में सुविधाजनक** बनाती है आदि।

6.6.6. बिस्फेनॉल ए {Bisphenol A (BPA)}

- विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के संबंध में **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** के तत्वावधान में वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं। इन वार्ताओं में **प्लास्टिक पैकेजिंग में बिस्फेनॉल ए (BPA) जैसे हानिकारक रसायनों के उपयोग** का मुद्दा भी शामिल है।
- **बिस्फेनॉल ए (BPA) के बारे में:**
    - इस रसायन का मुख्य रूप से **पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन** के उत्पादन में उपयोग किया जाता है।
        - **पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का उपयोग अक्सर उन कंटेनरों** में किया जाता है, जो **खाद्य और पेय पदार्थों को संग्रहीत** करते हैं।
        - **एपॉक्सी रेजिन का धातु उत्पादों** (जैसे फ़ूड कैन्स, बोतल के शीर्ष आदि) के भीतर कोटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
    - इसके अतिरिक्त यह **भ्रूण, शिशुओं और बच्चों के मस्तिष्क व प्रोस्टेट ग्रंथि को भी हानिकारक रूप से प्रभावित** करता है।

6.6.7. गोल्डेनी (Goldene)

- वैज्ञानिकों ने गोल्डेनी नामक सोने की एक शीट या चादर विकसित की है। यह केवल एक **परमाणु** जितनी मोटी है।
- **गोल्डेनी के बारे में**
    - इसे बनाने के लिए सबसे पहले **टाइटेनियम कार्बाइड परतों के बीच सिलिकॉन** को रखा गया, फिर उसमें सोना भंडारित किया गया। बाद में सोने के परमाणुओं ने **सिलिकॉन** की जगह ले ली। इससे सोने की एकल परत (मोनोलेयर) तैयार हुई।

- यह लगभग 100 नैनोमीटर मोटी चादर है। यह वास्तव में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोने की सबसे पतली पत्ती से 400 गुना पतली है।
- **संभावित उपयोग:** इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड रूपांतरण में, हाइड्रोजन उत्पादन में, जल शोधन में, आदि।

6.6.8. ऑक्सीटोसिन (Oxytocin)

- दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शहर की **डेयरियों में मवेशियों पर ऑक्सीटोसिन के उपयोग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई** का आदेश दिया है।
- **ऑक्सीटोसिन के बारे में**
  - यह **सेक्स, प्रसव, स्तनपान या सामाजिक बंधन के दौरान स्तनधारियों की पिट्यूटरी ग्रंथियों** द्वारा स्रावित एक हार्मोन है।
  - यह माताओं को बच्चों को जन्म देने के बाद **अत्यधिक रक्तस्राव से बचाने में मदद** करता है।
  - दुधारू पशुओं द्वारा अधिक दूध देने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है।
  - यह **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26A** के तहत विनियमित है।
  - मवेशियों को ऑक्सीटोसिन देना पशु क्रूरता माना जाता है। साथ ही, ऐसा कृत्य **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत दंडनीय** है।

6.6.9. क्लोरोपिक्रिन (Chloropicrin)

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में क्लोरोपिक्रिन नामक रासायनिक एजेंट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
- क्लोरोपिक्रिन व्यापक उपयोग वाला एक **फ्यूमिगंट रसायन** है। इसका उपयोग **रोगाणुरोधी, कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशक, नेमैटिसाइड और युद्ध में हथियार** के रूप में किया जा सकता है।
  - पहली बार **प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों एवं धुरी राष्ट्रों ने इस रसायन का इस्तेमाल जहरीली गैस** के रूप में किया था।
- **क्लोरोपिक्रिन की विशेषताएं:**
  - यह **तैलीय लिक्विड** है, जो **रंगहीन से लेकर पीले** रंग तक का हो सकता है।
  - यह **अत्यधिक वाष्पशील** होता है तथा सामान्य तापमान (रूम टेम्परेचर) पर **गैसीय अवस्था** में पाया जाता है।
- **मनुष्यों पर प्रभाव:** आंखों, त्वचा व श्वास नलिका में अत्यधिक जलन; उल्टी आना आदि।

6.6.10. नाइट्रोप्लास्ट (Nitroplast)

- शोधकर्ताओं नेको अंगक (Organelle) के एक प्रकार की खोज की है। इसे नाइट्रोप्लास्ट नाम दिया गया है। इस अंगक की **ब्रारुडोस्फेरा बिगेलोवी** नामक समुद्री शैवाल से खोज की गई है। यह शैवाल **नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान** दे सकता है।
  - नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक **जैविक** प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में **नाइट्रोजन गैस को कोशिकाओं की वृद्धि के लिए उपयोगी रूप में परिवर्तित** किया जाता है।
- सामान्य रूप से यह विश्वास किया जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण केवल **जीवाणुओं व आर्किया (आद्य-जीवाणु)** द्वारा संपन्न होता है। हालांकि, ब्रारुडोस्फेरा बिगेलोवी पहला ज्ञात युकेरियोट है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया संपन्न करता है।
  - **युकेरियोट** ऐसी कोशिका या जीव होता है, जिसमें **स्पष्ट रूप से परिभाषित केंद्रक** होता है।
- **इस खोज का महत्त्व:** नाइट्रोप्लास्ट की खोज से सतत कृषि को बढ़ावा मिलेगा, फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी, उर्वरकों की आवश्यकता में कटौती होगी, बेहतर पर्यावरण प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

6.7. सरकारी योजनाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science And Technology In Government Schemes)

प्रौद्योगिकी/ इस्तेमाल	योजना/ पहलें	प्रौद्योगिकी की विशेषताएं/ विवरण
LiDAR और भौगोलिक सूचना प्रणाली {LiDAR and Geographical Information System (GIS)}	नमामि गंगे योजना	• **नमामि गंगे योजना में, भारतीय सर्वेक्षण** (Survey of India) द्वारा LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) और GIS प्रौद्योगिकी की सहायता से **भौगोलिक मानचित्रण** किया गया। ○ LiDAR एक **सुदूर संवेदन विधि** है, जो पृथ्वी तक दूरी (परिवर्तनीय दूरी) को मापने के लिए स्पंदित लेजर (Pulsed laser) के रूप में प्रकाश का उपयोग करती है। ○ इस तकनीक में एक लेज़र, एक स्कैनर और एक विशेष GPS रिसीवर का प्रयोग किया जाता है।

PT 365 - अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल

		○ **LiDAR दो प्रकार के होते हैं-** ▪ **स्थलाकृतिक (Topographic)** जिसमें भूमि का मानचित्रण करने के लिए एक निकट-अवरक्त (near-infrared) लेजर का उपयोग किया जाता है। ▪ **बाथिमेट्रिक (Bathymetric)** जिसमें समुद्र तल और नदी तल की ऊंचाई को मापने के लिए जल में प्रवेश करने में समर्थ हरे प्रकाश का उपयोग किया जाता है। ○ **GIS: यह पृथ्वी पर मौजूद किसी स्थान विशेष से जुड़े स्थानिक डेटा का विश्लेषण करके और दर्शाने के लिए उपयोग किया जाने वाला** एक प्रकार का **कंप्यूटर सिस्टम** है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)	**जल जीवन मिशन (JJM)**	• **जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति की माप और निगरानी** के लिए सेंसर आधारित IoT तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ○ IoT सेंसर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जुड़े अलग-अलग **उपकरणों, व्हीकल्स, अप्लायंसेस और अन्य भौतिक वस्तुओं** का एक नेटवर्क होता है।
ऑग्मेंटेड रियलटी (AR)	**NCERT की ए ई-पाठशाला AR (ऑग्मेंटेड रियलटी) ऐप पहल**	• AR **वास्तविक दुनिया** का एक उन्नत और **इंटरैक्टिव संस्करण होता** है। इसके होलोग्राफिक तकनीक के जरिए **डिजिटल विजुअल, साउंड** और अन्य संवेदी तरीकों की सहायता से सृजित किया जाता है। • इसमें तीन प्रमुख विशेषताएं शामिल होती हैं: ○ डिजिटल और भौतिक दुनिया का संयोजन, ○ रियल टाइम इंटरेक्शन, और ○ 3D में सटीकता के साथ वर्चुअल और रियल वस्तुओं को प्रस्तुत करना।
क्लाउड कंप्यूटिंग	**मेघराज (क्लाउड कंप्यूटिंग पहल)**	• **क्लाउड कंप्यूटिंग**, एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत कोई उपयोगकर्ता इंटरनेट पर भुगतान करके कंप्यूटिंग सेवाओं, जैसे- फिजिकल सर्वर या वर्चुअल सर्वर, डेटा स्टोरेज, नेटवर्किंग क्षमताओं आदि का उपयोग कर सकता है। • यह **उपयोगकर्ताओं को** पारंपरिक रूप से अपने कार्यस्थल पर उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर या कंप्यूटिंग सेवाओं की तुलना में **अधिक बेहतर एवं आवश्यकता के अनुसार विकल्प मिल जाते हैं।**
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस	**PM किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN Scheme)**	• **'किसान ई-मित्र' एक AI-संचालित चैटबॉट** है। यह किसानों को PM-किसान योजना से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने में सहायता करेगा। ○ यह प्लेटफ़ॉर्म कई भाषाओं में सहायता प्रदान करता है। साथ ही, इसे अन्य सरकारी योजनाओं में भी सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC)	**भारत नेट (BharatNet)**	• ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट के तहत **ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFCs)** बिछाए गए हैं। ○ **OFCs** कांच या प्लास्टिक के पतले धागे जैसे तार होते हैं, जो प्रकाश स्पंदनों के रूप में डिजिटल इंफॉर्मेशन जैसे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं।
भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (GMIS)	**स्मार्ट सिटी मिशन**	• **भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (Geospatial Information Management System: GMIS)** एक वेब एप्लीकेशन है। इसे स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत सेवाओं की गुणवत्ता में होने वाली प्रगति और उनके सुचारू संचालन के लिए और GIS **इनेबल्ड सर्विसेज के जरिए उनकी बेहतर निगरानी** हेतु डिजाइन किया गया है।

PMGSY के तहत बनी ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रख-रखाव (eMARG) और सड़क निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)	• eMARG अधिकारियों, ठेकेदारों, बैंकों और आम लोगों की सहायता करने के लिए एक **GIS-बेस्ड एंटरप्राइज़ ई-गवर्नेंस समाधान** है। • **सड़क निर्माण में नई/ हरित प्रौद्योगिकी:** ○ अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग; ○ कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी/ कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी (बिना गर्म किए एस्फाल्ट या डामर का मिश्रण तैयार करना); ○ सेल फील्ड कंक्रीट (यह प्लास्टिक सेल्स का बना एक ग्रिड होता है, जिसमें कंक्रीट को भरा जाता है); ○ कॉयर जियो-टेक्सटाइल का उपयोग सड़क के नीचे कमजोर पकड़ वाली मिट्टी को मजबूत बनाने और किनारों पर ढलानों को स्थिर बनाने के लिए किया जाता है; ○ नैनो प्रौद्योगिकी (जैसे- ज़ाइडेक्स प्रौद्योगिकी, एस्फाल्ट HMA लेयर या कार्पेट और सीलकोट लेयर); ○ फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (FDR) एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग टूटी हुई सड़क और उसके नीचे की परतों को फिर से इस्तेमाल करने एक नयी आधार परत बनाई जाती है; ▪ हालांकि, यह **खराब जल निकासी के कारण उखड़ने वाली सड़कों** को सुधारने में काम नहीं आती है; ○ सीमेंट और चूने का उपयोग करके सड़कों को मजबूत करना।
कंटिन्युअस ऑपरेटिंग रेफरेन्स स्टेशन (CORS)	सर्वे ऑफ़ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़ (स्वामित्व/ SVAMITVA)	• **कंटिन्युअस ऑपरेटिंग रेफरेन्स स्टेशन (CORS):** CORS नेटवर्क सटीक जियो-रेफरेंसिंग, भू-सत्यापन और भूमि सीमांकन के लिए महत्वपूर्ण है। ○ CORS नेटवर्क में **रियल-टाइम काइनेमेटिक पोजिशनिंग (RTK) बेस स्टेशनों का एक समूह शामिल है।** यह इंटरनेट के जरिए आवश्यक **करेक्शन या त्रुटि सुधार प्रसारित करता है।** ○ वर्तमान **उपग्रह नेविगेशन (GNSS)** प्रणालियों के तहत सर्वेक्षण से संबंधित **सामान्य त्रुटियों को ठीक करने के लिए RTK** का उपयोग किया जाता है।
आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar enabled Payment System: AePS)	प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) - राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन	• AePS, बैंक आधारित मॉडल है। इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल (माइक्रो ए.टी.एम.) पर **ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय समावेशन लेन-देन** किया जाता है। यह कार्य आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के **व्यवसाय प्रतिनिधि (Business Correspondent)** के माध्यम से किया जाता है। • **AePS** में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) को जोड़ना वित्तीय समावेशन को और अधिक सुगम बनाएगा। ○ API नियमों या प्रोटोकॉल का एक सेट है। यह **सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस** के मध्य फीचर्स, फंक्शनालिटी और **डेटा के आदान-प्रदान** को संभव बनाता है।
जियो टैगिंग	महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 और प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)	• ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के जियो-मनरेगा के जरिये मनरेगा के तहत **निर्मित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग की गई। यह कार्य इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (NRSC) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से किया गया।** • **जियो टैगिंग** किसी इमेज की **भौगोलिक अवस्थिति का पता लगाने** की एक प्रक्रिया है। यह विभिन्न प्रकार की मीडिया, जैसे- फोटो या वीडियो में अक्षांश व देशांतर जैसी भौगोलिक लोकेशन को जोड़ने की प्रक्रिया है।

ब्लॉकचेन तकनीक	**भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा कार्ड्स का टोकनाइजेशन**	• ब्लॉकचेन तकनीक की सहायता से किसी परिसंपत्ति का डिजिटल आइडेंटिटी के रूप में एक टोकन जारी किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को **टोकनाइजेशन** कहते हैं। • ब्लॉकचेन एक साझा, अपरिवर्तनशील खाता-बही है जो किसी बिजनेस नेटवर्क में किए गए लेनदेन को रिकॉर्ड करने और परिसंपत्तियों को ट्रैक करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है।
रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक	**एक वाहन, एक फास्टैग पहल (One Vehicle, One FASTag Initiative)**	• FASTag ऑटोमेटिक **टोल भुगतान** के लिए **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक** का उपयोग करता है। ○ RFID **विद्युत-चुम्बकीय तरंगों से युक्त वायरलेस संचार** की एक तकनीक है। ○ इसके दो घटक हैं- **टैग और रीडर।** इनके बीच सूचना साझा करने के लिए **लाइन ऑफ साइट (आमने-सामने)** में होने की आवश्यकता नहीं है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए
QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

7. संस्कृति (Culture)

7.1. मूर्तिकला, मंदिर और अन्य स्थापत्य कला (Sculpture, Temple and Other Architecture)

7.1.1. स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाना (Delisting Of Monuments)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने **24 "लुप्त (Untraceable)"** स्मारकों में से **18** स्मारकों को **"स्मारकों की केंद्रीय संरक्षित सूची" से हटाने की घोषणा** की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- गौरतलब है कि ASI ने कुछ समय पहले उन स्मारकों की एक सूची जारी की थी जो गायब या लुप्त हो गए हैं। ASI का मानना है कि इन **स्मारकों का अब राष्ट्रीय महत्त्व नहीं** रह गया है। इन्हीं **स्मारकों में** से 18 स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है।
- जिन स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाया जाना है उनमें शामिल हैं; मध्यकालीन राजमार्ग पर मील के पत्थर स्थापित **हरियाणा के मुजेसर गांव में स्थित कोस मीनार नंबर 13 (कोस मी),** झांसी जिले में **गनर बुर्किल के मकबरे,** वाराणसी में **तेलिया नाला बौद्ध खंडहर,** आदि।
  - मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल के दौरान बनी कोस-मीनारें भारतीय इतिहास में 'सड़क पर मील के पत्थर' के आरंभिक उदाहरणों में शामिल हैं।

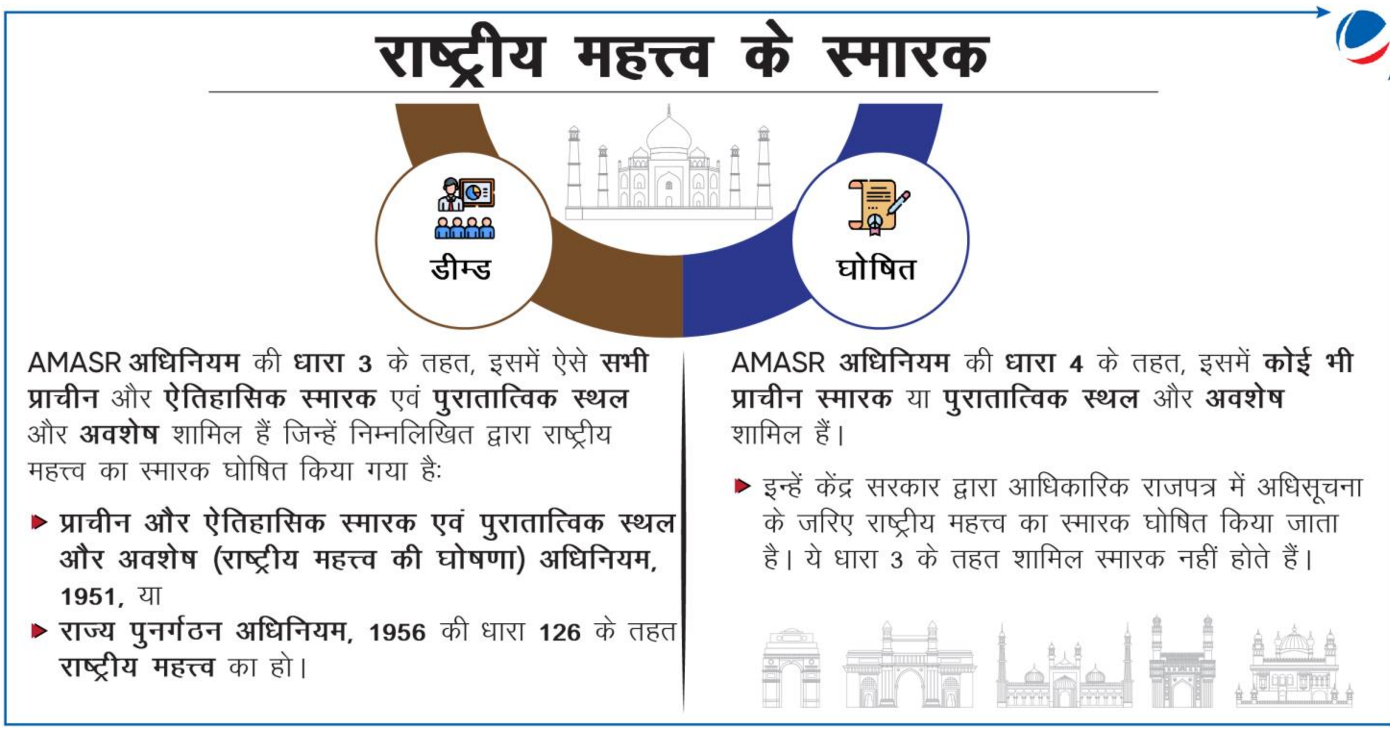

केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से स्मारकों को हटाने के बारे में

- किसी स्मारक को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाने का अर्थ है कि उसका अब ASI द्वारा संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव नहीं किया जाएगा।

© Vision IAS

- केंद्रीय सूची से हटाने का कार्य **प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, (AMASR)**[59] **अधिनियम, 1958** की धारा 35 के अनुसार किया जाता है।
    - यह धारा **केंद्र सरकार को यह घोषित** करने का अधिकार देती है कि कोई **प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष राष्ट्रीय महत्त्व** का नहीं रह गया है।
- गौरतलब है कि **AMASR अधिनियम में "लुप्त स्मारक"** नामक किसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य को **देश भर में राष्ट्रीय महत्त्व वाले कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करने का निर्देश** देता है।

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, (AMASR) अधिनियम, 1958

- यह कानून **राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों के संरक्षण** का प्रावधान करता है।
- यह **पुरातात्विक उत्खनन का विनियमन तथा मूर्तियों, नक्काशी और अन्य वस्तुओं की सुरक्षा का भी प्रावधान** करता है।
- इस अधिनियम की धारा 4 केंद्र सरकार को प्राचीन स्मारकों आदि को **राष्ट्रीय महत्त्व का स्थल** घोषित करने का अधिकार देती है।
- **AMASR (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2010** के तहत **राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NAM) की स्थापना** की गई है। यह प्राधिकरण केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
    - यह प्राधिकरण **केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के प्रबंधन करके स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित** करता है।
    - यह **निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधि** के लिए **आवेदकों को भी** अनुमति भी देता है।

7.1.2. श्री माधव पेरुमल मंदिर (Madhava Perumal Temple)

श्री माधव पेरुमल मंदिर

- श्री माधव पेरुमल मंदिर काफी हद तक **भवानी सागर बांध** के कारण डूबा हुआ है। इस मंदिर में पाए गए अभिलेखों से 1000 साल पुराने व्यापार मार्ग का पता चलता है।
    - यह मार्ग **भवानी नदी और मोयार नदी** को पार करके **पश्चिमी तमिलनाडु के कोंगु क्षेत्र को दक्षिणी कर्नाटक और केरल से जोड़ता** था।
- **1338 ई. में वीर सिद्ध केथतया दंडनायक** ने श्री माधव पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था।
- यह मंदिर **तोंडरीश्वरमुदियार (भगवान शिव)** को समर्पित है।
    - इस मंदिर का क्षेत्र **होयसल शासकों** के अधीन था।

7.2. चित्रकला और कला के अन्य स्वरूप (Painting and other Art Forms)

7.2.1. मोहिनीअट्टम (Mohiniyattam)

मोहिनीअट्टम

- **केरल कलामंडलम** ने मोहिनीअट्टम नृत्य सीखने से संबंधित लड़कों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है।
- **मोहिनीअट्टम नृत्य के बारे में**
    - यह **केरल का शास्त्रीय एकल (Solo) नृत्य** है।
    - इस नृत्य का उल्लेख **1709 में मज्हमंगलम नारायणन नम्बुतिरि द्वारा लिखित 'व्यवहारमाला'** और बाद में कवि **कुंजन नांबियार द्वारा लिखित 'घोषयात्रा'** में मिलता है।
    - **नृत्य के प्रमुख विषय:** ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। आमतौर पर **भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण** इस नृत्य के मुख्य पात्र होते हैं।

[59] Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains

- **विशेषताएं:**
  - मोहिनीअट्टम के तहत **40 अलग-अलग मूल मुद्राएं** होती हैं, जिन्हें **'एड़वुकल'** कहा जाता है।
  - बिना किसी अचानक झटके अथवा उछाल के **लालित्यपूर्ण व ढलावदार शारीरिक अभिनय** इस नृत्य की मुख्य विशेषता है।
  - **मुख की अभिव्यक्तियों व हस्त मुद्राओं** को अधिक महत्त्व दिया जाता है।

7.2.2. तोलू बोम्मालट्टा (Tholu Bommalata)

- **संगीत नाटक अकादमी** तोलू बोम्मालट्टा पुतली की **प्राचीन नाट्य प्रदर्शन परंपरा** को पुनर्जीवित कर रही है। उल्लेखनीय है कि यह कला विलुप्त होने की कगार पर आ गई है।
- **तोलू बोम्मालट्टा के बारे में**
  - इसे **चमड़े की बनी गुड़ियों** के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है।
  - इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से **आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र** में होता है।
  - इन गुड़ियों को **बकरी की खाल (चमड़े)** से बनाया जाता है। इनके नृत्य का प्रदर्शन एक छोटी स्क्रीन (जैसे रंगीन फोटोग्राफिक पारदर्शिताओं) पर किया जाता है।
  - **मुख्य स्क्रीन पात्र:** जानवर, पक्षी, देवता और राक्षस।
  - **मुख्य विषय:** रामायण व महाभारत।

तोलू बोम्मालट्टा

7.3 सुर्ख़ियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल (Important Sites in News)

7.3.1. पड़ता बेट (Padta Bet)

- पुरातात्विक उत्खनन से **गुजरात के कच्छ के पड़ता बेट में 5,200 साल पुरानी हड़प्पा युगीन बस्ती का पता** चला है।
  - यह बस्ती एक **प्राक्-हड़प्पा कब्रिस्तान जूना खटिया** के नजदीक स्थित है। जूना खटिया दरअसल एक सामूहिक शवाधान स्थल था।
- **प्राक्-हड़प्पा से लेकर उत्तर-हड़प्पा काल तक के पुरातात्विक साक्ष्य:**
  - **मृदभांड** में नए प्रकार की **सिरेमिक कलाकृतियां** शामिल हैं। उदाहरण के लिए- जार, छोटी कटोरिया, खाना परोसने की प्लेट्स आदि।
  - **कार्नीलियन और गोमेद से बने कम कीमती मनके, टेराकोटा से बनी तकलियां (Spindle whorls), तांबा, पत्थर से बने उपकरण** आदि कलाकृतियां शामिल हैं।
  - उत्खनन में **मवेशी व भेड़ या बकरी की हड्डियों और खाने योग्य शंख के अवशेष** मिले हैं। इनकी प्राप्ति से जानवरों को पालतू बनाने का संकेत मिलता है।

पड़ता बेट

7.3.2. तेलंगाना में नए पुरातत्व स्थल (New Archaeological Sites in Telangana)

- पुरातत्वविदों ने **तेलंगाना में तीन नए पुरातात्विक स्थलों** की खोज की है।
- **नये पुरातत्व स्थलों में शामिल हैं:**
  - **ओरागुट्टा:** यह लौह युग का एक **महापाषाण** स्थल है।
  - भद्राद्री कोठागुडम जिले के गुंडाला मंडल के **दमराटोगु में दो नए शैल-कला स्थल।**
    - **देवरलबंद मुला:** यहां से केवल जानवरों के चित्र मिले हैं। मनुष्य या हथियार का कोई चित्र नहीं मिला है।
- आमतौर पर इस क्षेत्र में विशेष प्रकार के महापाषाण स्मारक पाए जाते हैं, जिन्हें **'डोलमेनॉइड सिस्ट्स'** के नाम से जाना जाता है।
  - **डोलमेनॉइड सिस्ट्स कक्ष युक्त शवाधान संरचनाएं** हैं, जो अर्ध-भूमिगत हैं।
- महापाषाण के तीन मूल प्रकार हैं: कक्षयुक्त कब्रें, बिना कक्ष वाले कब्र, तथा गैर-कब्र महापाषाण।

© Vision IAS

7.4. सुर्ख़ियों में रही जनजातियां (Tribes in News)

7.4.1. सोलिगा जनजाति (Soligas Tribe)

- सोलिगा जनजाति **एक अलग-थलग रहने वाला जनजातीय समुदाय** है। यह जनजाति केवल **कर्नाटक और तमिलनाडु,** विशेष रूप से बिलिगिरी रंगना पहाड़ियों और माले महादेश्वर पहाड़ियों में निवास करती है।
  - यह समुदाय **सोलिगा/ शोलिगा/ सोलिगारू** के नाम से भी लोकप्रिय है।
  - इन्हें **'बांस की संतान' भी कहा जाता** है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस शब्द का अर्थ है कि इनकी उत्पत्ति बांस से हुई है।
  - इनकी बस्तियों को **'हाड़ी'** और **'पूडू'** के नाम से जाना जाता है।
  - ये लोग **"सोलिगा"** बोलते हैं जो कि एक **द्रविड़ भाषा** है।
- **अनुष्ठान और त्यौहार:** वे **सूखे के दौरान वर्षा के देवता का आह्वान** करने के लिए अनुष्ठान करते हैं एवं भोग के रूप में ताजा शहद चढ़ाते हैं।
  - उनके पारंपरिक त्यौहार **रोट्टी हब्बा, होसा रागी हब्बा, मारी हब्बा** एवं **गौरी हब्बा** आदि हैं।
  - वे **प्रकृति के प्रति अटूट श्रद्धा के साथ हिंदू धर्म का पालन** करते हैं।
- **व्यवसाय और जीवनशैली:**
  - वे जंगल के मौसमी चक्र के अनुरूप **खेती और शिकार करते** हैं।
  - सोलिगा का मुख्य **व्यवसाय लघु वन उत्पादों जैसे गोंद, शहद, साबुन नट, जड़ और कंद, इमली आदि को इकट्ठा करना** है।
  - सोलिगा **विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 300 से अधिक जड़ी-बूटियों का उपयोग** करते हैं।
- **अन्य जानकारी:**
  - **जैव विविधता एवं संरक्षण प्रयासों में सोलिगा समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका** को मान्यता देने के लिए, ततैया की एक नई प्रजाति, **'सोलिगा एकरिनाटा'** का नाम सोलिगा समुदाय के नाम पर रखा गया है।
  - **सोलिगा** वस्तुतः टाइगर रिजर्व के अंदर रहने वाला **पहला ऐसा आदिवासी समुदाय** हैं जिसे 2011 में वन पर कानूनी अधिकार प्रदान किया गया।

7.4.2. शोम्पेन जनजाति (Shompen Tribe)

- शोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोक सभा चुनाव में वोट डाला है।
- **शोम्पेन जनजाति के बारे में**
  - यह **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह** (PVTG)[60] है।
  - यह जनजाति **ग्रेट निकोबार द्वीप** के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है।
  - यह जनजाति **मंगोलॉइड नृजातीय समूह** से संबंधित है।
  - 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति की **अनुमानित जनसंख्या 229** है।
  - वे **शिकारी और खाद्य संग्राहक** हैं। वे जंगली सूअर, अजगर, मॉनिटर छिपकली, मगरमच्छ आदि का शिकार करते हैं।
  - वे **अर्ध-खानाबदोश जीवन** जीते हैं और किसी परिभाषित आरक्षित वन में **एक ही जगह पर बस्तियां बनाकर नहीं** रहते हैं।

7.4.3. कोंडा रेड्डी जनजाति (Konda Reddi Tribes)

कोंडा रेड्डी जनजाति ने **भारतीय लॉरेल (Indian Laurel) वृक्ष से जुड़े अपने स्वदेशी ज्ञान को वन अधिकारियों के साथ साझा** किया है।

- **कोंडा रेड्डी के बारे में**
  - इनकी बस्तियां **आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी** के किनारे पाई जाती हैं। वे आंध्र प्रदेश के **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह** (Particularly Vulnerable Tribal Group) हैं।
  - वे **पोडू कृषि** करते हैं। यह एक प्रकार की **स्थानांतरण कृषि** है।

---

[60] Particularly Vulnerable Tribal Group

- **भारतीय लॉरेल (टर्मिनलिया टोमेंटोसा) वृक्ष के बारे में**
  - यह एक प्रकार का **पर्णपाती वृक्ष** है। यह **30 मीटर** तक बढ़ सकता है।
  - **ग्रीष्मकाल** के दौरान यह अपने **तने में जल संचित करने की क्षमता** के लिए जाना जाता है।
  - **रक्तस्राव (Haemorrhage), अल्सर, फ्रैक्चर** आदि के उपचार में इस पेड़ की **छाल और पत्तों** का उपयोग किया जाता है।
  - यह **इंडियन सिल्वर ओक** के नाम से भी जाना जाता है। इसकी **लकड़ी का व्यावसायिक मूल्य बहुत अधिक** है।

7.5. विविध (Miscellaneous)

7.5.1. वायकोम सत्याग्रह (Vaikom Satyagraha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वायकोम सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ** मनाई गई। यह अस्पृश्यता, जाति-आधारित भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ चलाया गया भारतीय इतिहास एक एक महत्वपूर्ण आंदोलन था।

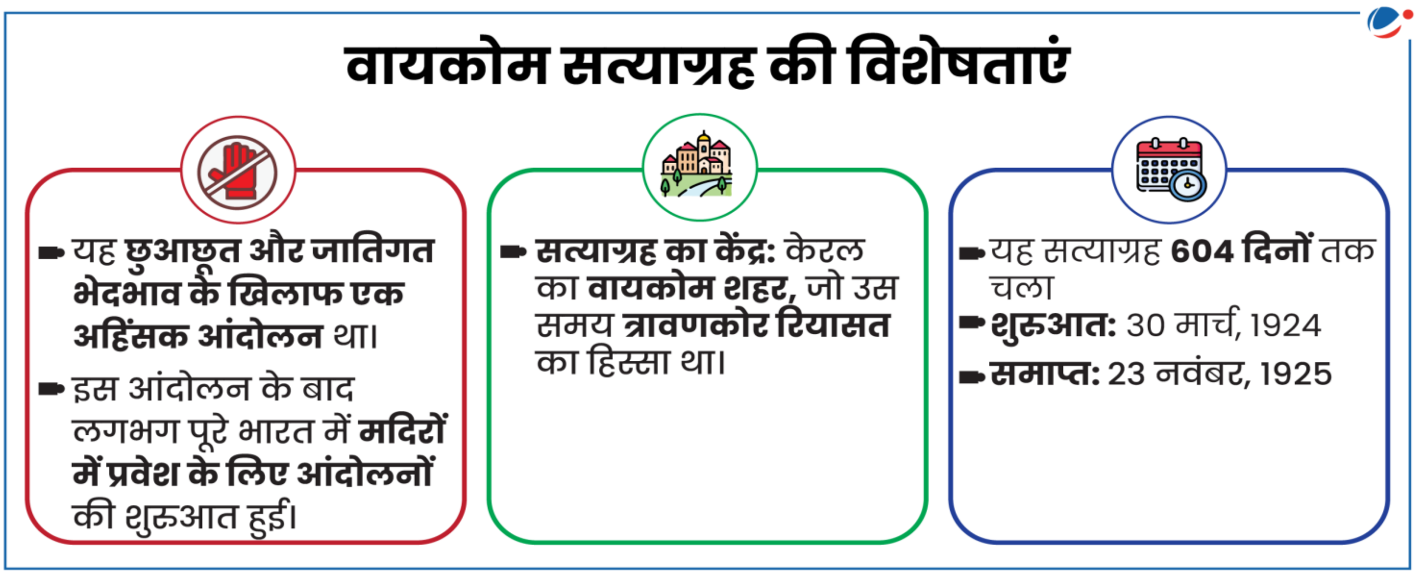

वायकोम सत्याग्रह के बारे में

- यह **मंदिर में प्रवेश** के लिए शुरू किया गया एक **ऐतिहासिक अहिंसक सत्याग्रह** था। यह सत्याग्रह **30 मार्च, 1924 को त्रावणकोर** रियासत (वर्तमान **केरल**) के एक शहर वायकोम में शुरू हुआ था।
  - यह सत्याग्रह हिंदू धर्म में **"निम्न समझे जाने वाली जातियों"** को **वायकोम के भगवान महादेव मंदिर** में प्रवेश नहीं देने के खिलाफ शुरू हुआ था।

नेतृत्वकर्ता और समर्थन

- **टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन और के. केलप्पन** को वायकोम सत्याग्रह का अग्रणी माना जाता है। के. केलप्पन को **केरल के गांधी** के नाम से भी जाता है।
  - मंदिर प्रवेश का मुद्दा सबसे पहले एझावा नेता टी के माधवन ने 1917 में अपने अखबार **'देशाभिमानी'** के संपादकीय में उठाया था।
  - 1921 में, **टी.के. माधवन के नेतृत्व में त्रावणकोर कांग्रेस कमेटी ने मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध** को हटाने के लिए एक अभियान चलाया।
  - **1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में**, केरल प्रांतीय कांग्रेस समिति ने **अस्पृश्यता-विरोध को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में अपनाने के लिए एक संकल्प अपनाया** था।
- केरल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी **जॉर्ज जोसेफ** ने केशव मेनन की अनुपस्थिति में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का नेतृत्व किया था।
- **ई. वी. रामास्वामी नायकर (पेरियार) वायकोम सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं में शामिल** थे। इन्हें **'वायकोम वीरार'** भी कहा जाता है। नायकर ने स्वयंसेवकों को संगठित किया और अपने भाषणों के जरिए जनता का समर्थन प्राप्त किया। गौरतलब है कि वायकोम सत्याग्रह में गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों में से **केवल पेरियार को ही कठोर कारावास की सजा दी गई थी।**

 © Vision IAS

- इस सत्याग्रह में **महात्मा गांधी ने 1921 में भाग** लिया। इस दौरान गांधीजी ने मंदिर में प्रवेश के लिए माधवन के नेतृत्व में एक जन आंदोलन का समर्थन किया था।
- **श्री नारायण गुरु, मन्नातु पद्मनाभन, ई. वी. रामास्वामी नायकर** आदि ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया।
- **नागम्मई (पेरियार की पत्नी), कन्नम्मल जैसी महिला आंदोलनकारियों ने महिलाओं को सशक्त बनाने** और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं थीं।

- सत्याग्रहियों ने **तीन समूह बनाकर मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास** किया परंतु पुलिस ने उन्हें रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया।
  - खादी वस्त्र और खादी टोपी पहनकर **गोविंद पणिक्कर (नायर), बहुलेयन (एझावा) और कुंजप्पु (पुलाया) ने** मंदिर में प्रवेश के **निषेधाज्ञा का उल्लंघन** किया।
  - मंदिर प्रवेश का यह आंदोलन पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया और इसे देश के अलग-अलग हिस्सों से समर्थन प्राप्त हुआ।
    - **पंजाब के अकालियों ने सत्याग्रहियों को भोजन उपलब्ध** कराया।
    - **ईसाई और मुस्लिम नेताओं ने भी सत्याग्रह का समर्थन** किया
- **गांधीजी और त्रावणकोर** के तत्कालीन **पुलिस आयुक्त डब्ल्यू.एच पिट के** बीच विचार-विमर्श के बाद **30 नवंबर, 1925 को वायकोम सत्याग्रह** आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया।

वायकोम सत्याग्रह के परिणाम

- **कानूनी सुधार और पहलें:**
  - **सत्याग्रह से बने दबाव के बाद** निम्न समझे जाने वाली जातियों के लिए **मंदिर प्रवेश उद्घोषणा 1936** जारी की गई।
  - **त्रावणकोर लोक सेवा आयोग** की स्थापना भी की गई ताकि सरकारी रोजगारों (भूमिकाओं) में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
- **राजनीतिक जागृति:** इसने हाशिए पर स्थित समुदायों में **राजनीतिक जागरूकता और सक्रियता बढ़ाने में भूमिका निभाई**।
- **राष्ट्रीय प्रभाव:** इस सत्याग्रह का प्रभाव केरल से बाहर अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दिया।
  - डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन (1930)।
  - के. केलप्पन के नेतृत्व में गुरुवायुर सत्याग्रह (1931)।
- **महात्मा गांधी और पेरियार के बीच मतभेद:**
  - जहां **गांधीजी ने वायकोम सत्याग्रह को हिंदू सुधारवादी आंदोलन** के रूप में देखा, वहीं पेरियार ने इसे "जाति-आधारित अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई" के रूप में देखा।
  - दरअसल **पेरियार इस सत्याग्रह से मिली आंशिक सफलता** से खुश नहीं थे क्योंकि मंदिर तक जाने वाली चार सड़कों में से केवल 3 सड़कें सभी जातियों के लिए खोली गई थीं। कुछ महीनों बाद पेरियार ने **कांग्रेस की सदस्यता भी त्याग दी**।

भारत में अन्य जातीय-आंदोलन

वर्ष	आंदोलन	नेतृत्वकर्ता	विवरण
1873	सत्यशोधक आंदोलन	ज्योतिबा फुले	ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ निम्न जातियों, अस्पृश्य और विधवाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध आंदोलन
1916	जस्टिस पार्टी आंदोलन	टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी, सी.एन मुदलियार	सरकारी नौकरी, शिक्षा और राजनीति में ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ आंदोलन
1924	डिप्रेस्ड क्लासेज मूवमेंट	बी. आर. अम्बेडकर	दलित वर्गों का उत्थान, अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज, 'बहिष्कृत भारत' नामक मराठी समाचार पत्र का प्रकाशन (1927)
1925	आत्म-सम्मान आंदोलन (सेल्फ-रिस्पेक्ट मूवमेंट)	ई. वी. रामास्वामी नायकर (पेरियार)	जाति व्यवस्था और ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ आंदोलन, 'कुडी अरासु' पत्रिका का प्रकाशन (1910)

7.5.2. वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी (World Craft City: WCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (WCCI) ने **श्रीनगर** को **वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी हेतु** प्रारंभिक नामांकन के लिए चुना है। श्रीनगर का चयन WCC के रूप में इसके अंतिम नामांकन से पहले इसके शिल्प क्लस्टर्स को मैप करने के लिए किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- श्रीनगर की स्थानीय शिल्प में **पश्मीना शॉल, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, हाथ से बुने हुए कालीन, कानी शॉल, खतमबंद (छत की डिजाइन), सोज़नी शिल्प (सुई से कढ़ाई), जलकडोजी (चेन स्टिच रग्स), नमधा (हस्तनिर्मित रग्स), बसोहली चित्रकला (वैष्णव धर्म को दर्शाता हुआ), पेपर मेशी कला** आदि शामिल हैं।

वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी (WCC) के बारे में

- इस कार्यक्रम को **WCCI ने 2014** में शुरू किया था।
- यह दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में **स्थानीय प्राधिकारियों, शिल्पकारों और समुदायों की भूमिका को मान्यता** प्रदान करता है।
- यह **रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप, दुनिया भर में शिल्प (क्राफ्ट) शहरों का एक गतिशील नेटवर्क** स्थापित करता है।
- WCCI **कुवैत** स्थित एक संगठन है। यह **दुनिया भर में पारंपरिक शिल्प की मान्यता और संरक्षण** पर काम कर रहा है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

Vision IAS का **त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट** उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

8. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

8.1. राष्ट्रीय आयुष मिशन (National Ayush Mission: NAM)

संदर्भ

हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति ने **राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) की समीक्षा पर रिपोर्ट** जारी की।

स्मरणीय तथ्य

- **मंत्रालय: आयुष मंत्रालय**
- **योजना का उद्देश्य:** इसका उद्देश्य रोग के बोझ को कम करने के लिए **समग्र कल्याण और "सेल्फ-केयर" को बढ़ावा** देना है।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2015 से 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

- इस मिशन का उद्देश्य **आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत और बेहतर** बनाकर पूरे देश में आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है।
- बीमारी के बोझ और जेब से होने वाले खर्चों को कम करने के लिए **आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से एक समग्र कल्याण मॉडल** स्थापित करना।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) में आयुष सुविधाओं की एक ही जगह पर उपलब्धता** के माध्यम से जरूरतमंद जनता को तथ्य आधारित विकल्प प्रदान करना। इसके परिणामस्वरूप, **चिकित्सा में बहुलवाद** का प्रसार होगा।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP), 2017 के अनुसार लोक स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका** पर जोर देना।
- आयुष शिक्षण संस्थानों में **अवसंरचना का विकास करना और उसे मजबूत** बनाना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **आयुष (AYUSH):** यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और स्वास्थ्य देखभाल विरासत का एक अभिन्न अंग है। ये चिकित्सा पद्धतियां प्राचीन ज्ञान और प्रथाओं से प्रेरित होकर स्वास्थ्य एवं कल्याण पर अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करती हैं।
  (इन्फोग्राफिक देखें)

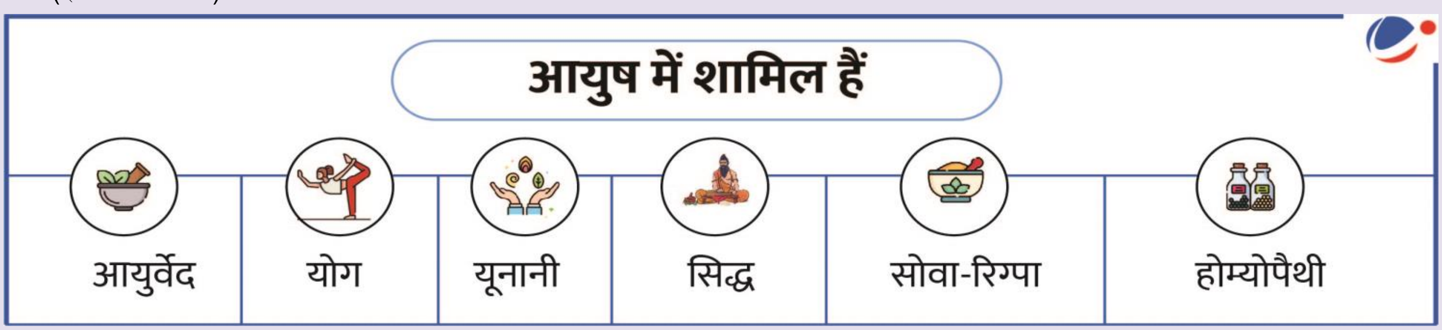

- **पृष्ठभूमि:** राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) को **2014** में शुरू किया गया था। इससे पहले आयुष को बढ़ावा देने से संबंधित पहलों को **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के साथ एकीकृत** किया गया था।
- **अनिवार्य घटक:**
  - **आयुष द्वारा प्रदत सेवाएं:** लागत प्रभावी आयुष सेवाएं निम्नलिखित के द्वारा प्रदान की जाती है:-
    - **आयुष अस्पतालों और औषधालयों** के उन्नयन के माध्यम से सार्वभौमिक पहुंच के द्वारा;
    - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) में **आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना करके;**
    - **10 बिस्तरों वाले/ 30 बिस्तरों वाले/ 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना करके;**
    - आयुष सिद्धांतों में अंतर्निहित समग्र कल्याण मॉडल पर आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए **आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के एक नेटवर्क** को संचालित करके आदि।

- आयुष्मान भारत के 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को अब **आयुष्मान आरोग्य मंदिर** नाम दिया गया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को **2023-24 तक 5 साल की अवधि के लिए** NAM के माध्यम से शुरू किया जाएगा।

  - **AYUSH शिक्षण संस्थान:**
    - सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त **आयुष स्नातक (UG) के साथ-साथ स्नातकोत्तर (PG) शैक्षणिक संस्थानों को अपग्रेड** करना।
    - ऐसे **राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता** प्रदान करना, जहां सरकारी आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

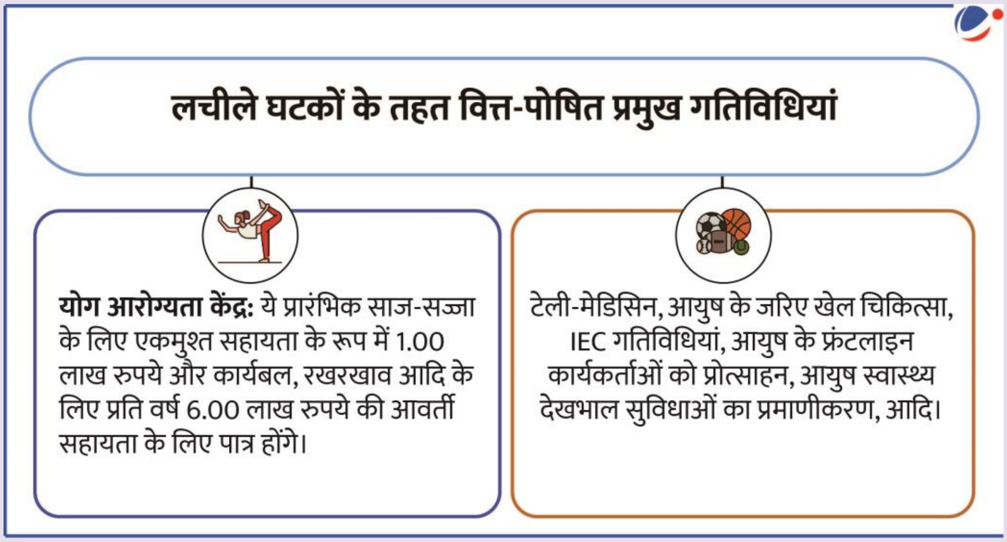

- **घटकों में लचीलापन:** राज्य कोष में उपलब्ध कुल धनराशि में से **25% धनराशि के लिए लचीलापन** होगा।
- **प्रदर्शन-आधारित बजटिंग: फ्लेक्सीपूल बजट के कुल आवंटन का 20%** अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को उसी अनुपात में आवंटित किया जाएगा, जिसमें NAM का मुख्य बजट आवंटित किया जाता है।
- **निगरानी और मूल्यांकन:**
  - आयुष मंत्रालय ने राज्य की वार्षिक कार्य योजना (SAAPs), अनुमोदित गतिविधियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स (UCs) जमा करने आदि के लिए एक समर्पित **NAM वेब पोर्टल** बनाया है।
  - राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को **मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट आयुष मंत्रालय को देनी** होती है।

8.2. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना {Nutrient Based Subsidy (NBS) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

- **मंत्रालय:** रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- **योजना का उद्देश्य:** किसानों को रियायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराना।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC):** वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले **'N', 'P', 'K' और 'S' के लिए प्रति पोषक तत्व आधारित सब्सिडी** की सिफारिश करती है।

अन्य उद्देश्य

- **राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित करना, **कृषि उत्पादकता** में सुधार करना और **उर्वरकों का संतुलित उपयोग** सुनिश्चित करना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: 1992** में, केंद्र ने **फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों को विनियमन से मुक्त** कर दिया था। इससे उनकी **कीमतें बढ़** गई थीं।
  - इसके परिणामस्वरूप, किसानों ने **नाइट्रोजन (N) का अत्यधिक उपयोग** किया, जिसकी कीमत अभी भी नियंत्रित थी। इससे **मिट्टी के पोषक तत्वों (N, P, और K) में असंतुलन** पैदा हो गया था। इससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो गई।
  - इसका समाधान करने के लिए **कृषि और सहकारिता विभाग ने तदर्थ आधार पर (1992 से 2010 तक) अनियंत्रित P&K उर्वरकों के लिए एक रियायत योजना** की शुरुआत की थी।
  - **वर्ष 2010** में, सरकार ने NBS योजना शुरू की थी।

- **NBS का अर्थ:** इसमें समग्र उर्वरक पर सब्सिडी प्रदान करने के बजाय, उर्वरकों में प्रयुक्त नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों की सामग्री के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
- **NBS के लिए सब्सिडी भुगतान:**
    - **अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC)** वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले सब्सिडी की सिफारिश करती है।
    - IMC की सिफारिश के आधार पर **NBS** के लिए प्रत्येक पोषक तत्व **अर्थात 'N', 'P', 'K' और 'S' पर वार्षिक भुगतान** किया जाता है।
    - IMC **द्वितीयक ('S' के अलावा) और सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले फोर्टिफाइड सब्सिडी युक्त उर्वरकों पर प्रति टन अतिरिक्त सब्सिडी** की भी सिफारिश करती है।
- **माल ढुलाई हेतु रियायत:** NBS के अलावा, देश में उर्वरकों की व्यापक उपलब्धता को सक्षम करने के लिए **रेल और सड़क मार्ग से अनियंत्रित उर्वरकों की आवाजाही एवं वितरण हेतु माल ढुलाई की सुविधा प्रदान** की जाती है।

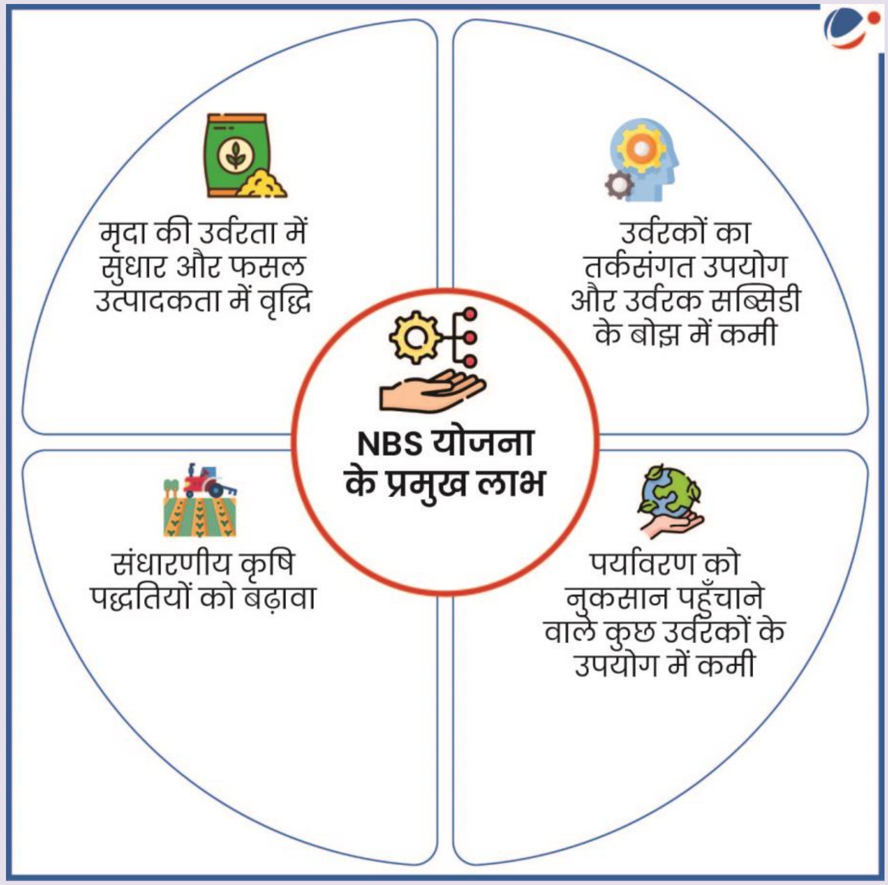

- **अनुकूलित उर्वरकों के लिए सब्सिडी:** अनुकूलित उर्वरकों और मिश्रित उर्वरकों के विनिर्माता विनिर्माताओं /आयातकों से सब्सिडी वाले उर्वरक प्राप्त करने के पात्र हैं।
    - **अनुकूलित उर्वरकों और मिश्रित उर्वरकों की बिक्री पर कोई अलग से सब्सिडी प्रदान नहीं** की जाती है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** DBT के माध्यम से उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी दी जाती है। इसे बाद में **कम खुदरा कीमतों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया** जाता है।
- **एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (Integrated Fertilizer Monitoring System: iFMS):** यह 2016 में शुरू की गई एक IT सक्षम प्रणाली है। यह **उत्पादन, आवाजाही, उपलब्धता, आवश्यकता, बिक्री, सब्सिडी बिल जनरेशन** आदि से लेकर उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी भुगतान तक के मामले में उर्वरकों के लिए शुरू से अंत तक विवरण प्राप्त करती है। (इन्फोग्राफिक्स देखें)

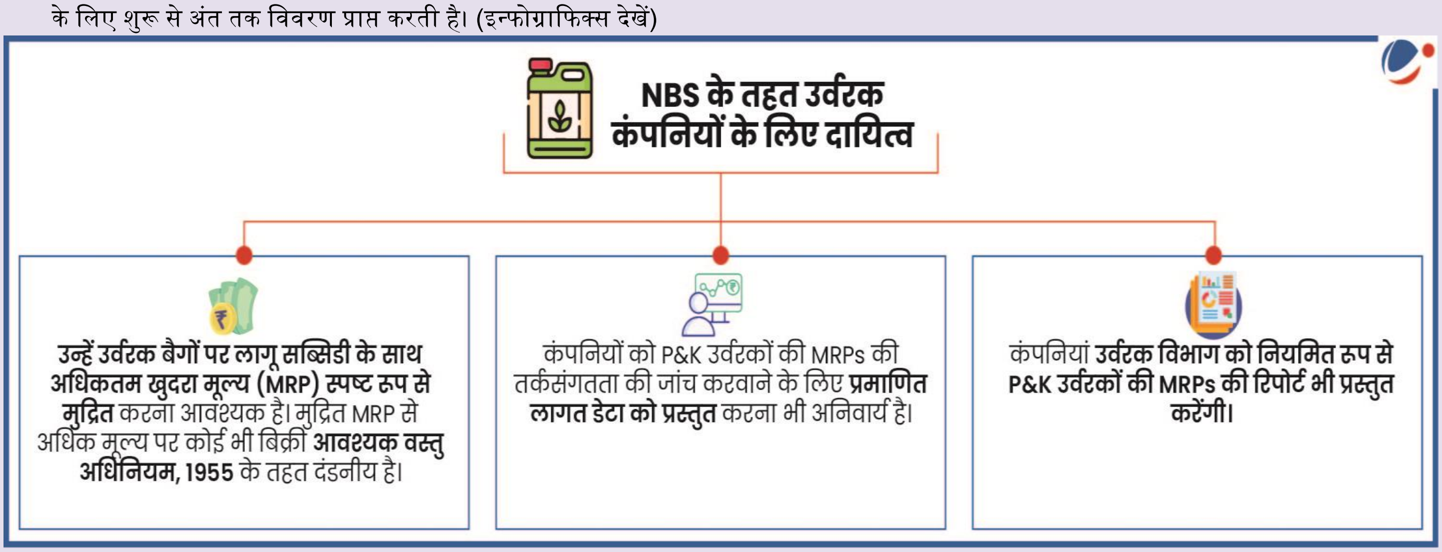

8.3. शुद्धिपत्र (Errata)

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं:

आर्टिकल 1.1.3. "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)": स्मरणीय तथ्य में योजना के 'प्रकार' में 'केंद्र प्रायोजित योजना' का उल्लेख किया गया है। सही जानकारी यह है कि PMFBY योजना **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।

आर्टिकल 22.1.2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम:

- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS):** पेंशन सहायता का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि '40-59 वर्ष की आयु की BPL विधवाएँ 200 रुपये मासिक पेंशन की हकदार हैं'। सही जानकारी यह है कि '40-79 वर्ष की आयु की BPL विधवाएँ 300 रुपये मासिक पेंशन की हकदार हैं और यदि उनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तो मासिक पेंशन 500 रुपये होगी'।
    - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (IGNDPS):** पेंशन सहायता का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि 'गंभीर और बहु दिव्यांगता वाले 18-59 वर्ष की आयु के BPL व्यक्ति 200 रुपये मासिक पेंशन के हकदार हैं'। सही जानकारी यह है कि 18-79 वर्ष की आयु वाले BPL व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता का स्तर 80% या उससे अधिक है, वे 300 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन के हकदार हैं और यदि उनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तो मासिक पेंशन 500 रुपये होगी।

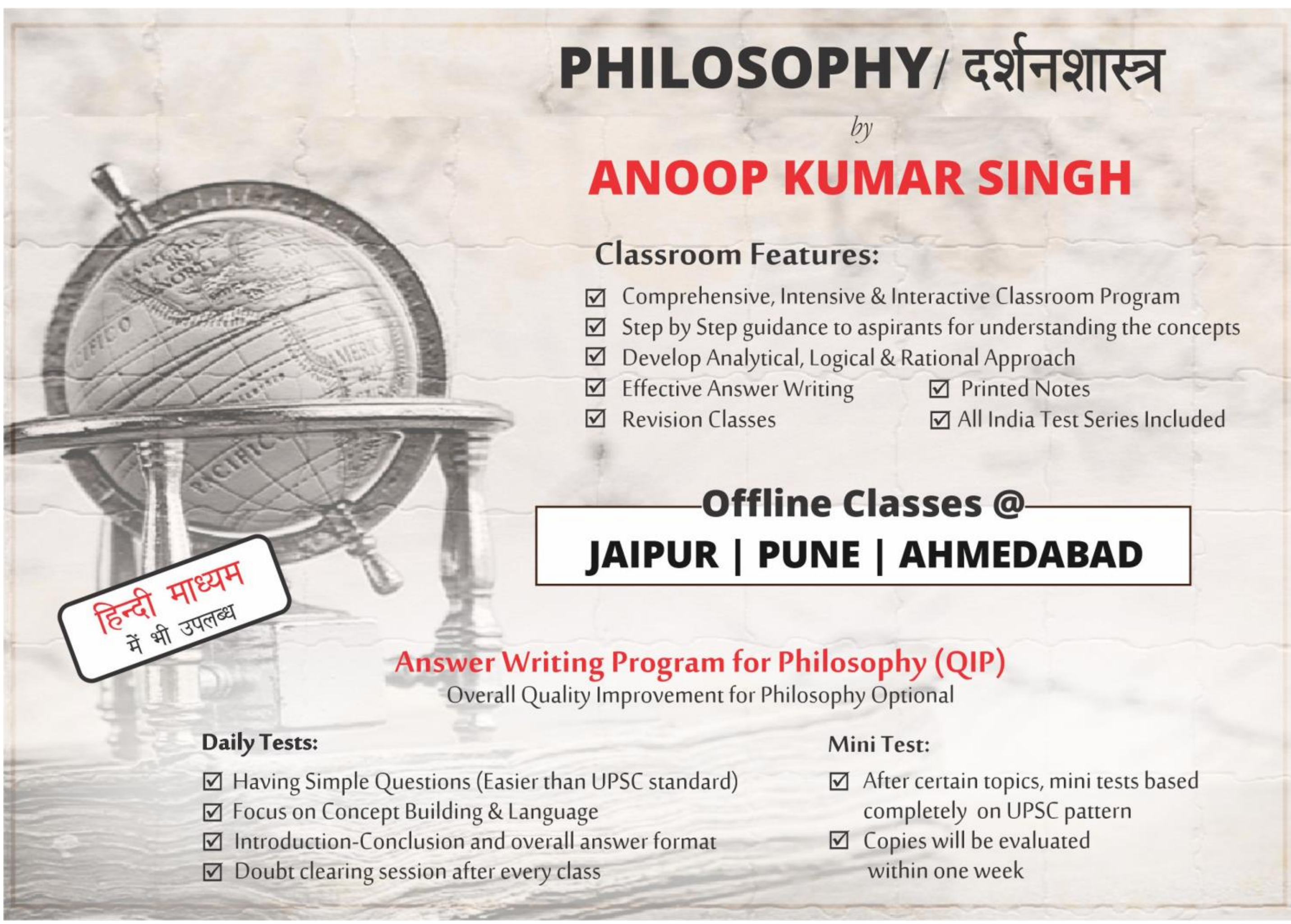

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

9. परिशिष्ट (Appendix)

9.1. भारत का शास्त्रीय संगीत (Classical Music of India)

भारत का शास्त्रीय संगीत

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत	कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत
यह मुख्य रूप से देश के **उत्तरी राज्यों से संबंधित** है और इस पर **विदेशी प्रभाव** भी हैं।	यह मुख्य रूप से देश के **दक्षिणी राज्यों से संबंधित** है और इस पर **विदेशी प्रभाव नहीं** हैं।
इसमें सुधार की गुंजाइश रहती है और इसकी उत्पत्ति कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत से पहले हुई थी।	यह **सुर और लय के एक निश्चित पैटर्न** पर आधारित है।
वाद्ययंत्रों की अपेक्षा **स्वर/ गायन को अधिक महत्त्व** दिया जाता है तथा **गायन की अनेक उप-शैलियां** हैं।	**वाद्ययंत्रों** और **स्वर/ गायन** दोनों का महत्त्व समान है और इसमें गायन की एक ही शैली है।
यह राग पर आधारित है और इसमें **स्वर (Pitch)** पर अधिक बल रहता है।	यह **कृति** आधारित है और इसमें **लय** पर अधिक बल रहता है।
मुख्य वाद्ययंत्र: सारंगी, तबला, संतूर और सितार	**मुख्य वाद्ययंत्र:** मृदंगम, वीणा और मैंडोलिन

9.2. भारत के शास्त्रीय नृत्य (Classical Dances of India)

भारत के शास्त्रीय नृत्य

कथक, उत्तर प्रदेश

- यह **हिंदुस्तानी संगीत** से जुड़ा **एकमात्र शास्त्रीय नृत्य** है।
- **मुगल शासन** के दौरान इसने अपना सर्वोत्तम स्वरूप प्राप्त किया।
- तत्कर इसमें एक मूलभूत फुटवर्क है। कथक नृत्य में पैरों एवं पैरों में बंधे घुंघरुओं से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे **"तत्कार (Tatkar)"** कहते हैं।

सत्रिया, असम

- **महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव** द्वारा 15वीं शताब्दी ई. में असम में इसका सूत्रपात किया गया।
- यह नृत्य परंपरागत हस्तमुद्राओं, फुटवर्क, आहार्य संगीत आदि के संबंध में सख्ती से बने सिद्धांतों की परंपरा से संचालित होता है।

ओडिसी, ओडिशा

- नृत्य का अभ्यास **'महारियों' यानी मंदिर से जुड़ी महिला सेवकों** द्वारा मंदिर सेवा के हिस्से के रूप में शुरू किया गया।
- यह **जयदेव** के **गीत गोविंदा** की थीम पर आधारित है।
- इस नृत्य की दो आधारभूत मुद्राएं **चौक** और **त्रिभंग** हैं।

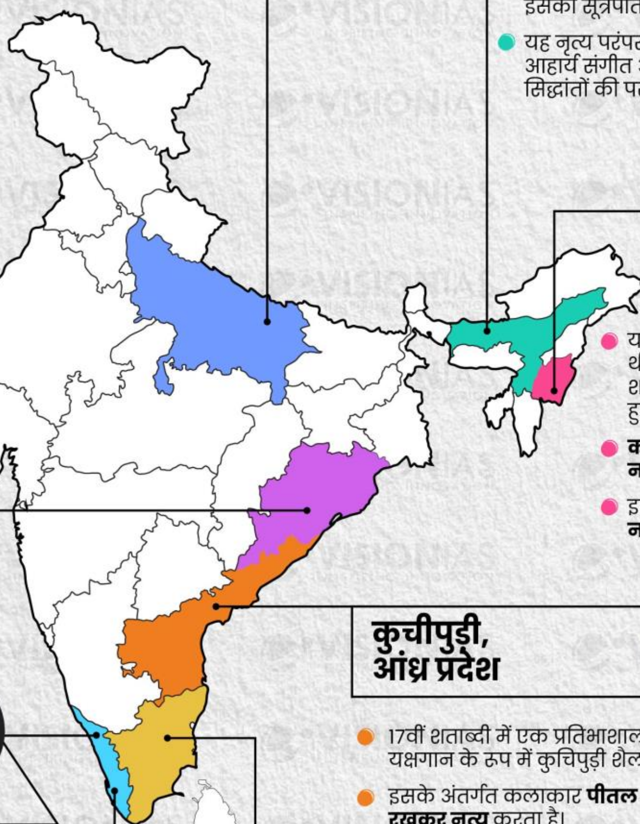

मणिपुरी, मणिपुर

- यह नृत्य मुख्य रूप से **वैष्णववाद** के थीम पर आधारित है। हालांकि, शक्तिवाद और शैववाद भी इससे जुड़े हुए हैं।
- **कलाकार कभी भी दर्शकों से नज़रें नहीं** मिलाते।
- इस नृत्य में **फुटवर्क कभी भी सुनाई नहीं** देता।

कुचीपुड़ी, आंध्र प्रदेश

- 17वीं शताब्दी में एक प्रतिभाशाली वैष्णव कवि **सिद्धेंद्र योगी** ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की थी।
- इसके अंतर्गत कलाकार **पीतल की थाली के किनारे पर पैर रखकर नृत्य** करता है।
- इसके लिए **गायन और नृत्य,** दोनों में प्रतिभा की आवश्यकता होती है।

कथकली, केरल

- इस नृत्य के लिए पाठ्य स्वीकृति **बलराम भारतम्** और **हस्त लक्षणा दीपिका** से ली गई है।
- कथकली नृत्य के लिए **रामायण और महाभारत की कहानियों का उपयोग** किया जाता है। परंपरागत रूप से कथकली प्रदर्शन शाम को शुरू होता है।
- कथकली एक **दृश्यात्मक कला** है।

भरतनाट्यम, तमिलनाडु

- **नंदिकेश्वर** द्वारा रचित **अभिनय दर्पण** इस नृत्य के मुख्य स्रोतों में से एक है।
- भरतनाट्यम नृत्य को **एकहार्य** के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ नर्तकी एकल प्रस्तुति में कई भूमिकाएं प्रदर्शित करती है।
- यह **भारत के परंपरागत नृत्यों में से पहला** है जिसे थिएटर आर्ट द्वारा नया रूप दिया गया है।

मोहिनीअट्टम, केरल

- इसे केवल **महिला नर्तकियों** द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
- बिना किसी अचानक झटके अथवा उछाल के **लालित्यपूर्ण व ढलावदार शारीरिक अभिनय** इस नृत्य की मुख्य विशेषता है।
- **मुख की अभिव्यक्तियों व हस्त मुद्राओं** को अधिक महत्त्व दिया जाता है।

 © Vision IAS

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2025

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
11 जून | 9 AM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन / मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

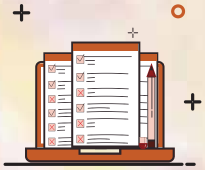

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

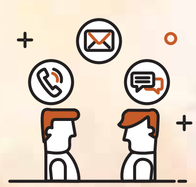

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन / ईमेल / लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

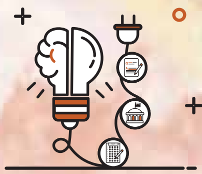

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest

Congratulations

to all Successful Candidates

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023** from various programs of **Vision IAS**

1 AIR

Aditya Srivastava

2 AIR **Animesh Pradhan**

5 AIR **Ruhani**

6 AIR **Srishti Dabas**

7 AIR **Anmol Rathore**

9 AIR **Nausheen**

10 AIR **Aishwaryam Prajapati**

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

हिंदी माध्यम टॉपर

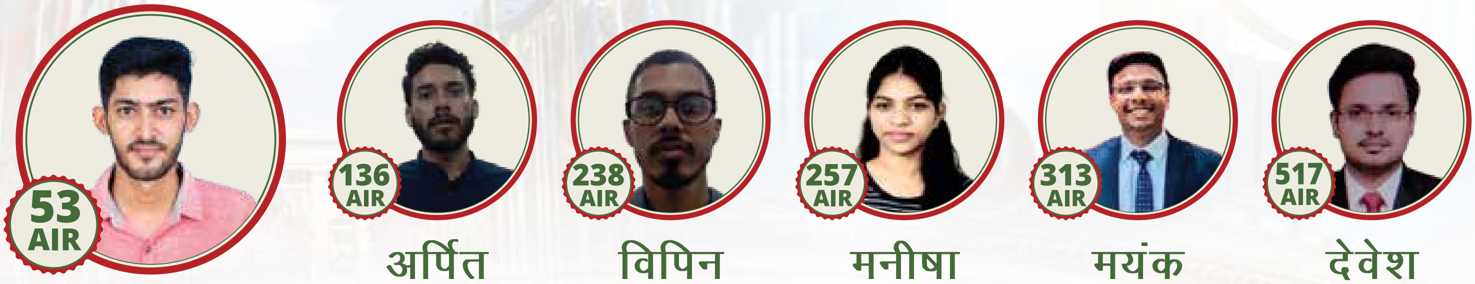

53 AIR मोहन लाल

136 AIR अर्पित कुमार

238 AIR विपिन दुबे

257 AIR मनीषा धार्वे

313 AIR मयंक दुबे

517 AIR देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

2 AIR Animesh Pradhan — TOPPERS' TALK

53 AIR मोहन लाल — TOPPERS' TALK

AIR 136 अर्पित कुमार — TOPPERS' TALK

UPSC 2025 के लिए व्यापक रणनीति

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /c/VisionIASdelhi | /visionias.upsc | /vision _ias | VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची